राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] चतुर्थ विधान सभा के पंचम सत्र का द्वितीय दिवस [संख्या 2

मंगलवार,

दिनांक 12 अगस्त, 1969

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.3 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[समाज कल्याण, चिकित्सा, सिचाई, शिक्षा, पंचायत अकाल सहायता, पंचायत, योजना, वन, खाद्य, यातायात, भाषा विभाग]

श्री अध्यक्षः प्रश्न । श्री जयनारायण सालोदिया ।

जिला स्तर को कमेटियों का गठन

1. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ने विधान सभा में यह घोषणा की थी कि समाज कल्याण के सारे कार्यक्रम की देख रेख व सुझाव के लिये जिला स्तर की कमेटियां बनाई जावेंगी ? यदि हां, तो अब तक यह कमेटियां क्यों नहीं बनाई गई और अब कब तक बन जावेंगी ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री विशम्बरनाथ जोशी):समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तर पर समाज कल्याण बोर्ड का गठन करने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। यह बोर्ड अधिकांश जिलों में बन कर कार्य कर रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : यहां राजस्थान विधान सभा में राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि इस तरह की कमेटियां बनाई जायेंगी जो समाज कल्याण के सारे कार्यों को करेंगी, उस घोषणा को राज्य सरकार कब पूरा करेगी ?

श्री बिशम्बरनाथ जोशी: आप किस घोषणा का हवाला दे रहे हैं, यह मैं इस समय नहीं कह सकता क्योंकि आपने कोई समय उसका नहीं दिया है। पर जो बोर्ड बने हुए हैं, उनमें सभी लोग आ गये हैं, जिला कलेक्टर हैं, एस० पी० शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के एम. एल एज और दूसरे लोग भी उन बोर्डों में हैं। तो फिर दूसरी कमेटियां बनाना महज डुप्लीकेसी होगी।

Page No 2

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह घोषणा आपके पास तो होगी ?

श्री बिशम्बरनाथ जोशी: आप किस घोषणा का हवाला दे रहे हैं, मुझे याद नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसका साल या समय नहीं दिया गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया: गत समय श्री नारायणसिंह जी मसूदा ने, जिनके पास उस समय यह डिपार्टमेंट था, उन्होंने घोषणा की थी कि इस तरह की कमेटियों का गठन किया जायगा जो समाज कल्याण के सारे कार्यों को करेंगी।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी: अभी जो बोर्ड बने हुए हैं उनके अधिकार विस्तृत हैं, फिर भी आप जिस घोषणा के बारे में कह रहे हैं, मैं उसको निकलवा कर देखूंगा।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री जयनारायण सालोदिया: यह जो बोर्ड बने हुए हैं क्या वे सब डिस्ट्रिक्ट्स में बन गये हैं ?

श्री बिशम्बरनाथ जोशी: बने हुए सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और 20 जिलों की रिपोर्ट है कि वहां ये सक्रिय रूप में काम कर रहे हैं, 6 में नहीं हैं। 15-16 जिलों में मीटिंगें हुई हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : 6 में काम नहीं कर रहे हैं, इनके गठित करने का उद्देश्य क्या है और 6 जिलों में ये क्यों नहीं काम कर रहे हैं ?

श्री बिशम्बरनाथ जोशी: जहां बोर्ड गठित नहीं हुए हैं वहां जल्दी ही गठित किये जायेंगे तथा जहां कार्य नहीं कर रहे हैं वहां उन्हें सक्रिय किया जावेगा। इनको गठित करने का उद्देश्य स्थानीय जन प्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिलों के समाज कल्याण संबंधी प्रवृत्तियों से एसोसियेट करने का है ताकि उनका संचालन सही व सुचारू हो सके।

श्री अध्यक्ष: आदि आदि।

चिकित्सा मंत्री

श्री गोकुलचन्द (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ऐसी कमेटियां बनी हैं, इसके बारे में कोई नोटिस या किसी प्रकार का सर्कूलर हमें नहीं मिला है। हालांकि मैं कुछ समय पहले एक कमेटी में बैठा था पर कमेटी के पास इस प्रकार के कोई आदेश नहीं हैं। इस प्रकार के आदेश भेजे जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष: इसकी जानकारी दे दी जाय।

चिकित्सा मंत्री।

रामसर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर का भवन

2. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रामसर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर के लिये भवन निर्माण पर कितनी राशि व्यय हुई ?

(2) उक्त भवन निर्माण का कितना कार्य अधूरा है ?

(3) इस अधूरे कार्य को कब तक सम्पूर्ण करा दिया जावेगा ?

राज्य मन्त्री चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा): (1) रुपये 26,907.19 पैसे व्यय हुए हैं।

(2) कार्य पूर्ण हो चुका है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: कार्य सम्पूर्ण हो चुका है, यह जो सूचना दी गई है, यह बिलकुल गलत है। अभी तक डॉक्टर का कोई कमरा नहीं बना है, न इन्डोर पेशेन्ट्स के लिये ही व्यवस्था है, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

श्रीमती सुमित्रा : मेरे पास तो इस कार्य के सम्पूर्ण होने की तिथि 6-10-67 है कि भवन पूर्ण हो चुका है। हो सकता है कि उसमें आवास गृह बनाये जाते हैं, उनमें कहीं कोई कमी हो।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह पूर्ण होने से क्या तात्पर्य है ? क्या प्लान के माफिक सारे भवन का निर्माण हो चुका है ? क्या प्लान था ?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री सुवालाल चौधरी।

बन्धों के पानी का वितरण

3. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बन्धों के पानी का सिंचाई हेतु वितरण किसी कमेटी द्वारा किया जाता है ? अगर हां, तो इनका गठन कब किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि पानी वितरण कमेटी किसी नियम के तहत गठित की गई है ?

(3) क्या सरकार ने पानी वितरण हेतु कोई नियम बनाये हैं ? अगर हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) जी नहीं। परन्तु राज्य सरकार ने 1959 में जिलाधीश की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन एवं पुनर्गठन अगस्त, 64 में किया, जो अन्य अन्य मुद्दों के अतिरिक्त मझले और छोटे प्रोजेक्टों के सिंचाई जल का समुचित उपयोग हो इस पर ध्यान देती है एवं पानी वितरण का भी कार्य देख लेती है।

(2) जी नहीं, नियमों में ऐसा प्रावधान करने ········

श्री सुवालाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय सुनाई नहीं दे रहा है ········

श्री अध्यक्ष: पुनः पढ़ दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (1) जी नहीं। परन्तु राज्य सरकार ने 1959 में जिलाधीश की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन एवं पुनर्गठन अगस्त, 64 में किया, जो अन्य अन्य मुद्दों के अतिरिक्त मझले और छोटे प्रोजेक्टों के, सिंचाई जल का समुचित उपयोग हो इस पर ध्यान देती है एवं पानी वितरण का भी कार्य देख लेती है।

(2) जी नहीं, नियमों में ऐसा प्रावधान करने का मसला सरकार के विचाराधीन है लेकिन अभी तक भाग एक में वर्णित राजाज्ञा के अनुसार कार्य किया जाता है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(3) पानी वितरण हेतु वर्तमान नियमों में संशोधन करने का मसला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री सुवालाल चौधरी: आज तक कितनी मीटिंगें हुई और पानी का वितरण किया गया, जितनी मीटिंगें हुई वे अवैधानिक हैं न ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अवैधानिक नहीं हैं। गवर्नमैन्ट ने एक नोटिफिकेशन के जरिये 59–64 में आदेश प्रसारित किया था और समिति का गठन किया गया था। वे कमेटियां राज्य की उस आज्ञा के अनुसार कार्य कर रही हैं पर मैं मुनासिब समझता हूं कि इसका प्रावधान भी नियमों में ही हो, इसलिये अब नियमों में संशोधन करने का राज्य सरकार सोच रही है।

श्री सुवालाल चौधरी: नियम कितने समय में बन जायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: तहकीक तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जितना जल्दी हो सकेगा कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

विद्यार्थियों के लिये पुस्तकें

4. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि स्कूल खुल जाने के बाद भी छात्रों को पढ़ाई के लिए कोर्स की पूरी किताबें उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं हैं ?

(2) यदि हां, तो कौन कौन सी पुस्तकें सप्लाई नहीं की जा सकीं और किन कारणों से ?

(3) क्या यह सही है कि छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा की इंगलिश की पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं हैं ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री धीरसिंह): (1) व (2) यह सत्य नहीं है कि स्कूल खुल जाने के बाद सभी राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक वितरण केन्द्रों पर छात्रों को पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम की पूरी पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी। केवल निम्नलिखित दो केन्द्रों पर ही उनके सम्मुख अंकित पुस्तकें स्कूल खुलने की तिथि 1-7-69 के पूर्व उपलब्ध नहीं थीं परन्तु ये पुस्तकें भी दिनांक 4-7-69 से 22-7-69 के बीच उपलब्ध करा दी गई।

क्र० सं०	पुस्तक का नाम	कक्षा	वितरण केन्द्र
1	हिन्दी	1	कोटा
2	सामाजिक ज्ञान	3	जोधपुर
3	सामान्य विज्ञान	4	जोधपुर

(3) जी नहीं। इनकी अनुपलब्धि की कोई शिकायत राष्ट्रीय करण पाठ्य पुस्तक मंडल को प्राप्त नहीं हुई है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: अध्यक्ष महोदय, शिकायत से आपका मतलब क्या है ? जब आपके पास लिखा हुआ आये या स्कूलों में न मिले और जनता को दिक्कत हो।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या यह सही है कि राजस्थान में हरेक……

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री धीरसिंह : जो अंग्रेजी की पुस्तकों के बारे में आपने पूछा है उसके लिए पाठ्य-पुस्तक मंडल ने जानकारी दी कि पुस्तकें समय पर वितरकों को सप्लाई की जा रही हैं और उस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास या मंडल के पास में किसी प्रकार की अनुपलब्धि की कोई शिकायत पेश नहीं हुई। इसलिए यह उत्तर दिया गया है और आपको कोई विशेष शिकायत है उपलब्ध न होने की तो उस बारे में और जानकारी की जायगी। यहां पर कोई शिकायत नहीं आई न मंडल के पास।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: क्या यह सही है कि प्राइमरी स्कूलों के लिए राज्य सरकार की जैसी स्कीम है कि बच्चों को किताबें फ्री दी जायेंगी, वह फ्री नहीं दी गई हैं?

श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट): हमारे यहां किसी स्कूल में किताब नहीं पहुंची।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: राज्य सरकार की स्कीम है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को किताबें मुफ्त दी जायेंगी, वह राजस्थान के हर प्राइमरी स्कूल को दी गई या नहीं? हमारे क्षेत्र के स्कूलों में किसी बच्चे को पुस्तकें नहीं दी गई।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : शिकायत का सवाल है कि देवगढ़ मेरी कॉन्सटीट्यूएन्सी में स्कूल में पुस्तकें सप्लाई नहीं हो सकीं। वे यहां पर खरीदने आये, मैं उनके साथ गई लेकिन जयपुर में उपलब्ध नहीं थीं। हम अजमेर गये लेकिन वहां भी नहीं मिलीं। मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रही हूं।

श्री अध्यक्ष: तारीख क्या है?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: स्कूल खुलने के सवा डेढ़ महीना बाद भी, तारीख तो मुझे याद नहीं, डायरी देख कर बता सकती हूं।

शिक्षा मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : डेढ़ महीना तो स्कूलों को खुले हुए भी अभी नहीं हुआ है लेकिन 4-7-69 व 22-7-69 के बीच दो केन्द्रों पर ये पुस्तकें उपलब्ध नहीं थीं, यह उत्तर में दिया गया है और मेरे पास जब कभी शिकायत आई तो मैंने अपने स्तर पर टैकल करने की कोशिश की है और किताब देने की कोशिश की है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या यह सही है कि पुस्तकें न मिलने की शिकायतें हमेशा आती हैं?

श्री शिवचरण माथुर : जब शिकायत आए तब मालूम हो सकता है। हम वितरण केन्द्रों को पुस्तकें भेजते हैं। जहां से न मिलने की शिकायत आती है, फौरन अटेंड करते हैं। कोटा से शिकायत थी। कोटा के बारे में उत्तर में कहा गया है कि 4-7-69 से 22-7-69 के बीच में पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई। इतने दिनों तक पुस्तकें उपलब्ध न होने से पढ़ाई में कोई अन्तर नहीं आया।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकृत पुस्तकें प्रति वर्ष समय पर नहीं मिलती हैं और इस सदन में बार बार हर वर्ष प्रश्न आता है?

श्री शिवचरण माथुर : प्रयत्न तो यही किया जाता है कि समय पर उपलब्ध हों। इस वर्ष कवरिंग पेपर बाहर से आने वाला था, वह देरी से सप्लाई हुआ। कागज प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी विभाग के मारफत खरीदा। कुछ ट्रांस्पोर्ट की कठिनाई थी, उसको भी अपनी लेविल पर टैकल करके पुस्तकें समय पर उपलब्ध कराने की कोशिश की। मैं मानता हूं कि स्कूल खुलने के 15 दिन बाद एक परटीक्यूलर केन्द्र पर देरी हुई लेकिन इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में हर्जा हुआ हो, ऐसी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : डेढ़ महीने तक पुस्तकें नहीं, फिर भी पढ़ाई में नुकसान नहीं हुआ ?

श्री शिवचरण माथुर : डेढ़ महीने का सवाल नहीं आता है। 4-7-69 से 22-7-69 तक केवल दो केन्द्रों—कोटा और जोधपुर—में तीन क्लासेज की तीन पुस्तकें उपलब्ध नहीं थीं जो इन दिनों उपलब्ध कराई गई हैं। आप डेढ़ महीने की बात कह रही हैं, तो मैं और जानकारी करा लूंगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत: अंग्रेजी की दो तीन पुस्तकें राष्ट्रीयकृत होने के बाद भी विभाग नहीं छपाता और बाहर की विदेशी कम्पनियों को यह काम दे रखा है। जब हिन्दी की पुस्तकें आप प्रकाशित करते हैं तो अंग्रेजी की क्यों नहीं ?

श्री शिवचरण माथुर : अंग्रेजी में अपनी पाठ्यपुस्तक लिखवाने का कार्यक्रम चल रहा है। लेखक लिख रहे हैं। वे जब उपलब्ध हो जायेंगी तो वे पढ़ाई जायेंगी।

श्री दौलतराम सारण : यह बोर्ड शायद 1656 के आसपास बना और अब तक अंग्रेजी की पुस्तकें राष्ट्रीयकृत न करने के क्या कारण हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : चेंजिज आई हैं पाठ्यक्रम में उस आधार पर नई पुस्तकें लिखाई जा रही हैं।

श्री दौलतराम सारण : हिन्दी की पुस्तकें राष्ट्रीयकृत की जाती हैं केवल अंग्रेजी की ही राष्ट्रीयकृत न करने के क्या कारण हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : अंग्रेजी पाठ्यक्रम में समय समय पर परिवर्तन आये हैं। उनके आधार पर किताबें लिखना आवश्यक है। हमारे लेखक लिख रहे हैं, वह जब उपलब्ध हो जायेंगी तो बोर्ड की तरफ से छपा दिए जायेंगे।

श्री दौलतराम सारण : अब तक पुरानी किताबें चल रही हैं। समय समय पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए हैं। पुरानी कम्पनियों की किताबें चल रही हैं। विभाग ने नेशनेलाइज्ड न करने की तरफ बोर्ड का ध्यान क्यों नहीं आकर्षित किया ?

श्री शिवचरण माथुर : उसमें लेखकों की कमी की बात थी लेकिन अब वे लिख रहे हैं उपलब्धि के बाद छपाए जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नथमल चौहला।

श्री दौलतराम सारण : कोई उत्तर नहीं दिया गया।

Page No 7

पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ को जनहित कार्यों के लिए अनुदान

5. **श्री नथमल चौहला** (लक्ष्मणगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर द्वारा किस किस ग्राम पंचायत में जनहित के कार्यों के लिए, जैसे स्कूल भवन निर्माण, कुआं आदि के लिए किस किस पंचायत को कितना कितना अनुदान मिला है ? जिसकी एक लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि गबन करने वालों में सरपंचों के खिलाफ शिकायत होने पर सरकार द्वारा जांच करवाई गई है ? यदि हां तो कब ?

(3) क्या यह सही है कि जांच हो जाने तथा गबन सिद्ध हो जाने के बाद भी अभी तक सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उप पंचायत मन्त्राणी (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) पूर्व सरपंच श्री शिवनाथसिंह पंचायत पाटोदा के विरुद्ध सन् 1958 में पंचायत घर के निर्माण के लिए दिए गए अनुदान 1000) रु० के दुरुपयोग की शिकायत 1-4-66 को प्राप्त हुई।

(3) पूर्व सरपंच के विरुद्ध दिनांक 27-3-′8 को फाईन्डिंग रेकर्ड की गई व रकम मय दन्डनीय ब्याज वसूल करने के आदेश दिए गए।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री नथमल चौहला : क्या यह सही है कि शिकायत के तीन तीन साल बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री नथमल चौहला : एक सरपंच के खिलाफ जनता की रिपोर्ट है, वह आपको पेश करता हूं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आप पेश करदें, निश्चित रूप से कार्यवाही की जायगी।

(कागज उप-मन्त्राणी को पेश किये गये।)

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह।

ग्राम पौख का बाँध

6. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढ़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम पौख में सात आठ साल पहले बांध बनाया गया था और उस बांध में से दो नहरें निकाली गई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उन नहरों की उचित मरम्मत नहीं होने की वजह से बांध का पानी बरसात के समय नहरों में से होकर नहीं निकलता है ?

(3) क्या यह सही है कि यह बांध बनने के बाद कभी भी पानी से नहीं भरा है और बरसात में 15-20 रोज से अधिक पानी नहीं ठहरता है ?

(श्री शिवनाथसिंह)

(4) उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए क्या यह सही है कि ओवरफ्लो वाटर के लिए अलग से तीसरी नहर निकालने से चाही जमीन की बरबादी होगी जबकि पानी का भराव ही नहीं होता है तथा दोनों नहरें जो मौजूदा हैं पानी के निकालने के लिए पर्याप्त हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) यह सही नहीं है कि बांध बनने के बाद कभी भी नहीं भरा, पर यह सही है कि इस बांध में पानी नहीं ठहरता।

(4) तीसरी नहर निकालने की कोई योजना नहीं है परन्तु उपरा पर से जाने वाले पानी को सही ढंग से निकालने के लिए लिफ्ट चैनल बनाने का प्रस्ताव है।

श्री शिवनाथसिंह : आपने प्रश्न के भाग (2) के जवाब में कहा, जी नहीं। किस किस साल में नहर बनाने के बाद कब कब इनकी मरम्मत की गई है और कितना खर्चा किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 1968 में भरा था। लेकिन जैसा मैंने बताया इसके अंदर पानी एबजोर्व हो जाता है और वह पानी ज्यादा समय तक नहीं ठहरता।

श्री शिवनाथसिंह : प्रश्न के भाग (2) में मैंने पूछा क्या इन नहरों की उचित मरम्मत नहीं कराई ? आपने कहा, नहीं। तो कब कब मरम्मत कराई और कितना खर्चा किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मरम्मत कराने का खर्चा तो मेरे पास नहीं है लेकिन इसमें अभी चूंकि सिंचाई नहीं हुई है, इसलिए मरम्मत का सवाल महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री शिवनाथसिंह : तो क्या माना जाय कि मरम्मत का खर्चा आपके पास नहीं है तो मैं चैलेंज करता हूं, विभाग ने जो इन्फरमेशन दी है वह गलत है। जब से नहर बनी है एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने अर्ज किया कि इस बन्धे के अन्दर ही पानी एबजोर्व हो जाता है। नहर के जरिये चला ही नहीं। एबजोर्बशन क्यों होता है, इसके लिये छानबीन जारी है जिससे ऐसा ट्रीटमेन्ट किया जाय कि उसमें पानी ठहर सके। जब पानी ठहर सके तो नहर के जरिये से सिंचाई कर सकते हैं और नहरों की मरम्मत करके काम में ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री शिवनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न सिर्फ। पानी नहीं ठहरता है और दो नहरे हैं तो फिर तीसरी नहर की आवश्यकता नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी आवश्यकता नहीं यह बात सही है। जून 1968 में यह ओवर फ्लो हुआ तो काफी खेतों को नुकसान हुआ। रपट का पानी नदी में डाल दें ताकि ओवर फ्लो हो तो पानी नदी में चला जाय और खेतों को नुकसान न पहुंचाये मैं इस नहर की आवश्यकता नहीं समझता इसलिये नहीं बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री ओमदत्त भाटी ।

जैसलमेर क्षेत्र में अकाल

7. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर क्षेत्र में कितने वर्षों से अकाल पड़ रहा है ?

(2) गत सत्र में जैसलमेर क्षेत्र के प्रतिनिधि ने अकाल के बारे में सूचना दी थी उसके कितने दिन बाद जैसलमेर को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित किया गया ?

(3) इतना अधिक समय क्यों लगा?

(4) इस बार राजस्थान में किन किन क्षेत्रों को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित किया गया ? और कब कब ? कृपया तारीखवार सूचाना दें।

(5) किन किन अकाल पीड़ित क्षेत्रों में कितने कितने मनुष्य व पशु भूख व प्यास से मर गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उप मन्त्री अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जैसलमेर जिले में गम्भीर अभाव स्थिति का यह चौथा वर्ष है।

(2) गत सत्र के आरम्भ से पूर्व ही जैसलमेर जिले को अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया था।

(3) विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों की तारीखवार सूचना की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(5) अभावग्रस्त क्षेत्रों में मनुष्यों की कहीं भी भूख व प्यास से मृत्यु नहीं हुई है। पशुओं की मृत्यु अवश्य हुई है परन्तु निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री ओमदत्त भाटी : अभावग्रस्त और अकाल ग्रस्त में क्या फर्क है ? क्या गत सत्र से मतलब बजट सत्र से है ?

अकाल सहायता मन्त्री : (श्री परसराम मदेरणा) : बजट सेशन से मतलब है।

श्री ओमदत्त भाटी : बड़े ताज्जुब की बात है कि अगस्त के महीने में अकाल काफी हो रहा है और सितम्बर तक अभावग्रस्त घोषित नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : जैसलमेर जिले में 510 ग्राम हैं। 500 ग्राम तो पिछले साल अभावग्रस्त घोषित थे सितम्बर के अन्त तक। दुबारा घोषित किया 510 गांवों को अक्टूबर 12 को। जो पिछले साल रिलीफ मेजर्स कन्टीन्यू कर रहे थे वे ही थे। 12 गांवों में अभावग्रस्त घोषित नहीं करने से रिलीफ देने में कोई दिक्कत नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि जिलाधीश को यह पत्र लिखा गया है कि जितना पशुधन मर रहा है उसके आंकड़े तैयार करें ?

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा पत्र मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इससे क्या यह समझा जाय कि इस प्रकार के आंकड़े तैयार करवाने की राज्य सरकार इच्छुक नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : आंकड़े तो खुद को एकत्रित करने चाहिये लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा लिखा हो यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप यह समझते हैं कि इस प्रकार के आंकड़े तैयार करना कलेक्टर्स की रैस्पोन्सिबिलिटी है और कलेक्टर्स ने इस रैस्पोन्सिबिलिटी को अदा किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : कलेक्टर ने यह बात कही है कि इस तरह के पशु राजस्थान में मर गये हैं उनकी गणना करना इसलिए सम्भव नहीं है कि बहुत से पशु माइग्रेट कर गये, उनकी संख्या नहीं बता सकते क्योंकि अलग अलग जगह से माइग्रेट किया। बहुत से पशु इन्टर स्टेट माइग्रेट कर गये। कहां हैं यह पता नहीं। बहुत से पशु शिवरों में हैं। बहुत से पशु यों ही चले गये, वालेन्टरी ऑर्गेनाइजेशन केटल केम्प्स चला रहे हैं उन्होंने ले रखे हैं, उन सब के लिए कलेक्टर यह लिख दे कि मर गये तो यह भी ठीक नहीं। पास में रिश्तेदारी है और वे उनके पशुओं को बचा सकते थे। तो बहुत से पशु उनके यहां चले गए। लोग अलग अलग रिलीफ कैम्पों में चले गये। गणना नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान में दस लाख पशु मर गये ?

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : किस आधार पर कहते हैं ? प्रश्न तो यही है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न तो यही है। यह गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि आंकड़े रखे कि कितने मरे और कितने नहीं मरे।

श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट) : बांसवाड़ा से बाहर नहीं गये, वहां पर गणना करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

इस पर वाद-विवाद का समय रखा है।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहते हैं कि मंत्री महोदय ने कहा कि दस लाख पशु नहीं मरे यह उन्होंने किस आधार पर कहा ?

(श्री गिरधारीलाल व्यास के खड़े होने पर विरोधी पक्ष द्वारा बैठ जाओ, बैठ जाओ, आपको मालूम नहीं है की आवाजें)

श्री विट्ठलभाई : यह गणना करवायेंगे ?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मैंने इस सम्बन्ध में गत अधिवेशन में प्रश्न पूछा था और दो तीन बार स्थगित होने के बाद जवाब दिया था। मैंने पूछा था कितने पशु मर गये तो उसका जवाब नहीं दिया गया। जानकारी करने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन पूरा नहीं किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत स्टाफ की ड्यूटी नहीं है कि हर एक पशु की गणना रखे ?

(श्री दौलतराम सारण)

(विराम)

मरने की लिस्ट बनाये यह उनकी ड्यूटी है एक्ट के अन्तर्गत ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री परसराम मदेरणा : नोर्मल ईयर में केटल की मोबेलिटी का परसेन्टेज है वह 6 से 8 परसेन्ट है। गाय, बैल, बछड़ा, बछड़ी ; गाय और बैल के लिए कह रहा हूं। इनकी दस साल या चौदह साल के बीच में उम्र होती है। 14 साल की होने से 6 और 8 परसेन्ट के बीच में आती है। इस हिसाब से 8 लाख के आस पास मवेशी मरनी चाहिये। उससे अधिक नहीं मरी हैं। हाइयेस्ट मोबेलिटी का परसेन्टेज जैसलमेर और बीकानेर में ज्यादा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आप मान कर चलते हैं कि आठ लाख तो मर गये ?

श्री परसराम मदेरणा : वह तो हमेशा ही मरते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जो हमेशा मरते हैं उससे ज्यादा अकाल में नहीं मरे ?

श्री परसराम मदेरणा : मरते भी हैं और पैदा भी होते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : उसमें आप एक्सपर्ट हैं। सरकारी जानकारी के अनुसार और आंकड़ों से 8 लाख से ऊपर मवेशी नहीं मरे ?

श्री परसराम मदेरणा : यह मैं अन्दाज से कह रहा हूं कि पूर्व में हमारा जो अनुभव रहा है उसके आधार पर इतने मवेशी मरते हैं, इससे अधिक नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान के विधि मंत्री बरकतुल्ला साहब ने यह स्टेटमेन्ट दिया कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में सामान्य तौर से 8 लाख से अधिक पशु मर गये ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

श्री भैरोंसिंह : अलग से प्रश्न कैसे ?

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेन्ट से रेफरेन्स है इसलिए इस यह प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता । इसलिए अलग से प्रश्न ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के आरण गांव में लोग भूख से मरे हैं और सरपंच ने अपनी रिपोर्ट में भूख से मरने का उल्लेख किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : सरपंच ने भूख से मरने का उल्लेख नहीं किया, पहले पहल बिमारी लिखी और फिर काट कर भूख से कर दिया। केस चल रहा है। जानकारी चल रही है। यह जैसलमेर के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया और माननीय सदस्य बाड़मेर के लिऐ पूछ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न के भाग 5 में यह पूछा गया है कि राजस्थान के किन किन अकाल पीड़ित क्षेत्रों में कितने कितने मनुष्य व पशु भूख व प्यास से मर गए फिर आपने किस आधार पर जानकारी की है कि भूख प्यास से नहीं मरे ? क्या घर वालों का स्टेटमेन्ट लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज ! मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर दो दिन की डिबेट रखी है ।

श्री भैरोंसिंह : डिबेट का सवाल नहीं है, अध्यक्ष महोदय । जानकारी का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वाद विवाद के समय इसका उल्लेख कर दें ।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार इस आधार पर कह रही है कि कोई व्यक्ति भूख और प्यास से नहीं मरा क्योंकि स्थिति की व्यापकता को देखते हुए हजारों रिलीफ केम्प्स खोले गये हैं । इन हालात में कोई भी आदमी भूख से नहीं मर सके उसके लिये सब प्रिकाशन्स और स्टेप्स लिये गये हैं । बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य सदन में बैठते हैं । वे स्वयम् जानते हैं कि भूख से कोई आदमी मर नहीं सकता । सरपंच ने पहले बीमारी लिखी और फिर काट कर उसको भूख लिखा । जिलाधीश खुद मौके पर गये थे । उन्होंने जानकारी की और उसके आधार पर राज्य सरकार को इत्तला दी कि काट छांट की, जानकर नोइंगली यह किया है । किसी के कहने सुनने से और हाई लाइट करने से यह टेन्डेन्सी चल रही है ।

माननीय सदस्य जहां कहीं भी रिलीफ का काम खुलवाना हो वहां पर भूख का हल्ला करते हैं ताकि वहां भी रिलीफ के काम खुल जांय । किस कारण उस सरपंच ने रेकार्ड को इरेज किया यह मैं नहीं कह सकता लेकिन रेकर्ड को देखने से यह पता चलता है कि उन्होंने रेकर्ड को इरेज किया है, मेनुपुलेशन किया है । वास्तव में पहले 'बीमारी के कारण' मौत हुई लिखा है उसके बाद उसको काट कर उस जगह 'भूख के कारण' को लिखा है । इस बारे में कलेक्टर ने गांव के अन्दर जाकर जांच की, दूसरे लोगों से जांच की हालां कि जांच की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है लेकिन कलेक्टर से जो मेरी बातचीत हुई है उससे मैं कह सकता हूं कि भूख के कारण ये मौतें नहीं हुई । उनके रिश्तेदारों के बयान लिये या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता । इस बारे की इन्फोरमेशन मैं डिबेट के समय दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह: माननीय मंत्री महोदय ने जो सूचना दी है और बात कही है वह सत्यता से काफी दूर है । आरण पंचायत के सरपंच ने राज्य सरकार को सूचना दी थी इस गांव में अमुक व्यक्ति भूख से मर गये हैं । पंचायत सचिव को यह लिखा है । उस पर उसको कहा गया कि इस जगह पर भूख की बजाय बीमारी से मरने का एन्टर कर लो । इस पर सरपंच ने कहा कि जो व्यक्ति मरे हैं भूख से मरे हैं, बीमारी से नहीं मरे इस प्रकार के करेक्शन नहीं होने चाहिये । जब उसने करेक्शन करने से इन्कार किया तो उस सरपंच को तंग किया गया और उससे करेक्शन करवाया गया । माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में जो उस गांव वालों के स्टेटमेन्ट हुए हैं, हल्फिया स्टेटमेंन्ट हुये हैं वह मैं सदन की मेज पर रखता हूं । उनके परिवार वालों ने हल्फिया स्टेटमेन्ट दिये हैं कि ये व्यक्ति भूख से मरे हैं बीमारी से नहीं

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां):(श्री मथुरादास माथुर के श्री मदेरणा को समझाने पर) माथुर साहब आप उनको क्या पट्टी पढ़ा रहे हो खुद ही खड़े होकर बोल दो ना ।

Page No 13

श्री परसराम मदेरणा : आरण के सरपंच ने कोई भूख से आदमी मरा है, इस प्रकार की सूचना न तो राज्य सरकार को दी और न कलेक्टर को दी, इस बारे में यह कहना कि सूचना राज्य सरकार को दी गई यह सत्य नहीं है। हमने रेकार्ड मंगवाया, पंचायत समिति के ओरीजनल रजिस्टर मंगाकर देखे। ग्राम पंचायत का रजिस्टर पंचायत समिति की मार्फत कलेक्टर के पास आया उसको कलेक्टर ने देखा तो उसमें काटा छांटी पायी गई।

इसी भूख से मरने के समाचार के बारे में आरण के सरपंच ने एक स्टेटमेन्ट जोधपुर प्रेस वालों के समक्ष दिया जिसमें दस पन्द्रह प्रेस रिप्रेजेन्टेटिव मौजूद थे। उसमें उसने स्वयं ने यह माना है कि जो रजिस्टर में काटा छांटी की है, वह दबाव में आकर की है।

श्री भैरोंसिंह : उस सरपंच के खिलाफ पुलिस ने क्रिमिनल केस रजिस्टर किये हैं, उसके पीछे पुलिस को कर दिया गया है। उस आदमी ने मुझे इतला दी है। जिस समय बृजसुन्दर जी शर्मा का मामला रखा गया उस समय भी सरकार द्वारा कितने ही क्रिमिनल केसेज उसके खिलाफ बना लिये गये। उस सरपंच को हर तरह से दबाया जा रहा है। उसका हल्फिया स्टेटमेन्ट मेरे पास है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री महोदय, आपको डूब मरना चाहिये चुल्लू भर पानी में।

श्री विजयसिंह (मकराना) : केवल आरण में ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, बीकानेर के भीखरण गांव में भी काफी आदमी भूख से मरे हैं···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को रिजाइन करना चाहिये। एक नहीं अनेकों व्यक्ति इस अकाल में भूख से मरे हैं। इनको शर्म भी नहीं आती, सैकड़ों मर गये और ये यहां बैठे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आत्म विश्वास के साथ कह सकता हूं कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरा है।

श्री भैरोंसिंह : उस सरपंच ने जवाब में जो दावा पेश किया है उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने को तैयार हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं भी निवेदन कर दूं एक दो मिनट·· ···

श्री अध्यक्ष : मैं पहले निवेदन कर देता हूं इस अकाल पर चर्चा के लिये दो दिन का समय निश्चित किया गया है और तीसरा दिन रिप्लाई के लिये दिया गया है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण अवश्य है इसमें डिबेट का प्रश्न भी अधिक है, फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब इस प्रकार के प्रश्न के लिये अलग से समय रखा गया है उस समय में माननीय सदस्य इस पर विशद् और विस्तृत रूप से प्रकाश डाल सकेंगे और उसका उत्तर भी विशद् रूप से मंत्री महोदय दे सकेंगे। इस समय मेरे पास अधिक से अधिक प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दिये जा सकें इसलिये कृपा करके इस स्थिति में इस प्रश्न को यहीं तक रखा जाय।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रश्न पर डिबेट होने वाली है यह ठीक है लेकिन इस प्रश्न का भी तो महत्व है......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद बात है कि जो भी प्रश्न सरकार को पूछे जांय उनके उत्तर आने चाहिये। जो विरोधी पक्ष प्रश्न रखता है उसका उत्तर सरकार की ओर से आना चाहिये। अकाल के प्रश्न पर वाद-विवाद होगा, उसमें सभी माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे, और उस पर सरकार का जवाब हो जायगा। उसके बाद कोई प्रश्न नहीं पूछे जा सकेंगे। मेरा विनम्रता से निवेदन है और मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं, क्या सरकार इस बात को मानने को तैयार है या नहीं कि अकाल के कारण राजस्थान में कोई व्यक्ति मरा या नहीं मरा ? मैं इस बारे में ऑफिशियल रिप्लाई चाहता हूं, उस रिप्लाई की बुनियाद पर हम आगे भी अकाल के संबन्ध में बहस कर सकें, और कुछ तथ्य रख सकें। We want the Government reply, the official attitude. You must have some figures. Please enlighten us with those figures.

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न के भाग 5 में पूछा गया है किन किन अकाल पीड़ित क्षेत्रों में कितने कितने मनुष्य व पशु भूख व प्यास से मर गए ? इसके उत्तर में मैंने कहा है एक भी व्यक्ति भूख से और प्यास से नहीं मरा है। मैं यह स्टेटमेन्ट दे रहा हूं वास्तविकता के आधार पर दे रहा हूं। यह केवल मेरी खुद की ही जानकारी के आधार पर नहीं है। राज्य की जनता और माननीय सदस्य भी इस बात को जानते हैं कि इतना व्यापक अकाल होते हुए भी, भारत की जनता भी जानती है राजस्थान में भूख से किसी भी व्यक्ति को नहीं मरने दिया गया। इतना माकूल इन्तजाम के बावजूद कोई भूख से मर जाय यह संभव नहीं है। रात दिन हम घूमते रहते थे, गांव गांव में जाते थे किसी भी जगह किसी ने भूख से मरने का जिक्र तक नहीं किया। बीमारी से लोग अवश्य मरे हैं लेकिन भूख से कोई व्यक्ति नहीं मरा है। इस बारे में राज्य सरकार ने बार 2 निवेदन किया है इस सदन में और अखबारों में भी प्रेस वक्तव्य जारी किये गये हैं। मुख्य मंत्री द्वारा और अन्य मंत्रिगणों द्वारा भी इस बारे में विदित करवाया गया है। फिर मैं इस चीज को दोहराना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति राजस्थान के अन्दर भूख और प्यास से नहीं मरा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उनको अधिकार है जैसा भी वे चाहें उत्तर दें। मैं इस प्रकार की सस्ती सौदागिरी से वाहवाही उठाने का पक्षपाती नहीं हूं, इस प्रकरण को तूल देकर अनुचित लाभ उठाने के विषय में मेरी विशेष रुचि नहीं है। सिद्धान्ततया, मैं समझता हूं, सरकार ने बहुत दिक्कतों का सामना करके इस अकाल का मुकाबला किया है उस सम्बन्ध में मेरी सहानुभूति है।

आदमियों की मृत्यु के सम्बन्ध में तो सरकार से उत्तर प्राप्त हो चुका है लेकिन मवेशियों के बारे में जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा आठ लाख मवेशी मरे हैं क्या मवेशियों की मृत्यु की संख्या आठ लाख ही है या आठ

Page No 15

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
लाख से ऊपर है ? आपके इस सम्बन्ध में आंकड़े क्या हैं ?

श्री भैरोंसिंह : आपने जो व्यवस्था दी है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। तीन प्रकार की सूचनायें हम सरकार से चाहते हैं। एक तो यह बताया जाय कि अकाल पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया है और कितने अकाल राहत के काम खोले गये हैं ? और किस प्रकार के काम खोले गये इस बारे में डिबेट हो उससे पहले यह सूचना हमें मिलनी चाहिये। दूसरी और माननीय मंत्री महोदय जानते हैं और सरकार जानती है कि सरकार ने पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत पटवारियों को जन्म और मृत्यु सम्बन्धी सूचना देने की जिम्मेदारी दी है, उनको भूख से मरने वालों के सम्बन्ध में सख्त आदेश दे रखे हैं कि वे भूख से मरने वालों की सूची न बनायें। मंत्री महोदय इस विवाद को सदन में प्रस्तुत करें। भूख से नहीं मरे हैं यह तो हम उनके कहने पर मान लें लेकिन अन्य कारणों से कितने मरे हैं इसकी सारे जिलों की सूची बनाकर दें। तीसरे, सरकार वह सरक्यूलर प्रस्तुत करे जिसमें पंचायतों के पटवारियों और ग्राम सेवकों को यह खुफिया आदेश दे रखे हैं कि भूख से मरने वालों की सूची बना कर न दें चाहे वह जबान से कह दें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अकाल सहायता विभाग का विवाद जो 19, 20 को रखा गया है उसमें अकाल की स्थिति पर विचार होगा। ऐसा मैं एक नोट माननीय सदस्यों को सरक्यूलेट कर रहा हूं। अब आप कहते हैं, यह कौनसा सरक्यूलर इश्यू किया है मैं तो जानता नहीं हूं।......

श्री भैरोंसिंह : जिस दिन डिबेट होगी उस दिन कौनसा सरक्यूलर रखने वाले हैं लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि भूख से मरने वालों की बात मत लिखना पटवारियों के पास ऐसा सरक्यूलर गया है, आप इस सदन में नहीं रखें इस मामले में आप सिद्धहस्त हैं लेकिन जो सरक्यूलर जरूरी है और जो रखना चाहिये वह दें ताकि माननीय सदस्य डिबेट में हिस्सा ले सकें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं सदन का डिटेल में एक नोट दूंगा ताकि माननीय सदस्य वाद-विवाद में हिस्सा ले सकें।

श्री भैरोंसिंह : पंचायत समिति की सूची के बारे में क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : जो कुछ आवश्यक सूचना है और जिसे राज्य सरकार जरूरी समझेगी उसे माननीय सदस्यों को वितरित कर देगी।

श्री भैरोंसिंह : ये आंकड़े जो जन्म और मृत्यु के हैं वे......

श्री परसराम मदेरणा : यह मैं अपना माईन्ड अप्लाई करके करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, ये तो अपना माईन्ड अप्लाई करेंगे नहीं आप (श्री अध्यक्ष) अपना माईन्ड अप्लाई करके बता दें......

श्री अध्यक्ष : मैं अपना माईन्ड अप्लाई करके यथा शीघ्र आदेश दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कि आप अकाल की रिपोर्ट प्रस्तुत करें लेकिन पशु धन का सरकार का जो कुछ अनुमान है उसका भी कुछ अन्दाज हमें दें।

I want to peg you down to a reply.

मुझे ना कहिये, आपका अधिकार है ना कहने का। मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के साथ साथ……

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। ये सारे प्रश्न रह जायेंगे। आधे घंटे का समय रह गया है। जब आपने प्रश्नों के लिये समय निर्धारित कर रखा है तो फिर उसी समय में ये सब प्रश्न पूरे होने चाहियें।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न उचित है। लेकिन अकाल का प्रश्न है इसलिए कुछ सहूलियत अधिक देना चाहता हूं। यदि दूसरा प्रश्न होता तो मैं इस सुविधा का दृष्टिकोण दूसरा रखता।

श्री मोहनलाल मोदी : बाकी प्रश्न सब अधूरे रह जायेंगे।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के साथ साथ जो राज्य सरकार के कार्य-कलाप हैं उनकी जानकारी और उनके अलावा अब तक जो स्टडी—टीम आई है राजस्थान के अकाल के निवारण के लिये उसकी भी रिपोर्ट आ जाय। और, अध्यक्ष महोदय साथ ही साथ सरकार का जो यह कहना है कि भूख से मृत्यु नहीं हुई है—भूख वाली परिभाषा सरकार की क्या है इसकी भी जानकारी आना जरूरी है। किसे हम भूख से मरना माने और किसे हम भूख से मरना नहीं माने ? क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो भूख के कारण ही होती हैं यह भी बता दें ताकि सदन का समय भी बच जाय और देश को रोशनी भी मिल जाय। इसका डिटेल में उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय……

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर प्लीज।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना है, नहीं तो ये (श्री अकाल सहायता मंत्री) कह देंगे कि आप बैठे थे, बोले क्यों नहीं। मंत्री महोदय कहते हैं कि हम सब जगह घूमते हैं, हमें कोई इस प्रकार की सूचना नहीं देता है। 10 आदमी भूख से मरते हैं और उनको सूचना देते हैं तो भी वे … …

श्री अध्यक्ष: इसका भी ध्यान रखेंगे मंत्री महोदय, जब डिटेल नोट देंगे।

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय जो स्टेटमेंट दिया है वह गलत है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर; अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष: आॅर्डर प्लीज।

श्री बालसिंह सोढ़ा : इसकी क्या गारन्टी है ?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 8। समाज कल्याण मंत्री महोदय।

समाज कल्याण मंत्री (श्री बिशम्बर नाथ जोशी): अध्यक्ष महोदय प्रश्न कर्ता उपस्थित नहीं है।

श्री अध्यक्षः है।

समाज कल्याण मंत्रीः (श्री बिशम्बर नाथ जोशी) : सीट पर नहीं हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अदृश्य रूप में हैं।

अलवर जिले में वृद्धों को पेन्शन

8. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) (श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) द्वारा पूछा गया): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान बुढ़ापा पेन्शन नियम, 1964 के नियम 10 (ii) के अनुसार पेन्शन की दरख्वास्त मन्जूर हो जाने पर प्रार्थी को पेन्शन दरख्वास्त देने की तारीख से लाजमी तौर पर मिलनी चाहिये ?

(2) क्या यह सही है कि अलवर जिले में जितनी बुढ़ापे की पेन्शनें दी गई हैं वे दरख्वास्त देने की तारीख से न दी जाकर दरख्वास्त मन्जूर होने या उसके आस पास की तारीख से दी गई हैं ? यदि हां, तो नियमों के स्पष्ट प्रावधानों की अवहेलना का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि दरख्वास्त देने की तारीख और दरख्वास्त मन्जूर होने की तारीख में कम से कम 6 महीने का औसत अन्तर हो जाता है ?

(4) क्या सरकार इन समस्त पेन्शनयापताओं को इस बीच के समय की पेन्शन दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

राज्य मंत्री (श्री बिशम्बरनाथ जोशी) : (1) यह सही है कि दरख्वास्त स्वीकृत हो जाने पर पेन्शन सामान्यतः दरख्वास्त देने की तारीख से मिलनी चाहिये।

(2) यह सही है कि अलवर जिले में अधिकांश मामलों में पेन्शनें दरख्वास्तों की मन्जूरी की तारीखों से दी गई हैं क्योंकि दरख्वास्तें बहुधा बिना तारीख दर्ज किये दे दी जाती हैं।

(3) तथ्यों की जांच होने में इतना समय भी लग जाता है।

(4) इस सम्बन्ध में जिलाधीश अलवर को उचित आदेश भेज दिये गये हैं।

श्री दौलतराम सारण : जब नियमों में प्रावधान यह है कि दरख्वास्त प्रस्तुत की जाने की तारीख से पेंशन दी जानी चाहिये तो नियमों की अवहेलना करके पेन्शन क्यों मन्जूर की गई है।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : बहुत सी दरख्वास्तों पर तारीखें नहीं थीं। इसके अलावा उनके पास दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिये मन्जूर होने की तारीख से पेन्शन दी गई है।

श्री दौलतराम सारणः ऐसी कितनी दरख्वास्तें हैं जिनमें तारीखें नहीं हैं और किन किन में तारीखें हैं ?

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : कलेक्टर का जवाब आया है कि बहुत सी दरख्वास्तों

(श्री विशम्बरनाथ जोशी)
में तारीखें नहीं थीं इसलिये दूसरा आल्टरनेटिव यह करना पड़ा कि मन्जूर होने की तारीख से पेन्शन स्वीकृत की गई ।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन केसेज में तारीखें दी गई हैं उन केसेज में पेन्शन उसी तारीख से दी जाय ।

श्री विशम्बरनाथ जोशी: ऐसे केसेज बहुत कम होंगे ।

श्री दौलतराम सारण: अब तक जिनकी पेन्शनें मन्जूर की गई हैं और दरख्वास्तें प्रस्तुत करने की तारीख से नहीं की गई हैं क्या उनकी पेन्शन उस तारीख से दिलवायेंगे और बाकी का जो पैसा है वह दिलवायेंगे ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : वह मन्जूर हो चुकी हैं । अब हम कलेक्टर साहब को आदेश भेज रहे हैं कि दरख्वास्तें देने की तारीख से पेन्शन दी जाय ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) **:** मैं यह जानना चाहूंगा कि जिन दरख्वास्तों के ऊपर तारीखें नहीं हुआ करती हैं क्या आपके दफ्तर में ऐसा कोई कायदा नहीं है जिससे उनकी तारीख हासिल कर ली जाय ?

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर)**:** 5 जगह तारीख डाली जाती है। तीन बार उनके दस्तखत लिये जाते हैं । 5 जगह तारीखें लगाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि यदि किसी प्रार्थी ने तारीख नहीं दी है तो वह तारीख पहले एसरटेन करली जाय और यह प्रश्न केवल अलवर जिले का ही नहीं है । सभी जिलाधीशों को इस प्रश्न पर संकेत कर दीजिये कि दरख्वास्त देने की तारीख से पेन्शन मन्जूर की जाय ।

श्री भगवानदास शास्त्री: जब ओल्ड ऐज पेन्शन का फार्म ट्रेजरी में पेश किया जाता है तो वहां के इन्सपैक्टर 6 महीने के बाद साईट इन्सपैक्शन करने आते हैं । ये वृद्ध बेचारे कहां पूर्ति करते हैं । अपनी धार्मिक परम्परा भी है कि वृद्ध माता पिता अपनी लड़की के यहां खाना नहीं खाते हैं । वह लड़की या जँवाई के लिये भी यह मुसीबत होती है । यह कहां तक वृद्धों के लिये ठीक है । ऐसी वे कई बार अपील भी करते है लेकिन.......

श्री विशम्बरनाथ जोशी : एक केस की अपील मेरे पास जरूर आई है और उसमें मैंने मन्जूर कर दी है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !

श्री रामकिशन (वैर) **:** अध्यक्ष महोदय, यह एक इस प्रकार का प्रश्न है जो इससे सम्बन्धित तो नहीं है वैसे तो मैं आपको अर्ज करूंगा ये वृद्ध जिनको पेन्शन दी जाती है बुढ़ापे की, तो क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती समाज कल्याण के दृष्टिकोण से कि ग्राम पंचायतों में पटवारियों की और ग्राम सेवकों की यह ऑबलीगेटरी ड्यूटी लगायें कि वह तारीख एसरटेन करें और वह ग्राम पंचायत से बनकर आ जाय अन्यथा राज्य में जो पेन्शन की योजना बनाई गई है वह उन लोगों के लिये बेकार है । कोई व्यवस्था ऐसी कर

(श्री रामकिशन)
दें कि पटवारी या हल्का को पाबन्द करें और वह नियमों के अनुसार उसकी रिपोर्ट कर दें ।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कम्पलसरी ड्यूटी लगायेंगे पटवारी वगैरह की तो उसमें कुछ एब्यूजेज़ भी हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में जानकारी निश्चित रूप से जनता को मिल जाये इसके लिए हम परचे वगैरह प्रकाशित करा रहे हैं और जिलाधिकारियों को आदेश देकर इसकी पब्लिसिटी ज्यादा करा देंगे।

श्री रामकिशन : ज्यादा पब्लिसिटी कराने का प्रश्न नहीं है यहां। सवाल तो यह है कि वे वहां जा नहीं पाते हैं।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में हम नियमों का सरलीकरण भी कर रहे हैं और यह भी कर रहे हैं कि जो देरी लगती है चार छः महीने की वह देरी न हो बल्कि उसकी 60 रोज की मियाद कर रहे हैं कि हर दरख्वास्त की जांच हो कर उस पर फैसला इस पीरियड के अन्दर हो जाना चाहिए।

श्री रामकिशन: मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि दरख्वास्त दे नहीं पाते हैं, चलने फिरने में मजबूर हैं उनकी बात कह रहा हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी ऐसी बूढ़ी औरतें और बूढ़े आदमी जो कि बेचारे घर से चल नहीं सकते और बड़ी मुश्किल से एम.एल.ए. के यहां जाकर दस्तखत कराते हैं और इसके अलावा फिर डॉक्टर के पास भी उनको जाना पड़ता है और वहां परेशानी उठानी पड़ती है और जब वह दफ्तर में जाते हैं तो छः छः महीने तक उनकी कोई सुनता नहीं है। गयी बार भी माननीय मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहा था और उस पर उन्होंने कहा कि 2 महीने में डिस्पोजल हो जाना चाहिए लेकिन गई साल का दिया हुआ आश्वासन पुनः मन्त्री महोदय दोहराने के लिए तैयार हैं लेकिन अपने दफ्तर के अन्दर स्पीडी काम करने के लिए एक्शन लें यह बात आज तक नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मन्त्री महोदय यह जो लाभ दिया जाता है अपाहिजों को और वृद्धों को यह रेकॉर्ड पर तो है लेकिन उनको मिलता नहीं है और नहीं मिलने का आधार यह है कि ऐसे अपाहिज और बूढ़े या अंधे हैं उनकी कोई सुरक्षा करने के प्रश्न पर आतुर ही नहीं होता है। यह प्रश्न माननीय रामकिशन जी ने उठाया है जो बड़ा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि ऐसे लोगों की देखरेख करने वाला कोई नहीं होता है और ज़ब देखरेख करने वाला ही कोई नहीं है तो फिर प्रार्थना-पत्र कैसे दिये जायें और यदि प्रार्थना-पत्र दे भी दिये जाते हैं और पेन्शन हो भी गई तो अपाहिजों को तहसील में बुलाया जाता है जो चल नहीं सकते, जो अन्धे हैं और लूले हैं वे तहसील में आकर लेवें अथवा वह पटवारी के पटवारखाने में आकर ले जायें। मैं चाहता हूं कि इन नियमों के सिम्पलीफिकेशन के प्रश्न पर फिर से देखें कि किस तरह से उनको पूरी सुविधायें मिल सकती हैं। जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि आपका पटवारी या रेवेन्यू ऑफिसर है वह इसका दायित्व ले ले तो ज्यादा मुश्किल

(श्री अध्यक्ष)
नहीं है क्योंकि ऐसे व्यक्ति गांव में मुश्किल से तीन चार ही हो सकते हैं।

दूसरा प्रश्न तस्वीर उतरवाने का है। वह भयंकर प्रश्न है। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हो जाये और तस्वीर नहीं हो तो क्या होता है कि प्रार्थना-पत्र अस्वीकार हो जाते हैं। इसका सिम्पलीफिकेशन कर दें। अगर कोई तस्वीर के स्थान पर आइडेन्टीफाई कर दे तो और भी ज्यादा यह सुविधाजनक हो जाता है। अन्यथा फोटोग्राफर नगर से जाये वह फोटो उतारे और फिर प्रार्थना-पत्र में लगाएं और उसके बाद में प्रार्थना-पत्र दिया जाये तो यह सारा उलझा हुआ प्रश्न है। इसको मन्त्री महोदय कृपया सुलझायें।

श्री देवीदत्त गाड़िया: माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा……

श्री अध्यक्ष: सारे प्रश्न इसमें आ गये हैं और जो रह गये हैं उनको भी मन्त्री महोदय कृपया देख लें। श्री डागा!

श्री विजयसिंह : लेकिन अध्यक्ष महोदय………

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर ! आॅर्डर !

श्री विजयसिंह : मैं मुख्यमन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि……

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री विजयसिंह : बूढ़े मंत्रियों को भी पेन्शन दे दें।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, प्लीज—श्री डागा!

पंचायत समिति रोहट के सदस्यों से बकाया रकम की वसूली

9. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रोहट (जिला पाली), पंचायत समिति के मेम्बर्स की ओर सरकार की कितनी कितनी रकम कब कब से आज तक बकाया निकलती है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार उन सदस्यों से रकम वसूल करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नियमानुसार रकम वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री मूलचन्द डांगा : आपने रोहट के सरपंच को 800 रु० किस बात के दिये हैं?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो भी दिये हैं मैंने सूची आपको प्रस्तुत कर दी है।

श्री मूलचन्द डागा : लेकिन यह रुपये उसको किस बात के लिए दिये?

पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भी पंचायत समिति के सदस्य हैं तो अच्छा होता यह प्रश्न पंचायत समिति की जनरल मीटिंग में पूछते। वह भी आखिर एक इलेक्टेड बॉडी

(श्री परसराम मदेरणा)

है और कितना दिया गया कितना नहीं दिया गया यह प्रश्न भी मैं प्रार्थना करूंगा कि पंचायत के सम्बन्धित जितने केवेश्चन्स हैं माननीय सदस्यों को मौका है उनकी जानकारी प्राप्त करने का भी इसलिए हम तहकीक नहीं बता सकते कि किस परपज के लिए ये रुपये दिये गये थे।

श्री रामकिशन : इसमें एक निवेदन है। आप तो जानते हैं कि पंचायत समितियों से कोई सूचना ली जाये उसके लिए प्रधान और विकास अधिकारी पाबन्द नहीं हैं सूचना देने के लिए। इसलिए यह जवाब सदन में आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ऐसा प्रयत्न वहां नहीं किया गया पंचायत समिति में।

श्री मूलचन्द डागा : रकम बकाया है 65 से बीज और खाद की उसका पेमेन्ट नहीं हुआ है और न रिकवरी हो रही है?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय इसको देख लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल!

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित धनराशि

10. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये राज्य सरकार ने 313 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया था? यदि हां, तो अन्तिम रूप से स्वीकृत योजना में कितने रुपयों का प्रावधान किया गया है? प्रस्तावित एवं अन्तिम योजना के तुलनात्मक आंकड़े विभिन्न मदों के अनुसार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि प्रस्तावित योजना में केन्द्रीय सहायता के रूप में 262 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी? यदि हां, तो अब इस प्रकार कितनी सहायता मिलने वाली है?

(3) जीवन बीमा निगम से जो 20 करोड़ रुपया ऋण के रूप में प्राप्त करने का प्रस्ताव था उस दिशा में क्या प्रगति है?

(4) 31 करोड़ रुपया जो राज्य सरकार अपने साधनों से जुटाने वाली थी, उसका व्यौरा बताने की कृपा करें। स्रोत एवं राशि का विवरण लिखें।

उप-मन्त्री, योजना (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां, योजना-आयोग द्वारा संसद् में प्रस्तुत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में राजस्थान की योजना का आकार 239 करोड़ रु० का दिखाया गया है। परन्तु चौथी योजना की धनराशि में कटौती राज्य-सरकार ने स्वीकार नहीं की है। राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णयानुसार पांचवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन उपलब्ध होने और केन्द्रीय ऋण की किश्तों के पुनर्निर्धारण (rescheduling of repayments of central loans) का निर्णय होने पर राज्य की योजना के आकार पर पुनः विचार किया जायेगा। इस कारण से राज्य की चौथी योजना को अन्तिम रूप अभी तक नहीं दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा

(श्री खेतसिंह)
प्रस्तावित 313 करोड़ की योजना और योजना आयोग द्वारा चौथी योजना के प्रारूप में अंकित 239 करोड़ की योजना का तुलनात्मक मदवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हाँ, योजना आयोग ने अब 220 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता निर्धारित की है। राज्य सरकार केन्द्रीय सहायता की धनराशि में वृद्धि के लिए प्रयत्नशील है।

(3) 19 करोड़ रुपये की धनराशि जीवन बीमा निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्ति का लक्ष्य है। इसके लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इन संस्थाओं से विभिन्न मदों में ऋण की मांग की जायेगी। चालू वर्ष में 5.20 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से अभी तक केवल शहरी जल प्रदाय योजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम से 1.32 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। बिजली, गृह निर्माण और सहकारिता क्षेत्रों के लिए ऋण प्राप्त करने के प्रयत्न जारी हैं।

(4) अतिरिक्त साधन जुटाने का लक्ष्य पहले 31 करोड़ रुपये रखा गया था जो बाद में बढ़ा कर 40 करोड़ कर दिया गया। इसका कोई विस्तृत विवरण देना सम्भव नहीं है और चौथी योजना काल में बजट के साथ इसके प्रस्ताव सदन को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य की प्रस्तावित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का आकार 300 करोड़ रुपये का था कृपया उसका ब्रेक-अप बताइये सेन्ट्रल असिस्टेन्स, स्टेट्स कन्ट्रीब्यूशन एण्ड लोन।

श्री खेतसिंह : 313 करोड़ का ब्रेक अप इस प्रकार है—सैन्ट्रल असिस्टेन्स 262 करोड़, इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स 20 करोड़ और एडीशनल रिसोर्सेस में 31 करोड़।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसी प्रकार 239 करोड़ की योजना जो कि स्वीकार की गयी हैं उसका ब्रेक-अप बताइये ?

श्री खेतसिंह : 239 करोड़ का ब्रेक-अप है सैन्ट्रल असिस्टेन्स 220 करोड़, एडीशनल रिसोर्सेस का 19 करोड़ रुपया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें जो 239 करोड़ की योजना स्वीकार की गई है तो जब आपने 313 करोड़ की स्टेट रिसोर्सेस थे तो 239 करोड़ में जो 40 करोड़ था स्टेट रिसोर्सेस का वह क्यों नहीं जोड़ा ?

श्री खेतसिंह : उसका फैसला नहीं हो पाया है। हमारा कहना है कि 40 करोड़ रुपया प्लान में जोड़ा जाये और जिसे हम विकास के कार्यों में खर्च कर सकें और योजना आयोग का कहना है कि नान-प्लान में जोड़े और जो आप पर पुराना कर्जा है वह और आपके अकाल में खर्चा हुआ है यह नान-प्लॉन में जुड़वाना चाहते हैं। इसके लिए फैसला नहीं हो पाया है अभी तक।

श्री रामकिशन (वैर) : मुझे तो इसमें प्रसन्नता हो रही है कि आप भी आंकड़े समझने लग गये हैं।

श्री खेतसिंह : मेहनत करने पर समझ में आता है। आप तो मेहनत करते नहीं। मैं तो करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि 239 करोड़ की योजना में 100 करोड़ रुपया राजस्थान नहर योजना और व्यास बांध पर खर्च कर दिया जायेगा ?

श्री खेतसिंह : राजस्थान नहर के लिये 58 करोड़ रुपया है……

(विराम)

श्री देवीदत्त गाड़िया : चश्मे के आगे भैंस आकर खड़ी हो गयी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान नहर 42.26 करोड़ और व्यास योजना 57.74 करोड़ की है यह सही है न ?

(12 मध्याह्न)

श्री खेतसिंह : योजना आयोग, मैं बता रहा हूं, पोंग बान्ध पर जोर दे रहे हैं, जिसमें करीब 58 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। राजस्थान नहर पर 27 करोड़ का प्रावधान योजना आयोग ने रक्खा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। जो अवशेष प्रश्न हैं उनके उत्तर ……

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : राजस्थान नहर का अलग से प्रश्न है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल: कितना एडीशनल राज्य सरकार को केन्द्र से मिलने की आशा है, 239 करोड़ के बजाय कितने पर निश्चित हो जावेगा ? इस बारे में राज्य सरकार का क्या अनुमान है ? पांचवीं योजना में ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : फिफ्थ फाईव ईयर प्लान 31 जुलाई को भारत सरकार के सामने पेश हो चुकी है। उसका प्रारूप हमारे पास अभी नहीं आया है। जब तक वह नहीं आवेगा प्रीजम्पशन के बेसिस पर मैं कोई जवाब नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्षः प्रश्न समाप्त हुए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : प्रश्न संख्या 11।

श्री अध्यक्ष : क्या मैं इसे अन्तिम प्रश्न मानूं।

श्री दौलतराम सारण : मेरा प्रश्न तीन सैशन से चलता आया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : या तो फिर 12 बजते ही खत्म कर दिया जावे, नहीं तो फिर तो कठिनाई आवेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गोयल। राजस्थान नहर।

राजस्थान नहर के निर्माण पर व्यय

11. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर का निर्माण कब आरम्भ हुआ व कितनी लम्बी नहर कितने मूल्य पर किस वर्ष तक योजनानुसार पूर्ण हो जानी चाहिये थी ?

(2) राजस्थान नहर पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(3) इस वर्ष कितनी धनराशि इस के किस कार्य के लिये रक्खी गई है ?

(4) फीडर व मुख्य नहर कितनी लम्बी बन चुकी है ?

(5) आगामी मुख्य नहर को कितना आगे ले जाने की योजना है ? कृपया वर्ष वार बतावें ।

(6) सिंचित क्षेत्र योजना के अनुमान के मुकाबले कितना है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) राजस्थान नहर का निर्माण कार्य 30 मार्च 1958 से आरम्भ हुआ था । सन् 1963 में बनाए गए तखमीने के अनुसार लगभग 426 मील लम्बी नहर के निर्माण पर 139 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान था । इसके अनुसार स्टेज 1 की लागत 75 करोड़ रुपये थी और इसे 1968-69 में पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया था । स्टेज 2 की लागत 64 करोड़ रुपये थी और इसके 1977-78 में पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया था ।

(2) राजस्थान नहर निर्माण पर मार्च, 1969 तक 57.13 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है ।

(3) इस वर्ष 1969-70 के लिए कुल 6 करोड़ का प्रावधान राजस्थान फीडर राजस्थान नहर, वितरण प्रणाली तथा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए रखा गया है ।

(4) राजस्थान फीडर जिसकी लम्बाई 134 मील है, पूर्ण हो चुकी है । राजस्थान मुख्य नहर जिसकी कुल लम्बाई 292 मील है जिसमें से लगभग 61 मील तक बन चुकी है ।

(5) योजनानुसार मुख्य नहर 292 मील तक बननी है जिस प्रकार अगले वर्षों में इस योजना के लिए धन उपलब्ध किया जावेगा तथा प्रावधान रखा जावेगा उसी के अनुसार निर्माण कार्य आगे बढ़ जावेगा । अभी तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तथा अगले वर्ष के प्रावधानों के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है । अतः यह कहना कठिन है कि आगे के वर्षों में नहर कितनी बढ़ जावेगी ।

(6) योजना के अनुसार राजस्थान नहर का सिंचित क्षेत्र 31.24 लाख एकड़ होने का अनुमान है । राजस्थान नहर पर 1968-69 तक लगभग 6.80 लाख सी.सी. ए. कवर हुआ है और इस क्षेत्र में से 2.45 लाख एकड़ में सिंचाई हुई है ।

श्री भैरोंसिंह: सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री अध्यक्ष: माननीय मन्त्री महोदय, पुनरावृत्ति ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस प्रश्न के खण्ड तीन में, आपने इस वर्ष के लिये 6 करोड़ का प्रावधान बताया और इससे फीडर, वितरण प्रणाली, राजस्थान नहर और लिफ्ट इरिगेशन में खर्च करने की बात कही । इसका ब्रेक अप क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इस तरह ब्रेक अप नहीं है । 6 करोड़ का प्रावधान

Page No 25

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
राजस्थान के बजट में रखा गया था। इसके बाद में प्लानिंग कमीशन की ओर से एक ऐसी चिट्ठी आई थी जिसमें इस प्रावधान को 4 करोड़ 80 लाख कर दिया और अभी वह मसला विचाराधीन है।

जो काम हाथ में है इस समय, अनूपगढ शाखा तक उसमें जितना डिस्ट्रिब्यूटरी सिस्टम का जितना वर्क है उसको पूरा करना और लिफ्ट इर्रिगेशन का वर्क है लूणकरणसर, बीकानेर का इस पर दोनों पर ख़र्चा करना और राजस्थान नहर की मुख्य नहर पर अलग अलग ब्रेक अप अभी नहीं है और दिया भी नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक राशि में ही झगड़ा पड़ रहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: क्या यह सही है कि प्लॉनिंग कमीशन लिफ्ट इर्रिगेशन की आपकी योजना के लिये अपनी स्वीकृति देने को तैयार नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनकी चिट्ठी से ऐसा जाहिर होता है कि उन्होंने लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम को एक्सक्लूड किया है 4.80 लाख से। यह बात सही है। पर राजस्थान सरकार का स्टेण्ड है कि हमारे लिये लूणकरणसर बीकानेर लिफ्ट इर्रिगेशन योजना आवश्यक है और इसको हाथ में लिया गया है। इसको पूरा करेंगे और यह राजस्थान प्रोजेक्ट का पार्ट एण्ड पार्शल है। इसलिये इसको अलग नहीं रखा जा सकता। बाकी तत्कालीन वित्तमन्त्री जी ने भी जो अब तो नहीं है, उन्होंने भी इस एरिया के दौरे के बाद यही कहा था कि इसको प्राथमिकता दी जावेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने कोई ऋण नहीं दिया राजस्थान नहर के लिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 4.80 लाख प्लॉनिंग कमीशन ने लिखा है और इसलिये राजस्थान सरकार ने 6 करोड़ रुपया रखा है। वहां प्लॉनिंग कमीशन यह कहता है कि राजस्थान नहर पर कम खर्चा किया जावे और उस राशि को पौंग डैम या व्यास प्रोजेक्ट नम्बर 2 पर डाइवर्ट किया जावे। राजस्थान सरकार इससे सहमत नहीं है और 6 करोड़ के कार्यक्रम से चलना चाहती है और भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है कि इसके मिलने पर इसके अनुसार काम होना चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के निर्माण के पहले पहले पौंग डैम का निर्माण पूरा हो जावेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी तक की नीति के अनुसार पौंग डैम का पूरा बनना, राजस्थान कैनाल के पूरे बनने से पहले ही हो जावेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि पौंग डैम के निर्माण पर राजस्थान सरकार की ओर से भी कुछ अनुपात में राशि दी जावेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बैग योर पॉर्डन।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि पौंग बान्ध के निर्माण पर राजस्थान सरकार अपना शेयर इस पर खर्च करेगी ?

Page No 26

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां, हां। पौंग डैम में जो भी व्यास एक और दो में शेयर करने का फार्मूला है, जिस पर भी झगड़ा चल रहा है, पर जब तक यह फाइनेलाइज नहीं हो, तब तक एडहॉक राशि कायम कर रक्खी है। हम शेयर कर रहे हैं उस में। हमारा केस भी यही है। पौंग डैम का कन्सट्रक्शन 72-73 में खतम कर रहे हैं और राजस्थान कैनाल को कम पैसा दे रहे हैं और इसलिये इसका काम पीछे रह जावेगा और इस कारण पौंग डैम से होने वाले लाभ को उठाने में काफी पीछे रह जावेंगे। हमारा यह कहना है कि राजस्थान कैनाल का निर्माण भी व्यास नम्बर एक और दो के पैरेलल साइमल्टेनियसली हो और अगर साइमल्टेनियसली नहीं भी हो तो भी इतना गैप तो नहीं रहे कि जिससे आगे चल कर हमारे सामने समस्या खड़ी हो जावे। इस बात के आधार पर हम केन्द्रीय सरकार को और प्लानिंग कमीशन को मूव कर रहे हैं कि हमें इतनी धनराशि उपलब्ध कराई जावे कि इसका भी साइमल्टेनियसली कम्पलीशन हो जावे या कम से कम गैप रहे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार, पौंग बान्ध के अफेक्टेड लोग हैं उनको राजस्थान नहर पर बसाने के लिये कमिटेड है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित तो नहीं है पर राजस्थान सरकार की ओर से यह कहा गया है कि पौंग डैम के विस्थापितों को बसाने के लिये राजस्थान नहर क्षेत्र में 325 हजार एकड़ क्षेत्र सुरक्षित रखा जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट...

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि पौंग बान्ध के निर्माण के साथ साथ राजस्थान नहर का कार्य पूरा नहीं हुआ तो राजस्थान को मिलने वाला सरप्लस पानी बेकार जावेगा और पाकिस्तान को जावेगा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मैं नहीं कह सकता कि पानी कहां जायेगा, लेकिन राजस्थान को उससे अवश्य हानि होगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितना पानी बेकार जायेगा?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पौंग बान्ध का निर्माण यदि पूरा हो जाता है तो कितना पानी बेकार जायेगा?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा)**:** अध्यक्ष महोदय, आप पक्षपात नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। पक्षपात का कहां प्रश्न हुआ? एक प्रश्न पर जो सारे सदन के लिए महत्वपूर्ण था उसमें अधिक समय लगा। अगर उसमें पक्षपात हुआ है तो कह दें आप।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री भैरोंसिंह : पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सर अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न आज आने वाले हैं उनके सम्बन्ध में हमें यह सूचना मिली है कि उनको पोस्टपोन कर दिया जायेगा, जैसा कि मेरा एक प्रश्न है उसके बारे में उप मन्त्री महोदय ने मुझे बता दिया था कि मेरा प्रश्न आज नहीं लिया जावेगा, तो यह मानकर चलें कि यह नैक्स्ट टाइम में लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : जो स्थगित प्रश्न है उनके लिए मैं व्यवस्था दे दूं।

श्री भैरोंसिह : वह दे दें।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह (प्रश्न सं० 12) इस प्रश्न को स्थगित किये जाने की प्रार्थना की गई है। इसको स्थगित किया जाता है। श्री भैरोंसिह (प्रश्न संख्या 14) यदि उनको जो कुछ कहा गया है वह ठीक है तो इसको स्थगित किया जाता है।

श्री भैरोंसिह : लेकिन उनसे पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : मैं मान लेता हूं। स्थगित किया जाता है। श्री दौलतराम सारण (प्रश्न संख्या 15) का प्रश्न है उसको भी स्थगित किया जाता है, और श्री दुर्गालाल बाढ़दार (प्रश्न संख्या 19) के प्रश्न को भी स्थगित किया जाता है।

श्री रामकिशन : एक अंग्रेजी और हिन्दी का है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क का (प्रश्न सं० 20) है इसको भी स्थगित किया जाता है। इनके अतिरिक्त जो प्रश्न हैं उनके उत्तर माननीय सदस्यों को दे दिये जायें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री गोकुलचन्द : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है प्रश्न नं० 11 के संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा सरकार से कि ....

श्री अध्यक्ष : वह संदर्भ समाप्त हो गया माननीय सदस्य। मैंने दूसरा बिजनेस ले लिया है अब उस प्रश्न का अन्त हो गया और दूसरे स्थगित प्रश्नों के बारे में मैंने व्यवस्था दे दी है। अब इसमें नहीं चलेगा।

श्री रामकिशन : 17 नम्बर के प्रश्न को ले लें अंग्रेजी और हिन्दी का है। अध्यक्ष महोदय, सारी भीड़-भाड़ में मेरा ही क्यों छोड़ रहे हैं?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर में मकान व होटल निर्माण के लिए ऋण

1. श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में मकान बनाने व होटल बनाने के लिये ऋण दिया जाता है? यदि हां, तो सन् 1962 से आज तक कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया है?

(2) क्या यह सही है कि ऋण काफी लम्बी अवधि के लिये दिया गया है? यदि हां, तो कितनी अवधि तक के लिये दिया गया है और ब्याज दर क्या है?

(3) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को ऋण दिया गया है उनसे नियमानुसार किश्तें भी जमा नहीं कराई जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों द्वारा मकान बनाने का ऋण दिया गया है उन्होंने मकान तामीर नहीं किये हैं? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

राणावत वेतन आयोग और कर्मचारियों से वसूली

2. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राणावत वेतन आयोग को राज्य सरकार ने अन्तिम रूप से जिस प्रकार स्वीकार किया है उसके फलस्वरूप क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों को चुकाये हुए वेतनों या विशेष वेतनों में से किसी प्रकार की कोई रिकवरी भी किन्हीं कर्मचारियों से की जायेगी ? यदि हां, तो किन किन से रिकवरी की जायगी और क्यों ?

उत्तर

(1) वेतन से वसूली का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्यों कि नवीन वेतनमान अधिक लाभदायक हैं और यदि किसी पद का वेतनमान कर्मचारी के अनुकूल न हो तो उसे वर्तमान वेतनमान को 'ऑप्ट' करने की छूट नियमों में दी गई है। नये वेतनमान नियमों को क्रियान्वित किये जाने के फलस्वरूप विशेष वेतन में जो वसूली की जानी थी उसको माफ करने के लिये आदेश संख्या एफ. 9 (45) वित्त (व्यय-नियम) 68, दिनांक 8-5-69 को जारी किये जा चुके हैं। प्रतिलिपि संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

राज्य लॉटरी तथा एजेन्टों की नियुक्ति

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की पहली लॉटरी में कुल कितने टिकिट बिके ?

(2) इनाम कितना बांटा गया ?

(3) एजेन्टों पर कितना खर्च हुआ ?

(4) सरकार को कुल लाभ कितना हुआ ?

(5) क्या सरकारी नौकर भी एजेन्ट बन सकते हैं ? यदि बन सकते हैं, तो पहली वार में कितने एजेन्ट बने, उनमें से कितने सरकारी नौकर थे ?

(6) क्या सरकारी नौकरों के एजेन्ट बनने से अधिक टिकिट बिकने में मदद मिलती है ?

उत्तर

(1) राज्य की पहली लॉटरी में कुल 7,67,535 टिकिट बिके थे।

(2) रु० 4,78,000 के इनाम बांटे गये थे।

(3) एजेन्टों को रु० 2,47,353.65 (कमीशन के रूप में) चुकाये गये थे।

(4) अभी तक गत वर्ष का लाभ-हानि का खाता तैयार नहीं हुआ है। खाता बनने पर ही सही लाभ का पता चल सकेगा।

(वित्त मंत्री)

(5) जी हां, परन्तु राज-पत्रित अधिकारी, पुलिस विभाग तथा अल्प बचत एवं स्टेट लॉटरीज विभाग के कर्मचारी एजेन्ट नहीं बन सकते। पहले ड्रा में कुल 1,340 एजेन्ट नियुक्त किये गये थे, जिनमें 321 सरकारी नौकर थे।

(6) सरकारी कर्मचारियों का एजेन्ट बनाने से कुल बिक्री को देखते हुए टिकट बिक्री में विशेष मदद नहीं मिली थी।

आवास विहीन नागरिकों को समस्या

4. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के कितने निवासी आवास विहीन हैं जिनके पास न रहने के लिए भूमि है और न मकान है ? जिलेवार शहरी और देहाती क्षेत्रों की अलग अलग संख्या दी जाय।

(2) आवास समस्या के समाधान के लिए क्या योजना है ?

(3) अब तक इस सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

(4) आवास विहीन नागरिकों को आवास सुविधा देने के सम्बन्ध में राज्य की क्या नीति व कार्यक्रम है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

काम दिलाऊ महकमा

5. श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान प्रदेश में काम दिलाऊ महकमा के कितने केन्द्र हैं और उन केन्द्रों में कितने उम्मीदवारों के नाम प्रति माह दर्ज होते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बगैर रिश्वत लिए एम्प्लायमेन्ट कार्ड नहीं दिए जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कुल रजिस्ट्रेशन प्रति केन्द्र प्रति माह कितने दर्ज किए जाते हैं और उनके नम्बरवाइज कार्ड कितने जारी किए जाते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि रिश्वत देने पर जूनियर नम्बर वाले उम्मीदवारों को पहले कार्ड जारी किए जाते हैं और रिश्वत नहीं देने वालों के नाम पीछे रह जाते हैं ?

(4) क्या यह सही है कि काम दिलाऊ महकमे पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो इस महकमे पर किसी जिला स्तरीय अधिकारी की निगरानी रहती है ?

(5) क्या यह सही है कि इस महकमें में बड़ी संख्या में नाम दर्ज हो रहे हैं ? यदि हां, तो कुल कितने नाम नौकरी के लिए महकमा काम दिलाऊ में इस समय दर्ज हैं ? केन्द्र वाइज सूची सदन में मेज पर रखी जावे।

(6) क्या इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार को बड़ा ही बढ़ावा मिल रहा है ? यदि हां, तो जिस महकमे में कर्मचारी की नियुक्ति की जावे उसी महकमे में उसी स्थान पर नाम दर्ज किये जाने की व्यवस्था ठीक क्यों

(श्री रामचन्द्र आर्य)
नहीं है? सरकार इस व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं करती है?

उत्तर

(1) राजस्थान में महकमा काम दिलाऊ के इक्कीस केन्द्र हैं। इन केन्द्रों में प्रति माह नाम दर्ज कराने वालों की संख्या संलग्न तालिका नम्बर 1 में दी गई है।

(2) जी नहीं। भिन्न भिन्न केन्द्रों में प्रति माह प्रति केन्द्र रजिस्ट्रेशन कराने वालों की सूचि पिछले 12 महीनों के सम्बन्ध में तालिका नम्बर 1 में दी गई है। उन्हीं केन्द्रों द्वारा इसी अवधि में नियोजकों के यहां भेजे गये आशार्थियों की संख्या तालिका नम्बर 2 में संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। इस पर जिला नियोजन अधिकारी की निगरानी तथा नियन्त्रण रहता है।

(5) जी हां। जून, 1969 के अन्त में 51,293 प्रार्थियों के नाम कुल केन्द्रों में मिला कर उपलब्ध थे। केन्द्रानुसार सूची तालिका नम्बर 3 में संलग्न है।

(6) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की समस्या

6. श्री गंगासहाय कोली (कठूमर सु.): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (एग्जीलरी हैल्थ वर्कर्स) की संख्या कितनी है? क्या इनके कार्य व कठिनाइयों को देखते हुए जो वेतन इनको इस समय दिये जा रहे हैं वे पर्याप्त हैं? क्या भविष्य में इनको इस पद से किसी अन्य उच्च पद पर पदोन्नत किये जाने की कोई योजना है अथवा इन्हें जीवन पर्यन्त इसी पद व वेतन श्रृंखला पर कार्य करता रहना पड़ेगा?

उत्तर

सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की स्वीकृत संख्या 326 है। जी हां, जो वेतन श्रृंखला इन्हें इस समय दी जा रही है वह उनके प्रशिक्षण को देखते हुए पर्याप्त है। एवं राजस्थान अधिनस्थ सेवा नियम के अन्तर्गत इन्हें दो उच्च पदों पर पदोन्नति के अवसर प्राप्त हैं जो इस प्रकार हैं:—

(क) हैल्थ एज्यूकेटर।

(ख) प्रपोगन्डा हैल्थ ऑफिसर, पब्लिसिटी असिस्टेन्ट व डिस्ट्रिक्ट हैल्थ एक्सटेन्शन एज्यूकेटर।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, काछोला

7. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मांडलगढ़ क्षेत्र में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर काछोला कस्बे में है?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(2) यदि हां, तो वह हैल्थ सेन्टर कितने वर्षों से चल रहा है ?

(3) क्या अब तक वहां कोई भी डॉक्टर भेजा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब जल्दी ही डॉक्टर की नियुक्ति करने का विचार है ?

(4) क्या जहां जहां भी प्राइमरी हैल्थ सेन्टर हैं, मेटर्निटी होम भी उसी के साथ रखते हैं ? यदि हां, तो फिर काछोला प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में अब तक मेटर्निटी होम क्यों नहीं खोला गया ?

(5) क्या यह सही है कि काछोला मेटर्निटी होम के नाम पर जीप अलॉट कर दी गई है लेकिन वह अब तक वहां नहीं पहुंची है ?

उत्तर

(1) जी हां, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काछोला ग्राम में है।

(2) दिनांक 20-7-1960 से।

(3) जी नहीं। डॉक्टरों की कमी के कारण अब तक नियुक्त करना संभव नहीं हो सका। अब डॉक्टर के० सी० जैन, चिकित्सा अधिकारी का स्थानान्तरण कर उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लगा दिया गया है।

(4) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(5) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

नर्सिङ्ग स्कूलों में प्रशिक्षकों का स्थायीकरण

8. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितने नर्सिंग स्कूल हैं व उनमें कितने प्रशिक्षक कार्य कर रहे हैं ?

(2) कितने प्रशिक्षक स्थायी हैं और कितने अस्थायी ?

(3) तीन साल से ज्यादा समय होने पर भी जो प्रशिक्षक अस्थाई हैं उनकी संख्या क्या है ?

(4) इनका स्थायीकरण अभी तक क्यों नहीं किया गया तथा इन्हें कब तक स्थाई करने का विचार है ?

उत्तर

1. राजस्थान में निम्न स्थानों पर नर्सिंग स्कूल हैं:—

(1) जनरल नर्सिंग मेल जोधपुर व उदयपुर।

2. जनरल नर्सिंग फीमेल :—

(1) एस० एम० एस०, जयपुर

(2) जे० एल० एन० होस्पीटल, अजमेर।

(3) एम० जी० अस्पताल, जोधपुर।

(4) पी० बी० एम० मैन्स होस्पीटल, बीकानेर।

(चिकित्सा मंत्री)

3. एल० एच० वी० :—

(1) जनाना अस्पताल, जयपुर।

(2) उम्मेद अस्पताल, जोधपुर।

4. ए० एन० एम० ट्रेनिंग:—

(1) जनाना अस्पताल, अलवर।

(2) पी०बी०एम० फीमेल्स, बीकानेर।

(3) जनरल अस्पताल, उदयपुर।

(4) एम० बी० एस०, कोटा।

(5) उम्मेद अस्पताल, जोधपुर।

(6) जनाना अस्पताल, जयपुर।

(7) जनरल अस्पताल, भरतपुर।

(8) जे०एल०एन० अस्पताल, अजमेर।

5. ई० एस० आई० स्कीमः-—

(1) जयपुर

(2) 36 प्रशिक्षक कार्य कर रहे हैं दो प्रशिक्षक स्थाई एवं 34 प्रशिक्षक अस्थायी हैं।

(3) 29 प्रशिक्षक तीन वर्ष से अधिक के अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे हैं।

(4) इनके स्थाई करण के मामले पर, इनकी सिनियर्टी लिस्ट अन्तिम रूप से प्रकाशित होने के बाद विभागीय पदोन्नत समिति द्वारा विचार किया जायेगा इनकी वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

झालावाड़ से मालता रोड़ पर चलने वाली बसें

9. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ से मालता रोड़ के लिये कितनी बसें चलती हैं? कब कब और इस रोड़ पर किन किन को परमिट बस चलाने का दिया हुआ है व कब कब दिया गया है?

(2) क्या यह सही है कि इन बसों की हालत बिल्कुल खराब है जिसकी वजह से बसें कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं और टाइम पर तो कभी भी नहीं आनी जाती?

(3) क्या यह सही है कि इस रोड़ पर केवल एक बस ही चलती है? यदि हां, तो उसके मालिक का नाम बताने का कष्ट करें।

(4) इस रूट पर किसी अन्य को परमिट क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या किसी का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है?

उत्तर

(1) झालावाड़ से मालपुर वाया मालता मार्ग पर दो यात्री वाहन चलते हैं। पहली यात्री वाहन 6.30 प्रातः एवं दूसरी यात्री वाहन 15.30 मध्याह्न झालावाड़ से चलती है एवं वापसी में इसी तरह चलती है। इस मार्ग पर दो अनुज्ञा-पत्र शान्तीलाल शिवकुमार एवं मै० राधेश्याम बनवारीलाल असनावर को दिनांक 7-5-58 एवं 17-5-58 को दिये हैं।

(यातायात मंत्री)

(2) उपरोक्तानुसार इस मार्ग पर दो बसें आती व जाती हैं परन्तु वर्तमान समय में इन बसों में एक यात्री वाहन संख्या आर० जे० ओ०-251, 1956 मोडल की जो मै० राधेश्याम बनवारीलाल की है उसकी हालत ठीक नहीं है और उसने दूसरी यात्री वाहन संख्या आर० एस० एल० 1947 मोडल 1957 से बदलने हेतु प्रार्थना-पत्र दे रखा है जो राज्य परिवहन अधिकरण के विचाराधीन है।

(3) वर्तमान समय में मै० शान्तीलाल शिवकुमार की यात्री वाहन सं० आर०जे०ओ० 478 चल रही है और मै० राधेश्याम बनवारीलाल ने अपनी बस को बदलने हेतु प्रार्थना-पत्र दे रखा है।

(4) इस मार्ग पर अधिकरण द्वारा दो यात्री वाहनों की सीमा ही निश्चित की गई है और दो अनुज्ञा-पत्र दिये गये हैं अतः इस मार्ग पर और किसी को अनुज्ञा-पत्र जब तक नहीं दिया जा सकता तब तक कि अधिकरण द्वारा सीमा पुनः निर्धारित न की जावे।

एक आवेदन-पत्र श्री भंवरलाल पुत्र श्री गोविन्दराम, प्रोपराइटर पाटीदार बस सर्विस असनावर का प्राप्त हुआ है और उसको राजस्थान राज्य-पत्र में प्रकाशन हेतु भिजवाया गया है।

स्टेट कोटे से कारों व स्कूटरों का वितरण

10. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1962 से लेकर अब तक कितनी फिएट कारें स्टेट कोटे में प्राप्त हुई और उनका वितरण किन किन को किया गया ? सूची सदन की मेज पर मय पूरे पते के रखने की कृपा करें।

(2) 1 अप्रेल, 62 से लेकर अब तक कितने स्कूटर स्टेट कोटे में प्राप्त हुए हैं और उनका वितरण किन किन को किया गया ? सूची मय पूरे पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) कारें और स्कूटर जो स्टेट कोटे में प्राप्त होते हैं उनका वितरण किस प्रकार से किया जाता है ?

(4) स्टेट कोटे में से कार व स्कूटर लेने के अधिकारी कौन कौन हैं ?

(5) जिन जिन को उपरोक्त कोटे से कारें व स्कूटर दिये हैं उनके प्रार्थना-पत्र देने के कितने कितने समय बाद उपरोक्त अलॉटमेंट हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) 287 फियेट कारें प्राप्त हुई जिनके आवंटन की सूची संलग्न है

(2) 841 स्कूटर्स प्राप्त हुए हैं और उनके आवंटन की सूची संलग्न है।

(3) कारें व स्कूटर जो स्टेट कोटे में प्राप्त होते हैं उनका वितरण राज्य सरकार से नियुक्त समिति द्वारा किया जाता है।

(4) अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों को मुख्यतया राज्य कार्य व जनहित की दृष्टि से आवंटन किया जाता है।

Page No 34

(यातायात मंत्री)
जरूरतमन्द व्यक्तियों को भी आवंटित किया जा सकता है।

(5) इतनी लम्बी अवधि के प्रार्थना-पत्रों की तारीख एवं आवंटन की तारीख देना सम्भव नहीं है। उद्देश्य को देखते हुए श्रम व समय काफी लगेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भीलवाड़ा-अजमेर रूट पर चलने वाली बसें

11. **श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़):** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा से अजमेर तक कितनी बसें चलती हैं और वे बसें किन किन मालिकों की हैं ?

(2) दिन भर में भीलवाड़ा से अजमेर तक किस किस टाइम बस चलती है ?

(3) क्या यह सही है कि यह ऐसा रूट है जहां आवागमन बहुत होता है ?

(4) क्या सरकार की जानकारी में है कि बसों में भेड़ बकरों की तरह सवारियों को ठूंस ठूंस कर भरा जाता है ?

(5) क्या आप ऐसी व्यवस्था करने का इरादा रखते हैं जिसमें हर घंटे के बाद भीलवाड़ा-अजमेर आने जाने के लिये गाड़ी तयार मिल सके ?

(6) इस रूट पर रोड़वेज की गाड़ियां लगने वाली थी उनका क्या हुआ ?

(7) जब तक रोड़वेज की गाड़ियां नहीं लगेंगी क्या जनता को इसी प्रकार भारी संकट में आना जाना होगा या तब तक के लिये सरकार कोई अन्य रास्ता निकालेगी ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा से अजमेर 12 (बारह) बसें चलती हैं। मालिकों के नाम की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बसों के चलने की समय सारिणी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, यह सही है।

(4) जी नहीं।

(5) इस मार्ग पर प्रादेशिक परिवहन अधिकरण, उदयपुर ने 12 बसों के बजाय 15 बसों का स्कोप निर्धारित कर दिया गया है और 2 अतिरिक्त सेवायें भी बढ़ाने का निश्चय कर दिया है। और इस ओर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(6) रोड़वेज की गाड़ियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा स्थगन आदेश के कारण परिवहन निगम की गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं।

(7) इस मार्ग के लिए प्रादेशिक परिवहन अधिकरण, उदयपुर ने यात्री वाहनों की मौजूदा संख्या 12 से 15 एवं दो और अतिरिक्त सेवायें बढ़ाने का निर्णय दिनांक 17-10-68 को लिया था परन्तु उक्त

(यातायात मंत्री)
निर्णय के विरुद्ध मौजूदा यात्री वाहन स्वामियों द्वारा राज्य परिवहन अधिकरण, जयपुर से इस आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया था। उक्त स्थगन आदेश राज्य परिवहन अधिकरण, जयपुर द्वारा दिनांक 18-4-69 को निरस्त कर दिया गया है अतः इस ओर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(सूची व समय सारिणी प्राप्त नहीं हुई)

जिला गंगानगर में सिंचाई की दर

12. श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला श्री गंगानगर में सिचाई की क्या दर है? गंग कैनाल, भाखड़ा कैनाल तथा घग्घर कैनाल नाली की अलग अलग नहर वाइज व फसलवाइज दरों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल 6 मासी नहर होते हुए भी आबियाना 12 मासी हिसाब से लिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि पानी जितनी बार लगता है उतनी बार आबियाना अलग अलग मौके पर पटवारी दर्ज करते हैं? यदि हां, तो ऐसा किस नियम से किया जाता है?

(4) क्या इस प्रकार की व्यवस्था से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है?

(5) एक फसल में औसतन कितना पानी अलग अलग गंग कैनाल, भाखड़ा कैनाल व राजस्थान कैनाल व घग्घर कैनाल नाली से लगता है? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(6) सन् 1960 में आबियाना की अलग अलग दरें क्या थीं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) दरों की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी है।

(2) जी नहीं। खरीफ का आबियाना भाखड़ा के बराबर है एवं रबी की फसलों पर पाणवार आबियाना चार्ज किया जाता है।

(3) निरन्तर जल प्रवाह नहर पर चने एवं पलेवर के अतिरिक्त सभी फसलों का आबियाना फसल वार (क्रोप रेट) है। चने पलोवर एवं सामयिक सिंचाई नहरों पर केवल फसल रबी में आबियाना पाणवार (वारटिंग) पर है जिसे पटवारी अलग अलग मौके पर दर्ज करते हैं जो कि राजस्थान सिंचाई एवं जल विकास नियम 22 के अन्तर्गत बनी जल दर पर अनुसूची में अंकित दरों के अनुसार है।

(4) जी नहीं।

(5) सूची 'ब' सदन की मेज पर रखदी है।

(6) सूची 'स' सदन की मेज पर रख दी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

साही फीडर योजना

13. श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा (बाली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) साही फीडर की योजना पर कितनी धनराशि की स्वीकृति है ? और कार्य कब चालू किया ?

(2) साही फीडर का कार्य कितने चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई है ? प्रत्येक चरण में कितनी कितनी धनराशि स्वीकृत है ? और क्या क्या कार्य निर्धारित किया गया है ?

(3) यह कार्य कितने वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है ?

उत्तर

(1) प्रस्तावित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में साई फीडर योजना के लिए 150 लाख रु० का प्रावधान है व चालू वर्ष के बजट में 10 लाख रु० का प्रावधान है इस योजना का प्रारम्भिक कार्य 1968 में शुरू कर दिया गया था।

(2) संभावित चतुर्थ योजना में (जो अभी मंजूर नहीं हुई) इस योजना का कार्य पांच वर्षों में करने का प्रस्ताव किया गया है केवल चालू द्वितीय वर्ष में इस कार्य के लिए 10 लाख रु० बजट में प्रावधान किया गया जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य चालू कर दिया गया।

(3) धन की उपलब्धि पर प्रोग्राम के अनुसार 5 वर्ष में पूरा करने का प्रस्ताव है।

वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय एवं आय

14. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं पर अब तक कुल कितना रुपया खर्च किया जा चुका है ? और इनसे अलग अलग कितनी कितनी आमदनी हो रही है ?

(2) क्या यह सही है कि योजनाओं पर खर्च की गई कुल धनराशि पर जितना ब्याज देय होता है उतनी भी आमदनी उनसे अब तक नहीं हुई है ?

(3) अलग अलग योजनाओं पर खर्च की गई धनराशि, चुकाया गया ब्याज, अब तक हुई आमदनी, सिंचाई का निर्धारित लक्ष्य एवं वास्तविक उपलब्धि की एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है। (अ)

(2) जी हां।

(3) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिए)

राजकीय माध्यमिक शाला शाहपुरा की पुस्तकालय व्यवस्था

15. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री दुर्गालाल वाढ़दार)

(1) शाहपुरा राजकीय माध्यमिक शाला में वर्तमान में कौन प्रधानाध्यापक कार्य कर रहा है और उनका स्थानान्तरण कब और कहाँ से हुआ है ?

(2) इस शाला की पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं तथा एक अध्यापक को कितनी पुस्तकें एक साथ में दी जा सकती है ?

(3) क्या पुस्तकालय की अनेकों पुस्तकें अध्यापकों ने अपने पास रख छोड़ी हैं ?

(4) क्या इस शाला में पुस्तकालय अधिकारी की कोई पोस्ट है ? यदि हां, तो इस पोस्ट पर वर्तमान में कौन कार्य कर रहा है और कब से ?

(5) क्या अध्यापकों से ही पुस्तकालय का कार्य लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या उन्हें अतिरिक्त धनराशि दी जाती है ?

उत्तर

(1) इस समय इस शाला में श्री ओमकार नाथ बैलचा, प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं। इनका स्थानान्तरण राजकीय माध्यमिक विद्यालय छाज्या की नांगल (सीकर) से हुआ है। इन्होंने यहां पर दिनांक 20-7-68 को अपराह्न पद भार ग्रहण किया है।

(2) शाला की पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 6,248 है। एक अध्यापक को एक समय में कितने विषय वह विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाता है उससे सम्बन्धित समस्त पाठ्य पुस्तकें, सन्दर्भ पुस्तकें एवं सहायक पुस्तकें तो दी ही जाती हैं इनके अतिरिक्त दो अन्य पुस्तकें भी ले सकता है। इसलिए पुस्तकों की निश्चित संख्या नहीं दी जा सकती क्योंकि वह प्रत्येक अध्यापक के लिए भिन्न भिन्न हो सकती हैं।

(3) प्रश्न के भाग 2 के उत्तर के अनुसार अध्यापकों को अनेकों पुस्तकें दी जाती हैं अतः स्वाभाविक है कि उनके पास आवश्यकतानुसार पुस्तकें हों।

(4) इस शाला में पुस्तकालय अधिकारी की कोई पोस्ट नहीं है वर्तमान में श्री नन्दलाल शर्मा सहायक अध्यापक पुस्तकालय सम्बन्धित कार्य कर रहे हैं।

(5) हां, विद्यालय में पुस्तकालय अधिकारी का कोई पद नहीं होने के कारण पहले से ही पुस्तकालय सम्बन्धी कार्य अध्यापकों से उनके अध्यापन कालांश कम करके करवाया जाता है। उनके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जा रही है।

एस. पी. यू. कॉलेज, फालना की निरीक्षण रिपोर्ट्स

16. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डाइरेक्टर ऑफ कॉलेज एजूकेशन ने फालना (पाली जिला) पर स्थित एस. पी. यू. कॉलेज का पिछले पाँच वर्षों में कब कब निरीक्षण किया ? क्या जब जब भी निरीक्षण किया, उस निरीक्षण की निरीक्षण रिपोर्ट लिखी गई एवं इस कॉलेज को भी भेजी गई ? सम्बन्धित निरीक्षण रिपोर्ट

(श्री फूलचन्द बाफना)

की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखी जावे ।

(2) उपर्युक्त निरीक्षण रिपोर्ट में से कौन कौन सी निरीक्षण रिपोर्ट इस कॉलेज के अधिकारियों को नहीं भेजी ?

उत्तर

(1) निदेशक ने फालना स्थित एस. पी. यू. कॉलेज का एक विजिट किया तथा उसकी कठिनाइयों एवं आवश्यकताओं के बारे में विचार विमर्श भी कॉलेज के प्रिंसिपल से किया। यह इन्स्पेक्शन नहीं था अतः रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता नहीं थी ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सादड़ी में कृषि कॉलेज खोलने की मांग

17. श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा (बाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सादड़ी (मारवाड़) तहसील देसूरी के नागरिक लम्बे अर्से से वहां पर कृषि कॉलेज खोलने की सरकार से मांग कर रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार ने आज तक क्या विचार किया है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

प्राध्यापकों व वरिष्ठ अध्यापकों का वेतन मान

18. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि लैक्चरर्स (प्राध्यापकों) से वरिष्ठ अध्यापक अधिक योग्यता रखते हैं ? क्या यह भी सही है कि प्राध्यापकों का वेतन मान वरिष्ठ अध्यापकों के वेतन मान से अधिक है ?

उत्तर

जी नहीं । जी हां ।

राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर को दिया गया अनुदान और ऋण

19. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर को अब तक कुल कितना अनुदान एवं ऋण राज्य सरकार द्वारा किस किस तारीख के लिए दिया गया है ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इस संस्था के कौन कौन पदाधिकारी रहे हैं और इस समय कौन कौन इसके पदाधिकारी हैं ? इसकी भी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि राज्य के मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया इस संस्था के संरक्षक अथवा अध्यक्ष रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) इस संस्था को प्रतिवर्ष किस हिसाब से अनुदान दिया जाता है ? और क्या सरकार ने अब तक दिये गये अनुदान

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एवम् ऋण के उपयोग के बाबत कोई विशेष अंकेक्षण करवाया है ?

(5) क्या सरकार को जानकारी है कि संस्था के तत्कालीन मन्त्री दुर्गाशंकर दुर्गावत एवम् प्रिन्सिपल सुश्री भागीरथी मैनन के विरुद्ध एक केन्द्रीय पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं 120 बी. के अन्तर्गत मुकद्दमा पंजीकृत करके चालान अदालत में पेश कर दिया ?

उत्तर

(1) राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर को जो अनुदान अब तक विभाग द्वारा दिया गया है वो निम्न है:—

वर्ष		
59-60	40,000.00	अनावर्तक अनुदान
60-61	86,000.00	,, ,,
61-62	68,540.00	,, ,,
61-62	74,561.00	,, ,,
62-63	66,197.60	,, ,,
63-64	63,275.00	आवर्तक अनुदान 3000 अनावर्तक
64-65	78,528.00	,, अनुदान
65-66	68,765.00	,, अनुदान पुस्तकें
66-67	68,911.00	,, अनुदान हेतु
67-68	63,576.00	,, अनुदान
अप्रेल 68 से जून 68	14,127.00	,, ,,

संस्था जुलाई, 68 से विश्वविद्यालय द्वारा डिस अफिलेट की जा चुकी है।

(2) सत्र 1960-61 से सत्र 63-64 तक संस्था के पदाधिकारी निम्न रहे हैं:—

अध्यक्ष डॉ० बी० एन० शर्मा।

उपाध्यक्ष श्री वैद अमृतलाल।

सेक्रेटरी श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत।

कोषाध्यक्ष श्री मोहनलाल कोठारी व श्री मुखी गोरधनदास।

आचार्य सुश्री भागीरथी मैनन।

राजस्थान महिला विद्यालय सत्र 64-65 से सत्र 66-67 तक संस्था के पदाधिकारी निम्न रहे हैं:—

अध्यक्ष श्री भंवरलाल गैलड़ा।

सेक्रेटरी श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत।

ज्वॉइन सेक्रेटरी श्री हेमशंकर नागर।

कोषाध्यक्ष श्री फतेहलाल हिंगड।

आचार्य सुश्री भागीरथी मैनन।

सत्र 67-68 से आज तक संस्था के निम्न पदाधिकारी रहे:—

अध्यक्ष श्री भंवरलाल गैलड़ा।

उपाध्यक्ष श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत।

सेक्रेटरी श्री हेमशंकर नागर।

कोषाध्यक्ष खाली है।

आचार्या: सुश्री भागीरथी मैनन।

(3) इसकी जानकारी नहीं है।

(शिक्षा मन्त्री)

(4) संस्था को आवर्तक अनुदान स्वीकृत खर्च पर 90 प्रतिशत हिसाब से स्वीकृत किया गया है सत्र 1966-67 से संस्था को उसी वर्ष के आधार पर कर्मचारियों के वेतन पर अनुदान 90 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है। संस्था को जो अनुदान आवर्तक स्वीकृत किया गया है वह गत वर्ष के खर्च पर लेखा परीक्षण के पश्चात् ही सत्र 1965-66 तक स्वीकृत किया गया है इसके पश्चात् सत्र 1966-67 से जून, 1968 तक संस्था को राज्य सरकार के आदेशानुसार कर्मचारियों के वेतन उसी वर्ष के आधार पर तदर्थ अनुदान स्वीकृत किया गया हैं संस्था के अनुदान लेखों का महालेखाकार, राजस्थान जयपुर द्वारा विशेष आडिट अगस्त, 66 में किया गया है।

(5) स्पेशल पुलिस एस्टबलिशमैन्ट (भारत सरकार) के पत्र क्रमांक 8627/आर./63-जे०पी०आर०, दिनांक 19-8-68 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है श्री दुर्गावत व सुश्री मैनन के विरुद्ध कोर्ट ऑफ स्पेशल मजिस्ट्रेट जयपुर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 व 120 बी० के अन्तर्गत मुकद्मा दिनांक 19-7-69 को चालान अदालत में पेश कर दिया गया है।

उद्योग द्वारा शिक्षा

20. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) श्रम और बुद्धि की बीच की खाई को कम करने तथा श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाने की दृष्टि से क्या सरकार उद्योगों द्वारा शिक्षा देने का मार्ग अपना रही है ?

(2) क्या सरकार कताई तथा बुनाई को शिक्षण संस्थाओं में जल्दी ही महत्वपूर्ण स्थान देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1 व 2) राज्य सरकार श्रम और बुद्धि की खाई को कम करने में विश्वास करती है। तथा कार्यानुभव योजनाओं द्वारा इसकी एक सीमा तक पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है।

जहां भी स्थानीय सुविधाओं के अनुसार कार्यानुभव योजना में प्रधानाध्यापिका कताई बुनाई को अपनी शाला में प्रारम्भ करने की इच्छा रखते हैं वहां ऐसा करने की उन्हें स्वतन्त्रता है।

गांवों में रिटेलरों द्वारा अनाज ले जाने का किराया

21. श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नूं) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने कोई ऐसा आदेश निकाला था कि गांवों में जो रिटेलर अनाज ले जायेंगे उनका किराया रिटेलरों को सरकार की ओर से दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब से किस दर से? और अब तक नागौर जिले में किन किन तहसीलों में कितना कितना किराया दिया गया और कितना कितना कब कब से देना किन किन कारणों से बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) यह योजना चालू करने का मूल उद्देश्य क्या था ? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि उपरोक्त भुगतान समय पर नहीं हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

(4) भविष्य में इस योजना को किस प्रकार से चलाने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 15-1-64 से भुगतान की दरें निम्न प्रकार हैः-

पक्की सड़कः—4 पैसा प्रति मील प्रति क्विन्टल या 2 ½ पैसा प्रति किलोमीटर।

कैन्करीट सड़कः—4½ पैसा प्रति मील प्रति क्वि० या 2.80 पैसा प्रति किलोमीटर।

कच्ची सड़कः—7 पैसा प्रति मील प्रति क्विन्टल या 4.50 प्रति किलोमीटर।

नागौर जिले में अब तक जिन तहसीलों में बिलों का भुगतान किया गया है तथा जिन बिलों का भुगतान नहीं किया गया है उनकी सूची संलग्न है।

(2) राज्य के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों की जनता को खाद्यान्न आसानी से उपलब्ध कराने हेतु रिटेलर्स को यह सुविधा दी जाती है। आदेशों की प्रतियां संलग्न है।

(3) जी हां, कुछ तहसीलों में सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा समय पर बिल प्रस्तुत नहीं करने तथा बिलों में लेखा सम्बन्धी त्रुटियां पाये जाने के कारण भुगतान समय पर नहीं किया जा सका बिल सम्बन्धी तहसीलदारों को भेजे गये हैं। अतः त्रुटियों की पूर्ति होने पर शीघ्र ही भुगतान कर दिया जावेगा।

(4) भविष्य में इस योजना को इसी आधार पर चलाने का सरकार विचार रखती।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खाद्य निगम द्वारा अनाज की खरीद

22. श्री सतीशचन्द अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खाद्य निगम द्वारा राज्य भर में कितना कितना और क्या क्या अनाज कितनी कितनी कीमत का अब तक खरीदा गया है।

(2) इसमें से कितना और कितनी कीमत का अनाज बेच दिया गया ? इस बेचान में अनुमानतः कितना मुनाफा हुआ है ?

(3) खाद्य निगम की स्थापना से लेकर अब तक इस पर कुल कितना खर्च हो चुका है।

(4) क्या यह सही है कि खाद्य निगम द्वारा खरीद-फरोख्त में घोटाले की जांच की गई थी ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

वर्ष 68-69 में अकाल राहत कार्य

23. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा):

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकाल राहत कार्यों पर अब तक कुल कितना व्यय हो चुका है ? कृपया सूची वर्ष व जिलेवार देने का कष्ट करें ?

(2) वर्ष 68 व 69 में कितने ग्राम (जिलेवार) अकालग्रस्त व अभावग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं ? सूची देने का कष्ट करें।

(3) वर्ष 68 व 69 में कितने राहत कार्य खोले गए व उन पर कितने मजदूरों ने कार्य किया ? सूची कृपया जिला व माहवार देने का कष्ट करें।

(4) वर्ष 68 व 69 में कितने सहायता शिविर खोले गए व उनमें कितने व्यक्तियों ने शरण ली ? सूची जिलावार व माहवार देने का कष्ट करें।

(5) इस वर्ष 68 व 69 में इस दृष्टि से स्थायी कार्य कौन कौन से करवाए जायेंगे व उन पर कितना व्ययहुआ व होगा?

(6) अकालग्रस्त क्षेत्रों में वर्ष 68-69 में अब तक कितने व्यक्तियों की मृत्यु (भूख अथवा बीमारी से) हुई ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

ग्राम सेवा सहकारी समिति, डेगाना की चीनी का कोटा

24. श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नूं): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, डेगाना जंक्शन, डेगाना, जिला नागौर को चीनी का होलसेल का कोटा दिया जाता है ? यदि हां, तो अब तक कितनी कितनी चीनी किस किस माह में उक्त समिति में आई, किस किस रिटेलर तथा कितनी छीजत हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त समिति अपने उप-नियमों के अनुसार कितने क्षेत्र तक कार्य कर सकती है ? क्या इस बात का ध्यान होल-सेलर अपॉइन्ट करते समय रखा गया था ?

(3) विभागीय अधिकारियों ने इस समिति द्वारा चीनी वितरण के कार्य का कब कब निरीक्षण किया और निरीक्षण के समय क्या क्या त्रुटियां बताई गईं ?

(4) उक्त समिति द्वारा जिन रिटेलरों को जितनी चीनी दी गई है उतनी चीनी आगे रिटेलरों ने गांवों में बांटी या नहीं इसकी जांच विभाग ने की है, तो जांच के परिणाम क्या हैं ? अगर नहीं की, तो क्यों नहीं ? अब इसकी जांच कब तक कर ली जावेगी ?

(5) क्या यह भी सही है कि तहसील डेगाना के क्षेत्र में कोई क्रय-विक्रय समिति भी पड़ती है ? यदि हां, तो उक्त समिति को होल सेलर क्यों नहीं बनाया गया जबकि जिले में दूसरी सब जगह क्रय-विक्रय समितियां ही इस कार्य को कर रही हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची संलग्न है।

(2) उक्त समिति का कार्य-क्षेत्र डेगाना तहसील तक सीमित है।

(3) विभागीय अधिकारियों ने दिनांक

(खाद्य मन्त्री)

8-6-68 व 11-12-68 को इस समिति का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने रिटेलरों के खाते नियमानुसार नहीं रखने की त्रुटी बताई है।

(4) उक्त समिति द्वारा जिन रिटेलरों को जितनी चीनी की मात्रा वितरण के लिये दी गई थी उसमें से वितरण नहीं होने की शिकायत गांव वालों से प्राप्त हुई, शिकायत गांव थांवला एवं सांजू के रिटेलरों के खिलाफ थी। थांवला रिटेलर की जांच कर कागजात पुलिस में देने के लिये उप-खण्ड अधिकारी, मेड़ता को तहसीलदार, डेगाना ने निवेदन किया है। सांजू के रिटेलर के खिलाफ जांच जारी है।

(5) जी, नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अकाल के स्थायी हल हेतु गठित उप-समिति की रिपोर्ट

25. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अकाल के स्थायी हल के लिये उप-समिति का गठन किया गया ?

(2) उक्त उप-समिति के गठन की सरकार ने कब घोषणा की और उस उप-समिति के कौन कौन सदस्य हैं ?

(3) उक्त उप-समिति ने जो रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) राज्य सरकार उक्त रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसी किसी उप-समिति का गठन नहीं किया गया।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में सड़कों का कार्य

26. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत अब तक किन किन सड़कों का कार्य सरकार ने हाथ में लिया है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सड़कों पर कितना मील मिट्टी एवं ग्रेवल का कार्य हुआ ? प्रत्येक सड़क का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त सड़कों के निर्माण पर क्या खर्चा हुआ ?

(4) उक्त सड़कों में से किन किन सड़कों पर मजदूरों की मजदूरी में कब कब कितनी कितनी कटौती की गई और वह किस आधार पर की गई ? विस्तृत सूचना देने की कृपा करें।

(अकाल सहायता मन्त्री)

उत्तर

(स्थगित किया गया)

अकाल पर व्यय

27. श्री गंगासहाय कोली (कठूमर सु०) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में सन् 1952 से 1968 तक अकाल के नाम पर कुल कितना रुपया खर्च किया जा चुका है ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(उत्तर सरकार से प्राप्त नहीं हुआ)

पंचायत की जनसंख्या निर्धारण

28. श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला गंगानगर में कुल कितनी पंचायतें हैं और प्रत्येक पंचायत की जनसंख्या कितनी है ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में पंचायतों का गठन करने की नीति निर्धारित करते समय राज्य सरकार ने ऐसे आदेश दिऐ थे कि एक से अधिक गावों को मिलाकर बनने वाली पंचायत की जनसंख्या 2,000 के आस पास होगी ? यदि हां, तो गंगानगर जिले की सबसे ज्यादा आबादी वाली पंचायत कौनसी है ?

(3) क्या उन पंचायतों पर उक्त आधार लागू किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) 1,500 से कम जनसंख्या के गांवों को मिलाकर जिनकी जनसंख्या 2,000 से अधिक न हो तथा 1,500 से कम न हो पंचायत गठित करने की नीति निर्धारित की गई थी। 1,500 से अधिक जनसंख्या के एक गांव की पृथक पंचायत गठित करने का भी सिद्धान्त स्वीकार किया गया था। सन् 1951 की जनसंख्या से सबसे अधिक जनसंख्या वाली पंचायत लालगढ़ है।

(3) लालगढ़ ग्राम की पृथक पंचायत गठित की गई थी जो निश्चित नीति के अनुसार था।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

ग्राम सेवक प्रशिक्षण एवं नियुक्ति

29. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं और उनमें कितने कितने ग्राम सेवक प्रशिक्षण इस समय प्राप्त कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अशिक्षित ग्राम सेवकों की मांग को देखते हुए इन केन्द्रों पर कितने ग्राम

Page No 45

(श्री हरजीराम बुरड़क)
सेवक कबतक प्रशिक्षित करते हैं तथा प्रत्येक केन्द्र की कितने कितने ग्राम सेवक प्रशिक्षित करने की क्षमता है ?

(3) अब तक ऐसे कितने ग्राम सेवक हैं जिनको प्रशिक्षण के बाद अभी तक सेवाओं में नहीं लिया गया है ? नामावली मय प्रशिक्षण समाप्ति के दिनांक के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) प्रशिक्षित ग्राम सेवकों को अब तक सेवा में नहीं लिये जाने के क्या कारण है ?

(5) क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है कि प्रशिक्षण समाप्ति के साथ साथ ही प्रशिक्षण केन्द्रों पर ग्राम सेवकों को नियुक्ति आदेश मिल जायें ताकि ग्राम सेवकों को अनिश्चित काल तक नियुक्ति आदेश की प्रतिक्षा में इधर उधर भटकना नहीं पड़े ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रत्येक केन्द्र की 2 वर्षों में 100 ग्राम सेवक प्रशिक्षित करने की क्षमता है।

(3) सभी प्रशिक्षित ग्राम सेवकों को नियुक्ति हेतु ऐलॉटमेन्ट कर दिया गया है।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(5) यथा संभव ऐसी व्यवस्था की जाती है और भविष्य में भी की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

पंचायत समिति के अध्यापकों का बकाया वेतन

30. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या राजस्थान में पंचायत समितियों के द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों के अध्यापकों के वेतन बकाया है ? यदि हां, तो किस किस पंचायत समिति में किस किस अध्यापक का कितना कितना कब कब से बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त बकाया रहने के क्या कारण हैं और उनको कब तक चुकारा किये जाने का विचार है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

ग्राम पंचायतों के सचिवों का बकाया वेतन

31. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायतों के सेक्रेट्रियों के वेतन बकाया चले आ रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो किस पंचायत समितियों में किस किस सैक्रेटरी की कितनी कितनी कब कब से बकाया चली आ रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त बकाया का चूकारा करने के लिए सरकार क्या विचार रखती है और कब तक इसका चुकारा कर दिया जावेगा ?

(पंचायत मन्त्री)

उत्तर

(स्थगित किया गया)

पाकिस्तान गए पंच एवं सरपंचों को चल व अचल सम्पत्ति

32. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनवरी, 1965 से लेकर अब तक कुल कितने पंच, सरपंज पाकिस्तान चले जाने के परिणामस्वरूप राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 17 (4) के अधीन कार्य संचालन में असमर्थ हो जाने के कारण उनके पदों से पृथक किए गए ? पंचायत समिति अनुसार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन लोगों द्वारा छोड़ी गई चल व अचल सम्पत्ति सरकार द्वारा जब्त की गई या नहीं ?

(3) क्या इनमें से कोई व्यक्ति वापिस आ गया है ? यदि हां, तो क्या उन पर कोई मुकद्दमा चलाया गया ?

(4) प्रश्न के भाग संख्या एक, दो व तीन में चाही गई जानकारी प्रधानों व उप-प्रधानों के बाबत भी देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूची में विवरण दिया गया है।

(3) दो पंच वापस आये जिनके विरुद्ध भारतीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत मुकद्दमें चल रहे हैं।

(4) सूची में स्थिति स्पष्ट की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिए)

चूरू जिले की न्याय पंचायतों में रिक्त स्थान

33. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में न्याय पंचायतों में कितने सदस्यों व अध्यक्षों के स्थान रिक्त पड़े हैं और कब से तथा क्यों ?

(2) जिले में कुल कितनी न्याय पंचायतें हैं ?

(3) रिक्त स्थानों के कारण कितनी न्याय पंचायतें काम करने में वैधानिक तौर से असमर्थ हैं ?

उत्तर

(1) 16 सदस्यों व 8 अध्यक्षों के स्थान रिक्त हैं। ये स्थान निवृतिकरण, त्याग पत्र, मृत्यु इत्यादि के कारणों से रिक्त है। सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) 35 (पैंतीस) न्याय पंचायतें हैं।

(3) कोई न्याय पंचायत असमर्थ नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिए)

ग्राम सेवकों की पदोन्नति

34. श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा (बाली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में ग्राम सेवकों की सेवायें किस विभाग के अधीनस्थ है ?

(2) विभाग में उनकी पदोन्नति के लिये कौनसा पद निर्धारित है ?

(3) अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो उनकी पदोन्नति किस विभाग में किस पद पर की जा सकती है ? और क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम सेवकों की सेवाएं राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा के अन्तर्गत आती हैं। जिसके नियंत्रण का सम्बन्ध पंचायत एवं विकास विभाग से है।

(2) ग्राम सेवक की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त ग्राम सेवकों की पदोन्नति हेतु उघोग, कृषि, सहकारी व शिक्षा विभाग में 10 प्रतिशत प्रसार अधिकारियों के पद निर्धारित हैं। पंचायत एवं विकास विभाग में पंचायत सहायक के 60 प्रतिशत पद ग्राम सेवकों में से पदोन्नति के लिए सुरक्षित रखने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त परिवार नियोजन विभाग में भी कुछ पदों पर ग्राम सेवकों की पदोन्नति हेतु व्यवस्था की जा रही है।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

नगर पंचायत समिति में अध्यापकों को बकाया

35. श्री गंगासहाय (कठुमर सु०): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नगर पंचायत समिति में अध्यापकों की टी. ए. व फिक्सेशन की एरियर की कितनी रकम बकाया पड़ी है, कब से पडी हुई है और क्यों पड़ी हुई है ? अध्यापकों के नाम सहित पूर्ण जानकारी देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

नगर पंचायत समिति में अध्यापकों के फिक्सेशन के परिणामस्वरूप एरियर की कोई धनराशि बकाया नहीं है न टी. ए. बिल की रकम ही बकाया है।

पंचायत समितियाँ, जिला बीकानेर में डेयरी फार्मों के लिये ऋण व अनुदान

36. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नौखा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समितियां, जिला बीकानेर का गठन कब हुआ व गठन के बाद डेरी फार्मों के लिए कितने रुपये ऋण व अनुदान के रूप में दिये गये व किस किस को ? नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या यह सही है कि डेरी फार्मों में गायें किसी ने नहीं ली व ऋण व अनुदान की रकम भी अभी तक वापस जमा नहीं कराई ? यदि हां, तो नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखी जावे। यदि रकम जमा करवाई गई तो किस किस ने

(श्री चुन्नी लाल इन्दलिया)
कितनी कितनी ? बकाया की वसूली के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

(12.15 म० प०)

श्री अध्यक्ष : मेज पर रखे जाने वाले पत्र। सचिव महोदय।

सदन पर रखे जाने वाले पत्र

श्री सचिव, विधान सभा (श्री बी० के० डी० बैजल) : महोदय, मैं चतुर्थ विधान सभा के चतुर्थ सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:—

राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1969।

(2) न्यूनतम मजदूरी (राजस्थान संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक, 1969।

(3) राजस्थान भूमि (एकीकरण तथा विखण्डन निवारण) (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, 1963।

राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1969।

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1969।

(3) राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 1969।

(4) राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1969।

(5) राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1969।

(6) राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर विधेयक, 1969।

(7) राजस्थान उद्योगों के लिए राजकीय सहायता (संशोधन) विधेयक, 1969।

(8) राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन तथा निरसन) विधेयक, 1969।

अध्यादेश

श्री अध्यक्ष : अकाल सहायता मंत्री, राजस्थान मालयान अधिग्रहण······

श्री विजयसिंह (मकराना) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है जो कि मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं, अभी पेश करने वाला हूं। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार को यह पता है या नहीं, परन्तु जैसी कि मुझे जानकारी मिली है यह है कि पाली के एक व्यक्ति जिसका कि नाम कादर बक्ष शमशुद्दीन है उसने हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक्टीविटीज बढ़ाने के लिए एक पत्र लिखा है वह मैं यहां सुनाकर बताना चाहता हूं। हमारी राज्य सरकार······

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री विजयसिंह : इसमें कोई ऑर्डर का सवाल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज ।

श्री विजयसिंह : हिन्दुस्तान के विरुद्ध...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये । मैं इस प्रश्न को सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रों के बाद ले लूंगा, और उसके बाद देखूंगा कि क्या इसमें पॉइंट ऑफ आर्डर है, और पत्र को आप पढ़ना चाहते हैं तो उस पत्र को पढ़ने की इजाजत दूं या नहीं दूं, और वह किस प्रसंग में हैं वह देखूंगा । मैं इसको व्यवस्था का प्रश्न नहीं मानता हूं ।

अकाल राहत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मालयान अधिग्रहण अध्यादेश, 1969 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1969) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्री ।

विधि मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1969) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री ।

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मद्यनिषेध अध्यादेश, 1969 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1969) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष : पंचायत मंत्री ।

पंचायत मंत्री : (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना संख्या एफ० 4/एल/पी०एस०/ए०/आर०। 3/69/5427, दिनांक 25-7-69 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा (संशोधित वेतन क्रम) नियम, 1962 में संशोधन किये गये हैं, को सदन की मेज पर रखता हूं ।

अधिसूचना संख्या एफ० 4/एल/पा० एस०/ए०/आर०/7/69/5428 दिनांक...

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : पढ़ने की जरुरत नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : 24-7-69 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (कार्य संचालन) नियम, 1965 में पुनः संशोधन किये गये हैं ।

अधिसूचना संख्या एफ० 4/एल/पी० एस/ए०/आर०/5/........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जरूरत नहीं पढ़ने की ।

श्री परसराम मदेरणा : 68/5496, दिनांक 26-7-69 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति (स्थायी समितियों के सदस्यों की निवृत्ति) नियम, 1962 में और संशोधन किये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, लिस्ट मान ली जायेगी । वित्त मंत्री ।

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 की धारा 26(6) के अन्तर्गत वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं पुनः सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 4, दिनाक 1 मार्च, 1969 जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, 1955 में और संशोधन किये गये हैं ।

(2) अधिसूचना संख्या जी० एस० आर०,19 दिनांक 25 मार्च 1969 जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री-कर नियम, 1955 में संशोधन किया गया है ।

(3) अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 9 ए. दिनांक 7 मार्च, 1969 जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, 1955 में और संशोधन किये गये हैं ।

ये अधिसूचनायें चतुर्थ सत्र में दिनांक 3 अप्रेल 1969 को सदन की मेज पर रखी गयी थी किन्तु राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 की धारा 26(6) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न होने के कारण इन्हें राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सबन्धी नियमों के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखी जायेंगी ।

(सूचनाएं पढ़ी नहीं गई)

श्री अध्यक्ष : लिस्ट मान ली जायेगी ।

प्रतिवेदन लेखे आदी ।

विद्युत् मंत्री !

विद्युत् मन्त्री (श्री बरकतुल्लाखां): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के 1967-68 को समाप्त होने वाले वार्षिक लेखों पर टिप्पणियां......

श्री अध्यक्ष: लिस्ट मान ली जायगी ।

(लिस्ट नहीं पढ़ी गई)

वित्त मंत्री !

श्री वित्त मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित पत्र सदन की मेज पर रखता हूं ।

(1) राजस्थान राज्य के विनियोग लेखे, 1967-68,

(2) राजस्थान राज्य के वित्त लेखे, 1967-68, तथा

(3) 1967-68 के लेखाओं पर अंकेक्षा प्रतिवेदन ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, 1967-68 की ऑडिट रिपोर्ट है जिसको कि आज आप सदन की मेज पर रखने की कृपा कर रहे हैं तो यह राज्य सरकार को कब प्राप्त हुई, और बजट अधिवेशन के दौरान सदन की मेज पर क्यों नहीं रखी गई ?

श्री मथुरादास माथुर : बजट अधिवेशन के दौरान मैंने निवेदन किया उस वक्त कि रिपोर्ट छपकर तैयार नहीं हुई थी और रिपोर्ट मेरे पास नहीं पहुंची थी और सेक्रेटेरियेट में आई थी । उसको मैंने नहीं देखा था और केबिनेट ने अप्रूव नहीं किया था इसलिए मैंने कहा था कि अगले सत्र में रख दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बजट अधिवेशन के दौरान राजस्थान सरकार को ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिली थी ?

श्री मथुरादास माथुर : कापी मेरे पास नहीं आई थी । आपने यह क्वेश्चन रेज् किया था उसके जवाब में मैंने कहा था कि रिपोर्ट भेजी है उसको कैबिनेट ने एप्रूव नहीं किया है इसलिए उसको ऑफिशियल्ली नहीं रख सकता । उसके बाद में वह हो गई तो अब रख रहा हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि 67-68 की ऑडिट रिपोर्ट अब रख रहे हैं तो उसका महत्व बहुत कम रह जाता है । गत बजट अधिवेशन में 69-70 के बजट पर हमने 66-67 की ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पर आम बहस की है । अगर 67-68 की लेटैस्ट आडिट रिपोर्ट मिल जाती है तो मैं समझता हूं, बहस में अधिक आनन्द आता । इस लिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह आदेश दिये जायं कि आगामी बजट अधिवेशन हो उसके पूर्व ही जो ऑडिट रिपोर्ट है 68-69 की यानि 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष की जो ऑडिट रिपोर्ट है वह करीब करीब दिसम्बर में हर वर्ष राज्य सरकार को मिल जाती है उस ऑडिट रिपोर्ट को यदि बजट अधिवेशन में रख दिया जाय तो उपयुक्त होगा ।

श्री अध्यक्ष : उपयुक्त है ।

श्री मथुरादास माथुर : बहुत उपयुक्त है । ए० जी० टाईम पर भेज देंगे तो वह रख देंगे । ऑडिट रिपोर्ट वे कर दें टाइम पर ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऑडिट रिपोर्ट इन्वेरियेबल्ली गवर्नमैंन्ट के पास टाईम पर आजाती हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास जिस समय आई थी उसका टाईम और डेट बता दूं । अगर आ जाती तो उसमें कौन सी छिपाने की बात थी ?

श्री अध्यक्ष: प्रतिवेदनों का उपस्थापन ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुंडावत (चेयरमन, प्राक्कलन समिति) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं:–

(1) राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर से संबंधित समिति का 8-वां प्रति वेदन,

(2) भू-संरक्षण से संबधित समिति का 9-वां प्रतिवेदन, तथा

(3) राजस्थान भू-जल मण्डल, जोधपुर के सम्बन्ध में समिति का 10-वां प्रतिवेदन ।

उपरोक्त प्रतिवेदन अन्तः सत्र काल में अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किये गये थे तथा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 205 के अधीन अध्यक्ष महोदय द्वारा उनका मुद्रण, प्रकाशन तथा परिचालन का आदेश दिया गया था ।

श्री अध्यक्ष : श्री पुखराज कालानी ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (मुख्य सचेतक) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति 1968-69 का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं, जो जन लेखा समिति के 8-वें प्रतिवेदन (तीसरी विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों के परिपालन हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष : श्री दामोदरलाल व्यास ।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति का 19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर यह सदन अपनी सहमति प्रकट करता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में विरोध नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ नम्रनिवेदन करना चाहता हूं, आपसे भी, इस सदन से और इस सरकार से भी । कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सभी दलों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने के पश्चात् इस सदन के सामने लाया जाता है और इस प्रतिवेदन को औपचारिक दृष्टि से हम पारित करते हैं, करेंगे । सभी दलों के प्रतिनिधियों का उसे विश्वास और समर्थन प्राप्त है, और इसी कारण यह सदन में पारित होता है और सदन द्वारा इसके पारित होने से इसकी सैंक्टीटी बढ़ जाती है, और इसके पारित होने के पश्चात्, उसके अनुसार सदन की कार्यवाही चलाना और चलना, एक गुरुतर उत्तरदायित्व है । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन के द्वारा कार्य सलाहकार समिति का जो प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया जाता है । उस पायस डाक्यूमेंट की सैंक्टीटी को ध्यान में रखते हुए, उसके अनुसार सदन की कार्यवाही चले, सदन का बिजनेस उसके अनुसार चले, परन्तु वह न करके शिड्यूल्ड डेट से पहले सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है । इस प्रकार से इस पायस डाक्यूमेंट की सैंक्टीटी नहीं आ सकती । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की तो है ही, परन्तु मैं इस सरकार से उम्मीद नहीं करता, यह सरकार निकम्मी है, जितनी की हिन्दुस्तान में और कोई सरकार नहीं है, इसलिये अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की गरिमा प्रतिष्ठा बनाये रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली गई है, जब तक आप आसन पर विराजमान हैं, आप पीछे नहीं हटें और आप विश्वास दिलावें कि सदन द्वारा पारित प्रतिवेदन का टोटो आप अनुपालन करायेंगे और अनिश्चित समय के लिये सदन की कार्यवाही सरकार के कष्ट को, उलझन को दूर करने में आप सहयोगी नहीं बनेंगे ।

श्री अध्यक्ष : जो आशंकाएं माननीय सदस्य ने उठायी हैं, मैं उसका निराकरण कर देना चाहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में जो प्रतिवेदन सदन से स्वीकार होगा, जिन तिथियों के सम्बन्ध में उनका बिजनैस पूर्णतया सदन में होने के बाद ही इस सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जायेगा । यद्यपि कुछ विचित्र विषम स्थिति हो जाती है फिर भी उसके होने के सन्दर्भ में भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे समय कैसा भी विषम हो या सम हो, सदन में तब भी उस पर, नियन्त्रण करने के बाद ही, बिजनैस ट्रान्जेक्ट होने के बाद ही सदन की कार्यवाही स्थगित की जा सके मेरा विश्वास है कि सदन पर मैंने जो विश्वास किया है, उस पर विचार करेगा और मुझे विश्वास देगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल जयपुर) : हम तो हमेशा से ही विश्वास

Page No 53

(भैरोंसिह)
करते आये हैं और इतने भोले हैं कि हमेशा ही धोखा खा जाते हैं।

श्रीअध्यक्ष: गत सत्र में, उसका स्थगित करना न करना दोनों ही बराबर था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जनता सरकार को भगोड़ी मान ले तो कोई बात नहीं अध्यक्ष को भगोड़ी मान ले तो उससे हमारे मन में वेदना होती है।

श्री अध्यक्ष : दूसरे सदन की कार्यवाहियों से यहां कम ही है।

प्रश्न यह है कि प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाये। जो पक्ष में हों वे हाँ कहें।

जो विपक्ष में हों वे ना कहें।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया। स्थगन प्रस्ताव।

स्थगन प्रस्ताव एवं उन पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रामकिशन, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री दौलतराम सारण, श्री भैरोंसिंह शेखावत तथा श्री रामानन्द अग्रवाल ने भूतपूर्व विधायक तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मन्त्री श्री मुरलीधर व्यास एवं उनके कुछ साथियों को बीकानेर में पुलिस द्वारा पीटने आदि के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं दी हैं।

मैडिकल कॉलेजों में छात्रों की सीटें कम करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी श्री दुर्गालाल बाढ़दार, श्री रामानन्द अग्रवाल से स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के बारे में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय इन विषयों में स्थिति को कल वक्तव्य द्वारा स्पष्ट करने की कृपा करें। मैं इन्हें सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : कल या परसों।

श्री अध्यक्ष : कल।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कल बाहर रहूंगा। इसलिये इसे 16 तारीख को रख लें।

श्री अध्यक्ष : 16 तारीख को रख लेते हैं, इसको।

श्री रामकिशन (वैर) : 16 तारीख को क्यों रखते हैं। इस सम्बन्ध में सारी सामग्री आपके पास उपलब्ध है। फिर सरकाने की क्या जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : एक, दो दिन में ही हो रहा है।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:—

(1) श्री हरजीराम बुरड़क, श्री दौलतराम सारण ने राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा तकाबी ऋण अपर्याप्त होने से बैलों के स्थान पर मनुष्यों द्वारा हल जोते जाने के समाचार अखबारों में प्रकाशित होने सम्बन्धी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री श्रवणलाल ने दिनांक 27-6-69 को हिन्डौन की जनता द्वारा हायर सैकेन्डरी स्कूल, पीने के पानी, स्थानीय अस्पताल में अतिरिक्त डाक्टरों की नियुक्ति आदि के प्रश्नों को लेकर किये गये प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(3) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री ओमदत्त माटी से प्राप्त हुई है जिसमें 11 अगस्त, 1969 को जोधपुर नगर में राजस्थान प्रदेश जनसंघ के उपाध्यक्ष श्री गुमानमल लोढ़ा एवं अन्य जनसंघ कार्यकर्ताओं को नगर परिषद् भवन के सामने प्रदर्शन करते समय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना बतलाया है ।

(4) श्री रामानन्द अग्रवाल ने राजस्थान रोड़वेज कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा 16-8-69 से अनिश्चित समय के लिये हड़ताल पर जाने के नोटिस के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(5) श्री गंगासहाय, श्री जयनारायण सालोदिया व श्री लाभचन्द वैद्य ने पुलिस चौकी नौगांवा जिला अलवर में एक 60 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस चौकी में पुलिस द्वारा पीटे जाने से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

इन स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों से जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी मिलने पर उन पर निर्णय दिये जाकर माननीय सदस्यों को मैं यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के अलावा और भी स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो इस प्रकार हैं:—

(1) श्री हरजीराम बुरड़क, श्री दौलतराम सारण ने राज्य के पश्चिमी जिलों में अभी तक अपर्याप्त वर्षा तथा सरकार द्वारा राहत कैम्पों पर मजदूरों की संख्या कम किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । राज्य में अकाल की स्थिति पर विचार करने के लिये तिथि निश्चित हो चुकी है ।

(2) श्री हरजीराम बुरड़क ने जे० बो० हायर सेकेन्डरी स्कूल, लाडनूं के संचालक द्वारा कुछ अध्यापकों को हटाने के तथा कुछ को नियुक्त करने आदि अनियमितताओं के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । यह एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है जिसका सीधा सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है ।

(3) इसके अलावा उन्होंने एक और स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना दी है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा सड़क की जमीन दबा लेने तथा एक सड़क पर कब्जा कर लेना बतलाया है । यह एक व्यक्ति से सम्बन्धित है ।

(4) श्री देवीदत्त गाड़िया ने कोटा जिला की तहसील बारां, किशनगंज, शाहबाद, छबड़ा, छीपा बडोद, अटरु, मांगरोल, इटावा एवं दीगोद क्षेत्र में डकैतियों एवं डाकुओं द्वारा अपहरण आदि की घटनाओं के बारे में पुलिस की तथा कथित अकर्मण्यता के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(5) श्री बालसिंह सोढ़ा ने जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी में पिछले लगातार कई वर्षों

(श्री अध्यक्ष)

से अनावृष्टि के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न होने तथा वहां पर राहत कार्य में कमी करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस बारे में सदन में चर्चा करने के लिये पृथक से समय नियुक्त किया जा चुका है।

ये सभी प्रस्ताव इतने अविलंबनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर आज विचार किया जाये। अतः मैं इन्हें सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

माननीय चिकित्सा मन्त्री !

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह मेडिकल कॉलेज वाला प्रश्न परसों लिया जाये। सचिव और उपसचिव दोनों ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यहाँ नहीं है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल जयपुर) : यह प्रश्न आप के सामने पहले से चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : थोड़ी सी सुविधा दीजिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने मेडिकल कॉलेज के सम्बन्ध में कॉल अटेंशन नोटिस दिया है। कॉल अटेंशन पर उन्होंने कहा कि परसों चर्चा हो जाये।

श्री अध्यक्ष : आपने दिया है, मैं, देख लूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, और मेरे अपने जो साथी हैं, वे मुझे क्षमा करें, इस प्रक्रिया का परिणाम यह है कि जब हम मोशन बनाने के लिए बैठें तो हमने देखा इसका एडजोर्नमेंट नोटिस नहीं बनता है रूल्स के अनुसार, यह कॉल अटेंशन नोटिस बन सकता है, जो एडमिसेबिल हो सकता है। वह आप लेंगे नहीं। इस प्रकार आप यह प्रेरणा दे रहे हैं। काल अटेंशन मोशन देते चले जाओ। एडजोरनमैंट मोशन नहीं। यह रूल्स का वायोलेशन है। जब सब्जेक्ट के लिए अधिवेशन में······

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर ! माननीय सदस्य ! हम कोई एडमिट करते हैं, कोई नहीं करते हैं। यह हमारे डिस्क्रिशन पर है। दूसरे और माननीय सदस्यों के प्रश्न हैं। आपका प्रश्न आया है, जैसे कि मैंने उसके सम्बन्ध में कहा है, वह आया है, मैं जा कर देख लूंगा। पार्टी का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा कि वह सुविधा चाहते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो आप मानते हैं कि एक से ज्यादा स्थगन प्रस्ताव नहीं दे सकता है। टोप प्रॉयोरिटी से स्टेटमैंट होना चाहिए। यह नहीं कि एक ही जगह से······

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मेरा निवेदन है······

श्री अध्यक्ष : वायोलेशन है तो करेक्ट कर लेंगे।

श्री नत्थीसिंह : माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह सही है। आप एक भी एडजोर्नमेन्ट मोशन एडमिट नहीं करते हैं।

(श्री नत्थीसिंह)
किसी को कहते हैं कि दे देंगे। उसका वक्तव्य एक नहीं दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री नत्थीसिंह : आज नहीं, कल दिया जाएगा। इस तरह से......

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री नत्थीसिंह : इसलिए मैं कहता हूं कि यह रूल्स का वायोलेशन है आप कभी लेते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

एडजोर्नमैंट मोशन का लिया जाना या नहीं लिया जाना यह डिस्क्रिशन पर है। स्टेटमैन्ट उसका प्रमुख होता है। सदन की कार्यवाही बन्द करके उस पर डिस्कशन करना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो महत्व का प्रश्न होता है। उस पर स्टेटमैंट रूल्स के अन्तर्गत दिया जाता है। वह दिया जाता रहेगा।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : मेरे काल अटेंशन मोशन पर जो व्यवस्था दी गई है कि जानकारी करके दिया जाएगा, अध्यक्ष महोदय, 27 जून की यह घटना थी। तब से ड़ेढ़ महीना हो गया। वहाँ की जनता पर इस सरकार ने, इस सरकार के अधिकारियों ने नन्हें मुन्ने बच्चों पर, गोलियाँ चला चला कर 2 व्यक्तियों को मौत के खाट पर उतार दिया। मस्जिद के अन्दर नमाज पढ़ते हुए लाठियों से पीटा है।

आप सुनकर......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री श्रवणलाल : कोई भी व्यक्ति मकान से बाहर नहीं निकल सकता था। इस प्रकार से वहां की जनता पर अत्याचार किया गया। वहां करफ्यू की हालत पैदा कर दी गई थी। अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : घरों से घसीट घसीट कर लोगों को पीटा गया। महिलाओं के साथ ज्यादती की गई। जनता को बहकाने के लिए एक तरफ आप इन्क्वायरी कमेटी का अपॉइंटमैन्ट करते हैं। दूसरी तरफ चालान पेश करते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव......

श्री भैरोंसिंह : प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय आपने एडजॉर्नमैन्ट मोशन के सम्बन्ध में व्यवस्था दी है, उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जैसा कि मुरलीधर जी के प्रश्न पर उनका ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन गृहमन्त्री जी कहते हैं कि वह समय लेना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं

(श्री भैंरोसिंह शेखावत)

कि कई ऐसे प्रश्न हैं जो उन्हें मालूम हैं कि एडजोर्नमेन्ट मोशन के रूप में लाये जायेंगे। उन पर जानकारी की जरूरत होती है। पिछले सत्र से अब तक चित्तौड़, बूंदी, हिण्डौन में जो कुछ हुआ और जिस प्रकार मुरलीधर जी के साथ ज्यादतियां हुई, हर आदमी यह जानता है कि ये प्रश्न विधान सभा में उठाये जायेंगे। हम नहीं उठाना चाहते तो भी सरकार अपना कर्तव्य मानकर नहीं चल सकती थी कि विधान सभा के अधिवेशन में ये प्रश्न आगे होकर सरकार उठाती। मुझे खेद होता है कि सरकार को स्वयं आगे होकर इस प्रश्न को विधान सभा में उठाना चाहिये था ताकि उस पर वाद विवाद होता लेकिन सरकार ने नहीं उठाया। मुरलीधर जी के साथ इस प्रकार की घटना हुई। वह आदमी अस्पताल में पड़ा है। बीकानेर में हड़ताल हो रही है। गृह मन्त्री जी किस बात के लिए कहते हैं कि कल जानकारी करूंगा। 16 तारीख को जवाब देंगें। मैं समझता हूं कि हिण्डौन, जोधपुर, बूंदी, चित्तौड़ उसकी मिसाल हैं। आसन भी एम्ब्रेसिंग पोजिशन में आ जाता है। विरोधी दल को अनावश्यक रूप से क्लैश करना पड़ता है। सरकार अपना समय निकाल कर अपनी बचत करती है। हालांकि सदन में अच्छी परम्परा नहीं पड़ती है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): अध्यक्ष महोदय, पहले डाकुओं के सम्बन्ध में......

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर। मैंने जो व्यवस्था दी है। उसके बाद उस प्रश्न पर बोलें यह उचित नहीं मालूम पड़ता है। हम यह भी व्यवस्था नहीं देते हैं कि कोई माननीय सदस्य बोलें।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, अभी जो भी आसन से व्यवस्था दी है, उसको मैं उदारतापूर्वक स्वीकार करता हूं। परन्तु मुझे खेद है कि इस बात को मैंने पहले भी सदन में निवेदन किया है कि अगर नियम की अनुपालना का प्रश्न पैदा होता है तो वह प्रत्येक सदस्य के लिए होना चाहिए। प्रत्येक के लिए होगा तो हर सदस्य ध्यान देगा। अगर एक जगह ढीला कर दिया जाएगा, तो दूसरी जगह निश्चित रूप से अनुपालना ढीली हो जायगी। इस लिए मैं आसन से निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों की अनुपालना की ओर जहां ध्यान आकर्षित किया जाता है वहां नियमों की अनुपालना किसी मामले में कम होती है और किसी जगह में उनकी उपेक्षा होती है—इसलिए इसकी ओर आसन ध्यान दे। आसन इस ओर ध्यान दे। इसके साथ ही मेरा दूसरा निवेदन यह है कि एक राजनैतिक पार्टी की नेशनल एक्जीक्यूटिव के मेम्बर और प्रदेश युनिट के सदस्य को पुलिस द्वारा लाठियों से पीटा जाय, जनता की कोई समस्या हो और उसके सम्बन्ध में मेमोरेन्डम पेश किये जाने के वक्त विना किसी कारण से राजनैतिक कार्यकर्ता को पीटा जाय, उसका सिर फोड़ दिया जाय, कई लोगों को घायल कर दिया जाय, उस व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल किया जाय, और उसके टांके लगाये जांय उसके बाद भी होम मिनिस्टर यह कहें कि वह कल स्टेटमैंट देंगे, आज नहीं देंगे, आज के लिए स्टेटमैन्ट देने के सम्बन्ध में यह कहें...

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : कि आज स्टेटमैंट नहीं हो सकता। तो मेरा आपसे निवेदन है…

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर ! ऑर्डर !

श्री दौलतराम सारण : कि ऐसे मामलों को गम्भीरता में लिया जाना चाहिए। यह एक ऐसा सवाल है कि आज राजस्थान में राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं की जिन्दगी खतरे में है। उनके खिलाफ आये दिन झूठे मुकदमे बनाये जाते हैं, उनको पुलिस द्वारा लाठियों से पीटा जाता है, उनको जेल में ठूंस दिया जाता है। आज झूठे मुकदमे बना कर उन को जेलों में सड़ाया जाता है। झूठे मुकदमे बना कर राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को जेलों में ठूंस दिया जाता है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! इस सम्बन्ध में भाषण नहीं होगा।

श्री दौलतराम सारण : राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को लाठियों से पीटा जाय, उनको जेलों में ठूंसा जाय और उन पर गोलियां चलाई जायं, यह एक गम्भीर मसला हैं और इस मसले की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ताकि आप सरकार को पाबन्द करें कि वह समय पर सदन के अन्दर वक्तव्य दें। ······

श्री अध्यक्ष: शांति! स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण: यही मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण ··· ······

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामकिशन : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मुरलीधरजी वाला मामला है, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें गृहमंत्री जी को कोई सूचना एकत्रित करनी हो। साथ ही इसमें नीति सम्बन्धी भी कोई विवाद नहीं है, जिसके सम्बन्ध में उन्हें मुख्यमंत्री जी से सलाह करनी हो। यह एक साधारण सा सवाल है, जिसकी गृह मंत्री जी को जानकारी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गृहमंत्री जी इसके सम्बन्ध में आज ही वक्तव्य दें।

इसी तरह से जो हिन्डौन का प्रश्न है, यह एक बड़ा व्यापक प्रश्न है और इसकी भी जानकारी गृहमंत्री जी को है। इस-लिए मैं समझता हूं कि गृहमंत्री जी को इनके सम्बन्ध में स्टेटमैंट देना है तो वह दे दें, जो काम उनको करना है वह कर दें, वह हर काम को बुराई के साथ क्यों करना चाहते हैं। वह इनके सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य दे दें, ताकि सदन के माननीय सदस्यों को कोई शंका नहीं रहे, और साथ ही उनको भी हमारे विचारों से मदद मिल सके। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही दोनों मामलों के सम्बन्ध में स्टेटमैंट हो जाना चाहिए। इसमें कोई नीति का या विवाद का प्रश्न नहीं है जिसके सम्बन्ध में उन्हें मुख्य मंत्री जी से कोई सलाह करनी हो या उनके साथ विचार करना हो।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा है कि मैं इसमें टालमटोल कर रहा हूं स्टेटमैंट देने में। लेकिन आप भी इस बात को महसूस करेंगे और सदन भी इस बात को महसूस करेगा कि कम से कम हमें इतना समय मिलना चाहिए जिसके अन्दर कि स्टेटमैंट देने के पहले

(श्री दामोदरलाल व्यास)
फैक्ट्स इक्ट्ठे कर लें, ताकि कोई फैक्ट रह नहीं जाय, फिर उसको छपवा कर, तैयार करके स्टेटमैन्ट दे दिया जाय। किसी मामले की जानकारी होना एक बात है और सदन में स्टेटमैन्ट देना दूसरी बात है क्योंकि सदन में स्टेटमैन्ट देने के लिए तमाम फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है। एक दूसरी बात जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि सरकार को स्वयं प्रस्ताव पेश करना चाहिए था जो इस प्रकार की कार्यवाही हो गई, इस प्रकार की घटना घट गई, उस पर, अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे प्रॉसीजर से वाकिफ नहीं हूं। मैं चाहूंगा कि वह ऐसा प्रॉसीजर…

श्री भैरोंसिह : मैं समझा दूंगा। पार्लियामैन्ट में ऐसे स्टेटमैन्ट मिनिस्टरों की ओर से हाउस के अन्दर ले लिये जाते हैं।

श्री दामोदरलालव्यास : पार्लियामैन्ट में जो प्रेक्टिस है उसको आपसे समझना जरूरीहै।

श्री भैरोंसिह : मैं आपको समझा दूंगा

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री दामोदरलाल व्यास : एडजोर्नमैंट मोशन पर जो स्टेटमैंट देने का सवाल है, मैंने कहा था कि मैं बाहर जा रहा हूं और उसके सम्बन्ध में मैटिरियल भी कलेक्ट करना है। इसके बाद भी अगर माननीय सदस्य इतने उत्सुक हैं तो मैं कल स्टेटमैन्ट दे दूंगा, इसमें कोई बात छिपाने का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान होने पर) **ऑर्डर ! ऑर्डर !**

श्री दामोदरलाल व्यास : हिन्डौन के सब मुकदमात सबजुडिस हैं इसलिए मैं उसके सम्बन्ध में स्टेटमैन्ट देने को तैयार नहीं हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : हिन्डौन के बारे में मेरा एडजोर्नमैंट मोशन है वह इस प्रकार का नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : तमाम घटना से मुकदमात का सम्बन्ध है।

श्री रामकिशन : मेरा एक निवेदन सुन लीजिये। मेरा जो एडजोर्नमैंट मोशन है……

श्री दामोदरलाल व्यास : वह मेरे पास नहीं आया है। आयेगा तब मैं देख लूंगा। पहले का जो है उसके सम्बन्ध में मैंने अर्ज किया।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह खेद की बात है…

श्री रामकिशन : सारा मामला सबजुडिस नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जितना मामला सबजुडिस है उस पर बयान दूंगा नहीं। जो मामलात सबजुडिस नहीं हैं उन पर दे दूंगा।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, सात तारीख को राजनैतिक नेता को पीटा जाय और उसके सम्बन्ध में आज बारह तारीख को भी स्टेटमैन्ट देने को आप तैयार न हों…

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! कल स्टेटमैन्ट देंगे।

श्री दौलतराम सारण : इससे अधिक खेदजनक और लज्जाजनक बात हो नहीं सकती। इसलिए इसके विरोध में हम इस सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्री दौलतराम सारण द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है…

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ! ऑर्डर ! ऑर्डर !

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं…

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, मुरलीधर जी की पिटाई के बारे में और हिन्डौन की घटना के बारे में जो स्टेटमैन्ट देने के लिए टाइम देने की आपने व्यवस्था की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में आपको भी बड़ी चतुराई से सोचना होगा। कारण यह है कि आज प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, किसी तरह की अगर पीड़ा जनता को होती है या किसी तरह का दु:ख होता है तो उसको संकेत देने के लिए, उसको बताने के लिए या उसको गवर्नमैन्ट के कानों तक पहुंचाने के लिए हिन्दुस्तान का कोई राजनैतिक व्यक्ति मेमोरेन्डम देने जाता है तो पुलिस द्वारा उसको लाठी से पीटा जाता है, उस पर लाठी चार्ज होता है…

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री हीराभाई : मैं खत्म कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। इस पर काफी विवाद हो चुका है। स्थान ग्रहण करें।

श्री हीराभाई : मैं खत्म कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। इस पर कल स्टेटमैंट दिया जायगा। स्थान ग्रहण करें।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह एक व्यवस्था का प्रश्न है….

श्री हीराभाई : एक बात यह है…

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री हीराभाई : क्योंकि बंगाल में जिस तरह सदन में पुलिस ने घुस कर पिटाई की है उसी तरह की या और किसी तरह की व्यवस्था यहां नहीं बननी चाहिए। पुलिस की व्यवस्था इस तरह नहीं बनाई जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !

श्री नत्थीसिंह : एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी गृहमंत्री जी ने हिन्डौन के बारे में फर्माया था कि वह मामला सबजुडिस है, और जितना मामला सबजुडिस है उस पर वह स्टेटमेंट नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में व्यवस्था चाहूंगा, इस तरह का प्रश्न आने के बाद, इसके संबंध में एडजोर्नमैंट मोशन आने के बाद इस प्रकार का एतराज किया जाय कि यह मामला सबजुडिस है या नहीं है—इसका फैसला गृहमंत्री जी नहीं करेंगे। इसका फैसला अध्यक्ष महोदय करेंगे या यह सदन करेगा कि कितना मामला सबजुडिस है। मन्त्री महोदय ने जो यह फर्माया है कि वह स्टेटमैंट नहीं देंगे—यह इस सदन की सख्त तौहीन है। उनको इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए, कतई नहीं कहनी चाहिए। यह आसन के देखने की बात है….

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मैं इस प्रश्न को (व्यवधान)ऑर्डर प्लीज ! मैं आपका प्रश्न समझ गया। माननीय मंत्री ने सबजुडिस कह दिया तो वह सबजुडिस नहीं हो जाता है। मैं स्वयं देखूंगा कि दरअसल सबजुडिस मामला कहाँ है और सबजुडिस कहां नहीं है। उन्होने स्वयं जो आपत्ति प्रस्तुत की है वह न्यायसंगत है या नहीं—यह मुझे देखना है। जो जानकारी मैंने ली है उसमें सबजुडिस का प्रश्न आ सकता है, मैं उसका विश्लेषण करूंगा और उसको देखूंगा।

श्री नत्थीसिंह : एक अर्ज और करूंगा। अभी मुरलीधर जी व्यास के मामले के सम्बन्ध में कुछ बात कही गई, गृहमंत्री जी कहते हैं कि उनके पास फैक्ट्स नहीं हैं, फिर भी वे कल कुछ बयान दे देंगे। इसका मतलब यह है कि राजनैतिक लोग पिटते रहें, उनके सिर पर डण्डे पड़ते रहें। इस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि सदन का ध्यान ऐसे गम्भीर मसलों की ओर आकर्षित करने के लिए हम सदन के बाहर धरना दें, बाहर प्रदर्शन करें तब भी सुनाई नहीं होती है। तो इस प्रकार बाहर राजनैतिक लोगों के ऊपर पुलिस के डण्डे पड़े और उसके सम्बन्ध में स्टेटमैन्ट देने के लिए तारीख बढ़ाई जाय — इसके विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(संसोपा के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : उदयपुर विश्वविद्यालय !

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के अन्दर माननीय सदस्यों ने जो स्थगन प्रस्ताव जिन मुद्दों को लेकर रखें हैं, उनमें मैंने कोटा जिले की डकैतियों के सम्बन्ध में आज से आठ रोज के पहले आपके पास एक कॉल अटेंशन नोटिस भेजा था। मेरी जानकारी के अनुसार उस कॉल अटेंशन नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जब मैं यहां पर आ रहा था तो शाहाबाद के क्षेत्र के किशनगंज तहसील के रामपुरिया गांव के अन्दर डकैती पड़ी···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसमें दो व्यक्तियों को उठा कर ले गये···

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं विस्तृत रूप से प्रश्न रखना चाहते हैं। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं इसके सम्बन्ध में कुछ कहते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं ········

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें। मैंने इस पर व्यवस्था दे दी है, उसके बाद मैं कोई वक्तव्य आपको नहीं देने दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वक्तव्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कोई भाषण भी नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : इसके सम्बन्ध में व्यवस्था क्या हो गई है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने जो व्यवस्था दे दी है उसको मैं स्वीकार करता हूं...

श्री अध्यक्ष : अस्वीकार करते हैं। आप बोल रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : मेरे माध्यम का प्रयोग मत कीजिये। इसके अन्दर प्रश्न नहीं है मेरे माध्यम का...

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न नहीं, मैं वक्तव्य चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! महत्वपूर्ण और विधायी प्रश्न है। स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : **ऑर्डर प्लीज** ! महत्व समाप्त हो गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : महत्व समाप्त नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं बैठता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब मैं खड़ा ही रहूंगा। ऑर्डर, प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री देवीदत्त गाड़िया : व्यवस्था का प्रश्न है......

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न समाप्त हो गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री भैरोंसिंह : इस एडजॉर्नमैन्ट मोशन पर क्या व्यवस्था है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सदन के सदस्यों का अधिकार है, जो सदन में आये हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, उन के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव रखे हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! नियमों के अन्तर्गत जो कुछ व्यवस्था दी जा सकती थी वह दे दी गई है। अब कोई अधिकार का प्रश्न पैदा नहीं होता। माननीय सदस्य, आप स्वयं समझदार हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं समझदार हूं, और आपको भी उसी तरह से समझता हूं...

श्री अध्यक्ष :ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें। बहुत हो चुका है। स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस प्रकार जोर से बोलकर आप मुझे धमकाना चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! भाषण अंकित न किया जाय !

श्री देवीदत्त गाड़िया : ×××

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 63

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री अध्यक्ष : चेअर इज आन् इट्स लैग्स !

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाय

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का भाषण अंकित न किया जाय !

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा, स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह : यह तो मालूम हो जाय कि एड्जोर्नमेंट मोशन का होगा क्या ?

श्री अध्यक्ष : मैं अभी देख कर बता दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : होगा वही जो राम रचि राखा।

श्री अध्यक्ष : को करि तर्क बढ़ावहि शाखा !

उदयपुर विश्वविद्यालय !

श्री देवीदत्त गाडिया : एक व्यवस्था का प्रश्न है ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक दूसरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, आपके पास भी एक तार आया है। यह मेरे क्षेत्र के अन्ता के नागरिकों का तार है, उस सम्बन्ध में एक कॉल अटेंशन नोटिस आज के दस दिन पूर्व दे रखा है ......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह तार ......

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री भैरोंसिंह : इतना तो बता दीजिए कि आपके पास तार आया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! यह प्रश्न अब नहीं पूछा जायगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्यः देवीदत्त गाड़िया ......

माननीय सदस्य, ऑर्डर! ऑर्डर! माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें कृपया, और कृपया।

× × × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

उदयपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (श्री भैरोंसिंह और श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुंडावत द्वारा)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, श्री भैरोंसिंह ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह टैकनीक आपने कर दी है क्या ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विद्यापीठ माणिक्यलाल वर्मा, श्रमजीवी कॉलेज, उदयपुर तथा नोबल्स कॉलेज, उदयपुर में आर्ट्स विषय के सम्बन्ध में पोस्ट ग्रेज्युएट क्लॉसेज चालू करने के सम्बन्ध में उदयपुर विश्व विद्यालय से अनुमति मांगी गई । जिस समय यह प्रश्न प्रारम्भिक तौर पर विश्वविद्यालय के समक्ष उपस्थित किया गया तो विश्व विद्यालय के उप कुलपति महोदय ने इस बात का विरोध नहीं किया; बल्कि इस बात को स्वीकार किया कि पोस्ट ग्रेज्युएट क्लॉसेज इन दोनों कॉलेजेज में शुरू की जा सकती हैं । इस संदर्भ में, इस प्रश्न को लेकर विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों, डीन ऑफ पोस्ट ग्रेज्युएट स्टडीज ने, उन विद्यालयों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस प्रश्न पर विचार किया । जिस प्रकार पोस्ट ग्रेज्युएट क्लॉसेज खोलने के सम्बन्ध में उन दोनों विद्यालयों द्वारा उपकुलपति महोदय से प्रार्थना की गई थी, उस रूप में उसे स्वीकार नहीं किया और विश्वविद्यालय कमीशन द्वारा जो नीति निर्धारित की गई थी, उस नीति के आधार पर विश्वविद्यालय इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहता था......

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इसे आपने स्वीकार कर लिया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : स्वीकार किया गया है ।

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मन्त्री) : इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जो आपने प्रस्ताव पेश किया है, उदयपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में रखा है, राज्य सरकार उसमें क्योंकि वह एक ऑटोनोमस बोड़ी है अपने तौर पर हस्तक्षेप करने को बाध्य नहीं है । फिर भी चान्सलर महोदय इस सारे प्रश्न से अवगत हैं और वे अपने तौर पर इसमें कार्यवाही कर रहे हैं । तो मैं निवेदन करूंगा कि जब तक वे कार्यवाही नहीं करलें, इस प्रश्न को सदन में नहीं लाएं तो अच्छा रहेगा ।

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं है । हस्तक्षेप करें, इस सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कहना चाहते । मुख्यमन्त्री स्वयं इस प्रश्न से परिचित हैं और उन्होंने स्वयं कहा था कि इस प्रकार की कक्षाएं चालू हो जायें । उन्होंने यह भी कहा था कि मैं विश्व विद्यालय के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता ।

मेरा निवेदन यह है कि पोस्ट ग्रेज्युएट क्लॉसेज चालू करने में एग्जीक्यूटिव कौंसिल के डिसिजन का बहाना ले रहे हैं, वह गलत है । जो विश्वविद्यालय का कानून बना हुआ है कि एज्यूकेशन के एक्सपेन्शन के प्रश्न, एकेडेमिक प्रश्न, एकेडेमिक कौंसिल के

(श्री भैरोंसिंह)

समक्ष आते हैं, एकेडेमिक कौंसिल के डिसिजन पर एग्जीक्यूटिव कौंसिल निर्णय लेती है। पर इन दोनों क्लासेज में पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज चालू करने का प्रश्न एकेडेमिक कौंसिल में न जाकर डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव कौंसिल में चला गया। जिसमें सरकार के दो प्रतिनिधि हैं और दोनों सरकारी प्रतिनिधियों ने, जो वाइस चान्सलर ने रेजोल्यूशन मूव किया, उसके अगेन्स्ट में वोट दिया। सरकार के प्रतिनिधि अगेन्स्ट में वोट देते हैं तो एक रूप में मतलब सामने आता है कि सरकार ने अपने इन दोनों प्रतिनिधियों को इस प्रकार के आदेश दिये हैं। इसलिये मैं सरकार से स्पष्टीकरण करना चाहूंगा और मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आपने उन दोनों प्रतिनिधियों को इस प्रकार के निर्देश दिये थे क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): आप जो प्रश्न कर रहे हैं, उसका जवाब भी शायद जानते हैं और जानते हुए प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : 16 तारीख को एग्जीक्यूटिव कौंसिल की फिर मीटिंग हो रही है, इसलिये मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं 16 तारीख को एग्जीक्यूटिव कौंसिल फिर इस प्रश्न पर विचार करेगी, इसमें सरकारी प्रतिनिधियों......

श्री शिवचरण माथुर : मैंने यह निवेदन नहीं किया, मैंने यह कहा कि चान्सलर साहब इस सारे प्रश्न से अवगत हैं और वे अपने तौर पर इसमें कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। 16 तारीख को इस प्रश्न पर विचार करने के लिये उदयपुर विश्व विद्यालय की एग्जीक्यूटिव कौंसिल की बैठक होगी तो क्या सरकार के नोमिनेटेड मैम्बर्स हैं, उनको निर्देश दिये गये हैं कि उपकुलपति ने दो पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज उन दोनों कॉलेजेज में खोलने का प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव का ये दोनों राज्य सरकार के प्रतिनिधि समर्थन करें, ये दोनों, सरकार के प्रतिनिधि उपकुलपति का समर्थन करें और दूसरों का विरोध करें। क्या सरकार इस प्रकार के आदेश अपने प्रतिनिधियों को देगी ?

श्री शिवचरण माथुर : सरकार अपने प्रतिनिधियों को अवश्य आवश्यक निर्देश देगी।

श्री भैरोंसिंह : सरकार टालमटोल कर रही है, इसलिये मैं इस प्रश्न को अवश्य आज सदन में रखूंगा। सरकार को ऑटोनोमस इन्स्टीट्यूशन्स में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये पर अपने नोमिनेटेड प्रतिनिधियों के जरिये हस्तक्षेप करती है तो क्या सरकार सरकारी प्रतिनिधियों को इस प्रकार के निर्देश नहीं दे सकती और यह विचार यहाँ सदन में नहीं रख सकती कि वाइस चान्सलर के खिलाफ वोट देकर सरकार के प्रतिनिधियों ने सरकार की मंशा के माफिक काम किया है या सरकार की मंशा के विपरीत काम किया है ? आज यह कहकर नहीं चल सकते कि ऑटोनोमस बोडी है उसके एग्जीक्यूटिव मेटर्स में सरकार हस्तक्षेप करे, इसका कोई समर्थन नहीं करता पर जहाँ एज्यूकेशन के एक्स्पेन्शन का, टीचर्स एकेडेमिक कैरियर को बनाने का, एज्यूकेशन के स्टेन्डर्ड को एक्स्पेन्ड करने का प्रश्न आता है तो सरकार को कोई डायरेक्टिव लेकर कहना चाहिये...

(श्री भैरोंसिंह)

आप सिर क्या हिला रहे हैं, आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना देता हूं……

श्री शिवचरण माथुर : चान्सलर डज नोट मीन गवर्नर।

श्री भैरोंसिंह : चान्सलर हस्तक्षेप कर सकता है और चान्सलर में और आप में, चान्सलर में और गवर्नमैंट में कितना फर्क हैं, यह सब जानते हैं।

एक माननीय सदस्य : बहुत फर्क है।

श्री भैरोंसिंह : उस फरक को बताने की जरूरत नहीं, कान्स्टीट्यूशन में दोनों के अलग अलग आर्टीकल्स हैं, पर काम आप किस प्रकार करते हैं, आप गवर्नर को कह कर आदेश दिला सकते हैं, उनके निर्णय के बिना कोई कार्य नहीं होगा।

उदयपुर में कल भी सभा हुई है, मुख्य मन्त्रीजी को जानकारी है। सारे उदयपुर में रोष है, कोई राजनैतिक रोष नहीं है। मन से शायद आप चाहते भी होंगे कि वहाँ पोस्ट ग्रेज्युएट क्लॉसेज चालू कर दी जांय पर कैसे चालू की जांय, किस समय चालू की जांय इस पर सरकार शीघ्र निर्णय ले ले तो न तो वहाँ के विद्यार्थी वर्ग में असन्तोष फैले और न टीचर्स में असन्तोष फैले या स्टाफ के अन्दर किसी प्रकार का झगड़ा हो।

(1 म० प०)

एक तो अपने प्रतिनिधियों को क्लीयर कट निर्देश दें कि जिस समय एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी उसमें वाइस-चान्सलर के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। मैं समझता हूं कि पहले मोर्चे के अन्दर ही क्लॉसेज खोलने का निर्णय हो जायगा। उसके बाद नहीं होगा तो चान्सलर अपनी तरफ से सरकार से निवेदन करें और छात्रों के हित की दृष्टि से वहाँ क्लॉसेज खोलने के प्रस्ताव को स्वीकार कराने के बारे में आप निर्देश दें।

दूसरी बात, विश्वविद्यालयों के बारे में इस सदन में कई बार चर्चा हुई है, दुर्भाग्य से इस सदन में कभी भी बहस नहीं हो पाई है। यही हाल उदयपुर और जोधपुर यूनिवर्सिटीज का है इनके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत गिरावट आई है। छात्रों का असंतोष, अध्यापकों का असंतोष, प्रशासन में असंतोष, सब प्रकार से ऐसी विषम परिस्थिति बन रही है। उदयपुर यूनिवर्सिटी का कोई स्पेसीफिक सवाल नहीं है। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों की रिपोर्ट्स इस सदन में प्रस्तुत कराई जायं और जल्दी से जल्दी माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाय। मैं समझता हूं, यह प्रैक्टिस हर साल जारी रहेगी, विश्व विद्यालयों के सम्बन्ध में हर साल सदन में डिबेट होगी, हम इन्टरफीयर नहीं करना चाहते लेकिन हमारा पैसा है, विद्यार्थी हमारे हैं, अध्यापक हमारे हैं और उनके सम्बन्ध में राय व्यक्त करना हमारा मौलिक अधिकार है, उससे हम वंचित नहीं रहना चाहते। इस भावना से मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस प्रश्न पर, अध्यक्ष महोदय, सरकार से सलाह करके तुरन्त निर्णय लें और सदन को जानकारी दें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत (भीम): अध्यक्ष मोहदय, अभी मंत्रीजी ने कहा कि 16 तारीख को मीटिंग है उसमें वाइस चान्सलर पर जोर दिया कि वह तय करेंगे

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत)

वह अपनी लेविल पर निर्णय करेंगे। यदि आज तक वह समर्थ होते तो कभी का निश्चय कर लिया जाता लेकिन वहां वाइस चान्सलर असहायक हो रहे हैं। चाहते हुए भी निर्णय नहीं हो पा रहा है इसलिए जब तक दो मेम्बर्स जो सरकार के हैं उनको सरकार की आज्ञा नहीं मिल जाती तब तक निर्णय नहीं हो पाएगा। स्पष्ट सवाल है। एक बार महाराणा भोपाल कॉलेज को क्लासेज खोलने की इजाजत मिल गई, पढ़ाई शुरू हुई, लड़कों ने फार्म भर लिए, बाद में कहा जाता है कि पढ़ाई रोक दी गई है। आप समझ सकते हैं कि इस समय जिस तरह से विद्यार्थियों में असन्तोष हो रहा है, अगर हम इसी तरह से असन्तोष भड़काते रहेंगे तो इसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं हो सकता। उदयपुर में असंतोष है, लड़के हड़ताल पर बैठे हैं, आम सभाएं हो रही हैं और छोटे से प्रश्न को लेकर इतनी तूल देनां यह कोई लम्बी बात नहीं है जो मन्त्री महोदय उत्तर नहीं दे सकते। वह श्रमजीवी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कहती है 4 बजे क्लासेज लगें, अगर 4 बजे क्लासेज लगती हैं तो काम करने वाले लड़के पढ़ाई से वंचित रह जायेंगे और जिन विद्यार्थियों ने फार्मस भर दिए हैं उनका एक साल खराब हो जायगा। उनका भविष्य अंधकारमय न हो, समय पर विद्यापार्जन करें, इसलिए जल्दी से जल्दी इस प्रश्न पर कोई न कोई निर्णय लिया जाय।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : मैं जानना चाहता हूं कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में दो व्यक्तियों के लिए जो माननय सदस्यों ने कहा वे सरकार के प्रतिनिधि थे या नामीनेटेड मेम्बर्स ?

श्री शिवचरण माथुर : एक्स-ऑफीसियों गवर्नमेंट रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं, सरकार के हितों का संरक्षण करते हैं। जैसा कि आपने कहा कोई भी बात निर्धारित तरीके से हम कहें। फिर भी सरकार का जो दृष्टिकोण है, उसको वहां रखने की कोशिश करेंगे। हम पूर्णतः इस बात का ध्यान रखते हैं कि जहां तक सम्भव हो विश्वविद्यालय स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी समस्याओं का समाधान करें और इसलिए मैंने निवेदन किया कि चांसलर से बात हुई, वह सारे प्रश्न को सुलझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तब तक हमें इंतजार करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कौनसी तारीख को आप चाहते हैं कि रखा जाय ?

श्री शिवचरण माथुर : 19 तारीख को।

श्री भैरोंसिंह : 16 को बैठक होगी तो 17 को ही ले लें।

कुछ माननीय सदस्य : 17 को इतवार है।

विधायी कार्य

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री।

श्री परसराम मदेरणा : (अकाल सहायता मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मालयान अधिग्रहण विधेयक, 1969, को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो विधेयक पुरःस्थापित कर रहे हैं, जो रीजन्स

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
दिए हैं, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसके तहत आपने रूल्स बनाए थे और यदि हां, तो कापी अवेलेबुल कर सकते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : इस अध्यादेश के अन्तर्गत कोई नियम नहीं बनाए गए हैं इसलिए सदन की मेज पर रखने का प्रश्न खड़ा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री, राजस्थान विधान सभा।

श्री परसराम मदेरणा : मैं अध्यादेश को जारी करने के कारणों को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मन्त्री) : मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कारण तो रखो।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं, अध्यादेश को जारी करने के कारणों को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कारण थे तनख्वाह बढ़ाने के ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकारी सेवक जांच (भ्रष्टाचार का साक्ष्य) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान टैनैन्सी विधेयक।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्नांकित विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक और बढ़ा दिया जाय "कृषि भूमियों की अभिवृत्तियों से सम्बन्धित विधि को संशोधन करने हेतु विधेयक"।

श्री नत्थीसिंह : यह बार बार समय बढ़ा देते हैं। आपके मन में नहीं कि विधेयक को लाएं, कितना नुकसान हो रहा है।

श्री रामकिशोर व्यास : लाया जा चुका है।

श्री नत्थीसिंह : समय क्यों बढ़ाते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : सिलेक्ट कमेटी के लिए है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि आगामी सत्र तक समय बढ़ाने का प्रस्ताव जो मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, उसे सदन की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

(अनुमति प्रदान की गई।)

विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुमत से आप कुछ भी करें वह तो सर्वमान्य है लेकिन मुझे आपत्ति है कि मन्त्री महोदय को चाहिए कि इस तरह की ढिलंगाई न बरतें।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान मालयान अधिग्रहण विधेयक, 1969। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व श्री दुर्गालाल बाढ़दार द्वारा संकल्प अध्यादेश को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की ओर से जो राजस्थान रिक्विजीशनिंग ऑफ गुड्स वेहीकल्स आरडीनेन्स 1969 जारी किया गया था और जिसका स्थान लेने के लिए आज मन्त्री महोदय ने उस सम्बन्ध में विधेयक इस सदन में पुरः स्थापित किया है। उसके बाबत मैं एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो इस प्रकार है यह सदन दिनांक 16 अप्रेल, 1969 को राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान मालयान अधिग्रहण अध्यादेश 1969 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1969) को अस्वीकार करता है।

(1.10 म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस अध्यादेश की भावना का प्रश्न है, अध्यादेश के द्वारा जिस गन्तव्य या लक्ष्य की उपलब्धि का प्रश्न है और जिस भावना से प्रेरित होकर यह अध्यादेश जारी किया गया, राजस्थान के पश्चिमी जिलों में अकाल की भीषण परिस्थितियां और उन परिस्थितियों में अकाल पीड़ित लोगों तक अनाज, पानी, वस्त्र आदि पहुंचाने के लिए जो गाड़ियों की आवश्यकता थी उनको रिक्वीजीशन करने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में लिया और उसकी दृष्टि से अध्यादेश जारी किया। जहां तक अकाल पीड़ित क्षेत्रों का सवाल है, वहाँ की जनता को सुविधायें उपलब्ध कराने का सवाल है और जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये गुड्स व्हीकल्स के रिक्वीजिशन का सवाल है, मैं सरकार के इस कदम की भर्त्सना नहीं कर सकता। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में अध्यादेश के मार्फत कानून बनाने का मैं सदैव विरोधी रहा हूं और माननीय सदस्यों ने भी इस दृष्टि से सदैव आलोचना की है कि विधान सभा में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, कानून बनाने का इस विधान सभा को ही अधिकार है और विधान सभा के माननीय सदस्यों के इस अधिकार पर राज्य सरकार को कुठाराघात नहीं करना चाहिये, और इस प्रकार के अध्यादेश जारी करके कानून बनाने की प्रक्रिया से हम सदैव इस बात के विरोधी रहे हैं और मांग करते आये हैं कि कानून बनाने का काम विधान सभा का है। विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत किये जायें। उन पर माननीय सदस्य गम्भीरता से विचार करें और जो उस सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय हो वे लेकर वाद-विवाद के पश्चात् एक कानून बनायें। इसलिये भारत के संविधान की धारा 213 के अन्तर्गत जो अधिकार राज्यपाल को दिये गये हैं कि राज्य विधान सभा का अधिवेशन नहीं हो रहा हो और यदि आवश्यकता हो तो राज्यपाल महोदय एक अध्यादेश निकाल सकते हैं और जो विधान सभा को अधिकार दिये गये हैं वही अधिकार राज्यपाल महोदय को दिये गये हैं। मैं समझता हूं, राज्य सरकार मेरी इस भावना को ध्यान में रखेगी और जिस प्रकार राज्य सरकार ने पहले सदन में विचार प्रकट किये और उसके आधार पर अध्यादेश

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

निकालने पर पाबन्दी लग गयी और अध्यादेश के आधार पर कानून बनाने पर रोक लग गयी, उसी प्रकार भविष्य में भी राज्य सरकार आजकल जिस प्रकार से ढ़िलाई बरतती आ रही है वह न बरत करके अध्यादेश जारी करके राज्य न चलाये। दुर्भाग्य है कि पिछले वर्षों से यह राजस्थान की हुकूमत अध्यादेश के माध्यम से राज्य करती आयी है। अध्यादेश की मार्फत राज्य करने का तौर तरीका उसी सरकार का हो सकता है जो विधान सभा बुलाने से डरती हो। यह राज्य सरकार विधान सभा का अधिवेशन बुलाने से डरती है। पिछले दो वर्षों से यह इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि राज्य सरकार कम से कम समय के लिए विधान सभा का अधिवेशन बुलाती है। और जितने समय के लिये बुलाती है उतने समय के लिये कार्यवाही नहीं चलती और बीच में ही भाग खड़ी होती है, ऐसी भगोड़ी सरकार को राजस्थान की 2।। करोड़ जनता पर राज्य चलाने का अधिकार नहीं है। वह कोई राज्य चलाने का अधिकार नहीं रखती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे बूढ़ा आदमी, अपंग आदमी लाठी के सहारे चलता है धीरे पकड़ कर दीवार के सहारे पकड़कर चढ़ता है, जिस प्रकार पंगू आदमी चलता है उसी प्रकार राजस्थान की यह क्रिपल्ड सरकार है। मैं इसकी नीति की भर्त्सना करना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस प्रकार पहले निवेदन किया कि राज्यपाल महोदय को यह अधिकार है कि अध्यादेश निकालें लेकिन जिस प्रकार से सरकार की नीति है वह उचित नहीं है। जहां तक इस विधेयक की मूल भावना का प्रश्न है मैं उस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। अकाल पीड़ित जनता के लिये जो कुछ करना चाहिये वह करना चाहिये। उल्टा मेरा चार्ज यह है कि इस प्रकार का कानून सरकार बजट अधिवेशन में क्यों नहीं लायी ? अप्रैल के बाद ही यह आवश्यकता क्यों महसूस हुई ? अकाल तो एक साल से पड़ रहा था। अकाल पीड़ित परेशान थे, रेलवे के वैगन्स नहीं मिल रहे थे, गुड्स व्हिकल्स की आवश्यकता थी, मैं जानना चाहता हूं कि बजट अधिवेशन के समय में ही इस प्रकार का विधेयक क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया ? 3 अप्रैल को विधान सभा का अधिवेशन समाप्त हुआ। 13 दिन के बाद ही यह क्यों महसूस हुआ कि इस प्रकार के अध्यादेश की आवश्यकता है ? पहले क्यों नहीं विधेयक ले आये ? सही माने में अकाल पीड़ितों के प्रति जागरुकता होती, उनकी समस्याओं के प्रति जागरुकता होती तो विधान सभा में कानून लाया जा सकता था। लेकिन कानून लाये नहीं, फिर ऑर्डिनेन्स निकाला। इसको पास करने के बारे में दलील देंगे, यहां खड़े होकर कहेंगे कि अकाल का मामला है, सौ साल में ऐसा अकाल नहीं पड़ा। राजस्थान के 26 जिलों में से 23 जिलों में अकाल है। 1½ करोड़ जनता अकाल से पीड़ित है इसलिये पुरजोर शब्दों में कहना हूं कि इस को पास किया जाय। आपकी भावना के साथ सहानुभूति होगी। अकाल पीड़ित जनता के लिये जो कुछ भी किया, भाग दौड़ की, एक तो मानवता के कारण, और इन्टरक्लिंग में सुपीरियर पोजिशन रहे। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि सुखाड़ियाजी ने राजस्थान की हुकूमत का जो ढ़ांचा बिठाया है, नाथूराम जी और रामनिवासजी को एक तरफ कर दिया, परसरामजी को बड़ा कर उस ढ़ांचे में बैठा कर आपस में फूट पैदा कर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उन्होंने कितनी भाग दौड़ की, कितना अकाल क्षेत्र में दौरा किया, उनकी उससे पर्सनेलिटी उभरी है इसको स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं है। उनके साथियों की पर्सनेलिटी दब गयी। मैं अकाल राहत मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं और यह पूछना चाहता हूं कि पिछले चार छः महीनों से अकाल क्षेत्रों में आप दौरा कर रहे हैं, आपने अखबारों के कॉलम के कॉमल रंगवाये, दुनिया भर के फोटो आपने अखबारों में छपवाये, खूब स्वागत कराये। बजट अधिवेशन में मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी का 7 मार्च, 1967 को जयपुर में कराये गये बर्बर गोलीकाण्ड और बैरी कमीशन की रिपोर्ट को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करने के विरोध स्वरूप उनका बहिष्कार करने का कार्यक्रम बनाया। पन्द्रह दिन विधान सभा भवन में धरने पर बैठे रहे यही मांग लेकर कि बैरी कमीशन की रिपोर्ट को ज्यों का त्यों स्वीकार किया जाय, उसके बावजूद भी विधान सभा के विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने उनकी मांग स्वीकार न करने की सूरत में यह फैसला किया कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री का और गृह मन्त्री का जिनके मुंह पर जयपुर गोली काण्ड की कालिख पुती हुई है, उनका सार्वजनिक बहिष्कार किया जाय। तो मुख्य मन्त्रीजी ने सोचा कि अकाल क्षेत्र का गांव गाँव का दौरा किया जाय। कम से कम फैमीन का लेबर तो आवेगा। उन्होंने अपनी झेंप मिटाने के लिये अकाल ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, सामाजिक बहिष्कार से झेंप मिटाने के लिये अकाल ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, फैमीन के लेबर को स्वागत के लिये बुलाया और स्वागत कराया और अखबारों में फोटो छपवाये जिससे उनकी झेंप मिट जाय। गृह मन्त्री होस्पिटल रोड में पड़ गये यह उनकी झेंप मिटाने का तरीका है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सारे राजस्थान में 8 आदमी थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो आप लोगों के लिये डूब मरने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में, यह बात सही है कि अकाल जा रहा है और अकाल जा रहा है तो अकाल राहत मन्त्री का क्या होगा, यह समस्या खड़ी हो गई है और इससे कांग्रेस के सब सदस्यों में बड़ी बेचैनी है और यह चिन्ता है वृद्धिचन्दजी को...

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप तो चिन्ता आगे की करिये। ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप दिल के बीमार हैं। आप बैठ जाइये। आप मेरे पड़ोसी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अकाल का अन्त आ गया है। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस में अच्छे लोग नहीं हैं, कांग्रेस में अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें इन्सानियत नहीं हो, सारे लोग बेईमान हो, यह मेरी मान्यता नहीं है। उनमें भी ईमानदार लोग हैं, देशभक्त हैं, वफादार हैं और वे सही मायने में यह महसूस करते हैं कि कुछ किया जाय। परन्तु उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अकाल राहत के कार्यों के नाम पर आनन्द ले रहे हैं। आखिर अकाल पड़ रहा है और आप अकाल के नाम पर यहां वहां घूम कर लूट लेना चाहते हैं? अकाल राहत मन्त्री जी की इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सदन इस पर विचार करे। यह दुर्भाग्य की

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

बात है कि मुख्य मन्त्री जी इस समय यहाँ पर नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने, वित्त मन्त्री महोदय ने तो खास-तौर से राजस्थान के बाहर के दौरे का कार्यक्रम बनाया और इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विधेयक में जो पेनल्टी की व्यवस्था की है, पनिशमेन्ट के लिए पेनल्टी के जो क्लॉजेज हैं, आपने इस सम्बन्ध में उसे कन्सोलिडेट करने के बारे में, प्राइवेट एजेंसीज के काम को रेगुलर करने के लिए कोई व्यवस्था इस विधेयक में नहीं की है, इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं। राजस्थान के बाहर आप गये, बम्बई, कलकत्ता गये। अकाल राहत के लिए बम्बई जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं। हमको बड़ा अच्छा लगा और सोचा कि कलकत्ता गये हैं। जिस समय ये कलकत्ता गये, उपाध्यक्ष महोदय, हमने सोचा दस, बीस, पच्चीस लाख रुपया लेकर आयेंगे। इससे अकाल राहत के कार्यों के लिए साधन बनेंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि पिछले एक साल में कितना पैसा राजस्थान के बाहर से इकट्ठा हुआ? कितना रुपया बम्बई से आया, कलकत्ता से आया और कितना पैसा बम्बई, कलकत्ता को छोड़ कर राजस्थान के बाहर से आया और कितना चारा, वगैरह राजस्थान के अन्दर से इकट्ठा हुआ या इन काइन्ड में राजस्थान सरकार को राजस्थान के जिलों से, गाँवों से मिला? मैं यह कहना चाहता हूं कि फेमिन के नाम पर आया हुआ पैसा, खाना, डोनेशन का पैसा। नेशनल डिफेन्स के नाम पर इकट्ठा कर खा जाना पाप है। उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता है। पब्लिक मनी को अकाल के नाम पर आप मिसयूज करें इससे बड़ा और पाप नहीं हो सकता। आप अकाल के नाम पर, अकालग्रस्त के नाम पर पैसा खा जायं, उससे ज्यादा पाप नहीं हो सकता। 24 जनवरी या 25 जनवरी को जब स्वर्गीय माणिक्यलाल जी वर्मा का देहान्त हुआ था, उस निश्चित तारीख को, यह मैं ठीक तौर पर तो नहीं कह सकता लेकिन जब श्री माणिक्यलालजी वर्मा का देहान्त हुआ था, उस समय राजस्थान सरकार के मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया अकाल राहत के लिए पैसा लाने के लिए, फेमिन के लिए, पैसा लाने के लिए, कलकत्ता गए हुए थे। राजस्थान की 2½ करोड़ जनता को फेमिन से मुक्ति दिलाने के लिए, सरकारी खजाने से खर्चा लेकर, राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री मोहन-लाल सुखाड़िया कलकत्ता गये। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि वे कलकत्ता में वे किसी बड़े सेठ की लड़के, लड़की की शादी में शामिल होने के लिए गये थे? क्या यह बात सही है कि कलकत्ता में वे किसी बड़े सेठ के लड़के, लड़की की शादी में शरीक हुए थे? क्या ये बड़े सेठ बजाज, जालान थे और उनके यहां शादी नहीं थी? यह मैं अकाल राहत मन्त्री से जानना चाहूंगा कि वे इस सदन को यह जानकारी दें कि वे इस सिलसिले में गये थे या किस प्रकार के फेमिन के सिलसिले में कलकत्ता, बम्बई गये थे। यह राजस्थान के नाम पर कलंक है। इस प्रकार वे अकाल राहत के नाम पर कलकत्ता, बम्बई जाकर बड़े सेठ के लड़के, लड़की की शादी में शामिल हुए। वे बम्बई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आकर नटराज होटल में नाश्ता करते हैं। राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी कम्पनी, सोसायटी बुरे लोगों के साथ है। हिन्दुस्तान के मशहूर दुष्कर्मियों के साथ है। क्या आपको इससे दर्द नहीं होता है? आपको बुरा नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी का नेता, राजस्थान का मुख्य मन्त्री, राजस्थान की 2½ करोड़ जनता और इन 184 सदस्यों का नेता, इस सदन का नेता और राजस्थान का मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया बम्बई में तस्कर, 100 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज का स्केन्डल करने वाले, ऐसे रेकेट के लोगों के साथ जिनकी कि 90-90 दिन तक अदालत से जमानत न हो ऐसे लोगों के साथ नटराज होटल में जायं और बैठ कर नाश्ता करें और यह कहें कि 25 लाख रुपया राजस्थान को अकाल के लिए दान में दिया जा रहा है, और उसके साथ बैठकर समाचार पत्रों में तस्वीर छपावें, और ऐसे तस्करियों के साथ हमारे मुख्य मन्त्री सांठ-गांठ करके कोई पैसा लावें तो वह अकाल पीड़ितों को फलेगा नहीं। डागाजी, आपको तो मालूम है।

एक माननीय सदस्य : सेठों के दलाल हैं, दलाल हैं।

एक माननीय सदस्य : बम्बई में सभी सेठ लोग उस समय इकट्ठे हुए थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो अच्छी बात है, उसे यहां कहना मेरा काम नहीं है। मैं तारीफ करने के लिए नहीं हूं, जो खामियां हैं, कमियां हैं, वह बतलाने के लिये हूं। आप नाई से हजामत करा कर आवें। तीन चौथाई हजामत उसने अच्छी बनाई और एक चौथाई गलत बनाई है तो वह आपको बताऊंगा। उसने आपकी कलम ठीक नहीं काटी है तो वह बताऊंगा। यह ठीक है कि आपके चेहरे पर रौनक आ गई है यह कहना मेरा काम नहीं है। मेरा काम सरकार की खामियां बतलाने का है। और सरकार,

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार जन-जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है हम इस सदन में उससे जवाब चाहते हैं। मैं मुख्य मन्त्री से जानना चाहता हूं, वित्त मन्त्री से जानना चाहता हूं कि आप क्यों बम्बई गये थे। यह ठीक है कि सारे सेठ साहूकार वहां इकट्ठे हुए थे और उन सब को अपील करके आप पैसा लावेंगे, यह एक जांच की बात थी। आपको मालूम होगा कि मुख्य मन्त्री का टूर प्रोग्राम सब के पास जाता है। मेरी जानकारी है कि 27 दिसम्बर, 68 को 12.30 बजे बम्बई पहुंचे थे। 26 तारीख को रवाना होकर और 27 तारीख की सुबह नटराज होटल में ठहरे। लोकजीवन में यह छपा है। आपने भी इसे पढ़ा होगा। शानदार होटल में ठहरे और नैनमल शाह के साथ ठहरे जिन्होंने 25 लाख रुपया जालौर के अकाल राहत काम पर प्राइवेट एजेन्सीज के नाम पर खर्च करने के लिए दिया है। परसराम जी यह प्राईवेट एजेन्सीज क्या हैं? यह एक ब्लैक मार्केटियर है, स्मगलर है उसने अपनी मनी को ह्वाइट करने के लिए दबाव से, एहसान से या सरकार से किसी इण्डस्ट्री का लाइसैन्स लेने के लिए, क्या सरकार का दुरुपयोग नहीं किया है? यह एक उदाहरण है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

परसराम जी मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने इसके लिए आर्डिनेन्स क्यों नहीं जारी किया ? आर्डिनेन्स तो इसके लिए जारी करना चाहिए था परन्तु इसके लिए नहीं किया। इस सन्दर्भ में मैं यह तथ्य सदन के सामने रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप अंग्रेजी अखबार देखते हैं। यह 10 जनवरी, 1969 का अखबार है। यहाँ सदन की जानकारी के लिए कुछ तथ्य रखता हूं। मैं आपके सामने नैनमल पूंजाजी को मुख्य मन्त्रीजी के साथ विचार-विमर्श करते हुए जो फोटो छपी है, वह रखता हूं। यह छपी है लोक-जीवन में, जो निकलता है जोधपुर से, जयपुर से नहीं। इस अखबार की यही फोटो करन्ट के 31 मई में छपी है, इसी की नकल ही। सारा का सारा इसमें छपा है। इसके बाद 7 जून, 69 के करन्ट में यह तस्वीर इन महापुरुषों, विभूतियों की दिखाई दे रही है। राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया हंस-मुख मुद्रा में बात करते हैं नटराज होटल में, हिन्दुस्तान के मशहूर स्मगलर, तस्करी नैनमल पूंजाजी के साथ, जिस पर 100 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज के रैकेट में पकड़ा था और हाईकोर्ट ने जिसको दो, तीन महीने तक जमानत नहीं ली। यह शानदार फोटो है। हमारे मुख्य मन्त्री जी का मुंह भरा है, पान से या मिठाई से, यह नहीं जानता, वातचीत करते हुए हैं। इसका क्या असर पड़ेगा बम्बई, कलकत्ता की जनता पर, राजस्थान की जनता पर, हिन्दुस्तान की जनता पर ? क्या इससे राजस्थान का नाम रौशन होगा कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया अकाल के नाम पर, हिन्दुस्तान के मशहूर तस्करियों के साथ सांठ-गांठ रखते हैं, क्या असर पड़ेगा।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं उसके बाद, 7 जून के बाद फिर एक इसी करन्ट अखबार का 14 जून का इश्यू है जिसके बारे में परसराम जी आपको मालूम होगा, इस इश्यू को आपने भी देखा होगा। इस 14 जून के इश्यू में पूरे इलेवन की टीम है। जिस प्रकार से कैदियों का नम्बर होता है जेल में उसी प्रकार ये भी नम्बर से दिये हुए हैं। पहले नम्बर पर मथुरादास जी मायुर हैं जो राजस्थान के वित्त मंत्री हैं। उनकी बगल में नैनमल पूंजाजी हैं जो हिन्दुस्तान के मशहूर तस्करी हैं। उनकी बगल में श्रीमान सुखाड़िया जी हैं और उनकी बगल में चम्पालाल है और इस तरह से दस ग्यारह व्यक्तियों की टीम है। चम्पालाल जी सुखाड़िया जी के बगल में खड़े हैं। जिसके बारे में बम्बई हाई कोर्ट में मामला गया उसके बारे में गवर्नमैन्ट एडवोकेट ने कहा चम्पालाल तो फरार है, जिसकी डिमाण्ड 100 करोड़ रुपये के स्मगलिंग के बारे में, तलाश, थी। ऐसे व्यक्ति राजस्थान के मुख्य मंत्री सुखाड़िया की बगल में खड़े हैं और उनके साथ तस्वीरें खिचवा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है।

तस्वीर खिचाने के बाद इनको होटल में दावत दी गई उसके बाद स्टेटमैन्ट दिया गया कि हमें 25 लाख की बम्बई से मदद मिली है। केवल नैनमल पूंजाजी से अकेले से मिली है राहत कामों में। मैं अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि यह पच्चीस लाख रुपया जो इनसे मिला वह किसके डिसपोजल में रखा गया ? अगर अकाल राहत मंत्री के डिसपोजल पर नहीं रखा गया तो क्या यह रुपया फेमिन रिलीफ के माध्यम से अकालग्रसित क्षेत्र में काम में नहीं लिया गया तो फिर क्या जरूरत थी इस प्रकार की तस्वीरें खिचवा कर छपाने की ? अकाल का तो नाम है। आज तो मंत्री लोग, आपके लिये नहीं कह रहा हूं, यह चाहते हैं कि अकाल मत जाओ, अगर अकाल चला गया तो हमारा क्या होगा ? मैं आपके लिए पर्सनली नहीं कहता यह जो 32 लाख का डिसप्यूट खड़ा हुआ हैं, अखबारों में जिसके बारे में हिन्दुस्तान की पालियामैन्ट में भी सवाल आया उसमें पूछा गया कि नैनमल पूंजाजी जो महशूर तस्करी हैं जिसके खिलाफ 100 करोड़ रुपये की तस्करी का आरोप है क्या उसमें राजस्थान के मुख्य मंत्री भी इनवोल्व्ड हैं। उस पर मुरारजी भाई ने जिनका अब पत्ता कट गया है पलियामैन्ट में कहा है इसकी जांच जारी है, जांच के क्या परिणाम निकलेंगे यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन आज राजस्थान विधान सभा में फेमिन मिनिस्टर की यह हिम्मत नहीं कि वे यह कह सके कि इसमें सुखाड़िया जी इनवोल्व्ड हैं। इसके लिये तो कोई हाई पावर कमीशन नियुक्त होगा वही सही तथ्य बता सकेगा या विरोधी पक्ष की सरकार आयेगी तब जाकर सही तथ्य सामने आ सकेंगे कि राजस्थान के मुख्य मंत्री सुखाडिया का इस तस्कर के साथ क्या सम्बन्ध है। काला बाजार करने वालों के साथ उसका क्या सम्बन्ध है ? विरोधी पक्ष की सरकार बनेगी तभी यह तथ्य जनता के सामने आ सकेंगे।

अकाल राहत मंत्री इस बारे में कुछ नहीं कह सकते इस लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत कामों में मदद प्राप्त करने के लिये जो लोग बम्बई गये थे उनको जो भेंट पूजा की गई उसके बारे में जो तथ्य अखबारों के जरिये सामने आये हैं उनके बारे में, वे कहाँ तक सही हैं मैं नहीं कह सकता, यहां तक सुनने में आया है कि इस लेनदेन के मामले में माथुर साहब ज्यादा होशियार निकले, वे ज्यादा शेयर ले गये। बहरहाल उस मामले में दो ही व्यक्ति थे एक तो राजस्थान के वित्त मंत्री महोदय और दूसरे मुख्य मंत्री सुखाड़िया जी। उनको कितना कितना मिला जैसे अखबारों में समाचार छपे हैं वहीं मैं कह रहा हूं इसका कन्ट्राडिक्शन डी० पी० आर० राजेन्द्रशंकर भट्ट ने किया है जब उन्होंने देखा कि सुखाड़िया जी के चेहरे पर कालिख पुत गई है, सारे हिन्दुस्तान भर में जिनकी शोहरत हो गई तो यह कन्ट्राडिक्शन निकाल दिया। इस तरह से इन लोगों ने अकाल राहत के नाम पर क्या क्या किया होगा यह तो भगवान ही जाने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप प्राइवेट एजेन्सीज को रेगुलेट करने के लिये क्या कानून नहीं ला सकते ? उन्होंने जो पैसा दिया वह जालौर में लगा दिया क्या वह आपकी मरजी के बिना लगा दिया ? इस तरह से तो अकाल पीड़ित क्षेत्र में जो चाहे जहर की गोलियां बांट दे या गलत दवाइयां बांट दे आप कुछ नहीं कहेंगे। राजस्थान सरकार इस सदन में बताये कि इस अकाल के नाम पर कितना पैसा कहां से प्राप्त हुआ ? कितना चारा कहां से आया ? और कहां कहां के लिये कितनी कितनी रसीदें काटीं, कितने मामलों में जांच चल रही है ? ये सारे मसले हैं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून में पनिशमैंट का प्रोविजन रखा है अगर पनिशमैंट रखना ही था तो ऐसे लोगों के लिये रखा जाना चाहिये।

अकाल के नाम पर आज मंत्रियों की चान्दी पैदा हो रही है मंत्रियों का काफिला अभी थोड़े दिनों पहले जालौर गया था एक साथ दस ग्यारह मंत्री गये, जैसलमेर गये। आज उन इलाकों में बरसात नहीं है आज भी जैसलमेर के इलाके में धूल उड़ रही है। यह सही है जितना ज्यादा दौरा जिस इलाके में करेंगे वहां अकाल ही बना रहेगा। जोधपुर वालों से निवेदन है कि वे इन लोगों के पैर अपने इलाकों में मत पड़ने दें, ज्यादा अकाल पडेंगे। पापियों के पांव जहां जहां भी पडेंगे वहां पर अकाल ही रहेगा। यह जरूर है कि मंत्रियों ने टी० ए०, डी० ए० खूब बना लिये, स्वागत सत्कार खूब हुआ, दावतें खूब हो गई। बीकानेर में एक तरफ दावतें हो रही थीं दूसरी तरफ वहां के प्रजा समाजवादी नेता पर लाठियां चल रही थीं जिनके सिर में पांच टांके आये। आज जिस प्रकार की कांग्रेस की प्रतिष्ठा हो रही है, जिस प्रकार की कांग्रेस की पॉलिसी चल रही है उसके बारे में सबको पता है। दिल्ली में आज इसकी हालत खराब हो रही है। बैंक नेशनलाइजेशन पर जब चर्चा होगी उस पर अपने विचार रखूंगा। आज इसके कारण कांग्रेस में कितनी गुटबन्दी सामने आ रही है। आज इस स्थिति में सुखाडिया जी देख रहे हैं कि वे किसके साथ रहें यदि पावर में रहना है तो इन्दिरा जी का साथ दें या संगठन का साथ दें आज इसी विचार धारा अधर में भूल रहे हैं। इस तरह से वे सोच रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस में डिवीजन हो गया तो उनका क्या होगा?

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इस अध्यादेश को अस्वीकार किया जाय और जो संकल्प मैंने सदन में प्रस्तुत किया है उस पर माननीय सदस्य अपने विचार रखें और मन्त्री महोदय मेरे उन सब मुद्दों का जवाब दें जो मैंने बहस के दौरान उठाये हैं और माननीय सदस्य मेरे विचारों का समर्थन करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मालयान अधिग्रहण विधेयक, 1969 जैसा कि राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित है और जिसको 16 अप्रेल, 1969 को अध्यादेश द्वारा कानूनी रूप दिया है उसके लिए मेरा संशोधन है कि इस अध्यादेश को अस्वीकार किया जाय।

इस संदर्भ में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक इस विधेयक की अन्तर्निहित भावनाओं का प्रश्न है, जिस भावना को लेकर यह बिल सदन में लाया गया है उन भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं।

इसके साथ साथ में अकाल राहत मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं राजस्थान की भोगोलिक स्थिति को देखते हुए राजस्थान में सन् 1950 के बाद से निरन्तर अखबारों में जिस प्रकार के स्टेटमैंन्ट्स आते रहे हैं उनसे यह साफ पता चलता है कि राजस्थान के किसी न किसी कोने में अकाल

Page No 77

(श्री दुर्गालाल बोड़दार)

रहा है। और इस तरह से अकाल के विषय को लेकर राज्य सरकार ने हमेशा से इस प्रकार के बयान दिये हैं।

मैं अकाल राहत मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इतने बड़े अकाल के पड़ने से पूर्व क्या राज्य सरकार के सामने यह प्रश्न पैदा नहीं हुआ कि यह जो रोजाना अकाल पड़ते हैं और जिसमें सैंकड़ों हजारों मवेशी रोजाना मरते हैं, इन्सान भूख से मर जाते हैं, उनकी राहत के लिए अन्न, चारा व पानी पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए ? क्या राज्य सरकार ने अपनी ओर से कोई व्यवस्था करना उचित नहीं समझा है और व्यवस्था करने का जब प्रश्न आया इस वर्ष जिसके बारे में राजस्थान सरकार स्वयं निर्विवाद रूप से यह मानकर चलती है कि कितने ही वर्षों पहले इस राज्य सरकार ने हमारे देश में भयंकर सूखा होने की घोषणा कर दी थी, लेकिन वह व्यवस्था भी वह समय पर नहीं कर सकी। सूखे का नाम लेकर सरकार के मन्त्री चन्दा लेने निकले। इस विषय में क्या हुआ, इस पर इस समय निवेदन करना नहीं चाहूंगा। यह माननीय मन्त्रियों का निजी चरित्र है, तस्करों के साथी हैं। वे किनके साथ अपना सम्पर्क स्थापित करते हैं। मैं तो मूलभूत सिद्धान्त रूप से दो चार प्रश्न इस बारे में पूछना चाहता हूं अकाल राहत मन्त्री जी उनका उत्तर दें। मानवता के नाते इस विपत्ति काल में अकाल पीड़ितों की मदद करना और अकाल का निराकरण करना उनका पुनीत कर्त्तव्य है।

मैं पूछना चाहता हूं अब तक कौनसी ऐसी नीति थी कि जिसके कारण आपने उन संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिये सामान पहुंचाने की व्यवस्था की दृष्टि से आज जिस विधेयक की चर्चा है, उससे पहले व्यवस्था करने की क्यों नहीं सोची। और इसका उत्तरदायित्व किस पर होना चाहिये ?

दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं, मैंने आपके वक्तव्य सुने हैं और अखबारों में भी पढ़े हैं पर मानवता के नाम पर कम से कम दो चार मुद्दों पर प्रकाश डालने की चेष्टा करिये। दौरे आपने किये। विरोधी पक्ष के नेताओं ने और अन्य माननीय नेताओं ने भी दौरे किये। दोनों प्रकार की रिपोर्ट आपके सामने आती हैं मुझे भी किसी किसी क्षेत्र में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने देखा है कि चारे और अन्न की व्यवस्था जैसी प्रारम्भ से होनी चाहिये वह आपकी ओर से नहीं की गई। सड़कों के किनारों पर घास, चारे और अन्न के अम्बार लगे हैं। पर उनको इन्टीरियर में ले जाकर अभावग्रस्त लोगों को समय पर वितरण करने की व्यवस्था आप नहीं कर पाये। उस पर पानी गिर रहा है, पानी, धूप और आंधियों में वह नष्ट हो रहा है। उधर चारे के अभाव में, अनाज के अभाव में मानव नष्ट होता जा रहा है परन्तु राज्य की तरफ से उनके वितरण की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। अकाल राहत मन्त्री इस बात को जानने की भी कोशिश करेंगे कि किन परिस्थितियों में और किन सरकम्सटेन्सेज में गवर्नर को अधिकार दिये हैं उनको देखना चाहिये।

हम यह देखते आ रहे हैं सात साल का तो मेरा निजी अनुभव है कि विधान सभा का

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
सत्र आने वाला है और उसके कुछ ही दिन पहले ऑर्डिनेन्स निकलते हैं। चार पांच दिन का भी इन्तजार सरकार नहीं करती। पर करें क्या ? यह तो वैसी ही बात है जैसे कहा है :

बड़े मियां सो बड़े मियां छोटे मियां सुभानल्लाह और उससे छोटे गल्ल म गल्ला।

सोमवार को पार्लियामेन्ट का अधिवेशन होने वाला है और शनिवार को ऑर्डिनेन्स पास कर देते हैं। जहां केन्द्रीय सरकार ऐसा करती है, तो फिर राजस्थान सरकार उनका अनुकरण करके चलती है तो आश्चर्य की कौनसी बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस की शासन पद्धति इस प्रकार की व्यवस्था कायम करना चाहती है कि हम प्रजातन्त्र में स्वस्थ परम्परा के निर्माण करने की बजाय उन स्वस्थ परम्पराओं पर आघात करने की चेष्टा करें। आप प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं। क्या इसको सही मानते हैं। विधान सभा का सत्र आने वाला है आप जानते है 11 तारीख को सत्र शुरू होने वाला है। सदन के सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, हमारा संविधान इस बात का प्रावधान रखता है कि जो कानून बनाया जावे जनता के चुने हुए नुमाइन्दों की बात सुनने के बाद बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय उसका निर्माण होना चाहिये।

इसके विपरीत जिस अध्यादेश को माध्यम बनाकर राजस्थान की ढाई करोड़ जनता पर कानून का रूप आप थोपना चाहते हैं उसका उत्तर आपकी ओर से वही दिया जावेगा जो हम सुनते आये हैं। पहले भी जितने अध्यादेश आये हमने मूल रूप से उसका इसी कारण से विरोध किया। इस पर कई बार सदन में आश्वासन भी दिया गया कि भविष्य में राज्य सरकार इन सारे मामलों में सतर्क रहेगी। अच्छी तरह सरकार जानती है कि जब कभी भी आवश्यकता हो, इमर्जेन्सी का मैटर आवे उस समय आर्डिनेन्स लाना चाहिये। पर मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार के आश्वासन देने के बाद भी अपनी नीतियों को सिद्धान्त रूप से मानने के बाद भी इस सरकार की कौनसी ऐसी मजबूरियां हैं कि हमारे पर राजस्थान की $2\frac{1}{2}$ करोड़ जनता पर विधान सभा से कानून तो पारित न कराये पर आर्डिनेन्स के जरिये अपनी बात थोपती हैं। जनता पर इस प्रकार से कानून थोपने की चेष्टा की जाती है।

मुझे ऐसा लगता है साधारण रूप से बिल बनकर सदन में आता है तो सदन के सदस्य उस पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। हो सकता है जनमत जानने का प्रस्ताव आ जाय, प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात आ जाय। इस सारी बातों से बचने के लिये और सरकार ऑर्डिनेन्स लाती है. तो ये सारी बातें तो फिर भी सदन में आ सकती हैं। पर ऐसा लगता है कि सरकार यह सोचती है कि एक बार अगर हमने कानून आर्डिनेन्स के द्वारा लागू कर दिया तो निश्चित रूप से बाद में सदन में अपने बहुमत के जोर से अपनी बहुशक्ति का फायदा उठाते हुये कानून को सही रूप में रेगुलराइज करने की बात सदन में ले आवेंगे और इसे पास करवा लेंगे। पर याद रखिये जनता जागृत होती जा रही है। जनता आपके कारनामों को अच्छी तरह समझने लगी है आपने जनता को प्रजातान्त्रिक प्रणाली में मौलिक

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

अधिकार दिये हैं ऐसा करके आप उन पर आघात करने की चेष्टा ही करेंगे। जिसके दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। यह ठीक है, निर्विवाद सत्य है कि मानवता के नाते, अपने उत्तरदायित्व को समझने के नाते जितने भी सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उन सब में अन्न और चारा पहुंचाने की व्यवस्था करना आपका पुनीत कर्त्तव्य है। इसे पुनः पुनः दोहराने की जरूरत नहीं। पर इतने दिनों के बाद आज शीघ्रातिशीघ्र अन्न और चारा पहुंचाने की व्यवस्था की बात किस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर इनके ध्यान में आई है इस पर तो जब इसका प्रावधान रखेंगे, आगे समय आने वाला है, उस समय विचार व्यक्त करूंगा। ऐसा प्रतीत होता है कि सेवा करने के अन्तर्गत मूल भावना में आपके राजनैतिक इस प्रकार की बात अड़ी हुई है जिसके आधार पर इसको कानून का रूप देना चाहते हैं।

अकाल राहत का जहाँ तक प्रश्न है, चाहे कोई सरकार हो, विरोधी पक्ष की भी सरकार होती तो दावे से कह सकता हूं कि करोड़ों रुपया जो अकाल राहत के नाम से राजस्थान सरकार के खजाने से आपने खर्च करने की कोशिश की, करोड़ों रुपया जो जनता से चन्दे के रूप में प्राप्त किये और अकाल राहत के नाम पर व्यय करने की चेष्टा की उसका आपने इतना मिसयूज किया है कि कोई समझदार सरकार और कोई ईमानदार सरकार आपके बजाय होती तो शायद इतना अपव्यय नहीं होता। आप अपनी छाती पर हाथ रख कर देखिये। जिन क्षेत्रों में दौरे किये हैं, चाहे आज आप फ्लोर ऑफ दी हाउस पर मानने को तैयार नहीं हों, पर आपकी स्वयं की आत्मा जानती है कि जहां आपने छः सात लाख का व्यय राहत कार्यों में बताया है वहां छः हजार का काम भी नहीं हुआ। आपने स्वयं ने इसके लिए पश्चाताप किया है। फिर कौनसी ऐसी परिस्थितियाँ आजाती हैं, कौनसी आपकी मजबूरियाँ हैं ऐसी कि आप इन बातों पर अंकुश लगाने को या तो तैयार नहीं होते या आप में इतनी शक्ति नहीं है।

मैं यह जानना चाहता हूं, कि अकाल राहत मन्त्री जी से इन्सानियत के नाते यह जानना चाहता हूं कि कौनसा कारण आज आपके सामने उपस्थित हो रहा है कि जो अपव्यय हो रहा है, जो इस धन का दुरुपयोग हो रहा है, उस पर नियन्त्रण क्यों नहीं कर पा रहे हैं?

यह कहना हास्यास्पद सा लगता है दुःख भी होता है पर फिर भी कहना चाहता हूं, इसे दुःख का विषय मानता हूं, मैं तो आपकी बुद्धि पर दया का पात्र समझ कर छोड़ देता हूं कि विनाश काल जब आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। आपकी बुद्धि विकृत हो चुकी है, और आप दया के पात्र हैं। हम आप पर दया करके सोचते हैं कि आप जहाँ कहीं अकाल राहत कार्य चलाते हैं आपके कार्यकर्त्ताओं के द्वारा बल्कि यहाँ तक दुर्भाग्य की बात है आपके जिम्मेदार मन्त्रियों के द्वारा इस प्रकार की बात कही जाती है जनता में बे मौके अनर्गल प्रचार किया जाता है कि यह कांग्रेस की सरकार ही है जो जनता को रोजी रोटी देती है, यह कांग्रेस की सरकार है जो आपको रोजी रोटी देती है, यह कांग्रेस की सरकार है जिसके जमाने में इन्सान को

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

भूखों नहीं मरने दिया जाता । आप लोगों से कहते हैं कि हम अकाल राहत के लिये रुपयों की व्यवस्था कर रहे हैं, विरोधियों को वोट देने जाते हैं वह तुम्हें क्या निहाल कर देंगे । इस प्रकार की भावनायें यदि जनतन्त्र में रहीं तो जनतन्त्र से लोगों की आस्था उठ जायगी । जिम्मेदार नेता जनता में भ्रामक प्रचार करने की चेष्टा करते हैं । मैं कहता हूं इनकी बुद्धि का दिवालिया निकल गया है । ये भी क्या करें दया के पात्र हो गये इनको छोड़ देना चाहिये माननीय मंत्री महोदय जरा बतायें क्या यह राजनैतिक दृष्टिकोण है ? यह समाज सेवा की भावना निश्चयात्मक रूप से नहीं है । कोई भी जिम्मेदार सरकार होती तो ऐसा नहीं करती । जनता के फायदे के लिये बात करते हैं, पर आज कोई मंत्री या नेता उनके फायदे के लिये नहीं जाता है, आज तो भ्रामक प्रचार की चेष्टा की जाती है ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, भले ही आप नोट करते जायें । ये सच्चे मुद्दे हैं जिनको मैं आपके सामने पुट-अप कर रहा हूं । एक बात महत्वपूर्ण यह रह जाती है, बहुत सी जगह के मैंने दौरे किये हैं और जैसा अनुभव किया है उसके आधार पर बताना चाहता हूं । अकाल राहत कार्य की जहां आवश्यकता है उस स्थान पर अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने की चेष्टा नहीं की जाती । एक पूरे क्षेत्र में अकाल है लेकिन आप पूरे क्षेत्र में न कर जहां आपके पैट ऐरिया हैं उनको तलाश करते हैं, आप अपने गुर्गों को तलाश कराते हैं, आप अपने चेले व गुर्गों का काम कराना चाहते हैं उस जगह आप काम छेड़ देते हैं । उनके इशारे पर काम होता है, उनके इशारे पर काम बन्द होता है । इस प्रकार डिसक्रिमिनेटरी आपकी भावनायें हैं जिनके कारण आप अकाल का काम करना चाहते हैं । क्या यह किसी जिम्मेदार सरकार को शोभनीय है ? लेकिन मैं यह अच्छी तरह जानता हूं आज राजस्थान के मंत्रिमंडल में कोई भी मंत्री अपनी दलगत राजनीति से ऊपर नहीं है । वह तो फंसा हुआ है, उसको फांस रखा है जैसे मकड़ी जाले में फंस जाती है या दूसरों को फंसा लेती है । इस तरह के गन्दे वातावरण में फंसे हुये हैं । मैं यह अपेक्षा करता था कि कोई कानून जनता की शुद्ध भावना के लिये, जनता को राहत पहुंचाने के लिये सदन में लाते हैं उसके पीछे सही भावना को लेकर चलते हैं तो उसके अन्दर आपको पवित्र और उज्वल भावना रखनी चाहिये । इस लिये मंत्री महोदय 3-4 बातें जो मैंने कहीं आप स्पष्टीकरण करना चाहेंगे ? क्या यह बात सही नहीं है । अब तक जो अकाल राहत कार्य जिस क्षेत्र में किये हैं अब भी वहां ऐसी स्थिति है—अखबारों में स्टेटमैंट निकलते हैं । कई लोग आपके पास भी आये हैं, उनके आधार पर आज भी जैसलमेर का क्षेत्र भीषण अकाल से ग्रस्त हो रहा है लेकिन मेरी समझ में नहीं आती है कि कुछ क्षेत्रों में आपने अकाल राहत काम को बन्द करने की घोषणा कर दी है । आदमी भूखों मर रहे हैं, रोटी नहीं मिलती है, रोजगार नहीं मिलता है, मवेशियों को चारा नहीं मिलता है । इन्सान खाने के अभाव में मरता जा रहा है । जो रोजगार देने की आपने चेष्टा की उस कहानी को माननीय सदस्यों ने पूर्ण रूप से आपके सामने दृष्ठान्त प्रस्तुत कर चुके हैं कि जहां 10 आना 12 आना मजदूर को मिलना चाहिये उतना न दिया जाकर कम दिया जाता है । शिकायतें आपके

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

पास आती हैं, आपने जांच कई जगह की और कई जगह नहीं की। कई जगह दोषी अधिकारियों को पकड़ा है लेकिन कतिपय कारणों से– उन कारणों को आप स्वयं समझ सकते हैं। किन्ही व्यक्तियों के खिलाफ आपने एक्शन लिया और किन्ही व्यक्तियों के खिलाफ आपने ऐक्शन नहीं लिया यह आप जानते हैं यह सब आप पर छोड़ देता हूं लेकिन यह सत्य समझें कौनसी परिस्थितियां हैं जिनसे आप ऐक्शन लेते है कौनसी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन पर आप ऐक्शन नहीं लेते हैं। बूंदी की तरफ जाने का मेरा इत्तफाक पड़ा था वहां पर मेरे पास यह शिकायत आई जिनके नाम नहीं हैं, ऐसी औरतें जिनका कोई वहां अस्तित्व ही नहीं है ऐसे फर्जी आदमी जिनका कोई सबूत ही नहीं है उनके पांव के अंगूठे की निशानी करके फर्जी मस्टर रोल तैयार होते हैं। 100 मजदूर लगे हुये हैं और 1000 आदमियों को मस्टर रोल में चढ़ा रखा है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपने शिकायत की है क्या ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : डागा साहब आपने वकालत की है ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर आप (श्री दुर्गालाल बाढ़दार) विषय से बहुत दूर चले गये हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूर्णरूप से विषय के अन्तर्गत बोल रहा हूं और यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिस कानून को राज्य सरकार पास करना चाहती है उस भावना का कतिपय दृष्टान्त देकर उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं और आपका अनुभव भी है लेकिन जाने हुये व्यक्ति कभी अनजाने बन जाते हैं इसलिये मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं मेरा निवेदन है कि मस्टर रोल में फर्जी नाम होते हैं। 100 आदमी के नाम होते हैं, 1000 का बंटवारा कर दिया जाता है। कहिये यह पब्लिक मनी का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है ? मैं एक उदाहरण देता हूं जब टिड्डयों का दल आता है तो फसल के लिये यह बहुत हानिकारक होता है लेकिन कौवे के लिये यह त्यौहार बन जाता है। इसी तरह जब कभी अकाल आता है—मेरे को कहने में संकोच नहीं है जब अकाल पड़ता है, मवेशी इधर उधर जाते हैं, इन्सान भूखों मरते हैं लेकिन हमारे मन्त्री लोग, जिनका काम अकाल राहत कार्यों से है उनके चेले अपने घर में त्यौहार व खुशियां मनाते हैं। मरने वाले मरेंगे लेकिन इनका इलाज करने के लिए रुपये जो राज्य सरकार से मिलेंगे उनसे हम गुलछर्रे उडायेंगे—जाली कार्यवाही करेंगे। टिड्डियां आती हैं देश को नुकसान करने के लिए लेकिन जानवरों में एक कौवा ऐसा होता है जो ऐसे वक्त में त्यौहार मान लेता है।

एक माननीय सदस्य : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। मेरा सवाल है कि माननीय सदस्य बड़े वकील है उन्होंने ऐसा प्रश्न उठाया है जिससे इस अध्यादेश से कोई सम्बन्ध नहीं है विषय के बाहर क्या बात कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बड़े वकील हैं कुछ भी कह सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : कानून के ज्ञाता है ...

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : आपके खानदान की बात बता रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप अपनी बात को ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : विषय को आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप समझने की चेष्टा करें।

श्री उपाध्यक्ष : चेष्टा कर रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन विशेष बातों में न जाकर केवल यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय अकाल राहत मन्त्री जी से कि राज्य सरकार अपनी ओर से अकाल की व्यवस्था में इस प्रकार की दिलचस्पी दिखा रही है और यह प्रगट कर रही है कि यह सरकार अकाल राहत कार्य में किसी प्रकार पीछे नहीं है। इसके पीछे 3-4 भावनायें हैं—सुव्यवस्था का सवाल है, दलगत राजनीति का सवाल है और राज्य सरकार अपने कर्त्तव्य और मोरल ड्यूटी के सवाल को न समझकर केवल कांग्रेस दल को प्रश्रय करने की भावना जो काम करने की रही है और जो इस राज्य सरकार द्वारा व्यक्त की जारही है वह इस जनतन्त्र में उचित सिद्धान्त नहीं है। सैद्धान्तिक रूप से आपको यह मानना होगा।

चरित्र का उत्थान करने के लिए राज्य सरकार में केवल ये ही बातें काफी नहीं होती हैं कि कोई काम कर दें लेकिन अपने देश का, अपने देशवासियों का करेक्टर ऊंचा करना भी राज्य सरकार का कर्त्तव्य होता है उनका अनुसरण जनता किस प्रकार करेगी जैसा आचरण आपका होगा जनता उसी प्रकार का आचरण करेगी। आपके राज्य के उच्चाधिकारी उचित करेंगे, अनुचित करेंगे यदि उन्हें नौकरी करनी है तो आपकी उचित अनुचित आज्ञा का पालन करेंगे। जब मन्त्री अनुचित काम करते हैं तो अधिकारी वर्ग उनके इशारे में सारा काम करते हैं निश्चयात्मक रूप से इसका प्रभाव जन साधारण पर पड़ेगा।

(2 म० प०)

तो मोरेल करेक्टर इस देश का ऊंचा इन भावनाओं को लेकर नहीं उठ सकता और जब तक मोरेल करेक्टर आप नहीं उठायेंगे तब तक कोई भी काम आप करें उसके पीछे सद्‌भावना आपकी नहीं होती। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर ! माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य आर्डीनेन्स का विरोध कर रहे हैं या इमरजेन्सी में आर्डीनेन्स आ सकता हैं या नहीं उसका विरोध कर रहे हैं। इसका कोई क्लेरीफिकेशन माननीय सदस्य अभी तक नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ अकाल में और क्या नहीं हुआ यह तो समझ में आ रहा है लेकिन क्या माननीय सदस्य आर्डीनेन्स का विरोध कर रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या इमरजेन्सी में ऐसे ऑर्डीनेन्स आ सकते हैं इस पर माननीय सदस्य कहें तो समझ में भी आ सकता है

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों के आपस में बोलने पर) माननीय सदस्य आपस में बातें नहीं करें।

श्री मदनसिंह : ऑर्डीनेन्स लाना अनुचित है या नहीं इस पर बहस हो तो कोई कानूनी पॉइन्ट बताइये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : शायद आपने सुना नहीं मैं इस पर पहले प्रकाश डाल चुका हूं या तो आप उपस्थित नहीं थे या आपने सुना नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मदनसिंह जी की आपत्ति बिलकुल वाजिब है। आप कृपया अपने भाषण को इसी तक सम्बन्धित रखें अध्यादेश तक ही।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं सदन के सामने कि ऑर्डीनेन्स प्रामलगेट करने के अधिकार गवर्नर महोदय को केवल एक्सेप्शनल सरकम्स्टान्सेज में प्राप्त हैं और वे एक्सेप्शनल सरकम्स्टान्सेज कौनसी हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि क्या यह सही नहीं है कि इस राज्य के अन्दर सन् 1950 से लेकर निरन्तर अब तक किसी न किसी क्षेत्र में सूखे का दृश्य हमारे सामने उपस्थित होता आया है? क्या यह सही नहीं है कि राज्य सरकार के सामने किसी न किसी जिले में प्रतिवर्ष अकाल की रिपोर्ट कलेक्टर महोदय के द्वारा दी गयी? क्या यह भी सही नहीं है कि राज्य सरकार को सूखे का इन्तजाम करने के लिए प्रति वर्ष लाखों रुपया राज्य सरकार के कोष से इस कार्य के लिए अलग निकालना पड़ता है? क्या यह भी सही नहीं है कि सारी व्यवस्था के लिए प्रति वर्ष राज्य सरकार को यह देखना पड़ता है कि हम को अन्न, चारा इत्यादि पहुंचाने के लिए साधनों की व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए? सन् 1950 से लेकर 1969 तक 19 साल तक राज्य सरकार के सामने यह सारी समस्यायें निरन्तर उत्पन्न होती रहीं और इन सारी समस्याओं के ऊपर राज्य सरकार आज तक यह नहीं सोच सकी कि हमको कोई किसी प्रकार का बिल लाना चाहिए, राजस्थान की असेम्बली के सामने ऐसा कानून लाना चाहिए कि जिससे सारी व्यवस्था करें। और राज्य सरकार को जैसे सोते से कोई आदमी जागता हो, ख्वाब आया। अगस्त में असेम्बली शुरू होने वाली है तो 16 अप्रेल के दिन राज्यपाल महोदय के द्वारा इस प्रकार का ऑर्डीनेन्स जारी कराया। इसके द्वारा मैं विरोध करता हुआ यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार जो ऑर्डीनेन्स लाये जाते हैं वह हमारे वर्तमान राज्य सरकार की अदूरदर्शिता का एक प्रमाण है और हमारी राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल की अदूरदर्शिता का प्रमाण है क्योंकि सारे कैबीनेट की एडवाइस के ऊपर गवर्नर कोई काम करता है हमारी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में राज्यपाल महोदय और प्रेसीडेन्ट तो केवल इस प्रकार की शक्ति रखते हैं कि जैसा कैबिनेट उनको एडवाइस करेगी उसके आधार पर वह काम करा दिया करेंगे। आज मन्त्री महोदय आप इस जिम्मेदारी से नहीं छिप सकते। यह सारी कलेक्टिव रेस्पान्सीबिलिटी है। एक मन्त्री कोई बात कहते है तो सारे मन्त्रियों के ऊपर लागू होती है। आपके मंत्रिमण्डल की कलेक्टिव रेस्पान्सीबिलिटी है। राजस्थान के मन्त्रिमण्डल में आप भी शामिल हैं। इन सारी समस्याओं के प्रति पूर्णरूप से हमारे राज्य में विचार करने के लिए कभी ध्यान नहीं दिया गया। इन सारी समस्याओं का उत्तरदायित्व यदि किसी के ऊपर है तो सारे

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

मंत्रिमण्डल के ऊपर है । मैं आरोप लगाता हूं कि राजस्थान का मन्त्रिमण्डल इन सारी व्यवस्थाओं के मामले में या तो जागरूक नहीं रहा या उसने अपने इस उत्तरदायित्व को नहीं संभाला या फिर यह कह सकते हैं कि हमारा मन्त्रिमण्डल इतना इनकैपेबल है कि जिसको सारी समस्याओं के ऊपर सोचने का समय नहीं मिलता और यदि समय नहीं मिलता तो यह कहना अनुचित नहीं होगा कि इनको दावतों से, उद्घाटनों से और दूसरे प्रकार के कार्यों से फुर्सत नहीं मिलती कि जिससे जनता के लिए सही रूप में काम करने का जहां सवाल पैदा हो उस पर अपना विचार करें ।

इन्हीं विचारों को पेश करते हुए जो आर्डीनेन्स प्रामलगेट करने की प्रथा यह सरकार बराबर चला रही है इसका मैं विरोध करता हूं और घोर विरोध करता हूं मंत्री महोदय से अपेक्षा करता हूं कि वह आश्वासन देंगे कि जिस विभाग के वे मन्त्री हैं कम से कम उसमें तो ऐसी समस्यायें भविष्य में उत्पन्न नहीं होंगी कि जिससे आर्डीनेन्स लाने की आवश्यकता हो । प्रजातन्त्र में विश्वास करने की दृष्टि से यह आश्वासन सदन के सामने आपको देना होगा कि जिस विभाग का भार आप अपने कन्धों पर लेना चाहते हैं कम से कम उसमें आर्डीनेन्स के द्वारा कानून पास नहीं किया जायेगा और बाकायदा बिल इस विधान सभा में आयेगा, उस पर विचार विमर्श होगा और उसके बाद उसको कानून का रूप देंगे । कम से कम सैद्धांतिक रूप से आप मेरी इस बात को मानेंगे और सदन के सामने आश्वासन देंगे कि जो गलती आपके द्वारा, आपके मंत्रिमण्डल के द्वारा इस प्रकार के आर्डीनेन्स लाने की इस सदन में हो रही है यह भविष्य में नहीं दोहराई जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह ।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प के द्वारा यह चाहा गया है कि यह सदन जो राज्यपाल महोदय ने 16 अप्रेल, 1969 को अध्यादेश जारी किया है उसको अस्वीकार करे । इसके सम्बन्ध में जनसंघ के और स्वतंत्र पार्टी के माननीय सदस्यों के विचार भी सुने । मुझे आश्चर्य है कि स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के माननीय सदस्य क्या चाहते हैं । अध्यादेश जारी करने का नियम है और प्रावधान है और उसके अनुसार यह अध्यादेश जारी किया गया था और जिस समय विधान सभा का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और यदि उस समय इमरजेन्सी हो जिसके अन्दर राज्य सरकार को कुछ इन्तजाम करने पड़ें, कुछ कानून बनाना पड़े तो राज्यपाल महोदय को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी करें । 16 अप्रेल को जब आर्डीनेन्स निकाला था उस समय हमारी विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा था और उस समय जिस प्रकार की इमरजेन्सी थी यह देखने से पता चलेगा कि जो आर्डीनेन्स सामने है उसमें दो-तीन बातों का खास करके प्रावधान है । एक तो यह है कि राज्य सरकार को जब भी आवश्यकता पड़े अकालग्रस्त क्षेत्र में अनाज, चारा और पानी पहुंचाने के लिये कोई भी व्हिकल ले सकती है और उसका मुआवजा राज्य सरकार देगी । और दूसरा प्रावधान यह है कि जो भी इन कन्डीशन्स को वाइलेट करेगा उसको राज्य सरकार सजा दे सकती है ।

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया कि हमारी सरकार निकम्मी है और अपने उत्तरदायित्वों को नहीं निभा रही है और हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि कांग्रेस सरकार की बुद्धि नष्ट हो गई है और अब यह सरकार डूब चुकी है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस की बुद्धि नष्ट हुई है कांग्रेस की सरकार की या दूसरों की। इस अध्यादेश से आप चाहते हैं कि हम इन्तजाम करें जहां भी अकालग्रस्त क्षेत्र हो वहां पर अनाज, चारा और पानी पहुंचाया जाये और अकाल से पीड़ित जनता को राहत पहुंचाई जाये। आप उसमें बाधा पहुंचाना चाहते हैं। आपकी इच्छा है कि अराजकता फैले और अकाल क्षेत्र की जनता को सहायता नहीं मिले, अनाज नहीं मिले, पानी नहीं मिले और मवेशियों को चारा नहीं मिले। एक तरफ तो कहते हैं कि 8 लाख 10 हजार और कुछ मवेशी मर गये और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे अकालग्रस्त क्षेत्र में आदमी मर गये भूख से क्योंकि उन को अनाज और दवायें नहीं मिल सकीं और दूसरी तरफ राज्य सरकार कोई उसके लिये इन्तजाम करती है, उसके लिए उसको साधन चाहिए तो उसका आप विरोध करते है? यह आपस में विरोधाभास है। हम तो अपेक्षा करते थे कि राज्य सरकार ने एक इमरजेन्सी आई उसको समझा और उसके बाद में जो अध्यादेश निकाला उसकी आप सराहना करेंगे। कम से कम एक बात तो आप मानें कि सरकार ने इतना प्राम्प्ट एक्शन लिया, उसके लिये आप बधाई देते तो समझ में आता, लेकिन राज्य सरकार कोई भी सही काम करे उसके लिए कभी आप प्रशंसा नहीं करते और इसके अन्दर ऐसी भी बात नहीं है कि जिसके लिए आलोचना की जरूरत हो। इसलिए मैं इन शब्दों के साथ जो संकल्प पेश किया है उसका विरोध करता हूं और अध्यादेश गवर्नर महोदय ने जारी किया है और राज्य सरकार ने जारी करवाया है उसका समर्थन करता हूं कि राज्य सरकार ने ऐसे मौके पर जब कि इसकी बहुत आवश्यकता थी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अनाज, पानी और मवेशियों को चारा पहुंचाने के लिए उस समय में राज्य सरकार ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से यह कार्य किया जिससे अकालग्रस्त क्षेत्र में सहायता पहुंचाने में मदद मिली। यदि यह नहीं होता तो हमारे पास साधन नहीं होते सहायता पहुंचाने के लिये। राज्य सरकार के पास सीमित साधन हैं। जितनी रेल्वे की केपेसिटी थी उसको हमने यूटीलाइज किया और फिर भी हमारे यहां ऐसी जगह हैं जहां रेल्वे के साधनों से हम चारा नहीं पहुंचा सकते थे—हमारा राजस्थान ऐसा क्षेत्र है कि जहां बहुत सी जगह रेल्वे के साधन नहीं हैं और कच्चे रास्ते हैं वही व्हिकल्स से सहायता पहुंचाने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे ऐसे स्थानों पर हमारी राज्य सरकार ने राहत पहुंचाई है, और उसके लिए यह जरूरी था। इसके लिए नहीं करती तो आज यह समस्या सामने आती कि इतने आदमी मारे गये, लेकिन राज्य सरकार ने उसका मुकाबला करने में अपूर्व सफलतापूर्वक अपने कर्त्तव्य का निर्वहन किया है। राज्य सरकार इसके लिए बधाई का पात्र हो सकती है, आलोचना की नहीं हो सकती है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

Page No 86

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इतना संक्षेप में कि इससे पहले कभी नहीं हुआ ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : जिन्होंने नाम दिये उन्हें समय दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : नाम आप का नहीं है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय सतीश जी और बाढ़दार साहब का एक संकल्प विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत उन्होंने एक अध्यादेश को नामन्जूर करने का प्रस्ताव रखा है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निहायत नम्रतापूर्वक सदन का और आपका ध्यान उस डिमान्ड की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर ये ताकतें इस देश में करना क्या चाहती हैं ? एक तरफ तो बाढ़दार साहब की पार्टी आती है जो इस देश को पूंजीपतियों के गिरवी धर देना चाहती है और एक तरफ माननीय सतीश जी की पार्टी आती है जिनके चेहरे से नकाब उठ चुका है । राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इस देश की जो पूंजीवादी ताकतें हैं वे इस देश को गिरवी रख देना चाहती हैं अमेरिका की गोद में । जो पी. एल. 480 का संग्रहीत धन है वह सिन्डीकेट के माध्यम से किस तरह से हमारे देश में चल रहा है, किस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव के माध्यम से हमारे देश में एक तरह से तरह तरह के षड़यन्त्र चल रहे हैं, उसका आज ये दोनों भाई, दोनों माननीय सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पॉइन्ट ऑफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री भगवानदास शास्त्री : आप पार्टी के लीडर्स पर आरोप लगाना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री भगवानदास शास्त्री : इनका सदा रवैया यही रहा है कि पार्टीज के लीडर्स जब सदन में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी आलोचना करते हैं । उनके सामने नहीं बोल सकते हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : राजस्थान के अन्दर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : विषय पर बोलें ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ये जनतन्त्र की दुहाई देते हैं और जो जनतन्त्र की दुहाई देते हैं वे लोग आज सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं । आपको क्षमता रखनी चाहिए । आज इस देश पर कोई संकट आये तो उस समय सरकार के हाथों को भी मजबूत करना चाहिए । उसको समय पर मदद मिल सके ताकि वह उसमें स्टेण्ड कर सके और उसको सुझाव देकर उसके राहत कार्यों में मदद पहुंचा सकें और समय की आवश्यकता के अनुसार सरकार को एक साथ उठा सकें । जो ऑर्डीनेन्स लाया गया है वह हर तरह से ठीक है इसको हवा में उड़ाना, उपाध्यक्ष महोदय, यह उस दिमाग का काम है जो यह सोचता है कि गरीब मरते हैं तो मरें, इन्सान मरते हैं तो मरते रहें, इन्सान की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ होता रहे तो हमें क्या । हमारे हाथ में तो पूंजीपतियों का पैसा है, हमारे ऊपर तो थैलीशाही की कृपा मौजूद है, हमें पेन्शनें मिलती हैं । मैं निहायत नम्रता

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल) 15
के साथ इस प्रवृत्ति का घोर विरोध करता हूं। जनतन्त्र कायम रहेगा, समाजवाद आकर रहेगा और आपके जैसे लोगों के माध्यम से इस देश का विघटन कभी नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर जनतन्त्र को खतरा हुआ है तो इस देश की समाजवादी ताकतें आगे बढ़ी हैं। अगर समाजवादी ताकतें कमजोर पड़ीं तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सामने अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं कि गैर कांग्रेसवाद का जो नारा सोशियलिस्ट पार्टी के नेता डॉ० राममनोहर लोहिया ने उठाया था जो कि उस समय की आवश्यकता थी वे होते तो इस देश को जो इस समय संकट की घड़ी के दरम्यान चल रहा है उसको सही रास्ता बताते। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस देश के अन्दर सामाजवादी ताकतें कमजोर पड़ेंगी तो हम किसी का भी साथ देने में नहीं चूकेंगे। सारी समाजवादी ताकतें उसका पृष्ठपोषण करेंगी और समय की आवश्यकता के अनुसार खड़ी होंगी।

जहां तक इस ऑर्डीनेन्स का सवाल है मैं समझता हूं कि यह सरकार का बिल्कुल सही कदम था। संकट को महसूस करते हुए जो बेचारे मुसीबत में पड़े हुए हैं उन लोगों को राहत देने में हमें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं देनी चाहिए। जहां तक इस प्रणाली का ताल्लुक है मैं यह कहना चाहता हूं कि जरूरत इस बात की थी कि इस बारे में सदन को विश्वास में लिया जाता। सदन को विश्वास में लेकर कोई कार्य करने की आदत उनको डालनी चाहिए। ऑर्डीनेन्स के द्वारा कार्य करने की जो पद्धति है वह हेय और त्याज्य है। मैं इसकी निन्दा करूंगा।

साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग काम करने वाले हैं वे काम करते हैं। जहां तक ट्रकों का सवाल है हमने भरतपुर के अन्दर हमारी यूनियन वालों को बुलाया और ट्रक ऑनर्स को बुलाया, उस वक्त ऑर्डिनेन्स नहीं निकला था उससे पहले ही उन लोगों ने एक साथ खड़े होकर तनकर कहा था कि जितने ट्रकों की, भूसे के लिए आवश्यकता होगी हम कन्सेशनल रेट पर बगैर किसी मुनाफे के पैट्रोल और डीजल के खर्चे पर देंगे। देने वाले लोग देते हैं, परन्तु सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए कानून की ताकत की आवश्यकता है उसके लिए अड़ंगा लगायें तो, तो निश्चित ही यह पूंजीवादी दिमाग है। यह पूंजीवादी दिमाग थोड़ा राहत और मानवता के बारे में सोचने का प्रयास करे।

इसके साथ ही साथ दूसरे जो घोटाले हैं अकाल राहत के कामों में, इस अकाल से राजनैतिक लाभ उठाने की जो कोशिश की गई है, जो उसमें घोटाले किये गये हैं — यह नैनमल काण्ड, तस्करों से सांठगांठ वह निश्चित तौर से एक ऐसे विषय में .....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : असली विषय तो यही है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : जहां तक ऑर्डीनेन्स की भावना का सवाल है मैं समझता हूं वह भावना बहुत ऊंची है।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
उसकी भावना को देखिये। दुःखी व्यक्तियों को कोई राहत पहुंचाने लिए, किसी मानवीय कार्य में आवश्यकता पड़ने पर सदन के सदस्यों को मिल कर इस मानवता की सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अपनी गर्दन देकर भी मानवता के कार्य को, देश के कार्य को आगे बढ़ाने की हमारे राजस्थान की परम्परा रही है। हम इसको समझते हैं और इसी भावना को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और इसी भावना को लेकर आॅर्डिनेन्स का स्वागत करना चाहिए।

यह बहुत जरूरी है कि अगर सदन की सहमति ली गई होती तो वास्तव में एक बहुत अच्छी चीज हुई होती, परन्तु इस प्रस्ताव का मैं घोर विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (अकाल राहत मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य और हवामहल से आने वाले माननीय सदस्यों द्वारा एक रिजोल्यूशन भारतीय संविधान की धारा 213 के अन्तर्गत जो अध्यादेश 16 अप्रेल, 1969 को राज्यपाल महोदय ने प्रोमलगेट किया था, उसको डिसएप्रूव करने के लिए सदन में रखा गया है। जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य इस आॅर्डिनेन्स की भावनाओं के बारे में कोई नाइत्तिफाक नहीं करते हैं, लेकिन हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य इसका घोर विरोध करते हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि इस विधान सभा का सदस्य बनने के बाद और कोई भी आॅर्डिनेन्स जब असेम्बली का सत्र नहीं चल रहा है, तो हिन्दुस्तान के काॅन्स्टीट्यूशन मेकर्स ने अनुच्छेद 213 के अन्दर राज्यपाल महोदय को लेजिस्लेटिव पाॅवर्स दिये हैं और उन पाॅवर्स का कोई इस्तेमाल करने का कारण उन्होंने सोचा कि ऐसी कोई इवेन्चुअलिटी आ सकती है, सरकमस्टान्सेज हो सकते हैं, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो सकती है या और कोई दूसरी परिस्थिति आॅर्डिनेन्स मेकर्स के दिमाग में हो सकती थी, राज्य सरकार इस प्रकार के किसी भी आॅर्डिनेन्स को लाने के लिए दूसरे किसी मामले में इत्तिला दे या न दे, मगर राजस्थान सरकार राज्यपाल को सलाह नहीं देती तो मैं समझता हूं कि अपने कर्तव्य से विमुख होती। इस आॅर्डिनेन्स से जो कुछ राज्य सरकार ने किया है, उस पर वह पानी फेरना चाहते हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं इस बात को जानते हैं कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों की क्या स्थिति है? ऐसे इलाके में जिसकी डेजर्ट रेवाइन्स 500 स्क्वायर माइल है, उसमें अनाज पानी की व्यवस्था करनी है। राज्य सरकार द्वारा सब्सीडाइज्ड रेट पर प्याज और गुड़ की व्यवस्था करना, चारे की व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल काम था। मैं मानता हूं कि 20 हजार फुट की ऊंचाई पर दुश्मन से लड़ाई करना आसान होता है लेकिन रेगिस्तान में इन परिस्थितियों पर काबू पाना कठिन बात होती है। उन पर काबू पाना आसान बात नहीं होती है। सदन के माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि हम आर्मी से भी ये परिवहन लेते हैं। दूसरी तरफ हमने यह भी कोशिश की है, टैंडर इन्वाइट कर हम ट्रकें लें। फोर व्हील वाले ट्रक्स हैं। वह ट्रक्स राजस्थान में कई इलाकों में बिखरे हुए हैं। हमने यह कोशिश

Page No 89

(श्री बरसराम मदेरणा)

की थी कि हमें लोग मदद करें। कुछ लोगों ने मदद भी की थी। जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। लेकिन उनको लेकर इस्तेमाल में लाना, उसके साधन भी सीमित होते हैं। इसलिए यह ऑर्डिनेन्स ऐसी सरकम्सटांसेज में इस्यू होता है। अब यह प्रश्न आता है कि विधान सभा में क्यों नहीं लाया गया। यह फरवरी 19 तारीख की बात है। मैं उसको लाना चाहता था लेकिन विधान सभा का अधिवेशन एब्रप्टली प्रोरोग हो गया। इसलिए मैं विधान सभा के सामने नहीं ला सका। लेकिन परिस्थितियां बिगड़ती गईं। परिस्थितियों के कारण खाद्यान्न, पानी, चारा कैसे पहुंचाया जाये। इतना डिफीकल्ट टर्म रहा। मैंने यह सोचा कि विधान सभा का अधिवेशन होने वाला नहीं है। विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में अप्रेल 16 तारीख को यह ऑर्डिनेन्स निकला। ऑर्डिनेन्स इस्यू नहीं करवाते तो क्या स्थिति होती। इसलिए करवाना पड़ा है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि कानून जनता पर थोपा गया है। यह कानून जनता पर थोपा नहीं गया है। अगर असेम्बली नहीं चल रही है, कानून बनाना आवश्यक है। हम बिल भी लाये थे लेकिन वह इण्ट्रोड्यूस नहीं हो सकता था। 29-30 मार्च को लाया था। आप चाहें तो सेक्रेटेरियेट से जानकारी कर सकते हैं। इसलिए यह ऑर्डिनेंस राज्यपाल द्वारा प्रमुलगेट करना पड़ा। यहां पर यह भी कहा गया।

(विराम)

जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं हैं। बिल पर तो ज्यादा वह नहीं बोले लेकिन अवसर का फायदा जरूर उठाया है। उन्होंने हमारे बारे में भी कुछ बातें कहीं और मुख्य मन्त्री जी के बारे में भी कुछ बातें कहीं हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उनका यह कहना कि यह जो बरसात हो रही है मैं रो रहा हूं। मैं रो रहा हूं या नहीं रो रहा हूं यह तो हमारा दिल जानता है। मैं बनावटी बात सदन में नहीं कहना चाहता हूं। जैसी कि अकाल की स्थिति आ रही थी, मैंने सदन में कहा था। जो कुछ हमारे में ताकत थी, पिछले 8-10 महीने में पूरी ताकत से लगे हैं। इसके बारे में, अगर इतना बड़ा अकाल फिर पड़ने वाला है तो मैंने कई विधान सभा के सदस्यों से कहा था। इसलिए आप यह कहते हैं कि बरसात को देखकर मैं रो रहा हूं। मैं कल तक रो रहा था। आज मैं नहीं रो रहा हूं। कल जैसलमेर में भी वर्षा हुई है। 50-50 मील के रेडियस में वर्षा हुई है। चौहटन, बायतू, बालोतरा में बरसात हुई है। नागौर और जोधपुर का जो खाली इलाका पड़ा था उसमें भी बरसात हुई है। राजस्थान सरकार कितनी ही मदद करे लेकिन राजस्थान का गोवंश जिन्दगी और मौत के बीच में चल रहा है। अगर मवेशी मर जाता है तो किसान 25 साल तक उठ नहीं सकता है। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने अपने सोर्स क्रियेट किये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने यह कोशिश नहीं की है। इस फैमिन का उपयोग अपनी पार्टी को आगे लाने के लिए किया जाये। अगर वह ऐसा कहते हैं तो उनको प्रमाण देना चाहिए। राजस्थान में जहां राहत की आवश्यकता हुई सबसे बड़ी राहत दी गई है। जहां से रिटर्न हुए हैं, वह विरोधी गये हैं। जो भी

(श्री परसराम मदेरणा)

राहत का काम किया गया है, सब जगह किया गया है। जहां अकाल की विषमता ज्यादा थी, इन्टेन्सिटी ज्यादा थी, सीवियेरिटी ज्यादा थी, उस जगह अकाल राहत के कार्य खोले गये हैं। जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने नैनमल जी पूंजा जो की बात कही है।

श्री रामकिशन : असल बात तो वहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : यह अखबारों में आया है। यह एक अलग बात है। कहा गया है कि नैनमल जो और एक जैन मुनि आये थे। ये व्यक्ति अवश्य आये थे। उन्होंने मुख्य मन्त्री जी से भेंट की थी। उन्होंने कहा था कि हम जालौर में पैसे खर्च करना चाहते हैं। मुख्य मन्त्री जी ने दोनों व्यक्तियों को मेरे पास मेरे मकान पर भेजा। मैंने उनसे बात की। मैंने उनसे कहा कि वालंयन्टरी आर्गनाइजेशन कैम्प खुले हैं। दूसरे कैम्प खोले गये हैं। फीडिंग कैम्प हैं। कैटिल कैम्प हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऐसे काम नहीं करना चाहते हैं। हम अनाज सब्सीडाइज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम गवर्नमैन्ट से अनाज चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि गवर्नमैन्ट आपको अनाज नहीं देने वाली है। गवर्नमैन्ट खुद अनाज का वितरण करेगी। गवर्नमैन्ट के अनाज के अलावा कोई एडीशनल रिलीफ वहां के अकालग्रस्त लोगों को आप दे सकते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। कोई भी व्यक्ति आये और आज मेरे पास में भी आये और कहे कि मैं रिलीफ का काम करना चाहता हूं तो मैंने नम्बर एक, नम्बर ने ब्लैक हो, व्हाइट हो तो न हमने ब्लैक देखा है और न हमें उसका पता है। अगर आपके पास भी कोई व्यक्ति आता है तो आप भी डाइरेक्ट करते हैं कि जाओ और रिलीफ का काम करो...

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : एक प्रश्न ! क्या नैनमल चम्पा लाल और मुनि जी ने आंकड़ा बताया था कि इतने लाख रुपये खर्च करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं चम्पालाल को नहीं जानता हूं। वह आदमी नैनमल था, चम्पालाल था यह पता नहीं है। उसके साथ एक व्यक्ति था जो उसके बाद नहीं मिला है। मुनि जी मिले हैं। दो तीन दफा। मुनि जी अनाज को सब्सीडाइज करते हैं, और आप जानते हैं कि जालौर में सब्सीडाइज करके अनाज बांट रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि पच्चीस लाख रुपये के आस पास खर्च करना चाहते हैं। पच्चीस लाख रुपया, अकाल हो सुकाल हो, बड़ी रकम है, और मैं समझता हूं, जिस रोज मुझसे मिले थे, उसी रोज मुख्य मन्त्री जी ने, जो बच्चों कि खेलकूद प्रतियोगता थी स्टेडियम में, वहां प्रेस के सामने बताया था कि एक इस तरह का व्यापारी है, एक पैसे वाला आदमी है वह पच्चीस लाख रुपया खर्च करना चाहता है। उसी रोज अखबारों में निकला कि एक व्यक्ति, एक व्यापारी पच्चीस लाख रुपये देने वाला है। उसके बाद दूसरे रोज फिर मुझसे खुद मिले और कहा कि कलेक्टर को कह दीजिये। मैंने उस पर कलेक्टर को टेलीफोन किया था कि इस प्रकार एक पार्टी है वह रिलीफ का काम करना चाहती है, जो कुछ आप कोपरेशन दे सकते है, वह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोपरेशन मिलना चाहिए। इसके

(श्री परसराम मदेरणा)

बाद मैंने खबर सुनी कि, उसके बाद एक आदमी आ रहा था ट्रक में और उसकी डेथ हो गई। उसके बाद में अखबारों में आया कि यह बहुत बड़ा तस्कर है। अब कोई व्यक्ति आता है हमारे पास तो वह किस तरह से पैसा लाया है, किस तरह से उसने पैसा दे दिया है यह मैं नहीं सोच सकता क्योंकि उसके पहले के एन्टीसिडेन्ट मुझे मालूम नहीं है। हमारे पास बहुत सी पार्टीज आती रहती हैं। हम कोई व्यापारी नहीं हैं कि मालूम कर सकें कि कौनसे आदमी की पहले क्या हालत थी, कुछ वर्षों में किस तरह उसकी हालत अच्छी हो गई, किस प्रकार उसने पैसा कमाया। यह अखबार में आया था कि उसके पास पहले पैसा नहीं था, उसने ब्लैक किया है। तो एक इस प्रकार की बात (श्री आईदानसिंह के खड़े होने पर) बीच में डिस्टर्ब मत कीजिये। आपको मालूम है यह सारी बातें......

श्री आईदानसिंह : एक प्रश्न ! पच्चीस लाख रुपये खर्च करने की कुछ योजना आपको बताई थी ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कहा नहीं कि अनाज, अनाज के रूप में...

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : नैनमल चम्पालाल के बारे में पहले अखबारों में आ चुका था।

श्री परसराम मदेरणा : आपको पता नहीं है। बैठिये।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मुख्य मन्त्री जी से मिले उसके पहले अखबारों में आ चुका था।

श्री परसराम मदेरणा : क्या आ चुका था ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : ब्लैक मनी के सम्बन्ध में।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान विधान सभा का यह सदन है। आप सदन को गुमराह मत कीजिये। कौनसा अखबार है ? आप लाइये। क्या पढ़ते हैं ? तो मैं कह रहा था आपसे, उसके बाद में उन्होंने अपना पैसा किस तरह खर्च किया, कितना किया, कितना नहीं किया—राज्य सरकार न तो उसमें शरीक हुई, न राज्य सरकार को उसका इल्म है, न पता है......

श्री मदनसिंह : माननीय मन्त्री जी...

श्री परसराम मदेरणा : एक बात मुख्य मन्त्री जी की बम्बई और कलकत्ता जाने की बात कही.....

श्री मदनसिंह : मैं यह सवाल करना चाहता हूं, आपको वाकई मालूम पड़ा कि यह तस्करी है, रुपया खर्च करते करते जब आपको मालूम हो गया कि यह तस्करी है तो फिर उससे आपको सम्बन्ध नहीं जोड़ने चाहिए थे। जब बाद में आपको मालूम पड़ा तो क्यों खर्च किया ?

श्री परसराम मदेरणा : कौन कह रहा है कि खर्च कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई तस्कर है और खुद अपना रुपया लुटाये तो हमें क्या मतलब है। उसके साथ न राज्य सरकार का कोई ज्वॉइन्ट वेन्चर है, न राज्य सरकार उसको कोई दूसरी सुविधा दे रही है, न राज्य सरकार पैसा दे रही है। उन्होंने कहा कि हम काम करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि काम करिये।

श्री मदनसिंह : मन्त्री महोदय का यह कहना कि कैसा ही व्यक्ति हो, कोई चोर ही हो, कैसा ही हो, उसके लिए यह कहना सदन में कि रुपया लाकर रिलीफ वर्क में लगा दे······

श्री परसराम मदेरणा : कौन लगा देगा ? क्या बात करते हैं फालतू की।

श्री मदनसिंह : सदन में यह कहना···

श्री परसराम मदेरणा : उससे राज्य सरकार ने पैसा नहीं लिया है। कौन लगा देगा ? हमने एक पैसा भी नहीं लिया है।

श्री मदनसिंह : किसी को भी मालूम हो जाय कि यह तस्करी है तो उससे किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं जोड़ना चाहिए। विधान सभा में यह कह कर प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वह पैसा लाकर लगा सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि उनके यहां पर सायल के सरपंच हैं, मैं वहाँ नवम्बर के महीने में गया था, तो वहां के सरपंच अनाज को सब्सीडाइज करते हैं, कर रहे थे। दूसरे और व्यापारी थे, तो जैसी जिसकी हैसियत है, जालौर के अन्दर वह सब्सीडाइज आज भी कर रहे हैं। वह बाज़ार से अनाज मोल लेते हैं और जितने गांव हैं वहां सब्सीडाइज करते हैं। ऐसे काम में मैं कोई पाबन्दी लगाता कि मैं सब्सीडाईज नहीं करने दूंगा, राजस्थान में अनाज़ मंहगा मिलेगा तो वही गरीबों को मिलना चाहिए। इस प्रकार की पाबन्दी, मैं समझता हूं, आज भी लगाता हूं तो यह लोगों के मौलिक अधिकारों पर पाबन्दी लगाने की बात होती। तो जो कुछ उन्होंने बांटा है, किया है, उसमें न तो राज्य सरकार शरीक है, न राज्य सरकार ने उसके साथ वेन्चर किया है, न उसके साथ कहीं पच्चीस लाख की बात कही है। आप मुनि जी से पूछ लेना, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी। जब एक दफा मुझ से मिले थे, अखबारों में आया, उससे पहले सुबह मिले तो मैंने पूछा कि यह पच्चीस लाख एक आदमी दे रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक आदमी नहीं है, यह सबसे ज्यादा दे रहा है, इसके अलावा और दूसरे लोगों का भी चन्दा है। आप उनसे पूछ लेना जालौर में, वह वहां अनाज का वितरण करते हैं, वह जैन मुनि हैं वह अनाज का वितरण करते हैं कि उनको रुपया किसने दिया है, किस किस ने चन्दा दिया है। उसका राज्य सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। और जैसा मैं आपसे कह रहा हूं कि जालौर के दूसरे दूसरे लोग भी सब्सीडाइज करते हैं, पहले भी कर रहे थे!

इसके अलावा आपने कहा कि बम्बई और कलकत्ता में गये मुख्य मन्त्री जी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बम्बई और कलकत्ता जब चीफ मिनिस्टर गये तो उन्होंने जो कुछ भी कन्ट्रीब्यूशन करवाया वह कन्ट्रीब्यूशन मुख्य मन्त्री जी ने अकाल सहायता कोष में जमा नहीं करवाया, बल्कि वोलियन्ट्री आर्गेनाइजेशन जो कैटल कैम्प, फीडिंग कैम्प चला रही है, जैसलमेर से आने आने वाले संदस्य इस समय मौजूद नहीं हैं, वह जानते हैं कि वहां पर फीडिंग सैन्टर हैं तीस पैंतीस के आस पास और उनसे कैटल को फ़ीड मिलता रहा है, उनके कारण आज ऐसी स्थिति गायों की है जैसलमेर में

Page No 93

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं जैसी कि सुकाल में भी नहीं होती है। ऐसी स्थिति आज वहां है तो लाखों रुपया जमा करवाया वोलियन्ट्री आर्गेनाइजेशन के पास, जो आज बहुत सी बातों को कर रही है, उसमें पांच सौ रुपया राज्य सरकार यदि अनुदान के रूप में देती है तो पांच सौ रुपया वोलियन्ट्री आर्गेनाइजेशन को चन्दे से एकत्रित करना था। वह उनके लिए करवाया है। तो मुख्य मन्त्री जी, बम्बई, कलकत्ता, जब कभी गये तो वहां से चन्दा लेकर नहीं आये। जो कुछ भी चन्दा था वह उसको भेजा या उसके पास बाहर से आया। अब चन्दा, मैं समझता हूं, पचास हजार से ज्यादा नहीं है। किसी ने दस दिये, किसी ने पांच दिए, किसी ने सौ दिए, किसी ने पांच सौ दिए। आज तक किसी व्यापारी का पांच हजार का चैक आया हो—उसकी मुझे जानकारी नहीं है। अभी पन्द्रह-बीस दिन में कोई आ गया हो तो मुझे पता नहीं है। पहले आया नहीं था। चीफ मिनिस्टर के पास कहां कहां से चन्दा आया है, कहां कहां से नहीं आया है, इस चन्दे की पूरी इत्तला इसी सदन के इसी सत्र में मैं देना पसन्द करूंगा, पूरी जानकारी, ताकि जो भ्रम चल रहा है वह दूर हो जाय। तो यह कहना गलत है कि कलकत्ता के अन्दर इस आदमी से मुख्य मन्त्री मिलने गये थे, उस आदमी के साथ जाकर फोटो खिंचवा ली तो कोई आदमी कैसा खड़ा है, यह मालूम नहीं। वहां दिखता है, स्पष्ट रूप से और अपेरेन्टली दिखता है कि एक व्यक्ति पैसा खर्च करना चाहता है, आकर मिलता है तो उसको आप भी प्रोत्साहन देने वाले हैं कि पैसा खर्च करो, अकाल की स्थिति में जितना खर्च किया जाय ठीक है। हमने इसके लिए अपील भी की थी, विरोधी पार्टी के नेताओं ने भी अपील की है कि इस तरह चन्दा देना चाहिए, हर प्रकार की मदद देनी चाहिए। इसके लिए एक ज्वॉइन्ट स्टेटमैन्ट मुख्य मन्त्री और विरोधी पार्टियों के सदस्यों का निकला था। मैं समझता हूं कि वह इसलिए निकला था ताकि पैसा देने वाले लोग आयें। अब यह कैसे मालूम पड़ सकता है कि किसी के क्या एन्टीसिडेन्ट हैं। कोई कैसे यह बता सकता है कि यह तस्कर हो सकता है। कोई फरार व्यक्ति भी आकर खड़ा हो जाय, जिसके खिलाफ कोई अरेस्ट वारन्ट चल रहा हो तो किसी व्यक्ति को पता नहीं चल सकता। यह प्रश्न पार्लियामेन्ट में भी उठा था, कौंसिल ऑफ स्टेट्स में, वहां प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेन्ट दे चुकी है कि न इसका मुख्य मन्त्री से सम्बन्ध है, न राज्य सरकार से सम्बन्ध है, न पच्चीस लाख रुपये लिये है किसी से। जब उसने वोलियन्ट्री किया है कि मैं सर्विस करना चाहता हूं तो हमने बता दिया। मैंने तो यह बात भी कही थी, आप मुनि जी से पूछ लेना, आप जालौर में क्या करना चाहते हैं, आहोर में करिये, वह आपके पास पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि हम जालौर को ही लेना चाहते हैं। तो कहा कि जालौर में रहना चाहते हैं तो वहां काम कीजिये, अगर आप विशेष क्षेत्र रखना चाहते हैं तो वह रखिये। तो यह कहना गलत है कि कलकत्ता में जाकर, बम्बई में जाकर लोगों से मिल मिला कर बहुत बड़ा षड़यन्त्र किया, वह किया, उनके साथ नापाक गठ-बन्धन किया है, वह किया है—मैं समझता हूं, यह सब बातें इमेजनरी हैं......

Page No 94

(श्री परसराम मदेरणा)

यहां पर जो रूपवास से आने वाले माननीय सदस्य ने ऑर्डिनेन्स के सम्बन्ध में बात कही थी कि सरकार का कदम तो सही था पर ऑर्डिनेन्स के प्रोमलगेशन की निन्दा करते हैं। तो यह दोनों विरोधाभास हैं। ऑर्डिनेन्स जिन हालात में निकाला था, इस ऑर्डिनेन्स को लाने में सरकार की प्रवृत्ति की वे भर्त्सना करते हैं। इसमें भर्त्सना की कोई बात नहीं, इस ऑर्डिनेन्स के पीछे तो अकाल पीड़ित क्षेत्रों के लोगों को जरूरत की चीजें यथा शीघ्र पहुंचाने की सरकार की मंशा थी।

इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस रेजोल्यूशन को स्वीकार करें।

श्री रामकिशन (वैर) : इसमें एक बात बता दीजिये कि नैनामल पूंजा जी से मिले थे तो उसमें शिवाजीराव देशमुख का फोटो कैसे है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो उनसे पूछें।

श्री रामकिशन : मैं हकीकत पूछ रहा हूं, वे सफाई देंगे...

श्री परसराम मदेरणा : इस बात से क्या मैग्निफाई करना चाहते हैं, इसमें राजनैतिक नजरिया मत रखिये, उन्हीं से पूछ लीजिये, वह साधु आदमी हैं, वह आये थे, जो जो काम करना चाहते थे, संक्षेप में मैंने बताया। चीफ मिनिस्टर ने उस रोज प्रेस के सामने स्टेटमेंट दे दिया, उपाध्यक्ष महोदय भी उस समय मौजूद थे, गवर्नर भी मौजूद थे, प्रेस के सामने इन्स्ट्रक्शन्स दी थी। एक व्यक्ति आया है बोम्बे से। दूसरे दिन मुनि सुना रहे थे कि यह क्या देगा। हम सब्सीडाइज करेंगे, मैंने कहा कि लोगों से सब्सीडाइज कीजिये, हम तो अपने स्टोक में से सब्सीडाइज नहीं कर सकेंगे।

श्री रामकिशन : आप तो उत्तेजित हो गये। जिस प्रकार आप अपनी इन्फार्मेशन पर विश्वास के साथ कहते हैं, हम भी विश्वास के साथ कहते हैं, शिवाजी रांव देशमुख इस वक्त हैं। कौन हैं, हां या ना कह दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : जिस मतलब से पूछ रहे हैं, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। फोटों में कौन कौन हैं, मैं उनको नहीं जानता आप तो बोम्बे जाते रहते हैं, मैं तो कोई दो तीन बार गया हूं। यह फोटो लेकर मुख्य मंत्री को जोड़ना चाहते हैं, वह तो गलत है, आपका मतलब मुख्य मंत्री महोदय भी जानते हैं। आप पूछेंगे तो वे उत्तर दे सकेंगे, मैं तो नहीं कह सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 25 लाख रुपयों की योजना नैनामल शाह ने आपके सामने प्रस्तावित की थी, या मुनिजी ने बात की थी, उस 25 लाख में से कितनी धन-राशि का खर्चा उन लोगों ने किया है, इसकी जानकारी राज्य सरकार को है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सूचना अभी मेरे पास में नहीं है, मैं इसकी जानकारी प्राप्त कर के सूचना दे सकता हूं, कलेक्टर के पास इसकी जानकारी है।

श्री भगवानदास शास्त्री : वह तो कागज का फूल दिखा कर मुकदमें से छुटकारा चाहता था।

Page No 95

श्री उपाध्यक्ष : संकल्पों पर मतदान ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बहुत ही संक्षेप में मैं निवेदन करना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान रिक्विजीशनिंग ऑफ गुड्स व्हिकल्स ऑर्डिनेन्स, 1969, जिसको अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में मैंने संकल्प प्रस्तुत किया था और संकल्प प्रस्तुत करते समय, यह बात मैंने स्पष्ट रूप से सदन में कह दी थी कि मैं अध्यादेशों के माध्यम से शासन चलाने के पक्ष में नहीं हूं । मैंने अध्यादेश की उस भावना का जिससे अकाल पीड़ित लोगों को सामान मुहय्या करना चाहते थे, उसका विरोध नहीं किया । पर मैंने यह कहा कि बजट अधिवेशन में यह कानून लाया जा सकता था । मैंने कानून की भावना का, विधेयक की भावना का विरोध नहीं किया, मैंने इस प्रकार ऑर्डिनेन्स लाने की प्रवृत्ति का विरोध किया । मैं ऐसे विधेयक का स्वागत करता हूं यह मैंने कहा था पर अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया है, उसका मैंने विरोध किया था और यह कहा था कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जब कि विधान सभा का अधिवेशन निकट भविष्य में नहीं हो रहा हो और ऐसी परिस्थितियां हो जाय कि अध्यादेश लाना परमावश्यक हो तो अध्यादेश लाया जा सकता है ।

राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन 3 अप्रेल को समाप्त हुआ, 16 अप्रेल को अध्यादेश जारी किया, तो बजट सेशन में इस प्रकार का विधेयक लाया जा सकता था । मन्त्री मोहदय ने यह जानकारी सदन को दी है कि 29 मार्च को इस विधान सभा सचिवालय में इस विधेयक की सूचना प्रस्तुत कर दी थी । यदि कर दी थी तो मंत्री महोदय पर हमारा चार्जस्टेन्ड नहीं करता कि सदन में यह विधेयक उस समय क्यों नहीं आता पर इस सरकार पर तो मैं यह चार्ज लगाना चाहता हूं कि इस प्रकार का महत्वपूर्ण कानून जिसका विरोध सदन में एक भी सदस्य नहीं कर सकता, जहां तक कि इसकी भावना का सम्बन्ध है, प्रक्रिया की अलग बात है, तो उस समय इसे सदन में क्यों नहीं लाया गया । सदन के सचिवालय में 29 मार्च को यह विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया तो 3 अप्रेल को क्यों नहीं इस विधेयक को सदन में पास करवाया गया, सदन के सामने इसे क्यों नहीं लाया गया ? जब यह सरकार ऐसे ऐसे कानून पास करवा सकती थी जिनका केवल व्यक्तियों से सम्बन्ध था तो यह जरूरी कानून जिसका राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता के हितों से सम्बन्ध था इसे क्यों नहीं पास करवाया गया, सदन में इसको क्यों नहीं पेश किया गया । ऐसे ऐसे कानूनों को पास करवाया गया जिनके बारे में इस सदन में चर्चा होगी तो माननीय सदस्यों को मालूम होगा, फिर ऐसे नानकन्ट्रोवर्सियल कानून को क्यों नहीं पास करवाया गया । एक कानून ऐसा पास करवाया गया जो एक सदस्य की अयोग्यता निवारण के लिये था और दूसरा ऐसा कानून पास करवाया गया जिसमें यह था कि कांग्रेस के चीफ व्हिप को किस प्रकार फैसेलिटीज दी जायं । उन पर आज मैं चर्चा नहीं करूंगा । जब ऐसे ऐसे एक-एक व्यक्ति के लाभ के कानूनों को पास करवा लिया तो क्यों नहीं इस प्रकार के जनहित के कानून को पास करवाया गया ? और 3 अप्रेल को सदन छोड़कर चले गये, उस रोज इस विधेयक को क्यों नहीं पास करवाया गया, या 2 अप्रैल को ही इसको क्यों नहीं पास करवाया गया । विरोधी पक्ष

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के सदस्य तो धरने पर बैठे हुए थे, 15 दिन तक शान्त धरने पर बैठे थे, हमारी अनुपस्थिति में कांग्रेस, जब हम शान्त धरने पर, जनता की मांगों को लेकर नीचे बैठे हुए थे, उस वक्त इसे क्यों नहीं पास किया, हम भी देखते कि हमारी इस हुकूमत ने कम से कम एक ऐसा कानून पास किया है जो जनहित में है। पर आप ऐसे कानून पास कर रहे थे और हम बोल नहीं सकते थे। हमारे नहीं बोलने की स्थिति का लाभ उठाकर जनहित का कानून तो आपने पास नहीं किया और व्यक्तियों को लाभ देने वाले कानून पास करवाये। आपने विधान सभा के सेक्रेटेरियेट में तो पेश कर दिया था विधेयक को फिर सदन में पास क्यों नहीं करवाया कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को उस समय जोर देना चाहिए था कान्ता कथूरिया की डिस्क्वालिफिकेशन की रिमूवल का कानून जरूरी नहीं है, चीफ व्हिप को फेसेलिटीज देने का कानून जरूरी नहीं है, राजस्थान की डेढ़ करोड़ पीड़ित जनता के हित के लिए यह विधेयक पहले पास करना जरूरी है। उस वक्त तो बोले नहीं और शिवनाथसिंहजी अब बोल रहे हैं।

अकाल के सम्बन्ध में जो घोटाले हुए हैं, हम उनको सदन में लायेंगे, राजनैतिक दुकानदारी जमाने के, अपने घर भरने के जो तौर तरीके अपनाये गये, राजस्थान की जनता के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया, पशुओं की, इन्सानों की मौतें हुई। इन सब चीजों को सदन में रखना विधान सभा के सदस्यों का कर्त्तव्य है, अकाल पीड़ितों के साथ हमारी सहानुभूति है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे मैंने जो मुख्य मुद्दा उठाया है सारे मसले पर वह मशहूर तस्करी नैनमल शाह के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय कुछ अधिक नहीं कह सकते, उनको जानकारी हो भी नहीं सकती लेकिन मैं खुले आम 184 सदस्यों के सामने और राजस्थान की 2 करोड़ जनता के सामने इस बात को स्वीकार करता हूं कि अकाल सहायता के मामले में, इसमें सन्देह नहीं कि जूनियर मिनिस्टर होने के बाद परसराम जी ने जितनी मेहनत की है उस पर सदन के किसी सदस्य ने टीका नहीं की है। हमें मालूम है, हम सोते नहीं रहते कि कौन मंत्री काम कर रहा है, कौन मंत्री अपना पेट भर रहा है, आपको पेट में दर्द हुआ, आपको बीमारियां हुई, आपके मस्तिष्क में कष्ट है, उसकी जानकारी आपके साथियों को ही हो ऐसी बात नहीं। विरोधी सदस्यों को भी रहती है। हमने आपके बारे में टीका नहीं की। लेकिन जो सरकार करती है और परसराम जी जो करते हैं वह अलग है। सरकार यदि निकम्मे काम करेगी तो उसकी जिम्मेदारी या तो आप उठायें या मुख्यमंत्री जवाब दें। मैंने कभी नहीं कहा कि परसराम जी ने इसमें पैसा खाया या नटराज होटल में तस्करों के साथ नाश्ता किया या उसके साथ तस्वीरें खिचवाई। मैंने आलोचना की है मैंने आरोप लगाया है मुख्यमन्त्री पर और उस आरोप का जवाब वह नहीं दे सकते, आप कलकत्ता में कुछ बात कह दें, कलकत्ता और बम्बई में मुख्यमन्त्री गए···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य संक्षेप में।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : दूसरे आर्डिनेन्स के लिए जल्दी क्यों कर रहे हैं, वह तो आपका ही है आप बैठ भी नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सकेंगे वह आर्डिनेंस नहीं आए तो अच्छा है। आपने कहा मुख्य मंत्री कलकत्ता और बम्बई गए और जितना पैसा उन्हें मिला वह वालन्टरी एजेन्सीज को दिलाया मेरी आपत्ति यह नहीं थी मेरी आपत्ति थी कि जांच करें, मेरा आरोप है कि अकाल के नाम पर चाहे वालेन्टरी ऐजेन्सीज को दिलायें चाहे चीफ मिनिस्टर फंड में लायें लेकिन राजस्थान की जनता के खजाने के खर्चे पर कलकत्ता जाते हैं आप पैसा चीफ मिनिस्टर फंड में ले जायं या वालन्टरी एजेन्सीज को दिलायें, वह पैसा राजस्थान में खर्च हो, खुशी है लेकिन वहां जाकर शादी अटेंड करें और सरकार पैसा दिलाये यह ओछी और निकृष्ट मनोवृत्ति है। वह तो जब मुख्यमंत्री जवाब देंगे तब स्पष्टीकरण करूंगा कमलनयन बजाज और ईश्वरदास जालान के लड़के लड़कियों की शादी में जायें, माणकलाल वर्मा का देहांत उन दिनों हुआ था, शादी अटेंड करनी थी, मुख्यमंत्री कलकत्ता जायें तो स्वाभाविक बात हैं कि उनको कुछ न कुछ पैसा मिलेगा और इसलिए उस संबंध में वह कलकत्ता और बंबई जायें। जो कुछ बातें मैंने कही उस संबंध में आपने स्पष्टीकरण दिया। मुझे खेद है कि आज अकाल सहायता मंत्री इस सदन में यह जानकारी नहीं दे सकते कि आखिर कितनी धनराशी जालौर जिले में खर्च हुई है। वालन्टरी एजेन्सीज के काम को कन्सोलीडेट करने के लिए, इन्टीग्रेट करने के लिए राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, यही आपत्ति थी। आपको कानून बनाना चाहिए था कि वालन्टरी एजेन्सीज कार्य करती हैं उसको सरकार किस प्रकार से रेग्यूलेट करेगी। इसलिए जो कुछ बातें उठाई हैं उनके संबंध में आपको कुछ नहीं कहता हूं, मेरे मुख्य मुद्दों का जवाब नहीं दिया है। मैं सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करने के सामान्य सिद्धान्त और सरकार के तौर तरीकों का विरोधी रहा हूं। जहां तक भावना का प्रश्न है, मैंने इस विधेयक की भावना का विरोध नहीं किया। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जो कुछ कहना था, कह दिया है और मेरी कभी भी मन्शा नहीं थी न है कि इस प्रकार के कानून का विरोध किया जाय। मैं इसका स्वागत करता हूं इसको सदन स्वीकार करें। अब सदन से अनुमति चाहता हूं कि जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री परसराम मदेरणा: मैं एक जानकारी सदन को देना चाहता हूं। 29 मार्च की जो बात मैंने कही थी, वह तारीख गलत कही। यह विधेयक इस सदन में 2 अप्रेल को आया है। जैसी कि माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं मुख्य मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों की तीन व चार तारीख को दिल्ली में मीटिंग थी। दो तारीख रात को मैं दिल्ली में था। 3 को सदन एब्रप्टली एडजोर्न हो गया। इसलिए यह विधेयक नहीं आ सका। आज जिस रूप में विधेयक है उस रूप में विधेयक हमने भेजा था क्योंकि विधान सभा मीट नहीं हो रही थी, बीच में इन्टर सेशन पीरियड होता है, कोई ऐसी स्थिति खड़ी हो जाय तो राज्यपाल महोदय को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉवर्स हैं उनका उपयोग करते हुए उन्होंने इस

(श्री परसराम मदेरणा)
अध्यादेश को प्रॉमल्गेट किया और हालात जिनमें राज्य सरकार के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए यह कहना कि सत्र में लाने का प्रयास नहीं किया, यह बात नहीं है लाने के बाद में हॉउस एडजर्न हो गया, यह सोचा भी नहीं था मैंने वहाँ मुख्य मंत्री से कहा था कि कान्फ्रेंस 4 तारीख को कन्टीन्यू करती है मैं रात को जयपुर जाऊंगा। जब कान्फ्रेंस से आया तो करीब डेढ़ पौने दो बजे मालूम हुआ कि सदन स्थगित हो गया तो जल्दी आने का प्रश्न नहीं था। राज्य सरकार चाहती थी कि सदन इस पर विचार करें और माननीय सदस्यों की राय हम जानना चाहते थे। यह कैबीनेट में भी 18 या 19 तारीख को फरवरी में आया था, वहां भी निर्णय लिया कि असेम्बली हफ्ते भर बाद मीट हो रही थी, आर्डिनेन्स नहीं निकालना चाहिए। आर्डिनेन्स जब जरूरी होता है तो निकालना पड़ता है जैसे बैंक राष्ट्रीयकरण संसद दो दिन बाद मीट हो रही थी लेकिन...... ...

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय !

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझता हूं राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता के लिये यह जरूरी था कि यह अध्यादेश लाया जाय और विधान सभा करीब पौने पांच महीने के बाद मिल रही है। इतने लम्बे अर्से से कानून राज्य सरकार के पास नहीं होता तो न खाद्यान्न, न चारा, न पानी की व्यवस्था हम कर सकते थे। इसके जारी होने के बाद में हमारे पास फोर व्हीलर ट्रक्स नहीं मिल रही थी इस लिए आर्मी को काल किया था उनसे गाड़ियां लेकर आवश्यक वस्तुओं का परिवहन किया।

श्री मदनसिंह दांता : यह सही आर्डिनेंस है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संकल्प को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

मुख्यमंत्री।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूरा भाषण तो सुना नहीं है लेकिन नैनमल शाह के बारे में और मुझे उस के साथ जोड़ने वाली बात के संबंध में यहां पर कुछ कहा गया, ऐसा मुझे मालूम हुआ। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहां पर 14 नवम्बर के दिन, जालोर जिले में एक भिक्षु महाराज काम करने वाले साधु हैं, उनके साथ वह मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा अकाल राहत के काम के अन्दर हम भी काम करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि करीब 25 लाख रुपए तक खर्च करना पड़े तो जालोर जिले के अन्दर हम काम करना चाहते हैं। उसके बाद डिटेल में बात करने के लिए मैंने उनको रिलीफ मिनिस्टर के पास भेज दिया और उसी दिन जो यहाँ पर एक जलसा हो रहा था नेहरू-बाल दिवस के संबंध में स्टेडियम में, उसी जगह मैंने इस बात का एलान किया कि नैनमलजी जो बम्बई के रहने वाले हैं वह इस सम्बन्ध में खर्च करेंगे। और काम करने के लिए आज आए हैं उसके बाद समाचार पत्रों वाले उनसे मिले, हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड में जो कुछ उनका वक्तव्य था, वह प्रकाशित

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हुआ, सारी बातें लोगों की जानकारी में हैं। उसके बाद जालोर आते हुए जब वह और उनके भाई और महाराज आ रहे थे तो कार का एक्सीडेंट हो गया और उसमें उनके भाई की मृत्यु हो गई। उसके बाद हम बम्बई चंदे के लिए आम तौर से लोगों से अपील करने के लिए गए हुए थे उस मौके पर उन्होंने नटराज होटल में एक पार्टी के

(3 म. प.)

अंदर आने के लिए कहा। यह ठीक बात है कि उस पार्टी में मैं गया था। और कुछ लोग उपस्थित थे और उसके बाद हम लोग वहां से चले आए। आज यहां पर जो यह कहा जाता है सांठ गांठ और दूसरी बातें, मैं समझता हूं, 25 लाख वे खर्च करेंगे अकाल के सम्बन्ध में इसकी जानकारी तो नवम्बर से थी। 14 नवम्बर के रोज भी इस तरह के समाचार, समाचारपत्रों में तारीखवार आ चुके थे वे क्या व्यापार करते हैं या क्या नहीं उसके सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं इसके सम्बन्ध में कुछ जानता नहीं। मेरा तो उनसे पहला परिचय जिन्दगी का, महाराज के साथ अकाल में मदद देने के लिए आए और वहीं उनसे वह पहला परिचय हुआ, वरना उनसे पहले मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था। बाद में यह काम करने की बात कही उसके सम्बन्ध में मैं कह चुका हूं। जहां तक सरकार के पास पैसा आने का सवाल है न तो सरकार के पास कैश के जरिए या चैक के जरिए, उनसे मदद का प्रश्न है, सरकार के जरिए उनके द्वारा एक भी पैसा न खर्च किया गया, न सरकार के पास आया, न चीफ मिनिस्टर रिलीफ फन्ड में आया और न मेरे पास व्यक्तिगत रूप से आया जो कुछ काम किया है वह महाराज के जरिए जालौर में जहां वे काम करते हैं वहीं किया गया है। यह तथ्य मैं सदन की जानकारी के लिए पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय !

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, जिस नटराज होटल में दावत दी थी उसमें शिवाजी राव देशमुख गुजरात के मिनिस्टर हैं वे हाजिर थे क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे पता नहीं। मेरे ख्याल से तो नहीं थे।

श्री रामकिशन : नहीं थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : शिवाजी राव देशमुख कौन हैं मैं नहीं जानता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सबसे पहले...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! अब आगे इस पर चर्चा नहीं होगी। इसका अध्यादेश से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चर्चा तो कर नहीं रहे हैं। स्पष्टीकरण किया है।

श्री उपाध्यक्ष : और किसी प्रसंग में उठायी जा सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नैनमल पूंजाजी शाह के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी से चर्चा रूल्स के माफिक उठा लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय !

श्री परसराम मदेरणा (अकाल सहायता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मालयान अधिग्रहण विधेयक, 1969 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मूलचन्द डागा !

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय इसमें मेरा संशोधन है कि राजस्थान मालयान अधिग्रहण विधेयक, 1969 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परि-चालित किया जाये। मैं इसमें दो तीन बातें सुझाव के रूप में देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यह जो ऑर्डिनेन्स और बिल बनाया है उसके अन्दर जल्दी में कुछ बातें रह गयीं है। आप चाहते क्या हैं ? आपको गाड़ियां मुसीबत के समय मिल जांय। टेन्डर काल करने की पद्धति अच्छी होती। वरना बड़ी भारी दिक्कतें होंगी मान लीजिए कि गाड़ी जा रही है, उसमें माल भरा हुआ है, आप सारी गाड़ी पर कब्जा करेंगे या खाली गाड़ी पर ? खाली गाड़ी को कब्जे में करेंगे तो जो वजन लेकर गाड़ी जा रही है और निश्चित स्थान पर जा रही है उस माल को वहीं पर खाली करवा देंगे। एक आदमी आपका जाता है, सड़क पर गाड़ी चल रही है, पूरी भरी हुई है और उसमें वजन है, वह उसको अपने निश्चित स्थान पर ले जाना चाहती है, उस समय आपको यह बिल जो एक्ट बनने जा रहा है, चलती हुई गाड़ी में जिसमें माल भरा हुआ है, गाड़ी को रोक लेगा और माल उसका उतरवा देगा और माल कब्जे में कर लेगा यह कहां तक उचित होगा ? दूसरी बात यह है कि गाड़ी का मालिक है उससे नहीं जिसके पास गाड़ी है उसी से ले लेंगे। मेहरबानी करके मालिक को नोटिस दीजिए। नोटिस देने की पद्धति के लिए कहीं तो सिविल प्रोसिजर कोड लागू किया और कहीं नहीं किया। आपने कह दिया कि नोटिस दे देंगे। सिविल प्रोसिजर में कहा जाय कि गाड़ी को ले रहे हैं। प्रोसिजर गलत है एक जगह रूल्स बना रहे हैं। रूल्स में मालिक को नोटिस देंगे। आप मालिक को नोटिस नहीं देना चाहते और एक नौकर है ड्राइवर उसको कह देंगे कि गाड़ी दे दो। यह कब्जा करने का तरीका आजकल के टाइम में उचित नहीं है। एक आदमी रोज-गार कर रहा है। यह अधिकार किसके हाथ में होगा ? एक पुलिस सब इन्सपेक्टर के हाथ में। जिस गाडी को चाहेगा वह उसी समय रोक लेगा। नोटिस देने का कोई तरीका नहीं है। कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन करा देंगे। एक रजिस्ट्री करा दी। वह लेने से इन्कार करा देगा तो आप मान लेंगे कि मालिक के पास वह पहुंच गया। किसी घर के मेम्बर को वह नोटिस दे देगा। मेल मेम्बर तो रखना चाहिए। घर में कोई बीमार हो तो उसको दे देगा। घर में कोई बुढ़िया बैठी है तो कहेंगे ले नोटिस। वह कहेगी कि क्या नोटिस है ? जल्दी जल्दी में यह नोटिस देने की पद्धति है वह ठीक नहीं है। वह क्या है ? फिर आप कह रहे हैं कि गाड़ी कितने समय तक रह सकती है। अनि-श्चित काल तक। कोई आपका समय ही निर्धारित नहीं है। सितम्बर में गाड़ी चाहे तो नहीं छोड़ेंगे कोई ड्यूरेशन तो रखिये कि इतने समय तक रहेगी। अनिश्चित काल तक के लिए गाड़ी पकड़ ली है। इसमें क्या होगा ? आप जानते हैं कि क्या खराबी पैदा होंगी ? आपके ऑफिसर्स गाड़ी कैसे लेंगे वह सब सोच लीजिए। मासस्केल पर काम करना है लेकिन जल्दी में यह सोचना न भूल जाय कि कॉन्स्टीट्यूशन भी है ? वह कहेगा कि मैं कुए पर खाद पहुंचाने जा रहा हूं। लेकिन आपको ऑफिसर कहेगा कि यहीं गाड़ी कर दें

Page No 101

(श्री मूलचन्द डागा)

और खाद का यहीं पर ढेर कर दें गाड़ी हम ले जावेंगे। कन्सीडरेशन का क्या सवाल है? कुछ नहीं, गाड़ी को कब्जे कर लो। ड्राईवर गाड़ी चला रहा है उसको भत्ता कौन देगा? मालिक बैठा है बम्बई में, गाड़ी यहां ले ली। कहेंगे कि जैसलमेर के बॉर्डर पर जाना है उसको रोटी कौन देगा? मैंने यह बात देखी है। कुछ गाड़ियां ली गई हैं। चालक के पास खाने को पैसा नहीं और पैसा दे कौन? आपकी गवर्नमैन्ट पहले एडवान्स देती नहीं। गुजरात वाले को बोर्डर पर भेज दिया जहां चाय मिलती नहीं। तो बेचारा दुःखी होगा। यह प्रोवीजन है। आपने बिल बना दिया। लेकिन एक प्वॉइन्ट तो सोचिए कि आप किस को लेना चाहते हैं। राजस्थान के बाहर की गाड़ी भी लेना चाहते हैं या राजस्थान तक ही सीमित रखना चाहते हैं। या कोई पंजाब की गाड़ी चलती है, उस गाड़ी को भी आप फौरन ले लेंगे। गुजरात से आयेगी तो उसको भी ले लेंगे। उन गाड़ियों को कितनी मुसीबत होगी। फिर आपने कंसीडरेशन ही क्या रखा है। जो गाड़ी ली जायेगी उसका मुआवजा पीछे दिया जायेगा। यह भी ठीक है। 6 महिने तक आप काम में लें और पैसा कुछ न दें तो उसकी क्या हालत होगी। और मुआवजा भी कैसे तय करेंगे? आपका क्राइटेरिया क्या है? कोई नहीं है। गाड़ी चलाने वाले लोग 80-90 रुपया राज लाते हैं। उनको आप 40-50 रुपया देते हैं और उसका भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। मुआवजा देने का क्या तरीका होगा? मैंने देखा है कि कई गाड़ियों को मेटीरियल डालने के लिए पकड़ लिया गया। यह मेटीरियल इशेन्शियल कमोडिटीज में नहीं आता है। आपके सड़क की कोई चीज इशेन्शियल कमोडिटीज में नहीं आती है और इसके पीछे आपने कई गाड़ियों को पकड़ लिया है। यह अच्छा हुआ या बुरा हुआ, परन्तु यह इशेन्शियल कमोडिटीज में नहीं है और इन गाड़ियों में जो पैसा लेना है, वह अलग रहा और कई गाड़ियों के चालक नहीं हैं और कई पेट्रोल और डीजल को लेकर ही भाग गये। अब आप उसके पीछे चोरी का मुकदमा करते रहें। फिर आपने यह भी कह दिया है कि मुआवजा के बाद में अपील होगी। आप यह अपील कहां करवाना चाहते हैं और अपील करेगा कौन? और आप कहते हैं कि आरबीट्रेटर को मुकर्रर करेंगे। कौन मुकर्रर करेगा? क्या गवर्नमैन्ट आरबीट्रेटर को वह मान लेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि यह शुद्ध तरीका है। गवर्नमेन्ट को कोई काम करवाना है तो उसके लिए उसको यह करना चाहिए कि वह टेन्डर को कॉल करे तो जितना पैसा लोएस्ट को मिलेगा, उतना उसको मुआवजा दे। अपील का प्रॉवीजन नहीं है और आरबीट्रेटर मुकर्रर करते हैं और उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि हम लोग अपना मुआवजा कैसे तय करेंगे। आप कहते हैं कि आरबीट्रेटर कह देंगे उसको मान लेंगे। आप किस की मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से जांच करेंगे। तो यह एक्ट जो आप बना रहे हैं उसमें कितनी ही कमियां हैं, खामियां हैं और बाद में आगे चलकर इसमें बड़ी दिक्कत होगी। आप गाड़ियों का मुआवजा देना चाहते हैं वह इसलिए देना चाहते हैं कि आप आवश्यक चारा, पानी ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैंने जो बातें बतायी हैं, उन पर आप विचार करें और उन पर ध्यान दें या इस बिल को सिलेक्ट

(श्री मूलचन्द डागा)
कमेटी को दें और फिर इस बिल पर विचार करें। बिल पारित होने से ही क्या होगा, इसमें कई खामियां हैं।

(3.15 म. प.)

(श्री कृष्ण कुमार गोयल, सभापति, पदासीन)

श्री **प्रमसिंह सिंघवी** : इसी के मुतल्लिक सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारी गाड़ियां देवली के पास पकड़ी थी, तहसीलदार ने पैसा देना तो दूर, नोटिस दे दिया कि आप इतना पैसा और जमा कराओ। 24 घन्टे तक गाड़ी को डिटेन किया, और 50) रु० जमा कराने का नोटिस दे दिया। यह आपका क्या न्याय है। असेम्बली से पॉवर लेकर यह सत्ता का दुरुपयोग नहीं तो क्या है ? एक तहसीलदार 24 घन्टे तक आर० आर० एल० 1161 को डिटेन रक्खे और उल्टा 50) रुपया हम से मांग रहा है और वह भी उल्टी हमारी गाड़ी चलाने के बाद।

श्री **सभापति** : श्री भगवानदास शास्त्री।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर प.): सभापति महोदय, मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह वही है जो डागा साहब ने प्रस्तुत किया है। इस विधेयक में जो मूल भावना है वह कुछ समयानुकूल सरकार की नीति राष्ट्रीयकरण और अधिग्रहण की है ये उनकी दो नीतियां, विशेष रूप से दिन-प्रतिदिन और डिक्टेटरशिप के रूप में, मुझे शंका है, हो रही है। जिस रूप में यह आया है उससे उसकी भावना गलत हो रही है। राजनेताओं पर, जो भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं, उन पर घातक हमले होते जा रहे हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि राजस्थान राज्य में यह दिन दूर नहीं कि एक डिक्टेटर के रूप में नाम तो प्रजातन्त्र है, नाम है विधान सभा का और उसके नाम पर पूरी शक्ति, सत्ता का उपयोग, प्रयोग करके जनता को अपने कब्जे में लाने की कोशिश की जा रही है। लोग भूखे मरे चाहें लेकिन उनकी आमदनी, कमाई का जो साधन है, उसको आप लेना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि यह विधेयक माल वाहन के बारे में सदन के सामने प्रस्तुत है। मुझे अच्छी तरह से जानकारी है कि बहुत से ऐसे व्हिकल्स हैं जिनके पांच, पांच वर्षों तक मालिक के नाम नहीं बदलते हैं और एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को बेच देते हैं। आप किस कानून से किस मालिक को पकड़ेंगे और कुछ नाना प्रकार के दीवानी दावे भी चल रहे हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, वे भी चल रहे हैं। दीवानी दावा करने वाले खतम हो चुके हैं और वाहन का मालिक नहीं है। आप आम चुनावों के समय बहुत से व्हिकल्स अपने कब्जे में ले लेते हैं। इससे आपको फायदा होगा। आप अकाल राहत कार्यों के लिये चारा पानी पहुंचाने के लिये यह अधिग्रहण चाहते हैं। यह विधेयक की मूल भावना है परन्तु इससे पुलिस की शक्ति बढ़ेगी और उनकी एक कमाई का रास्ता और खुलेगा। पब्लिक को तंग करने का, कष्ट पहुंचाने का एक मौका उनको मिलेगा। पुलिस के अधिकारियों द्वारा और हमारे राजनेताओं द्वारा जनता सुख की सांस नहीं ले सकती। सभापति महोदय, इस विधेयक में विशेष करके जो लिस्ट बताई है, उसमें माइलेज पर कितना दिया जायेगा यह नहीं बताया

(श्री भगवानदास शास्त्री)

गया है। इस कमी के कारण यह विधेयक कमजोर और पंगु बन गया है। अब एक व्यक्ति जो ड्राइवर है, जो दिन भर काम करके, सारी दिन की मेहनत करके 5-10 रुपया लेकर, कमाकर अपने बच्चों के लिये आटा, दाल वगैरह शाम को घर ले जाता था, वह पता नहीं कब मारवाड़ जंक्शन पर, पाली में या कहीं और रोक लिया जायेगा, मालूम नहीं होगा और उसके बाल, बच्चे उसकी इन्तजार करते रहेंगे। वे भूखे रहेंगे। इन परिस्थितियों में इस विधेयक के पारित होने से एक तो पुलिस का, दूसरा यह सियासत इसका दुरुपयोग करेगी। मैंने अकाल सहायता कार्यों में नाना प्रकार के इस प्रकार के वातावरण देखें हैं, दृष्य देखें हैं। आपसे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं माननीय मंत्री महोदय स्वयं चैक करें। अजमेर जिले को लाखों रुपया दिया है। अकाल राहत कमेटी की एक दो मीटिंग्स में मैं भी उपस्थित हुआ था मैंने वहां देखा श्रीमती प्रभा मिश्रा, और श्री जसराज जो पार्टी बदल कर उधर गये हैं ये दोनों अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिये लाखों रुपया अपने अपने क्षेत्र में खर्च कर रहें हैं। अपने चुनाव क्षेत्र में लाखों रुपया खर्च इनके द्वारा किया गया, वे इस तरह से जनता को जताना चाहते हैं कि वे क्या क्या करवा सकते हैं। दूसरी तरफ जहां सात विधान सभायी क्षेत्र हैं उनमें सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं। आज वहां के लोग एक रोटी के टुकड़े के लिए मर रहे हैं बच्चे आधा कप दूध के लिये त्राहि त्राहि कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं अकाल सहायता के बारे में माननीय सदस्यों ने नाना प्रकार के विचार रखें में व्यक्तिगत रूप से और अन्तःकरण से निवेदन करता हूं कि मैं अकाल राहत कमेटियों की मीटिंग्स में गया, मैं पता नहीं लगा सका कि हर सदस्य का जहां कर्तव्य होता हैं अपने क्षेत्र के अभाव अभियोगों को सरकार के सामने रखे। मेरा नगरीय क्षेत्र है, मेरे जिला अकाल राहत कमेटी में रहने के बावजूद भी मैं यह पता नहीं लगा सका कि यह जो विधेयक लाया जा रहा है इसमें माइलेज रेट्स, ओरीजनल मालिक वाहन का कौन है यह किस प्रकार ढूंढ लेंगे। आप तो दरवाजे पर जाकर नोटिस लगा देंगे, लेकिन यदि उसने किसी को वाहन बेच दिया होगा तो फिर कैसे पता लगायेंगे। इन परिस्थितियों का प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी नाजायज फायदा उठायेंगे।

मेरा सभापति महोदय, यह निवेदन है कि इस बिल के बारे में सरकार ने पूरा ध्यान नहीं दिया। आज हम देखते हैं अजमेर में जी० एम० टी० के बारे में कह सकता हूं मुख्य मन्त्री महोदय इस बारे में सेन्टर से यह प्रलोभन पाकर उसका जनरल मैनेजर अपने, जंवाई को बनवाया, जिनको चार इन्क्रीमैन्ट्स देकर, गुप्ता साहब को, इन्जीनियर नियुक्त किया गया।

राज्यपाल महोदय ने गत सत्र में यह घोषणा की थी कि जी० एम० टी० से अजमेर की बेरोजगारी समाप्त होगी लेकिन आपको पता होना चाहिए वहां पर मुख्य मन्त्री के जंवाई को चार इन्क्रीमेन्ट्स देकर 800 रुपए पर नियुक्त किया गया है जब कि अजमेर के ही इन्जीनियर जो प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं 350 और 400 रु० में मिल सकते थे। आज वहां का इन्जीनियर बेरोजगारी से पीड़ित है, इस तरह के हजारों बेरोजगार बैठे हैं।

(श्री भगवानदास शास्त्री)

अजमेर की बेरोजगारी मिटाने का एक तो साधन वहां का रेलवे वर्क शाप है और दूसरा जी० एम० टी० का कारखाना इसलिए वहां खोला गया कि वहां के लोगों को रोजगार मिल सकें। यह केन्द्रीय सरकार के अधीन है मेरा यह विश्वास है कि सुखाड़िया जी को यह आश्वासन दिया गया होगा कि इसका उद्घाटन तभी होगा जब कि उनके जंवाई को वहां का इन्जीनियर बना दिया जाय। मुख्य मन्त्री जी की मैं इज्जत करता हूं, उनके पद की इज्जत करता हूं लेकिन जो सत्ता का दुरुपयोग होता है उससे दुःख होता है। राजस्थान विशेषकर पिछड़ा हुआ प्रान्त है, अजमेर जिसको अंग्रेजों के समय राजधानी माना जाता था जिस पर नाज था आज वह अजमेर बरबाद हो रहा है। जी० एम० टी० में जहां राजस्थानियों को रखा जाना चाहिए वहां पर बाहर के व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसमें मुझे भ्रष्टाचार की बू आती है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इस विधेयक को एक मास के लिए जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाय ताकि जो मालिक हैं और दूसरे व्यक्ति हैं वे तसल्ली के साथ इस बारे में सोच सकें और ट्रक्स को बेचने आदि की कार्यवाही को ठीक रूप से कर सकें। इस विधेयक का मैं विरोध करता हूं और जो काम इनके द्वारा लिया जायगा वह ठीक है। इसमें कुछ खामियां हैं उनको दूर करने के लिए जनमत जानने हेतु प्रचारित किया जाय।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मालयान अधिग्रहण विधेयक, 1969 को एक प्रवर समिती को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत करदी जायगी। राजस्थान मालयान अधिग्रहण विधेयक, 1969 जो सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है और जिसके बारे में राज्य सरकार ने आर्डिनेन्स जारी किया है और बिल के रूप में जो आज प्रस्तावित किया है यह राज्य सरकार के लिए जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, इस बिल को मैंने अच्छी तरह से देखा है, राजस्थान में इतना भयंकर अकाल था राज्य सरकार के सामने कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई, कई गाड़ियों की माल ढोने के लिए, रसद पहुंचाने के लिए, पीने का पानी पहुंचाने के लिए आवश्यकता थी और इसीलिए जनता को राहत पहुंचाने के लिए यह आर्डिनेन्स जरूरी था जो जारी किया गया।

सभापति महोदय, इसके अलावा आर्डिनेन्स जारी करना इसलिए भी जरूरी था कि इस आर्डिनेन्स के जारी करने के बाद भी कुछ डिफीकल्टीज इस तरह के मालयान रिक्वीजीशन करने में आई हैं और इस कारण राज्य सरकार जितनी मात्रा में राहत पहुंचाना चाहती थी वह पहुंचा नहीं पायी। इसमें कम्पनसेशन का मामला है, वह किस प्रकार से निर्धारित होगा, लोकल कन्डीशन के अनुसार हायर रेट पर लेने के बारे में क्या रूल्स होंगे इनकी पिक्चर ऑनर्स के सामने क्लीयर रूप में नहीं आ सकी। इस कारण जितने भी व्हिकल्स राज्य सरकार ने अपने कब्जे में लिये उनमें से अधिकांश काम में नहीं आये। कुछ तो बेकारी हालत में पड़े रहे। ऐसी हालात के कारण राज्य सरकार

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

की मन्शा पूरी नहीं हो पायी। इसका एक मात्र कारण जहां तक मैं समझ पाया हूं ऑर्डिनेन्स का जल्दी में जारी करना है। उसके पहले न तो नियम बनाये गये। इस विधेयक में ऑर्डिनेन्स के परपज को केरी आउट करने का प्रावधान है। रूल्स के अभाव में कम्पनसेशन किस तरह से निर्धारित होगा, किस रेट से मुआवजा दिया जायगा यह सजेस्ट न होने की हालत में मोटर मालिक कई कारणों से अपने व्हीकल्स खराब कर देते हैं और जिस तेजी के साथ काम करना सरकार चाहती है वह काम नहीं हो पाता है और इस तरह से जो आर्डिनेन्स की मन्शा है वह डिफीट हो जाती है। यह सारी पिक्चर, आर्डिनेन्स जारी किया उस समय सरकार के सामने नहीं थी। ये सब बातें नहीं थीं। इस बिल में यह भी स्पष्ट नहीं है कि कितना मुआवजा मिलेगा। मैं सभापति महोदय, राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कुछ कमियां इसमें रह गई हैं, उनकी स्पष्ट पिक्चर सदन के सामने आ सके, रेट्स और कम्पनसेसन के बारे में जो रूल्स हों वे सब भी सदन के सामने आने चाहिये। इस के साथ साथ इस बिल के एम्स एण्ड ओब्जेक्ट्स में जिस बात का उल्लेख किया गया है उसमें भी कुछ क्लेरीफिकेशन की आवश्यकता है। इसमें यह भी रखा हैं कि जिस हालत व्हिकल्स को कब्जे में लिया जायगा अगर वह खराब है, उसको ठीक करके राहत पहुंचाने का मामला है आदि कई बातें हैं इससे राज्य सरकार की मन्शा पूरी नहीं हो पाती।

सभापति महोदय, मेरी यह धारणा है कि इस कानून को सफलीभूत बनाने के लिए राज्य सरकार को रूल्स बनाकर के पहले लागू करने चाहिये। इस प्रकार का प्रावधान करना जरूरी था जो नहीं किया गया। फेमीन इफेक्टेड एरिया में अनाज, फोडर और पानी पहुंचाने के लिये यह आवश्यक है कि इसके नियम पहले प्रकाशित किये जांय इसके बिना इस बिल की मन्शा पूरी नहीं हो पायगी।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जितने व्हिकल्स इस काम में लिये गये उनमें से कितने काम में आये, कितने बेकार पड़े हैं, उनका कितना किराया देना पड़ा यह जानकारी हम चाहेंगे। इससे यह स्पष्ट हो जायगा राज्य सरकार जितने व्हिकल्स काम में लेना चाहती थी वह नहीं ले पायी इसलिये राहत पहुंचाने के लिये मिलिटरी ट्रक्स की मदद लेनी पड़ी। तभी जैसलमेर और बीकानेर के इलाकों में जो कि वर्स्ट अफेक्टेड एरिया थे राहत पहुंचाई जा सकी।

तो सभापति महोदय इस बारे में मेरा यह सुझाव है कि इसको थोड़े दिनों के लिये सिलेक्ट कमेटी में रेफर करके जो खामियां हैं जो एम्बीगुइटी है उसके बारे में डिसकस कर लिया जावे। इसके अलावा जो कई फेमीन वर्क्स हैं जिनमें ट्रान्सपोर्ट की कठिनाई के कारण ग्रेवल वगैरह नहीं पहुंचाई जा सकी है उसके लिये भी इसमें प्रोवीजन रख दिया जावे। और उसके लिए भी स्पेसिफिकेशन इसमें रख दिये जावें। उनके अभाव के कारण बहुत सी जगहों पर कलेक्टरों की इच्छा भी थी पर वे कर नहीं सके। इसके अभाव में लाखों रुपयों का मिट्टी वगैरह का काम हुआ है वह ग्रेवल जो दूर दूर पड़ी है उसके यहां

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नहीं पहुंचवाने से वह सारा बेकार चला जावेगा। आर्डिनेन्स का इसमें जो फायदा मिलना चाहिये था वह भी नहीं मिला।

इसके अलावा इस आर्डिनेन्स के लागू करने के बाद भी कितनी राहत इन ट्रकों से मिल पाई इस बारे में माननीय मन्त्रीजी से आंकड़े चाहूंगा। कितने व्हीकल लिये गये, कितना काम उनसे लिया गया, कितना पेमैन्ट उनको किया गया, और इसके अलावा लाखों रुपयों का ग्रेवल मैटल ट्रान्सपोर्ट करने की राज्य सरकार की भी और हमारी भी इच्छा थी, वह कहां तक पूरी हुई।

इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए और इन बातों की पूर्ति के हेतु इसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर किया जावे।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राजस्थान गुड्स वेहिकल्स रिक्वीजीशनिंग बिल, 1969 को मैंने प्रवर समिति को सोंपने के लिये प्रस्ताव रक्खा है। मैंने इस बिल को अच्छी तरह से पढ़ा है और यह पाया है कि इसमें कुछ खामियां हैं जिनकी पूर्ति और निराकरण करना आवश्यक है और इसके लिये सिलेक्ट कमेटी में इस बिल को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

अभी मेरे दोस्त विश्नोईजी ने अपने विचार इस पर प्रकट किये। उन्होंने ग्रेवल के बारे में भी जिक्र किया। मैं भी इस बारे में कठिनाई और इसकी गम्भीरता को महसूस करता हूं। बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में सड़कों के लिये ग्रेवल का पहुंचाना बहुत आवश्यक है। बहुत से ठेकेदार भी इसको पहुंचाने का ठेका लेने को तैयार नहीं हैं। तो विभाग के द्वारा इस काम को कराना भी आवश्यक हो जाता है। परन्तु इस परपज के लिये किस प्रकार से इन ट्रकों को रिक्वीजीशन किया जाय यह बड़ा गम्भीर मसला है और यह समस्या कलक्टरों के सामने भी आती थी। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इसेन्शल गुड्स कमोडिटीज का definetion में इसे भी शामिल किया जावे। इस ग्रेवल को भी ट्रान्सपोर्ट करने के लिये इसमें व्यवस्था की जावे। क्योंकि मैंने यह देखा है कि जो रोड्स बनी हैं और उन पर बहुतसा मिट्टी का कार्य हुआ है, लाखों रुपया भी उस पर खर्च हुआ है परन्तु उन पर ग्रेवल नहीं होने के कारण वे रोड्स बिलकुल बेकार हो रही हैं और उनकी कोई वेल्यू नहीं है। यूटीलिटी नहीं है। तो इसलिये जब यह प्रावधान किया गया है और आर्डिनेन्स भी बनाया गया है और इसमें फेमीन परपज में फूड फोडर को पहुंचाने के लिये व्यवस्था की गई है तो मैं चाहता हूं फेमीन परपज के ही लिये जब फेमीन में रोड्स वगैरह बनाई गई हैं तो उन रोड्स पर ग्रेवल मैटल को पहुंचाने के लिये भी इन ट्रकों का उपयोग किया जावे और उनको इस काम के लिये भी रिक्वीजीशन करने के पावर सरकार को मिलें, यह पावर होने चाहिये इसमें पावर लेते समय जो वर्ड्स लिखे हैं उसमें गवर्नमेन्ट लिखा है जब कि रिक्वीजीशन के पावर कलक्टर यूज करता है तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट की जगह कलक्टर वर्ड लिखा जावे।

इसी प्रकार कम्पन्सेसन के बारे में भी मेरा एक दृष्टिकोण है। मैं यह समझता

Page No 107

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

हूं कि सैक्शन 14 की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कम्पन्सेसन के बारे में एक तो निश्चित नीति नहीं, और इसके बारे में अगर कोई सिविल कोर्ट में भी जाना चाहे तो आपने डिबार कर दिया है भले ही कोई भी कलेक्टर ने अनुचित निर्णय दिया हो अगर कलेक्टर ने कम्पेन्पसन ठीक निर्धारित नहीं किया है तो वेहिकल के मालिकों को सिविल कोर्ट में भी एप्रोच करने का अधिकार होना चाहिये और अगर यह नहीं होता है तो यह संविधान की अवहेलना है। सब के सब अधिकार इसमें सरकार ने अपने पास रक्खे हैं यह कहां तक उचित है क्योंकि कलेक्टर अगर फैसला ठीक नहीं देता है तो उसकी अपील भी सरकार के पास हो। आरबिट्रेटर अपोइन्ट करके फैसला हो तो यह उचित नहीं है। सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार उसको मिलना चाहिये।

इन खामियों को देखते हुए यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जावे ताकि वहां भी इसकी अच्छी तरह इन मुद्दों पर छानबीन करके सही तरीके से यह सदन के सामने आवे।

श्री सभापति : श्री गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : माननीय सभापतिजी, आज सदन के सम्मुख माननीय मन्त्रीजी ने राजस्थान मालयान अधिग्रहण विधेयक, 1969 को प्रस्तुत किया उसके अन्दर इस विधेयक की धारा 11 में यह जो पुलिस के सब इन्सपेक्टर और उच्चाधिकारियों को अधिकार दिया है कि वे ट्रक मालिक को या ट्रक चालक को संकटकालीन आवश्यकता के नाम पर बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकें, मैं इसको अनुचित समझता हूं और इस धारा का विरोध करता हूं।

मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया था तो उस समय डिफेन्स आफ इण्डिया रूल्स लागू किया था और इसका राजनैतिक आधार पर दुरुपयोग करके विरोधी दलों के सदस्यों और नेताओं को गिरफ्तार किया था। मुझे भय है कि इसी प्रकार से इन पुलिस के अधिकारियों को जो कि भ्रष्ट हैं और आज जिनके भ्रष्टाचार के कारण उनके जुल्म और अत्याचारों के कारण सारी राजस्थान की जनता त्रस्त है, ये अधिकार देने से ट्रक वालों के साथ बहुत बड़े अन्याय का सूत्रपात होगा। बहुत बड़ा अन्याय होगा और हमारी लोकतान्त्रिक शासन पद्धति में विधान के विरुद्ध बात होगी। इससे पुलिस में भ्रष्टाचार और पनपेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्रीजी इसके ऊपर ध्यान दें और साथ ही पुलिस के अधिकारियों को इतने विस्तृत अधिकार न दें।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन अधिकारों के कारण एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैलेगा कि जिससे जनता में पुलिस के प्रति और भी अधिक असन्तोष और दुर्भावना फैलेगी।

इसके साथ साथ जो इस प्रकार से चलती ट्रकों को पकड़ने का प्रावधान राज्य सरकार ने इस विधेयक में किया है उसमें यह स्पष्ट नहीं किया है कि जिन ट्रकों को या अन्य वाहनों को किसी भी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

चीज के लिये जब पकड़ा जावेगा या काम में लिया जावेगा तो ट्रकों के मालिकों के वहां नहीं होने की स्थिति में ट्रकों के क्लीनरों को या चालकों को रोजाना का भत्ता कौन देगा ? इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि······

(3.40 म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत समानेत्री पदासीन)

एक व्यक्ति के काम करने की क्षमता है वह लेबर एक्ट के अन्तर्गत आज यही है लेकिन ट्रक पर चलने वाला ड्राईवर, ट्रक पर चलने वाला एक क्लीनर जो अकाल का काम करेगा 24 घंटे नहीं कर सकेगा और जिस उद्देश्य से लिया गया है उसका उपयोग नहीं होगा। इसके साथ साथ यह जो काम करते हैं कच्ची सड़कों पर चलने का, पक्की सड़कों पर चलने का उसके माइलेज का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। कच्ची और पक्की सड़कों पर चलने का पैसों का अन्तर रहता है। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। कोई विवाद नहीं हो यह जाहिर है कि ट्रक वाले न्यायालय में नहीं जा सकें और सरकार के अधीन रहें अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। हमारे संविधान के मूलभूत अधिकार हैं उनका कुठाराघात होगा। इतना ही नहीं माननीय सभानेत्री महोदया, आज जो ट्रक्स लिये हैं अकाल के नाम पर अकाल के क्षेत्र में चारा और पानी पहुंचाने के नाम पर आवश्यक समझते हैं आप इस बात को कि अकाल का मुकाबला करने के लिये हमारे पास जितने साधन हैं, चाहे प्राईवेट हों और चाहे सरकारी हों, कठिन स्थिति में काम में लिये जाने चाहिये लेकिन मंत्री महोदय मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस अकाल के नाम पर, राजनैतिक आधार पर कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितना राजनैतिक शोषण हुआ है और कितने राजनैतिक लोगों को फायदा दिया गया है। मैं दावे के साथ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सांचोर के तहसीलदार ने कांग्रेस के ट्रेजरी बैंच पर बैठने वाले जो माननीय सदस्य हैं उनके नाम पर, अकाल के नाम पर एक जीप ली और वह जीप 4 महीने पहले 50 रु. पर ली। मैं आप से पूछना चाहता हूं उस कांग्रेस के विधायक को आपके तहसीलदार ने खुश करने के लिये किसी मंत्री के इशारे पर मुख्य मंत्री जी के इशारे पर 50 रुपये पर ली 50 रुपये में एम. एल. ए. की जीप किराये पर ली।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : किसकी ली है·······

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्य मंत्री जी के इशारे पर ली है और कांग्रेस के एम. एल. ए. की ली है। 50 रु. पर किराये पर ली है। इस तरह उस एम. एल. ए. को 6 हजार का लाभ पहुंचाया है। कलेक्टर के पास डिस्ट्रिक्ट पूल में, पंचायत समितियों के पास कई जीपें हैं लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं किया गया। इस प्रकार इस एक्ट के बनने से सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। इतना ही नहीं अकाल के क्षेत्र में सरकारी धन का खुल कर दुरुपयोग किया गया है।

माननीय सभानेत्री महोदया, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री जी से पूछना

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

चाहता हूं अकाल राहत कार्य में गुड़ के वितरण के लिये सरकार ने गुड़ खरीदा और उसके लिये कमेटी बनाई, उसके चेयरमैन थे डिप्टी डेवेलेपमेंट कमिश्नर और इस प्रकार के टेन्डर काल किये गये उस टेन्डर काल में 100 रु० प्रति क्विन्टल का टेन्डर था और उसके साथ साथ गुड़ सप्लाई करने के लिये जो सेपिम्ल दिया गया वह 120 रु. का था लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है वह सैम्पिल गायब कर दिया गया और सब से निकृष्ट किस्म का गुड़ जिसकी कीमत अधिक से अधिक 80 रु. क्विन्टल थी खरीदा गया। उसने सरकारी अधिकारियों से सांठ-गांठ करके अच्छे सैम्पिल का गुड़ गायब कर दिया और लौवेस्ट क्वालिटि का गुड़ खरीदा। सैम्पिल को गायब करने में सरकारी अधिकारियों से सांठ-गांठ करके जनता का शोषण किया।

इतना ही नहीं जालोर डिस्ट्रिक्ट में जन संघ के कार्यकर्त्ताओं ने इसका विरोध किया और 4-8-69 को मुख्य मंत्री जी के आगमन पर यह मांग की थी, एक मैमोरेन्डम दिया गया था अकाल के भ्रष्टाचार के संबन्ध में उन्होंने प्रर्दशन के द्वारा यह मांग की कि इस मामले की जांच कराई जाय। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता हैं कांग्रेस के एम. एल. ए. खुले रूप से भ्रष्टाचार करते हैं। अकाल के नाम पर अपने बंगलों की दिवारें बनाई हैं। आज भी वहां पी. डबल्यू. डी. के कर्मचारी काम करते हैं ·· – ···

श्री शंकर लाल : आप नाम बता दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं स्पष्टीकरण नहीं करना चाहता हूं क्यों कि ··

श्री शंकर लाल : नाम बतायें।

(श्री देवीदत्त गाड़िया के बराबर बोलते रहने पर)

ओन ए पाईन्ट आफ आर्डर सर।

श्रीमती सभानेत्री : पाईन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदया, जो भी चार्जेज लगायें कि कांग्रेस के विधायक ने मकान बनाया, किसने किया, कहां हुआ। ऐसी वैग बात करने से हाउस गलत फहमी में पड़ सकता है। किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे वेग चार्जेज लगाये जायें उससे कोई मतलब हासिल नहीं होता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सभापति महोदया, आसन से कई बार ऐसे आदेश और निर्णय हुआ है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप लगाने हैं तो पहले लिख कर देना चाहिये। मैंने लिख कर नहीं दिया है इसलिये नाम नहीं बता रहा हूं। माननीय सभापति महोदया, मुझे पूछना चाहते हैं तो मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं इस सदन में बैठने वाले कांग्रेस के विधायक श्री रघुनाथ बिश्नोई को सांचोर के तहसीलदार ने खुश करने के लिए 50 रु० किराए पर जीप ली और इस प्रकार लगातार आज तक जीप किराये पर चल रही है। स्वयं ने प्रति महीने 1500 रु० का बिल बनाकर लिया जबकिं और कई सरकारी जीपें थीं। पंचायत समितियों के पास जीपें थीं लेकिन उनको काम में न लेकर और व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब कुछ किया। इतना ही नहीं माननीय सभापति

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि जालौर में साकड़ गांव के अन्दर एक किसान के खेत पर श्री मायाराम, रत्नाराम को अकाल के नाम पर उनके खेत को लाभ पहुंचाने के लिए उनके खेत के पास 40 हजार रुपए की लागत का एक बान्ध बान्धा गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि 1-2 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए अकाल के नाम पर क्यों बान्ध बनाया गया।

हमारे मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि जब तक राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से अकाल नहीं चला जायगा उनकी कार का चक्का नहीं रुकेगा तो मैं तो कहता हूं और एक ऐसी कहावत भी है कि जहां जहां पैर पड़े सन्तों के वहां वहां बन्टाढार। तो जहां जहां सुखाड़िया जी के पैर पड़े हैं वहां वहां बन्टाढार हुआ है। चाहे जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, जहां जहां पर सुखाड़िया जी गए हैं, लाखों गौवों की हत्या का कारण हुआ है। जहां जहां सुखाड़िया जी के कदम पड़े हैं वहां पर पानी नहीं बरसा है। मदेरणा साहब आपने थोड़ा बहुत काम किया है इसलिए यह रिमझिम रिमझिम पानी दिखाई देता है यदि सुखाड़िया जी के पैर पड़ते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां अकाल नहीं जाता। सुखाड़िया जी पश्चिमी इलाके में गए हैं तो उस इलाके में अकाल नहीं जायगा क्योंकि इसका कारण है माननीय सभापति महोदया कि अकाल और सुखाड़िया जी जुड़वा भाई हैं।

श्री रामकिशन : सभापति महोदया, एक सुझाव बहुत अच्छा है। इनका कहना है कि जहां सुखाड़िया साहब जाते हैं वहां अकाल पड़ता है और डिफेन्स का बजट बनता है तो उनको चीन और पाकिस्तान भिजवा दें। क्या यह सुझाव बढ़िया नहीं है?

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोई फरक नहीं पड़ता है — भिजवा दें। ऐसी स्थिति के कारण ही भीषण परिस्थितियां बनी हैं। आज लाखों रुपयों के घोटाले हुए हैं अन्न की खरीद के नाम पर लाखों के घोटाले हुए हैं। अकाल राहत मन्त्री जी मैं दावे के साथ कह सकता हूं अन्न की सप्लाई करने में भ्रष्टाचार हुआ, फर्जी मस्टर रोल बनाए गए। आज भी उन पर लाखों का खर्चा किया जाता है इसका क्या कारण है? इसका जिम्मेदार कौन है? आज आप कहते हैं कि राजस्थान में भूख और प्यास से गायें नहीं मरी हैं। मैं कहता हूं कि पश्चिमी ईलाके में 8 लाख मरी हैं। गायों और मवेशियों के नर कंकाल पानी और घास के अभाव में अच्छी गायें और बछड़े तड़प तड़प कर मर गईं। लोक तन्त्र के अन्दर इस संसार को यह बतायें कि राजस्थान के अन्दर किसी भी हिस्से के अन्दर भूख से एक भी व्यक्ति नहीं मरा लेकिन आपकी आत्मा जानती है, आपका अन्तःकरण स्वीकार करता है राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर में एक व्यक्ति नहीं, 100 व्यक्ति नहीं हजारों व्यक्ति भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन आप इस कुर्सी पर बैठे रहने के कारण और लोकतांत्रिक स्वस्थ परम्पराओं को जीवित रखने के कारण इसके लिए मना कर रहे हैं और इस बात से डरते हैं कि संसार कहीं हमारे ऊपर नहीं थूके, कालिख न पोते

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

उसके कारण से आपकी हिम्मत नहीं है कि आप सही बात को स्वीकार करें लेकिन राजस्थान की दो करोड़ जनता इस बात को आज नहीं आने वाले इतिहासकार लिखेंगे कि सन् 68 के अन्दर जो भयंकर अकाल पड़ा और जिसके अन्दर हजारों आदमी और मासूम बच्चे मरे हैं उसका कोई पाप का भागी है तो राजस्थान की सरकार है। लाखों गायों का हत्यारा और लाखों आदमियों का कोई हत्यारा है तो वह राजस्थान का मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया हैं और उसकी सरकार है और उसकी सरकार के व्यक्ति यह कहें कि हमने अकाल की व्यवस्था अच्छी की है, आज मन्त्रीमण्डल के सदस्य यह कहें कि हमने लोगों को भूख से नहीं मरने दिया, प्यास से नहीं मरने दिया, भ्रष्टाचार नहीं होने दिया तो ऐसे व्यक्ति जब कि कुर्सी से उतरेंगे और वे जब भी विरोधी दल के सदस्यों से मिलते हैं तो अन्तःकरण की बात तो वह स्वीकार करते हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई लोकतन्त्र की स्वस्थ परम्परा नहीं है। स्वस्थ परम्परा वह है जो जनता के सामने सही बातें रखे। इतना ही नहीं, सभापति महोदया, यह बिल जिस ढंग से पेश किया गया है, जो ऑर्डिनेन्स जारी किया है वह गलत है। मैं आज सभापति महोदया राजस्थान के मुख्यमन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि सन् 67 के आम चुनावों के समय में राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने वोटों की खातिर गौ और गौवंश की निकासी के लिए एक ऑर्डिनेन्स जारी किया था लेकिन ज्योंहि चुनाव समाप्त हुए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय मुख्यमन्त्री जी ने ऑर्डिनेन्स को विधेयक का रुप देकर इस सदन में पेश नहीं किया और चुनावों में वोट लेने के खातिर, सस्ते स्लोगन्स के कारण, जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, गौभक्तों के वोट प्राप्त करने के लिये ऑर्डिनेन्स जारी किया गया लेकिन मैं मुख्यमन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस ऑर्डिनेन्स का क्या हुआ? क्या राजस्थान की सरकार राजस्थान की गौ और गौवंश की निकासी को बन्द नहीं करना चाहती है? क्या वह नहीं चाहती है कि अच्छी गायें, बछड़े कटने के लिए बूचडखाने में जायें। यदि आपकी यह मन्शा है तो, उस समय जो ऑर्डिनेन्स जारी किया था वह मैं मांगूंगा कि आपने केवल वोट प्राप्त करने के लिए जारी किया था लेकिन वास्तव में आपके हृदय में गौ और गौवंश की निकासी के लिए कोई दर्द नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसके लिए जिस प्रकार से यह विधेयक रखा है ठीक उसी प्रकार से उस गौ और गौवंश की निकासी के लिए इसी सदन के अन्दर और राजस्थान की विधान सभा के अन्दर उसको भी एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत कीजिए और अन्त में यही कह कर कि आपने इस विधेयक की धारा 11 के अन्दर जो पुलिस के वरिष्ट अधिकारियों को और सब-इन्सपेक्टर को बिना वारेन्ट के गिरफ्तार करने के अधिकार दिये हैं वह बहुत बड़ा जुल्म और अत्याचारी सिद्ध होगा, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बनेगा और उसके कारण से मजदूर और गरीब तबके के बस ड्राईवर, ट्रक मालिक और क्लीनर्स के लिए कच्चे धागे से बन्धी तलवार सिद्ध

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

होगा। इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे और इसमें जो बिना वारेन्ट के गिरफ्तार करने का अधिकार दिया है उसके ऊपर विचार करके इसको वापिस लेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई (साँचोर) : सभापति महोदया, माननीय श्री गाड़िया जी ने मेरे लिए कहा है कि मेरी गाड़ी फेमिन में ली गई और उस समय पूल में गांड़ियां होते हुए भी मेरी गाड़ी को किराये पर लिया गया। सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह देना चाहता हूं कि आपको वहां किसी मित्र के द्वारा ऐसी गलत सूचना मिली होगी। तहसील सांचोर में कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं थी और वहां पर गैस्ट्रो-एन्ट्राइटिस की बीमारी फैल रही थी। वहां पर मन्त्री महोदय भी आये थे और उन्होंने कहा था कि कोई भी गाड़ी कहीं भी हो उसको रिक्विजिट करके व्यवस्था की जावे वहां पर कोई गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं था। पूल की गाड़ियों के लिए आप कह रहे हैं लेकिन ऐसी गलत सूचना आपको अपनी ही पार्टी के किसी व्यक्ति से मिली होगी। यह पार्टीबाजी है और यह स्वस्थ चीज नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपको एक पर्टीकूलर चश्मा नहीं चढ़ाना चाहिए। आप भी एक विधायक हैं। आपके यहां भी यदि ऐसी समस्या उपस्थित हो और आदमी मरते हों और आपसे भी गाड़ी रिक्विजिट की जाये तो आप क्या करो।

श्री भगवानदास शास्त्री : आपको फी देनी चाहिये थी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अच्छा आप तो यह बता दो कि कितने रुपये रोज पर दी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कलेक्टर के जरिये मुझे नोटिस देकर गाडी ली गई। उस समय कोई गाड़ी अवेलेबिल नहीं थी उस हालत में मेरी गाड़ी ली गई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कितने रुपये लिए ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक नया पैसा भी किराया नहीं लिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप बता दें 50 रुपये रोज पर नहीं दी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मुझे नोटिस देकर और रिक्वीजिशन करके गाड़ी ली गयी और इसके अलावा आपको अपने किसी जनसंघ के मित्र ने गलत सूचना दी है। हर एक को कहने का अधिकार है लेकिन आप इस तरह से गलत एलीगेशन्स नहीं लगा सकते।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप किराया लेंगे या नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको इस तरह का चश्मा नहीं चढ़ाना चाहिए। आप

(घंटी)

वहां जा सकते हैं और जाकर इन्क्वायरी कर सकते हैं। मैंने नाजायज फायदा उठाया हो तो या तो आप स्तीफा दे दें या मैं दे दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अपने तहसील में बिल दिया या नहीं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप इस तरह के एलीगेशन्स लगाकर नहीं चल सकते। आप वहां जाकर इन्क्वायरी कर लीजिए और इस तरह से फालतू एलीगेशन्स लगा-कर हाउस का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो स्थिति थी—कोई भी गाड़ी किराये पर मिलने के लिए तैयार नहीं थी और वहां पर 60-65 रुपये देकर गाड़ियां किराये पर ली लेकिन मैंने स्पष्ट किया है उस समय भी कि मैं किराये पर नहीं देना चाहता हूं। मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं की। आप कलेक्टर के पास जाकर इन्क्वा-यरी कीजिए और उसके बाद में एक ह्यूमन कन्सीड्रेशन लिया गया। क्या आपका फर्ज नहीं होता था कि आपकी गाड़ी वहां पर राज्य के काम में आये तो नहीं ली जाये। आपकी जनसंघ की गाड़ियां दो तीन किराये पर ली गयीं और 65-60 रुपया किराये का दिया गया।

(घंटी)

मैंने किराये के हिसाब से कोई एग्री-मैन्ट करके नहीं दी। यह स्थिति है और जो एलीगेशन लगाया है वह गलत है। इस तरह की स्थिति है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप तो यह बता दें कि आप तहसील में बिल नहीं देंगे क्या?

श्रीमती सभानेत्री : दोनों ही माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप तो सेठ हैं, धनी हैं, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं जिस परिस्थिति में गाड़ी दी मैंने बता दिया और आप ऐलीगेशन्स लगायें इसका आपको कोई अधिकार नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अपन दोनों एक दूसरे की चल और अचल सम्पति बदल लें। मन्जूर है?

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री गोरधन सोनी।

श्री गोरधन सोनी : माननीय सभापति महोदया, हम आज राजस्थान मालयान अधिग्रहण विधेयक, 1969 पर विचार कर रहे हैं। मैं इस विधेयक की मूल भावना का सम्मान करता हूं लेकिन हर बात पर विधे-यक आना मैं उचित नहीं समझता। यह जो विधेयक लाया गया...

श्री शंकरलाल : आप इस प्रकार से निराधार एलीगेशन लगाते हैं यह उचित नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर, ऑर्डर!

(श्री शंकरलाल के अनवरत बोलते रहने पर) माननीय सदस्य ऑर्डर! कोई चर्चा नहीं होगी। आपसे बारबार ऑर्डर करें और उसका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं कई बार निवेदन कर चुकी हूं आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तो इसका मत-लब यह है कि इस तरह से हाउस में गलत आरोप लगाये जायें और उनका उत्तर नहीं दिया जायें।

Page No 114

श्रीमती सभानेत्री : दोनों पार्टी स्थान ग्रहण करें। आपने जवाब दे दिया।

श्री सोनी !

श्री गोरधन सोनी : मैं विधेयक की भावना की कद्र करता हूं, लेकिन जब इस ढंग से विधेयक आता है, और हम उन विधेयकों के द्वारा अपने अधिकारियों को अधिक अधिकार देते हैं तो विधेयक से दर-असल लाभ पहुंच सकेगा या नहीं, जनता को लाभ पहुंच सकेगा या नहीं पहुंच सकेगा, यह बात विचारणीय है। तो, सभापति महोदया, कहने का तात्पर्य यह है कि इस विधेयक से पुलिस को अधिकार दिया गया है, पुलिस के सब-इन्सपेक्टर या उससे ऊपर के ऑफिसर्स को अधिकार दिया गया है कि वे किसी को बिना कारण बताये गिरफ्तार कर सकता है, तो, सभापति महोदया, बड़ा अफसोस होता है। पुलिस को इस ढंग से अधिकार देना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पुलिस का आज तक का जो इतिहास रहा है उससे यह होगा कि जो पैसा दे देगा उसकी गाड़िया छोड़ दी जायेंगी और जो लोग उनको पैसा नहीं देंगे उनकी गाड़ियां पकड़ ली जायेंगी। पुलिस को इस तरह का अधिकार देना किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

यह जो विधेयक लाया गया है वह ट्रक वालों से कनेक्टेड है, जो ज्यादातर ट्रक और मोटर रखते हैं उनसे कनेक्टेड है। वैसे ही राजस्थान में इन लोगों की बड़ी खराब हालत है और उनकी दशा दयनीय है। पुलिस को और अधिकार दिये गये हैं जो उनको हमेशा परेशान करती है। यह उन्हीं के लिए लाया गया है कि चाहे किसी गाड़ी को हस्तगत कर लें। सरकार को अकाल राहत कार्यों के लिए चारा ढोने के लिए, पानी ढोने के लिए, अनाज ढोने के लिए ट्रकों की जरूरत है तो सरकार टेन्डर लेकर यह काम करा सकती है। सरकार चाहे तो लोगों की सद्भावना प्राप्त करके यह काम करा सकती है, जन-मानस बनाकर यह काम करा सकती है। अभी एक माननीय विधायक ने एक बात कही है कि भरतपुर में जब यह सवाल पैदा हुआ कि अकाल-राहत के लिए ट्रक चाहिए तो ट्रक वालों ने स्वेच्छा से ट्रक ला कर खड़े कर दिये और कहा कि हम उचित भाड़े पर अपनी सेवाएं देंगे। अगर सरकार इसी तरह से काम करे और गांधी जी के सिद्धान्तों के अनुसार जन-मानस बनाकर जन-सहयोग लेकर काम करती है तो उसको सहयोग मिलेगा, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को अधिकार देकर, पुलिस के अधिकारियों को और अधिकार देकर उन पर जुल्म और अन्याय करायें और समय पर मुआवजे का पैसा नहीं दें, उनको अपील करने का मौका नहीं दें, उनको न्यायालय में जाने का मौका न दें, मारें और रोने भी न दें इस ढंग का यह जो विधेयक है वह उचित नहीं है। मैं उसकी मुखालफत करता हूं। यदि यह विधेयक आता है तो उसमें संशोधन करें। कुछ आवश्यक बातों को उसमें रखें। न्यायालय में जाने की बात रखें। यदि समय पर किराया नहीं मिले तो उसको अधिकार होना चाहिये कि वह कोर्ट में जाये। इनकी इसमें बहुत बड़ी कमी है। इसमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता है।

इसके सिवाय इसमें बड़ी टंटा पड़ने वाली बातें हैं। वे यह हैं कि जैसा कि माननीय शास्त्री जी ने बताया था कि ट्रकों का एक दूसरे को बेचना होता रहता है, ट्रक ज्यादा तर गिरवी

Page No 115

(श्री गोरधन सोनी)

रहते हैं, उन्हें समय पर किश्त देनी होती है, जैसा किसी का ट्रक कब्जे में कर लिया गया और उसका आप समय पर भुगतान नहीं करेंगे तो वह क्या करेगा ? अगर किसी कारण से उसका भुगतान रुक जायेगा तो ट्रक वाले की क्या हालत होगी ? जिनके यहां गिरवी होता है उनको दिक्कत पड़ेगी । इस तरह से यह विधेयक कई दृष्टियों से उपयोगी नहीं है । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में इस विधेयक में इस तरह से संशोधन किया जाना चाहिए कि इस ट्रक का इस हिसाब से किराया देंगे, और अगर बाद में एडजस्टमैन्ट की बातें है तो भ्रष्टाचार के आधार पर किराया तय होगा । जो पैसा देगा उसका ठीक ढंग से होगा और जो पैसा नहीं देगा उसका ठीक ढंग से नहीं होगा। कई लोग गड़बड़ियाँ करने की कोशिश करेंगे, और अधिकारी लोग उनके साथ ज्यादती करेंगे। ये सभी बातें इस विधेयक के आने से होंगी जो कि किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं ।

ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जो विधेयक लायें वह कम से कम इस तरीके के लायें कि वे उलझनपूर्ण न हों । इस विधेयक से आम तौर पर यह होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा और सरकार की जो मन्शा है वह कामयाब नहीं होगी । जो ट्रक वाला पुलिस को पैसा दे देगा उसको पुलिस वाले छोड देंगे और जो पैसा नहीं देंगे उनकी गाड़ी पकड़ लेंगे, और ज्यादती करेंगे । इससे जो मन्शा है अकाल राहत देने, पीड़ित लोगों को सहायता देने की वह पूरी नहीं होगी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और लोगों के साथ अन्याय होगा, जुल्म होगा । इस आधार पर मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को सरल और संशोधित करें और यह लिमिट तय कर दें कि इस किराये पर लिया जायेगा और पेमेन्ट इतने दिनों में हो जायगा, और अधिकारी ट्रक वालों से यह कहें कि यह राष्ट्र के काम में आने वाली चीज है और आपत्ति में हम इसका उपयोग करते हैं और आपके साथ में ज्यादती नहीं होगी । जिस मन्शा से यह विधेयक पास किया गया है उसी मन्शा से यदि अधिकारी काम करें तो मैं विधेयक की सराहना करूंगा । वह नहीं होकर इस विधेयक का दुरुपयोग किया जायगा । अधिकारी लोग मनमानी करेंगे । इसलिए इस विधेयक का मैं घोर विरोध करता हूं । मैं उपयुक्त नहीं समझता हूं कि यह विधेयक पास हो ।

श्रीमती सभानेत्री : आप उत्तर दे दें मंत्री महोदय ।

श्री हीराभाई : सभापति महोदया, हमें बोलना है ।

श्रीमती सभानेत्री : एमेंडमेंट में अपना नाम नहीं दिया है ।

श्री हीराभाई : जनरल पर बोलना है ।

श्रीमती सभानेत्री : आपने दिया नहीं लिखकर । आपका नाम नहीं है ।

श्री हीराभाई : मैं किसी के समर्थन में नहीं बोल सकता क्या ?

श्रीमती सभानेत्री : आप अपना नाम दे दिया करें ।

श्री परसराम मदेरणा (अकाल राहत मन्त्री) : माननीय सभापति महोदया, पाली से आने वाले माननीय सदस्य और अजमेर

(श्री परसराम मदेरणा)

से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर यह आशंका व्यक्त की है कि जो नोटिस दिया जाय वह मालिक के नाम से दिया जाय। पाली से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि नोटिस अगर मालिक को देंगे तो गाड़ी कई हाथों में बिकती हुई चली जाती है, मालिक मिलता नहीं है, ट्रान्सफर कई जगह हो जाता है। यही बात मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे इसलिए इस विधेयक में यह प्रावीजन है कि नोटिस ऑफ रिक्वीजिशन जो सर्व किया जाता है वह मालिक और दूसरा व्यक्ति जो उसके पजेशन में है, चाहे वह ड्राईवर के पजेशन में हो या दूसरा मालिक हो उसको सर्व किया जाता है। कोई भी जिसके पजेशन में गाड़ी होगी उस पर सर्व किया जाता है मालिक की आवश्यकता नहीं। गिरवी रखने वाले गिरवी रखते हैं। गिरवी तो पैसे वाले लोग ही रख सकते हैं। एसेन्शियल कामोडिटीज के ट्रान्सपोर्ट के लिए यह किया जाता है, अकाल के क्षेत्र में यह किया जाता है। विधेयक में यह प्रावधान है कि जहां पर अकाल रहेगा वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी, और आज उसकी आवश्यकता है, क्योंकि अभी मैं यह समाचार बता रहा था कि बाड़मेर में बरसात हुई, लेकिन बैठने के बाद में इत्तला आई है कि बाड़मेर के बहुत से इलाकों में बरसात नहीं है। बागासर, रामसर वगैरह इन सभी जगहों पर बरसात कतई नहीं हुई है। शेरगढ़ में बारिश नहीं हुई है। जैसलमेर के 35-36 गांवों में बारिश हुई है। अन्दाजा ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के हजारों गांवों में अभी अगस्त का महीना चल रहा है, हम लोग अगस्त में चल रहे हैं, लेकिन वहां पर अभी तक एक बूंद बारिश नहीं हुई है। मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि बाजरे की बुआई इस वक्त चल रही है इसलिए गिरवी वाले लोगों की वे चिन्ता न करें, और अकाल से जो लोग परेशान हैं उनको एसेन्शियल कामोडिटीज कैसे पहुंचाई जायें इसलिए राज्य सरकार को इस विधेयक से आर्म्ड किया जाना चाहिए ताकि सिचुएशन को मीट आउट किया जा सकें।

यहां पर एक बात ड्यूरेशन के बारे में कही गई है कि ड्यूरेशन किस वक्त तक का रहेगा। तो इस विधेयक की क्लॉज (5) में इसका प्रॉवीजन है कि जिस वक्त के लिए, इन एसेन्शियाल कामोडिटीज को ट्रान्सपोर्ट करने के लिए जितने अर्से तक इनकी आवश्यकता होगी उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं रखेंगे। "शैल" वर्ड जो यहां पर यूज हुआ है उसका मतलब यही है कि राज्य सरकार एक दिन भी उससे ज्यादा नहीं रख सकती है।

यहां पर जो यह एक बात कही गई है कम्पेन्सेशन के बारे में तो उसके लिए यह लिखा है कि उस लोकेलिटी में जो प्रिवेलिंग रेट्स हैं उनके आधार पर रेट्स रहेंगी। उसमें गलतफहमी न हो इसलिए रूल मेकिंग पावर 15 के नीचे राज्य सरकार को है उनमें डिटेल्ड रूल्स बना देंगे।

यहां पर सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कम्पेन्सेशन के बारे में प्रेस्क्राइब करने की बात कही है। प्रेस्क्राइब इसलिए नहीं किया गया है कि रूल-मेकिंग पावर नहीं रख कर प्रोवीजन रख दिया है कि लोकेलिटी के अन्दर जो रेट्स होंगी वह

(श्री परसराम मदेरणा)

दी जायेंगी। हम मालिकों को जो स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं उठाने देना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो हायर उस वक्त प्रिवेलिंग रेट का है वह उनको मिलना चाहिए, और इसलिए हमने यह प्रोवीजन रखा है, ताकि इसके अन्दर जब कभी रेट घटती है तो वह पैसा उनको मिले और बढ़ जाती है तो नुकसान ज्यादा न हो। इसका प्रोवीजन रख दिया गया है इसलिए रूल्स वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिटेल में रेट क्या होनी चाहिए और प्रिवेलिंग रेट का क्या प्रिन्सीपल होगा उसके बारे में हम रूल्स बना देंगे।

दूसरी बात यह कही गई है कि ये व्हिकल्स जो लिए गए हैं, जिस परपज के लिये लिये गये हैं वह सर्व नहीं हुआ है। आप तो यह जानते हैं, कि एक्ट में इसका सिमिलर प्रावधान रखा गया है। व्हिकल्स कई जगह फैल भी हो जाते हैं। ऊंटों पर भी जाना पड़ता है। कई बार इलेक्शन पार्टियों को ऊंटों पर जाना पड़ा है। बाड़मेर कलेक्टर से हमने पूछा तो बताया गया कि 3 गाड़ियां सिंगलव्हील की और 56 गाड़ियां 4 व्हील की रिक्वीजीशन की है। कितनी खराब हुई है। लेकिन बाड़मेर जिले में 56 गाड़ियां उपलब्ध होती हैं। फेमिन में 7-7 मील दूर से रोज पानी पहुंचाते हैं वहां जो पोपुलेशन आयी है। उसके लिए वहां कड़ुवा पानी है। फोर व्हील व्हिकल्स हैं। सिंगल व्हील भी है। टैंडर भी हुए थे। लेकिन कोई भी मालिक तैयार नहीं था। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने ग्रेविल की बात की है। हमने देखा है, एसेंसियल कमोडिटीज एक्ट में ग्रेविल नहीं है। लेकिन हमने इन्स्ट्रक्शन ले लिए हैं। गवर्नमैन्ट ऑफ इंडिया ने एग्जामिन कर लिया है। आर्टिकिल 31 में एक्वीजीशन हो जायगा। राजस्थान में 10 हजार मील में सड़क लगी हुई हैं। माल ट्रान्सफर करने की जरूरत है। ये मोटर व्हिकल्स करते हैं। एसेन्शियल कमोडिटी नही है। यह अपूर्ण हो सकता है। अभी अपूर्णता दिखती है। यदि हम उसे करेंगे तो वह ओपन टू चैलेंज होगा। मैंने भारत सरकार से एग्जामिन कराया है।

एक बात और जो पुलिस सब-इन्सपैक्टर के बारे में कही गई है। जो अरेस्ट का कहा है। तो वह वारंट कैसेज हैं। सब इन्सपेक्टर जब एफ० आई० आर० लिखता है और उसे जब यह मालूम हो जाय कि यह कॉग्निजिबिल है तो वह अरेस्ट कर सकता है। इण्डियन पीनल कोड में दो प्रकार के ओफेंस हैं। एक कॉग्निजेबिल और दूसरा नान् कॉग्निजेबिल। कॉग्निजेबिल में वह अरेस्ट कर सकता है। लेकिन किसी एक व्यक्ति को भी अरेस्ट नहीं किया है। जैसे ही रिक्विजीशन नोटिस मिले हैं। लोगों ने अपनी गाड़ियां दीं। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे।

बारां से आनेवाले माननीय सदस्य ने यहां पर कुछ बातें कही। पुलिस सब-इन्सपैक्टर के बारे में कहा है। उसका जवाब मैं दे चुका। कच्ची पच्ची सड़क के बारे में जो कहा गया तो कच्ची का कच्ची के अनुसार और पक्की का पक्की के अनुसार मिलेगा। यहां पर यहा गया है कि गुड़ खरीद में 100 रु० के भाव से हल्का गुड़ ले लिया है। ओपन टेण्डर से गुड़ परचेज किया गया है। अब उस का सेम्पल

(श्री परसराम मदेरणा)

ही नहीं है तो गुड़ कौनसी क्वालिटी का है; यह तय नहीं हो सकता है। इसके लिए हमने तीन आदमियों कि एक कमेटी बनाई थी। यह एक आदमी की परचेज नहीं है। 50 परसैंट राज्य सरकार ने पैसा दिया है और 50 परसैन्ट मुख्यमंत्री सहायता कोष से पैसा दिया था। यहां पर बँगले बनाने की बातें भी कहीं गई हैं। कहा गया कि लादूराम मायाराम बन गये हैं। बन गये हैं या नहीं। नहीं बनते हैं तो भी कहते हैं यह इरिगेशन डिपार्टमेंट करता है। वह टैक्निकल पोसिबिलिटी के बारे में सैंक्शन इश्यू करता है। उसके स्वीकार करने के बाद यह तीन को भी मिलेगा, चार को भी मिलेगा। स्मॉल बंधा है तो खडीन होगी तो तीन, चार, पांच को मिल सकता है। इण्डीवीज्युअल एक आदमी को नहीं देते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट इण्डीवीज्युअल आदमी से कहीं बांध नहीं बनाता है। जो कुछ बने हैं, टैक्निकल सैंक्शन के बाद में ही बने हैं।

यहां पर बारां से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि अकालमंत्री की अन्तरात्मा से पूछा जाये कि भूख से कितने मरे हैं। वह पाप को छुपा रहे हैं। मैं उस पाप को फिर दुहरा रहा हूं। हर तीन, चार और पांच मील पर कैम्प खोल दिये गये हैं भूख से मरने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं वहां की पब्लिक से मिला हूं। वहां के विधायकों से मिलता हूं। मैं उस पाप को फिर दुहराना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि भूख से कोई आदमी मरा नहीं है। समुचित व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। जिस आदमी के पास मजदूरी से पैसा आता रहा है। वह भूख से नहीं मरेगा। वह कहीं से भी अनाज लायेगा। वह भूख से मरेगा नहीं। इसलिये कोई भूख से मरा नहीं है।

अभी तक जितने अकाल पड़े हैं, मैं जहां जाता हूं, लोग कहते हैं कि इतना अच्छा प्रबन्ध कभी नहीं हुआ है।

यहां पर जो यह बात कही गई है कि ऑर्डिनेंस वापिस नहीं लाये। इसीलिये उस वक्त नहीं लाया था, क्योंकि वह लैप्स हो गया था। उसमें प्रेसीडेंट से प्रायर सैंक्शन की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद में निवेदन करूं, शायद भारत सरकार के पास भेजा था और उसकी क्या स्थिति रही, यह मैं नहीं बात सकता क्योंकि वह मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नहीं है। 1967 के फरवरी में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद लगातार राजस्थान में अकाल रहा और राजस्थान का केटल मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में गया है। अगर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करते तो एक एक आदमी को परमिट लेना पड़ता, इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि कैटल ओनर, गोपालक को कितनी बड़ी परेशानी हो जाती। इसलिए 1967 के बाद नहीं आया। यह ठीक है। यह एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट के सोचने की बात है।

तो जो मुद्दे उठाये, मैं उनको उत्तर दे चुका हूं। इसके साथ साथ सदन के माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि जो प्रस्ताव पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने, सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने

(श्री परसराम मदेरणा)
इसे जनमत जानने के लिए, जनमत के लिए इसको प्रसारित करने का रखा है और सिलेक्ट कमेटी को रेफ़र करने का रखा है, मैं समझता हूं कि क्योंकि इस विधेयक में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें किसी को कोई एतराज हो और जिसमें सिलेक्ट कमेटी किसी प्रकार की तरमीम कर सके, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव वापिस ले लें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

श्रीमती सभानेत्री : क्या प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

(अनुमति दे दी गई ।)

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ? पुट अप कीजिये और कोई तो बाकी नहीं है ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : वापिस ले लिया है ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया ।

प्रस्ताव रखिये । क्लॉज बाई क्लॉज ।

श्री हीरा भाई : सभानेत्री महोदया, मैं बोलना चाहूंगा ।

श्री परसराम मदेरणा : विचारार्थ तो रख दिया ।

श्री हीरा भाई : विचारार्थ लेने के लिए रखा गया है । सभानेत्री महोदया, जो...

श्री खेतसिंह : जिस विषय पर आप बोलना चाहते हैं वह कल आयेगा ।

श्री हीरा भाई : जो विधेयक विचारार्थ लिया जा रहा है...

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! क्लॉज बाई क्लॉज चल रहा है । श्री यसवन्त सिंह नाहर बोलेंगे । क्लॉज बाई क्लॉज ।

श्री हीराभाई : मुझे बोलने की इजाजत दे दी है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : जी हां। आप यह फर्मा रहे थे ।

श्री रघनाथ विश्नोई : जिसमें अमेंडमेंट नहीं हैं वह क्लॉज पास करवा लें ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि खंड (2) स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खंड 2 स्वीकार किया गया ।

खंड 3 श्री यसवन्तसिंह नाहर ।

श्री हीराभाई : एक व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे इजाजत दे दी थी । अब आप क्लॉज लेने जा रहे हैं । मैं विचारार्थ प्रस्ताव पर बोल रहा था उसके बीच में ...

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसके बाद आयेगा ।

श्री हीराभाई : बाद में कैसे आयेगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बाद में आ जायेगा ।

श्री जयनारायण सालोदिया : कह चुकी है ।

श्री हीराभाई : यह तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है । बाद में कैसे होगा, आप तो पास करवाना चाहते हैं । यह जब विचारार्थ लिया जा रहा था तब मैं बोल रहा था । आपने कहा कि अमेण्डमेंट आपका नहीं है । क्या जनरल पर हम नहीं बोल सकते ।

श्रीमती सभानेत्री : अमेण्डमेंट पर चालू हो चुका है । आपको बाद में वक्त दे देंगे ।

श्री हीराभाई : बाद में क्यों ? पहले खड़े होने वाले रह जाते हैं ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य !

श्री हीरा भाई : मुझे तो आपने इजाजत दे दी थी । बाद में नाहर साहब का अमैण्डमेंट है ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, एक क्लॉज स्वीकार कर लिया गया है । जब क्लॉज पर विचार होता है तो बीच में नहीं बोल सकते । आप जानते हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह जानते नहीं हैं ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभानेत्री महोदया खण्ड 3 में मेरा पहला संशोधन इस प्रकार है : (1) इस खण्ड में जहां कहीं शब्द "सरकार" प्रयुक्त हुआ है उसके पश्चात् शब्द "अथवा कलेक्टर" जोड़े जायं । इससे पूर्व कि मैं मेरे संशोधन पर कुछ अपने विचार व्यक्त करूं, मेरा भी यही विचार था कि यह जो बिल आया है, यह साथ साथ उन बातों को लेकर बिल आता जो कि समष्टि और व्यष्टि, व्यक्ति और समाज के विषय के तमाम प्रश्नों के लिए निर्णायक होता । क्योंकि इस वक्त अकाल पड़ रहा है । और नये कानून को लाने में समय लगेगा, इसलिए मैंने उचित समझा

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

कि इस वक्त यह जो कुछ है, जिस उद्देश्य को लेकर यह बिल आया है उसी उद्देश्य के दृष्टिकोण से जहाँ कुछ मैंने अभाव का अनुभव किया है उसको लेकर मैंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं। मेरा पहला संशोधन जो है वह केवल सुविधा की दृष्टि से है। राज्य सरकार को रिक्वीजीशन करने की या अन्य शक्तियां इस कानून के तहत दी गई हैं और उसकी दफा है जिसके तहत डेलीगेशन ऑफ पावर की गई है। क्योंकि केवल कुछ क्षेत्रों को लेकर इस कानून का उपयोग होगा इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा पहला अमैंडमैन्ट तो यह है कि राज्य सरकार दफा तीन में 'कलेक्टर' को अधिकार देवे, वह चाहे जिसका रिक्वीजीशन करे। डेली-गेशन ऑफ पावर में यह हो, मैं सोचता हूं उसके बाद यह नहीं होगा कि किस किस अधिकारी को उसके द्वारा यह अधिकार दे सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट अमैंडमैंट है उसके पीछे एक दृष्टिकोण है कि कलेक्टर जिस जगह चाहे उस जगह कलेक्टर इस पावर का प्रयोग कर सकता है। इसलिए पहला मेरा अनुरोध यह है कि केवल 'कलेक्टर' को ही 'राज्य सर-कार' शब्द के साथ प्रयुक्त कर दिया जाय तब रिक्वीजीशन या अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। नम्बर दो में मैंने यह निवेदन किया है कि रिक्वीजीशन के आदेश प्रचलित हो जाने के बाद एक लम्बे समय तक उसके उपयोग को राज्य सरकार को करने को नहीं मिलता है। यही नहीं, मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूं, 1965-66 के अन्दर जैसा पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि टेन्डर के द्वारा ऐसी गाड़ियों को लिया जाय, तो तीन महीने तक माल का ढोना मेरे डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा में इसलिए सम्भव नहीं हो सका क्योंकि टेन्डर के द्वारा, जिसका प्रारूप तैयार किया गया था जिसके द्वारा यह प्रावधान दिया गया था कि राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन निकालेगी, टेन्डर मांगेगी-तो इसका तीन महीने तक पालन नहीं हो सका और तीन महीने तक अनाज और घास को ढोने में असफल रहे। ऐसी अवस्था में इस कानून का उद्देश्य यह है कि जल्दी से जल्दी सरकार के हाथ में व्हीकल आ जाय। इसलिए मैंने इसके अन्दर यह संशोधन रखा है :

(2) इस खण्ड के उप-खण्ड (3) के पश्चात् निम्नांकित उप-खण्ड (4) इस प्रकार जोड़ा जाय :

(4) (क) उप-धारा (1) के आधीन अधिग्रहण के आदेश परिचालित होने के साथ साथ राज्य सरकार अथवा कलेक्टर उस अधिग्रहीत मालयान का अधिग्रहण करेंगे, और इसके साथ यह ऐड किया है :

(ख) ऐसे अधिग्रहण की सूचना उस व्यक्ति को देंगे जो अधिग्रहण करते समय उस मालयान के आधिपत्य में था। तो मेरा केवल यह उद्देश्य था, जिस उद्देश्य को लेकर यह कानून आ रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाय और राज्य सरकार की आड़ में एक व्यक्ति के अधिकार के मुकाबले सारे समाज के हित में जितना अधिक उपयोग उसका हो सके, किया जाय। इसलिए मैंने यह अमैंडमैंन्ट दिये थे। मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री से कि इस दृष्टिकोण से रखे गये उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस अमैंडमैन्ट को स्वीकार करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभानेत्री महोदया, क्लॉज तीन के सम्बन्ध में बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखे हैं, उनमें एक तो यह है कि 'राज्य सरकार' की जगह वहां 'कलेक्टर' को रिप्लेस कर दिया जाय या 'राज्य सरकार' के साथ में वर्ड 'कलेक्टर' जोड़ दिया जाय। राज्य सरकार के जो फंक्शन हैं उनको आगे डेलीगेट करने के लिए इस विधेयक में प्रावधान है, वह है क्लॉज 9 "अधिग्रहण के सम्बन्ध में सरकार के कृत्यों का प्रत्यायोजन"। इसके नीचे राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है गजट में और जो राज्य सरकार के पास पावर थी वह कलेक्टर को दे दी गई, इसलिए कलेक्टर को रिक्वीजीशन के राइट्स दिये गये हैं, वह पजेशन ले सकता है। इसलिए माननीय सदस्य की जो मन्शा है वह इससे पूरी हो जाती है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि एक नया खण्ड बढ़ाते हुए दो उप-खण्ड बताये हैं, उसमें कहा है कि उसको इमिजियेटली पजेशन में लिया जाय, रिक्वीजिशन के लिये नोटिस देना ही पर्याप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि रिक्वीजीशन का मतलब ही पजेशन लेना है। यह इसमें स्पष्ट कर दिया है कि रिक्वीजीशन का नोटिस ही नहीं देंगे, टाइम भी नोटिस में दे रहे हैं, दिन और जगह भी बता रहे हैं और अधिकारी का नाम लिखा रहता है जिसको कि डिलीवर करना है। इसकी अगर पालना नहीं करते हैं तो पैनल्टी भी रखी है। तो मैं समझता हूं कि इसका इसमें प्रावधान है। ऐसे ही अधिकार पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट में हैं। क्लॉज (ख) में यह दे रहे हैं कि जिसका आधिपत्य है, जिसके पजेशन में है, उससे ले ली जाय। तो यह तो ऑलरेडी इसमें है। इस प्रकार का प्रावधान इस विधेयक में है तो ऐसी दशा में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य ने जो संशोधन मूव किये हैं, उनको वे वापिस लेंगे मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं वापिस लेता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : आप अपने अमेंडमेंट को वापिस लेंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ले लिया।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

खण्ड 6। श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदया, इस खण्ड में मेरा संशोधन इस प्रकार है : खण्ड 6 व 7 इन खण्डों में जहां कहीं शब्द "सरकार" प्रयुक्त हुआ है उसके

Page No 123

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

पश्चात् शब्द "अथवा कलक्टर" जोड़े जायं। मेरे आग्यूमेंटस वही हैं, जिनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। कलेक्टर के लिये मैंने उस समय निवेदन नहीं किया था, अब निवेदन करना चाहता हूं कि डेलीगेशन्स जहां तक हों बहुत कम हों, इसलिए इसमें प्रावधान हो जाय तो ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। एग्जीक्यूटिंग ऑथेरिटी कलेक्टर ही है, डेलीगेशन्स कम से कम हों इसलिए मैंने यह रखा है। धारा 3 के अमैंन्डमेन्ट को मन्त्री महोदय ने अस्वीकार किया है इसलिये मैं इसको भी विथड्रा करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : (श्री परसराम मदेरणा को सम्बोधित करते हुए) आपका अमैन्डमैन्ट है ।

श्री परसराम मदेरणा (प्रभारी मन्त्री): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 6 के प्रथम परन्तुक में शब्द 'आवेदन-पत्र" व शब्द "दे सकेगा" के बीच शब्द "सरकार को" निवेशित किये जायें।

ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि ट्रान्सलेशन में एरर रह गई है, आवेदन-पत्र लिख दिया सरकार शब्द रह गया। मैं, समझता हूं कि इसे सदन स्वीकार करेगा।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह कि खण्ड 6 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 6 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 7 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 8 स्वीकार किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अमैन्डमैन्ट हैं क्या?

श्रीमती सभानेत्री : किसी में नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसी में नहीं हैं तो सब को एक साथ रख दें। क्यों बार बार पढ़ती हैं?

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि खण्ड 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

ये खण्ड स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1.........

एक माननीय सदस्य : प्रियेम्बल और टाइटल ..

श्रीमती सभानेत्री : प्रियेम्बल और टाइटिल को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रियम्बल और टाइटल स्वीकार किये गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रियेम्बल तो रह ही गया। प्रियेम्बल के बगैर सब बेकार हो गया।

एक माननीय सदस्य : प्रियेम्बल हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वैसे ही कैसे हो जाय, प्रियेम्बल पास किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मालयान अधिग्रहण विधेयक, 1969 को पारित किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने रूल्स क्यों नहीं बनाये, रूल्स नहीं बनाये तो इसका इम्प्लिमैन्टेशन कैसे होगा।

दूसरा यह बताइये कि आर्बीट्रेटर सेक्शन 6 में किसको मुकर्रर किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : नोटिफिकेशन की जरूरत थी, 6 के नीचे, क्लॉज 8 और 6, 7 के लिये कलेक्टर को गवर्नमैन्ट के फंक्शन डेलिगेट कर दिये। सीजर के पावर के ओथेराइजेशन का एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है इसलिये वर्तमान में तो इस विधेयक को लागू करने की बात थी, वह इन दो नोटिफिकेशन्स से लागू हो गई, पूरी हो गई।

द्वितीय वाचन के समय सवाल आया था कि प्रिन्सिपल क्या होना चाहिये, इसकी डिटेल्स में मैंने कहा था कि रूल्स बना देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने ऑर्डिनेन्स जारी करने के बाद रूल्स नहीं बनाये।

श्री परसराम मदेरणा : नोटिफिकेशन निकाला, गजट में पब्लिश कर दिया। मैंने सुबह ही कहा कि रूल्स नहीं बनाये हैं, पब्लिश किये हैं। राजस्थान राज-पत्र में जो नोटिफिकेशन पब्लिश कराते हैं, उनको सदन की मेज पर नहीं रखा जाता। इससे पर्पज फिलहाल तो सर्व हो गया। रूल्स बनाने की बात है, वह बना लेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि राजस्थान मालयान अधिग्रहण विधेयक, 1969 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान मालयान अधिग्रहण विधेयक, 1969 पारित किया गया।

श्रीमती सभानेत्री : राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1969।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल।

श्री पी. के. चौधरी : (श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल के खड़े होने पर) There should be no objection to this Bill. It should be allowed to pass.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What about you ?

श्री पी. के. चौधरी : मैम्बर्स आपस में विचार करेंगे But I don't think it is proper that we should raise an objection.

श्री भैरोंसिंह : 125) रुपया बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेन्स नहीं लाना चाहिए था।

श्री पी. के. चौधरी : रीजनेबुल है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : गलत है, अकाल के वक्त नहीं होना चाहिए था।

श्री पी. के. चौधरी : This is quite reasonable. अभी तक डिप्टी स्पीकर को डिप्टी मिनिस्टर का रैंक था। When you give him the rank of Minister of State, naturally he should get that.

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सदस्यों के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां (विधि मंत्री) : कुछ माननीय सदस्यों ने मुझसे पूछा कि एम. एल.एज. के लिए क्या कर रहे हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि सदन के बाहर मेरी कुछ माननीय सदस्यों से बातचीत हुई थी और उसके अंदर कुछ ऐसी भावनायें लगीं कि जब एम. पीज. की सेलेरीज और भत्ते बढ़े हैं तो यहां भी कुछ एम. एल. एज. की मन्शा थी कि राजस्थान के अंदर भी इस संबध में कुछ होना चाहिए। मैंने उनको सदन के बाहर विश्वास दिलाया कि जो आपकी भावनायें हैं वह मैं सदन के नेता और कैबीनेट के सामने रखूंगा। मेरे लिए कहना मुश्किल है कि क्या करा सकूंगा लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो जो लीडर्स हैं उनसे इन्फार्मल्ली बातचीत करके किसी नतीजे पर पहुंचूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हम चाहते हैं कि कम करें। हमारी कतई इच्छा नहीं है। कहां तो एक या डेढ़ रुपया मिलता था। हम चाहते हैं कि किसी की भी न बढ़े सबकी कम करें इस समय राजस्थान विकट स्थिति से गुजर रहा हैं। हमने कहां कहा है कि बढ़ाओ ?

श्री हीराभाई : इस विधेयक में 'सदस्यों' शब्द क्यों रखा है ? इसको हटाया जाय या हरेक को दिया जाय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उसमें कोई बात नहीं है। बाकी सदस्यों शब्द लिखने से सभी सदस्यों को यह कलंकित करता है। अकाल के समय वेतन बढ़ाने के लिए या खर्चा बढ़ाने के लिए यह ठीक नहीं है इसलिए 'सदस्यों' शब्द हटाया जाय।

श्री वृद्धिचंद्र जैन : राजस्थान की वर्तमान आर्थिक स्थिति जो है उसको देखते हुए विधान सभा के सदस्यों का भत्ता और बढ़ाना मैं उचित नहीं समझता हूं। जब इस प्रकार फेमिन कन्डीशन्स भयंकर हैं, राज्य की आर्थिक स्थिति बड़ी विषम हैं यदि हम अपना भत्ता बढ़ायेंगे तो यह अच्छा उदाहरण देश के सामने नहीं होगा।

श्री मदनसिंह दांता : आपको किन किन सदस्यों ने, किन किन पार्टियों ने एप्रोच किया है इस सम्बन्ध में ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस फेमिन में किस किस ने अपने पैसे कटवाए ?

श्री मदनसिंह : हम स्पेसीफिक जानना चाहते हैं। एक तरफ नेता लोग अकाल की बात करते हैं तो फिर कौनसी पार्टी के सदस्यों से आपने बातचीत की ?

श्री बरकतुल्लाखां : सदन के बाहर हम लोग बहुत सी बातें करते हैं और उन बातों को कई बार सदन में इस तरह रिपीट नहीं करते हैं जिससे मालूम हो कि फलां आदमी

Page No 126

(श्री बरकतुल्ला खाँ)

को पिन डाउन किया जाता है। क्योंकि माननीय सदस्य ने खड़े होकर पूछा कि एम. एल. एज. के लिए क्या कर रहे हैं तो उस समय मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि जो बातचीत हुई उसको मैं सदन के नेता के सामने रखूंगा और कैबीनेट के सामने रखूंगा। न तो मैंने यह कहा कि तनुख्वाह बढ़ाने की कोशिश करूंगा न कहा कि घटाने की कोशिश करूंगा लेकिन जो सदन के बाहर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं...

श्री दौलतराम सारण : तो गोपनीय बात का यहां पर क्यों उल्लेख करते हैं? या तो स्पष्ट कहें अन्यथा जिक्र मत करें। आप सदस्यों को इस तरह संशय में डालते हैं। आप यह भी नहीं बताना चाहते कि कौन माननीय सदस्य थे, क्या बात हुई थी बढ़ाने की या घटाने की। आप कैबीनेट में रखें यहां पर मत रखें।

श्री बरकतुल्लाखां : जो मेरी बातचीत हुई थी उसका कोई नोटिस नहीं लेते हुए कार्य शुरू किया जाय।

श्री मदनसिंह : मैं स्पेसीफिक पूछता हूं। मंत्री महोदय ने अपना ऐसा गोला छोड़ा है सदस्यों के बारे में कि अकाल के समय जनता को शंका पैदा होती है कि ऐसे सदस्य हैं राजस्थान में। हम जानना चाहते हैं कि किस पार्टी के सदस्य हैं। अगर नाम नहीं बताते हैं तो पार्टी का नाम बतायें। जनता भूखे मर रही है और आप पैसा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसी चीजें सरकार को सदन में नहीं कहनी चाहिए।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरी सदस्यों से बातचीत हुई है। एक आध को छोड़कर बाकी सब सदस्य चाहते हैं कि जैसे हरियाणा में सदस्यों को फोन की सुविधायें मिली हैं, ऐसा यहां भी होना चाहिए जैसे रेलवे की सुविधायें हैं। अधिकतर सदस्य चाहते हैं, सारे सदस्य चाहते हैं कि जैसे और प्रान्तों में हुआ है उस प्रकार की सुविधायें राजस्थान में भी होना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य जो प्रस्तुत बिल सामने आया है, उस पर संशोधन श्री सतीशचन्द्र प्रस्तुत करते हैं।

श्री विजयसिंह : जब सदस्यों ने 800) 800) दो महीने के उठा लिए उस समय सदस्यों ने विचार क्यों नहीं किया, जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? इसलिए हम चाहते हैं कि पैसे बढ़ने चाहिए, 400) से हमारा गुजारा नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मैम्बर्स इमाल्यूमैंटस) (सेकंड अमैंडमैन्ट) ऑर्डिनेन्स, 1969 जो 29 जून, 1969 को राज्यपाल महोदय ने जारी किया, उसको अस्वीकार किए जाने के सम्बन्ध में मैंने संकल्प की सूचना दी है जो इस प्रकार है: "यह सदन दिनांक 2 जुलाई, 1969 को श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) अध्यादेश सं० 4 सन् 1969 को अस्वीकार करता है।" अभी फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने एक बात यहां पर कही, उसका जवाब तो हमारे दल के नेता महोदय ने दे दिया। मैं भी नहीं चाहता कि उपाध्यक्ष की तनख्वाह बढ़ाने के सम्बन्ध में हम विरोध करें लेकिन प्रश्न इतना सा नहीं है। अगर यहां उनकी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तनख्वाह 1125 के बजाय 2125 करने का विधेयक आता तो लोकतन्त्र शासन व्यवस्था में जो इस सदन को अधिकार है कि राज्य के लिए कोई भी कानून बनाए, उसे सम्बन्ध में यहां वाद विवाद हो, डिस्कशन का अधिकार सदन के सदस्यों को है, उस एक महत्वपूर्ण अधिकार से सदस्यों को महरूम रखना और फिर अध्यादेश के माध्यम से उपाध्यक्ष के लिए 125) बढ़ाने के लिए यह अध्यादेश जारी करना, मैं नहीं समझता कि यह कोई अकाल का मामला है या कोई ऐसा मामला है जिसमें ऐसी अर्जेंसी थी कि अध्यादेश जारी नहीं होता और जुलाई के महीने से 125) उपाध्यक्ष को नहीं मिलता और अगस्त में विधान सभा के अधिवेशन में कानून लाकर 125) रुपया बढ़ाते, चाहे रिट्रास्पेक्टिवली एक जुलाई से ही बढ़ा देते तो मैं नहीं समझता कि जमीन आसमान फटने वाला था।

इसलिये संविधान की धारा 213 के अन्तर्गत जो असाधारण अधिकार राज्यपाल महोदय को दिये गये हैं उन असाधारण अधिकारों का यह महान दुरुपयोग है। इस प्रकार से एक व्यक्ति विशेष की तनख्वाह बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी करना कौनसी डिस्क्वालिफिकेशन को रद्द करने का मामला है, कौनसी वार छिड़ गई है, कौनसी एक्वीजिशन ऑफ प्रोपर्टी का सवाल है एनेमी की, उसके लिए ऑर्डिनेन्स जारी करते तो हम उसका स्वागत करते, लेकिन 29 जून को ऑर्डिनेन्स जारी करना जबकि अगस्त में सैशन होने जा रहा है और विधान सभा के अधिवेशन को अगस्त में बुलाना है यह मामला केबिनेट के सामने था, केबिनेट ने विधान सभा के अधिकारों पर कुठाराघात करके राज्यपाल महोदय को यह सलाह दी कि अध्यादेश निकाल कर उपाध्यक्ष की तनख्वाह बढ़ाई जाये। अध्यादेश जारी करना और सदन में टीका टिप्पणी और आलोचना की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर न होकर यह सारी जिम्मेदारी इस सरकार की है जिसने इस प्रकार ऑर्डिनेन्स निकाल कर टीका टिप्पणी करने का आलोचना करने का मौका दिया है। सदन सर्वोपरि है। सदन चाहे तो उनको स्टेट मिनिस्टर का क्यों स्टेटस दिया जाय उनको मिनिस्टर का स्टेटस दीजिये। सवा सौ रुपये ही अधिक क्यों उनको 250 रुपया अधिक देकर मिनिस्टर के बराबर कर दीजिये। चीफ ह्विप के स्टेटस के अनुरूप ही क्यों? उनको स्पीकर के स्टेटस के अनुरूप तनख्वाह दीजिये। उनको 1,250, दीजिये। मुख्य सचिव को 2,500 रुपया देते हैं, चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 2,800 रु. देते होंगे। क्या मंत्रीमण्डल के सदस्य यह कह सकते हैं कि उनको तनख्वाह कम मिलती है उनके सबोर्डिनेट्स से, इसलिये उनके सबोर्डिनेट्स पर उनका जोर नहीं चलता? यह सरकार का एप्रोच गलत है। तनख्वाह बढ़ाने की बात हैं तो बढ़ाइये। सदन में उसके लिये विधेयक लाइये और उस पर विचार कीजिये और एक काम्प्रिहैन्सिव विधेयक लाकर उस पर फिर सदन में विचार कीजिये। राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एन्ड मेम्बर्स) इमोल्युमेन्ट्स एक्ट में एक साल में दो दो संशोधन ले आये। अध्यादेश निकाल दिया। यह आपकी अपरिपक्वता का द्योतक है। यदि आपको कानून में संशोधन लाना था तो उस समय ही लाना चाहिये था जब कि गिरधारीलाल जी व्यास

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चीफ व्हिप के बारे में लाया गया। यह तो चीफ व्हिप की जिम्मेदारी थी। उनको स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया। मोटर फ्री, बंगला फ्री, नौकर चाकर, बिजली, पानी फ्री, 1125 रु. तनख्वाह दे दी। डिप्टी स्पीकर को कम तनख्वाह साधारण सदस्य के मुकाबले में जो कि उनसे नीचे बैठता है और वे ऊपर बैठते हैं, उनको तो एक हजार रुपया और नीचे उनसे बैठने वाले सदस्य को 1125 रु. की तनख्वाह। इस पर उस समय ही विचार करना चाहिये था। लेकिन उस समय तो आपको जल्दी थी, विरोधी सदस्य धरने पर बैठे हुए थे। जल्दी जल्दी कानून पास करालो यह जल्दी थी। आपने यह सोचा ही नहीं कि डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह के मामले को भी उसमें इन्कोर्पोरेट कर लिया जाय। गिरधारीलालजी व्यास को राज्य मंत्री का स्टेटस देना था, कान्ता कथूरिया की डिस्क्वालिफिकेशन रद्द करवानी थी, इसलिये जल्दी जल्दी में बिल पास करा लिये। एक एक मेम्बर को सहूलियत देने के लिये जिस प्रकार से अध्यादेश जारी करते हैं, जिस प्रकार से बिल में संशोधन लाते हैं मैं इसको बड़ा गम्भीर और अपरिपक्व मानता हूं। एक व्यक्ति को सवा सौ रुपये का फायदा देना है ऑर्डिनेन्स जारी कर दिया। ऑर्डिनेन्स को जारी करके सबसे अधिक दुरुपयोग इस हुकूमत ने किया है। एक-एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिये इस हुकूमत ने ऑर्डिनेन्स निकाल दिया। चाहे वह डा. मेहता को अपोइन्टमेन्ट देने का मसला हो, विधेयक ले आये, कान्ता कथूरिया के इलेक्शन को वैलिडेट करना हो तो विधेयक ले आये। गिरधारीलालजी व्यास को स्टेट मिनिस्टर का दर्जा देना हो तो विधेयक ले आये। इस प्रकार इन्डिविजुअल एप्रोच व्यक्ति विशेष के लिये होता है। कानून का आर्थिक नीति से कोई सम्बन्ध नहीं, विकास से उसका कोई सम्बन्ध नहीं, राजस्थान की बहबूदी से उसका कोई सम्बन्ध नहीं किन्तु व्यक्ति विशेष के फायदे के लिये आर्डिनेन्स लाते हैं, विधेयक लाते हैं। यदि इसको लाना ही था तो सदन के सामने लाते तो कोई इस तरह का विवाद नहीं होता और वह पास हो जाता और आज जो उपाध्यक्ष महोदय की इस विधेयक को लेकर खिंचायी हो रही है उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है, विरोधी दल की कोई जिम्मेदारी नहीं। इस आधार पर मैं ऑर्डिनेन्स का समर्थन नहीं कर रहा हूं आप विधेयक लाते। एक बार आर्डिनेन्स को डिस्एप्रूव कर दीजिये तो सरकार के द्वारा इस प्रकार से अध्यादेश जारी करने की मनोवृत्ति डिस्एप्रूव होगी। स्वतन्त्र रूप से विचार कीजिये। गुलामी की बात नहीं है। कांग्रेस हाई कमान में ही स्वतन्त्र रूप से विचार हो रहा है। अलग अलग कैम्प लग रहे हैं। इधर पाटिल, निजलिंगप्पा, कामराज का कैम्प लगा है, मुरारजी का कैम्प लगा है, इधर इन्दिरा गांधी का कैम्प अलग बन रहा है। एक दूसरे को अपने मन के विचार प्रकट करने की आजादी है। स्वतन्त्र विचारधाराओं के आधार पर विचार करें। रेड्डी और गिरी के मामले में संघर्ष चल रहा है। बंगलोर में संघर्ष चला, मुरारजी का पत्ता कटा। सिंडिकेट के साथ जुड़े रहने पर भी ···

श्री पी. के. चौधरी : You cannot discuss the internal affairs of a party.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Which are very reasonable.

श्री पी. के. चौधरी : The internal affairs of a party must not be discussed.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The party itself is out of order.

श्री पी. के. चौधरी : The party is quite in order; but it is not in good taste to discuss the internal affairs of a party here.

श्री विजयसिंह मकराना : The point of order is also out of order.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया, मैं उसका उदाहरण दे रहा था और आपका मौरल हाई कर रहा था। आप इन्दिरा कैम्प में हैं इसमें कोई दो राय नहीं।

श्री पी. के चौधरी : There is no camp in the Congress, but there is only one Congress.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं समझता हूं आप तो बहुत जानकार और पढ़े लिखे हैं और देश में जो करेंट चल रहा है और आज देश में जो कांग्रेस की हालत है, टी.बी. की लास्ट स्टेज में कहना कि बलशाली है, यह मौत को बुलावा देना है।

इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि आप गम्भीरता से विचार कीजिये। प्रेसिडेन्शियल इलैक्शन में व्हिप नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : किसने कहा कि व्हिप नहीं है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सादिक अली ने कहा कि व्हिप नहीं है और प्रोविन्शियल सेक्रेटरी कहते हैं कि व्हिप है। तो अलग अलग कैम्प हैं।

श्री पी. के. चौधरी : There is no camp.

श्रीमती सभानेत्री : (To Shri Satish Chandra Agarwal) Please be relevant, Hon. Member.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऑर्डिनेन्स को रद्द करने के लिये वोट करने के लिए तो कोई व्हिप नहीं है। स्वतन्त्रता पूर्वक महसूस करते हैं कि उपाध्यक्ष महोदय की तनख्वाह बढ़े तो सदन में बिल आ चुका है उसी में इन्कोर्पोरेट कर दीजिये। एक महीने का सवा सौ रुपये का नुकसान होगा और अधिक से अधिक आप चाहें तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर दीजिये। एक जुलाई से कर दीजिये। यह भी नहीं तो 29 जून से ही कर दीजिये। दो दिन के चार रुपये और मिल जायेंगे। एक स्वस्थ परम्परा कायम करने के लिये इसको डिसएप्रूव करके रिजेक्ट कर देना चाहिये। हम भी अच्छे सुझाव देते हैं, इससे किसी का नुकसान भी न हो। डिप्टी स्पीकर को सवा सौ रुपये का फायदा देना चाहते हैं इसके लिये ऑर्डिनेन्स जारी करना अच्छा नहीं है। आप एक्ट में संशोधन कर सकते है। आज डिबेट खत्म नहीं हो रही है बरकत साहब आप मुख्य मन्त्री जी से पूछ लीजिये, उनकी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
राय ले लीजिये। बिल में इसको इन्कार्पोरेट कर लीजिये और इस अध्यादेश को नामन्जूर किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : सदन की आज्ञा से आधे घन्टे का समय बढ़ाया जाता है।

कई माननीय सदस्य : आज खत्म नहीं होगा। समय नहीं बढ़ायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन की आज्ञा नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : पूछ लिया जाय ?

सदन की अनुमति से सदन का समय आधा घन्टा और बढ़ाया जाता है।

(शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : आपका नो, नो सुन रही हूं। आप हां या ना कहें।

(शोरगुल)

तो इस प्रश्न पर क्या आप वोटिंग चाहते हैं। (शोरगुल) क्या वोटिंग किया जाये ?

सदन की अनुमति से आधा घन्टे का समय बढ़ाता जाता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : सदन की अनुमति नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : सारे सदस्य नो-नो कह रहे हैं तब अनुमति कहां है। हम सब लोग नो कह रहे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आप सब लोग कह रहे हैं न !

(शोरगुल, नहीं, नहीं की आवाज)

श्रीमती सभानेत्री : तो सदन की कार्यवाही कल दिनांक 13 अगस्त, 69 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5 बज कर 1 मिनिट पर दिनांक 13 अगस्त, 1969 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 7 की सूची)

क्र० सं०	नाम जिला	अभावग्रस्त घोषित करने की दिनांक
1.	जैसलमेर	12-10-68
2.	बाड़मेर	14-10-68
3.	बीकानेर	14-10-68 21-10-68
4.	जोधपुर	21-10-68
5.	जालौर	21-10-68
6.	नागौर	13-11-68
7.	सीकर	13-11-68
8.	अजमेर	13-11-68
9.	भीलवाड़ा	14-11-68
10.	झालावाड़	14-11-68
11.	बून्दी	16-11-68
12.	चित्तौड़गढ़	16-11-68
13.	चूरू	16-11-68 1-1-69
14.	डूंगरपुर	16-11-68
15.	झुन्झुनू	16-11-68
16.	सिरोही	16-11-68
17.	टोंक	16-11-68
18.	अलवर	16-11-68
19.	उदयपुर	18-11-68
20	सवाई माधोपुर	18-11-68 25-11-68
21.	बांसवाड़ा	20-11-68 30-11-68
22.	पाली	26-11-68
23.	जयपुर	30-11-68
24.	गंगानगर	7-1-69
25.	कोटा	7-1-69
26.	भरतपुर	5-2-69

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 9 की सूची)

पंचायत समिति रोहट, के मेम्बर्स की ओर बकाया राशि का विवरण अल्प कालीन ऋण।

क्रमांक	नाम मेम्बर	बकाया राशि वर्ष सहित खाद	बकाया राशि वर्ष सहित बीज
1	2	3	4
1.	श्री कल्याण सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत, रोहट।	20-10-65 से 68-40 7-12-65 से 34-20 15-11-66 से 96-25 2-11-66 से 96-25 2-12-66 से 38-88 22-10-65 से 42-80 योग: 366-78 2-2-68 284-78	4-7-64 से 26-06 9-7-64 से 11-85 19-8-65 से 138-52 11-10-65 से 54-90 योग: 231-33
2.	„ पेराराम, सरपंच, ग्राम पंचायत, पाण्डावास।		6-7-68 से 24-75 योग 24-75
3.	„ सोहनसिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत, मालावास।		28-6-64 से 61-37 3-7-65 से 49-50 24-6-66 से 20-68 योग: 131-75
4.	„ किशनसिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत, दिवान्दी।		30-10-68 से 102-11 3-7-68 से 74-25 योग: 176-36

5. श्री लादूसिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत, पढावखाडा । — 6-7-68 से 24-60

6. „ मंगलसिंह, ग्राम पंचायत, लाड़ी । — 10-8-66 से 19-25; 9-12-65 से 72-00

योग: 91-25

7. „ जोगसिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत, चोटिला । — 8-11-66 से 54-00; ...... 108-00 — 20-6-68 से 246-00

योग 162-00

8. „ मानाराम, सरपंच, ग्राम पंचायत, निम्बलीउड़ा । — 25-7-68 से 61-60

योग: 61-60

9. „ किशनाराम, सरपंच, ग्राम पंचायत बिठू । — 5-8-68 से 30-80

योग: 30-80

10. „ जाराम, सरपंच, ग्राम पंचायत, खान्डी । — 30-10-63 से 61-36

योग: 61-36

11. „ मानवेंद्रसिंह, प्रधान, पंचायत समिति, रोहट । — 29-6-68 से 122-00; 16-7-66 से 50-00; 29-6-68 से 811-80; 29-6-68 से 101-92

योग: 1085-72

Page No 134

दीर्घ व मध्यकालीन ऋण

1. श्री कल्याणसिंह, सरपंच, रोहट कुवा हेतु	5-7-65 से	2,000)
2. ,, देवाराम, सरपंच, मांडावास कुवा हेतु	28-6-69 से	200)
3. ,, विजयसिंह, सरपंच, दिवान्दी बगीचे हेतु	25-2-61 से	300)
4. ,, डूंगरराम, सरपंच, भीतड़ा नालिया	14-10-66 से	800)

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 10 की सूची)

FOURTH FIVE YEAR PLAN (1969-74)

Head of Development.	Proposed by the State Govt.	According to Draft Fourth Five Year Plan of the Planning Commission.
1	2	3
I. Agricultural Programmes	2403	1960
1. Agricultural Production.	291	325
2. Minor Irrigation.	1126	800
3. Soil Conservation.	231	200
4. Aya-cut Development Programme	102	90
5. Animal Husbandry.	302	250
6. Dairying & Milk Supply.	45	45
7. Forests.	233	200
8. Fisheries.	58	40
9. Warehousing & Marketing:	15	10
II. Cooperation & Community Development:	719	450
1. Cooperation.	284	200
2. Community Development.	375	200
3. Panchayats.	60	50
III. Irrigation & Power:	19,299	15,506
1. Irrigation.	8193	7400
2. Flood Control	230	230
3. Power.	10,876	7876
IV. Industry & Mining:	739	540
1. Large & Medium Industries.	297	200
2. Mineral Development.	325	240
3. Village & Small Industries.	117	100

V. Transport & Communications :	1,333	970
1. Road Transport.	50	50
2. Roads	1,260	900
3. Tourism.	23	20
VI. Social Services:	6,665	4,370
1. General Education.	1,565	1,400
2. Technical Education.	34	30
3. Cultural Programmes.	26	15
4. Water Supply (Urban & Rural)	3,490	1,900
5. Health.	633	500
6. Housing & Urban Development :	—	—
(a) Housing.	565	165
(b) Urban Development.	65	30
7. Welfare of Backward Classes	180	150
8. Social Welfare	30	20
9. Craftsmen Training & Labour Welfare.	75	60
10. Public Cooperation.	2	—
VII. Miscellaneous :	142	100
1. Statistics	18	15
2. Information & Publicity.	32	25
3. Evaluation Machinery.	10	5
4. Others.	82	55
Grand Total :	31,300	23,896

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

तेन्दू व गोंद के ठेके

12. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग द्वारा पत्ता तेन्दू व गोंद के ठेके नीलाम होकर फाइनल होने पर उन ठेकों के पेटे 10 पर्सेन्ट अर्नेस्टमनी रखी जाती है ?

(2) यदि हां, तो 1 जनवरी, सन् 64 से 1 जनवरी, 69 तक कितनी कितनी रकम ठेकेदारान को दी जा चुकी है, और कितनी रकम शेष है? जो रकम शेष है वह किस किस ठेकेदार को देनी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

सांचोर तहसील की सस्ते अनाज की दुकानें

13. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में गत अकाल में सस्ते अनाज की दुकाने प्राइवेट लाइसेन्सदारों को दी गई थी ? अगर हां, तो ऐसी कितनी दुकानें किस किस को दी गई थी ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि ऐसे दुकानदारों के भाड़े एवं कमीशन के पैसे सरकार में पिछले तीन सालों से अब तक बकाया हैं ? अगर हां, तो किस किस दुकानदार की कितनी कितनी बकाया राशि सरकार में बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त सस्ते अनाज के दुकानदारों की धन-राशि सरकार में अब तक बकाया क्यों है ? अब इस बकाया धन राशि का सरकार द्वारा कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ।

उत्तर

(1) जी हां । सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) जी हां, सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(3) दुकानदारों द्वारा विलम्ब से बिल पेश करने के कारण देरी हुई है, इसलिये सभी बिल काल तिरोहित हो गये । अतः अब महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्री-ऑडिट के बाद ही भुगतान करना सम्भव हो सकेगा ।

तहसील सांचोर में गत अकाल में सस्ते अनाज की दुकानें (जिसने सरकारी अनाज बेचा) के नाम

1. मेसर्स हस्तीमल, ऊजमल, खुराचन्द
2. ,, छगनलाल, चुन्नीलाल, हाड़ेचा
3. ,, दुर्गचन्द्र हस्तीमल, सरवाणा
4. ,, छगनलाल बस्तीमल, साँचौर
5. ,, चुन्नीलाल लक्ष्मीचन्द, चितलवाना
6. ,, ताराचन्द्र मानमल, चौरा
7. ,, अमरचन्द्र मामराज, सरणाऊ
8. ,, हीरालाल मगराम, जाखल
9. ,, रामकिशन चेनाराम, सेवाड़ा
10. ,, मनोहरलाल चम्पालाल, साँचौर
11. ,, राजूराम फूलचन्द्र, भाव
12. ,, खेराजराम कुम्माराम, डूंगरी
13. ,, आसूलाल पारसमल, केरिया
14. ,, खीमराज लालचन्द, अरणाय
15. ,, सुजानाराम भीमाराम, सांकड़
16. ,, भूरचन्द भायाचन्द, टापी
17. ,, जावतराम सिमरथमल, भड़वल
18. ,, भीमाराम कनाराम, खेजिडियाली

सरकारी सस्ते अनाज विक्रेता के बकाया बिलों की सूची तहसील, सांचोर

1.	मैसर्स	रामकिशन चेनाराम, सेवाड़ा	1339-94
2.	,,	खेराजराम कुम्माराम, डूंगरी	3375-59
3.	,,	आसूलाल, केरिया	2628-20
4.	,,	राजूराम फूलचन्द, भाव	4061-58
5.	,,	हीराम लाल मेघराज, भासल	1618-98
6.	,,	दुर्गचन्द हस्तीमल, सरवाना	2775-00
7.	,,	ताराचन्द मानमल, चौरा	2149-05
8.	,,	खीमराज लालचन्द, अरणाय	2079-60
9.	,,	सुजानाराम भीमाराम, सांकड़	197-04
10.	,,	चुन्नीलाल लक्ष्मीचन्द, चितलवाना	1332-38

मोटर गैरेज द्वारा स्पेयर पार्ट्स को खरीद

14. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 68-69 में स्टेट मोटर गैरेज द्वारा स्पेयर पार्ट्स के लिये कब कब निविदा आमंत्रित किये गये ?

(2) किन किन फर्म्स ने किस किस दर के निविदा प्रस्तुत किये और किन किन फर्म्स के किस किस दर के निविदा स्वीकृत हुए ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) स्वीकृत दरों से किस किस आईटम की किस किस फर्म की दरें कम थी और उनको स्वीकार नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(4) जिन निविदा को स्वीकार किया गया है क्या वह फर्म्स स्वयं ऐसे स्पेयर पार्ट्स के निर्माण का कार्य करती हैं ? यदि हां, तो कौन कौन और यदि नहीं, तो यह फर्म्स किन किन निर्माणकर्त्ता फर्म्स से यह सामान खरीदती हैं ?

(5) जिन फर्म्स के निविदा स्वीकार नहीं किये गये उनमें कौन कौन फर्म ऐसी हैं जो यह स्पेयर पार्ट्स उन्हीं निर्माण कर्त्ता फर्म से लाती हैं जिनके स्पेयर पार्ट्स को उन फर्म्स ने खरीदा है जिनकी दरें स्वीकृत हुई हैं ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

अनिवार्य शिक्षा के अन्तर्गत पाठशालाएं

15. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूतपूर्व बीकानेर राज्य क्षेत्र में अनिवार्य शिक्षा के नाम से नगरपालिका क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालायें चलती थीं, क्या वे अब नगरपालिकाओं और राज्य सरकार की सहायता से चल रही हैं ? यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ? उनकी व्यवस्था, नियन्त्रण, निरीक्षण, सेवा नियम, नियुक्ति, पदोन्नति, पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रॉविडेंट फण्ड आदि की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सही है कि वे एक कानून के अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत एक राजकीय सेवा के विभाग के तौर पर भूतपूर्व राज्य में स्थापित हुई थीं और संचालित होती थी ? यदि हां तो किस कानून और नियम के अन्तर्गत उनको मौजूदा दर्जा दे दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि इन संस्थाओं की मौजूदा स्थिति में सेवारत कर्मचारियों के साथ बहुत अन्याय हुआ है ? क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों को न तो राज्य कर्मचारी माना जाता है और न ही नगरपालिका कर्मचारी माना जाता है ? इस कारण यह दोनों ही सेवा नियमों की सुविधाओं से वंचित हैं ?

(4) नगरपालिकायें आर्थिक कमजोरी के कारण इन संस्थाओं को चलाने में असमर्थ हैं और लगभग बीस नगरपालिकाओं ने समय समय पर प्रस्ताव पारित कर इन स्कूलों को शिक्षा विभाग के अधीन लेने के निवेदन किये

(श्री दौलतराम सारण)
हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

(5) क्या अब आगामी सत्र से इन संस्थाओं को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ले लिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) क्या समय समय पर उनके अध्यापकों के प्रतिवेदन मिले हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(स्थगित किया गया)

गंगानगर जिले में दान में प्राप्त चारा, तूड़ी, घास

16. श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : क्या अकाल सहायता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर से अकाल सहायता कोष में धन व चारा काफी मात्रा में जनता द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो कितने रुपये व कितनी तूड़ी व—घास दान में दिया गया गया ? तालिका सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या यह सही है कि दान में प्राप्त चारा, तूड़ी, घास मंहगे भाव पर जनता को बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो किस भाव से और कहां कहां पर बेचा जा रहा है तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला गंगानगर में अकाल सहायता कोष में 5,37,468-34 पै० नकद दिया गया एवं 37,867 क्वि० चारा दान में दिया गया।

(2) जी नहीं। दान में प्राप्त चारा जैसलमेर, बीकानेर में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर अर्थात 8) रु० प्रति क्वि. से बेचा गया। 3,617 क्वि० चारा निष्क्रमण डिपोज पर मुफ्त वितरित किया गया।

नियुक्तियों में हिन्दी को परीक्षाओं को मान्यता

17. श्री रामकिशन (वैर) : क्या भाषा मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अंग्रेजी की विभिन्न परीक्षाओं के समकक्ष हिन्दी की परीक्षा पास करना राज्य सेवा नियुक्ति अथवा पदोन्नति के लिए मान्य है ? यदि हां, तो क्या उस पर आचरण भी किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार कनिष्ठ लिपिक से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक के पदों पर केवल हिन्दी की योग्यता वाले व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करती ? यदि हां, तो अंग्रेजी की अनिवार्यता का अन्त अथवा पूर्ण हिन्दीकरण की नीति का पालन करना कैसे माना जा सकता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, क्योंकि ये परीक्षाऐं केवल हिन्दी ज्ञान मात्र के लिये विभिन्न विश्व विद्यालीय परीक्षाओं के समकक्ष मानी गई हैं।

(2) जी हां, पत्र व्यवहार विनिमय में अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों को पढ़ना, समझना और फिर उस पर टिप्पणी देना अंग्रेजी ज्ञान की आवश्यकता को अपरिहार्य बना देता है।

माध्यमिक शाला बड़ोदाकान के अध्यापक को एरियर का भुगतान

18. श्री गंगासहाय कोली (कठुमर-सु.) : क्या शिक्षा मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री मूलचन्द जैन, अध्यापक, माध्यमिक शाला, बड़ौदाकान (अलवर) का पुराना फिक्सेशन क्लेम एरियर 15-2-53 को उप-निरीक्षक दौसा द्वारा ड्रा किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापक को अपने क्लेम का भुगतान आज तक भी नहीं किया गया है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) यह सही नहीं है। अध्यापक को 426.25 रु० की धनराशि का भुगतान दिनांक 23-12-68 को किया जा चुका है।

मैडिकल रीएम्बर्समैन्ट पर व्यय

19. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले तीन वर्षों में मैडिकल रीएम्बर्समैन्ट का कितना व्यय सरकार को अपने कर्मचारियों पर करना पड़ा है ? प्रतिवर्ष का अलग अलग ब्यौरा सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उपरोक्त गत तीन वर्षों में इस सम्बन्ध में झूठे दावे भी पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो कितने तथा इस प्रकार झूठे दावे पेश करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) गलत दवाओं के मामलों में महालेखाकार ने राजपत्रांकित अधिकारीगण अथवा मन्त्रीगण के विरुद्ध कितने रिट्रेन्चमेन्ट स्लिप जारी किये ? ऐसे गलत दावों को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

(स्थगित किया गया)

भाखरा नांगल के विस्थापितों की भूमि का अलाटमैन्ट

20. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सिंचाई मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भाखरा नांगल के विस्थापितों को बसाने के लिये राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के बीच कोई समझौता हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या और कब तथा उक्त समझौते की प्रति सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विस्थापितों को बसाने हेतु राजस्थान कैनाल पर कोई कृषि भूमि अलॉट की गयी है ? यदि हाँ, तो किन किन को कब कब किस रेट पर ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त समझौते के अनुसार यह कार्य कब तक पूर्ण होने की उम्मीद है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत समिति सुनेल को कृषि यंत्र

21. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सुनेल, पिड़ावा जिला झालावाड़ को राज्य सरकार द्वारा ऋण से कृषि यन्त्र दिये गये हैं ? यदि, हाँ तो कब और कितनी धन राशि के ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कृषि यन्त्रों को सुरक्षित रखने का स्थान बीज गोदाम है ?

(3) क्या यह भी सही है कि अब इस बीज गोदाम को विकास अधिकारी द्वारा अपने लिये निवास की जगह बनाली है ? और यह यंत्र बाहर डाल दिये गये हैं ?

(4) यदि हाँ, तो क्या इस कार्य के लिये स्वीकृति ली गई थी ? यदि हाँ, तो कब और किसके द्वारा ?

उत्तर

(1) जी हाँ। वर्ष 1964-65 में 26,326.42 पै० के कृषि यंत्र दिये गये।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। कृषि यंत्र पंचायत समिति, कार्यालय में एक कमरे में रखे हुए हैं।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

जवाई बांध का पानी

22. **श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा** (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जवाई बाँध का पानी कई शहरों, नगरों, गांवों को पीने के लिए और तालाब भरने के लिये दिये जाने के कारण इस बाँध से सिंचाई के लिए उपलब्ध होने वाले पानी की मात्रा के सम्बन्ध में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जवाई बांध की बैटरमैन्ट लेवी माफ करने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) यदि बिल्कुल माफ करने का विचार नहीं है तो क्या सरकार यह विचार करेगी कि जितना प्रतिशत पानी सिंचाई के कार्यों में नहीं आकर पीने अथवा दूसरे सार्वजनिक कार्यों में आता है उस पानी के प्रतिशत के हिसाब से खुशहाली कर किसानों से नहीं लिया जाकर जनस्वास्थ्य विभाग से वसूल किया जावे ?

उत्तर

(1-2.) जब जब पेय जल की कमी होती है तब विविध तालाबों, शहरों व गांवों को पीने के लिए जवाई बाँध द्वारा पानी दिया जाता है। और इसलिए सिंचाई के लिए उपलब्ध होने वाली जल की मात्रा में साधारण कमी हो सकती है। जवाई बांध से सुधार कर, इसी प्रकार कमी हुई तीन वर्षों के औसत वास्तविक क्षेत्र पर ही आंकी गई है अतः उसमें कमी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरपंच बोरावड़ के विरुद्ध मामले

23. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच, बोरावड़, जिला नागौर के खिलाफ 147, 323, 324, 325 व अन्य कौन कौनसी धाराओं के अधीन कौन कौन से कोर्ट में कितने कितने मुकदमें चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त सरपंच के खिलाफ पुलिस थाना, परवतसर द्वारा हिस्ट्रीशीटर का मुकदमा धारा 110 के अन्तर्गत एस.डी.एम. कोर्ट, परबतसर में जेर तजवीज है ?

(3) उपरोक्त सरपंच के खिलाफ पूर्णरूपेण जांच के वाद पंचायत, कलेक्टर नागौर ने इनको सस्पेन्ड करने हेतु पंचायत विभाग राजस्थान सरकार को कब अपनी सम्मति के साथ फाइल भेज दी है और उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) जी हां।

(3) जांच रिपोर्ट (प्रारंभिक) दिनांक 20-8-66 को प्राप्त हुई। सरपंच को निलम्बित किया गया परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा सरकार की उक्त आज्ञा को स्थगित कर दिया गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या 18/पं. मं. के सम्बन्धित सरपंच पंचायत, बोरावड़ के विरुद्ध मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, परवतसर में जेर तफतीश मुकदमों की सूची।

1.	सी. आर. नं० 73/62	जुर्म जैर दफा	147, 451, 323
2.	सी. आर. नं० 47/62	,, ,,	325
3.	सी. आर. नं० 74/62	,, ,,	325
4.	सी. आर. नं० 42/63	,, ,,	324, 147
5.	सी. आर. नं० 45/63	,, ,,	326
6.	सी. आर. नं० 14/64	,, ,,	327, 332, 147, 440
7.	सी. आर. नं० 62/65	,, ,,	353, 379
8.	सी. आर. नं० 20/66	,, ,,	147, 148, 325, 323, 34
9.	सी. आर. नं० 41/66	,, ,,	457
10.	सी. आर. नं० 70/66	,, ,,	452, 147, 149
11.	सी. आर. नं० 5/67	,, ,,	307, 392

परीक्षा के परिणामों की घोषणा

24. **श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली):** क्या शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय के परिणाम साधारणतया कब तक घोषित हो जाने चाहिये ? वर्ष 1968 में क्या 27जून, 1968 तक परीक्षाफल घोषित नहीं किये गये थे ?

(2) टी.डी.सी. फाइनल का परीक्षा फल इस वर्ष कब घोषित किया गया ? क्या यह सही है कि इस देरी के कारण जो छात्र राज्य से बाहर प्रवेश लेना चाहते थे उनको वंचित रहना पड़ा और राज्य में भी भारी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा था ?

(3) क्या मैडिकल व इन्जिनियरिंग के परिणाम 15 जून के बाद में घोषित किये गये थे ? क्या यह सही है कि प्रवेश की अन्तिम तिथि राज्य के बाहर की 15 जून व राज्य में 25 जून की है ?

(4) क्या यह सही है कि छात्रों को मार्क्सशीट समय पर प्राप्त नहीं हो सकी थी और इसके कारण वे प्रवेश नहीं पा सके ।

(5) क्या सरकार इसकी विस्तृत जांच कराने को तैयार है कि देरी किन कारणों से हुई और इसके कारण कितने छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाया ?

उत्तर

(1) वैसे परीक्षा परिणाम घोषित करने की कोई तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निश्चित नहीं की गई हैं ।

राजस्थान विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम साधारणतया 25 जून तक घोषित हो जाते हैं । प्रयत्न यही किया जाता है कि परीक्षा परिणाम जल्दी से जल्दी ज्यों ही तैयार हों, घोषित कर दिये जायें । सन् 1968 में कुछ वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम 27 जून, 1968 तक घोषित नहीं हो पाये थे ।

यदि एक भी परीक्षक अंक तालिका भेजने में विलम्ब कर देता है तो सम्पूर्ण परीक्षा परिणाम घोषणा में विलम्ब हो जाता है । इस समस्या के समाधान का विश्वविद्यालय के पास सम्बन्धित परीक्षक को भविष्य में नियुक्त न करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपचार नहीं है ।

(2) टी. डी. सी. फाइनल के परीक्षा परिणाम इस वर्ष निम्नांकित तिथियों को घोषित किये गये थेः—

टी. डी. सी. फ़ाइनल (कला) दिनांक 10-7-69 ।

टी. डी. सी. फाईनल (विज्ञान) दिनांक 26-6-69 ।

टी. डी. सी. फाईनल (वाणिज्य) दिनांक 29-6-69 ।

विश्वविद्यालय के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है कि परीक्षा परिणाम देरी से घोषित किये जाने के कारण जो छात्र राज्य के बाहर प्रवेश लेना चाहते थे उन्हें वंचित रहना पड़ा और राज्य में भी भारी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा।

(शिक्षा मन्त्री)

(3) इन्जीनियरिंग फैकल्टी में निम्नांकित परीक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी के परिणाम दिनांक 15 जून, 1969 तक घोषित कर दिये गये थे।

परीक्षा	परिणाम घोषणा
1. फर्स्ट बी. ई.	17-6-69
2. सैकिन्ड बी. ई.	19-6-69
3. फोर्थ बी. ई. (मैंटेलरजी)	21-6-69
4. फोर्थ बी. ई. (सिविल)	25-6-69
5. फाइनल बी. ई. (मैकेनिकल)	25-6-69
6. फाईनल बी. ई. (इलैक्ट्रिकल)	5-7-69

मैडिकल फैकल्टी के सभी परिणाम 15 जून के पहिले घोषित हो चुके थे।

राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोस्पेक्टर्स के अनुसार प्रवेश के लिए बिना लेट फीस दिए हुए आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 25 जून निर्धारित थी, परन्तु जिन जिन परीक्षाओं के परिणाम विलम्ब से घोषित किये गये उन परीक्षार्थियों को प्रवेश देने की अन्तिम तिथि बिना लेट फीस दिये 10 दिन आगे तक बढ़ादी गई थी। लेट फीस देने के बाद तो 7 अगस्त तक प्रवेश लिया जा सकता है। राज्य के बाहर प्रवेश की अन्तिम तिथि के बारे में जानकारी नहीं है।

(4) परीक्षा परीणाम घोषित होने के एक सप्ताह के अन्दर छात्रों को मार्कशीट भिजवा दी जाती है। विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि प्रवेश की अन्तिम तिथि, जैसा कि ऊपर नं. (3) के उत्तर में कहा जा चुका है, बढ़ादी जाती है जिससे कि छात्रों को प्रवेश के लिए बिना लेट फीस दिये ही कोई असुविधा न हो। और फिर लेट फीस देने के बाद तो 7 अगस्त तक प्रवेश लिया जा सकता है।

विश्वविद्यालय के पास मार्कशीट का कठिनाई के कारण प्रवेश न होने की कोई शिकायत नहीं आई है।

(5) राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

मुहाफिजों का फिक्सेशन

25. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर सर्किल के ऐसे कितने मुहाफिज हैं, जिनका अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें। इनका फिक्सेशन अब तक नहीं होने का क्या कारण रहा है व अब कब तक कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि दौसा जिलेदारी में कुछ मुहाफिज जो कस्टम विभाग के टूटने के कारण इस विभाग में एब्जोर्ब किये गये थे उनको न तो सन् 1955 से वार्षिक ग्रेड ही मिल पा रही है और न ही उनका फिक्सेशन ही किया जा रहा है ? इनके फिक्सेशन के कागजात कहां पर पेंडिंग हैं और कितने वर्षों से हैं व ये कब रिटायर हो रहे हैं।

(श्री श्रवणलाल)

(3) क्या सरकार इस मंहगाई के समय को ध्यान में रखकर इन लोपेड कर्मचारियों का जल्द से जल्द फिक्सेशन कर देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो निश्चित तारीख बताई जावे ।

उत्तर

(1) केवल श्री बहादुरसिंह मुहाफिज का फिक्सेशन बाकी है । फिक्सेशन में देरी का कारण यह है कि इस मुहाफिज ने विभागीय परीक्षा पास नहीं की थी अत: फिक्सेशन के नियमों के तहत नहीं आता था । अब राजाज्ञा संख्या एफ. 15/555/ सी./65, दिनांक 23-3-68 के तहत इसका फिक्सेशन इस माह में कर दिया जावेगा ।

(2) कस्टम विभाग से 5 मुहाफिज आये थे उनमें से तीन के फिक्सेशन हो चुके हैं और दो मुहाफिज इस विभाग के मुहाफिजों के ग्रेड में अपना फिक्सेशन नहीं कराना चाहते हैं इनमें से एक सन् 1966 में रिटायर हो गये हैं दूसरे बाद के वर्षों में रिटायर होंगे ।

(3) जी हां, भाग एक में अंकित श्री बहादुरसिंह का फिक्सेशन इसी माह में रक दिया जावेगा ।

कंजरों को मकान बनाने के लिए धन राशि

26. श्री गंगासहाय कोली (कठूकर सु.): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खेडली लोधा पंचायत समिति गोविन्दगढ़ (मुख्यालय लक्ष्मणगढ़) अलवर के कंजरों को मकान बनाने हेतु कितनी धनराशि कब दी गई और किन किन लोगों को दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या इन मकानात का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और क्या दी गई धनराशि की उपयोगिता का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विभाग को प्राप्त हो चुका है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(2) कार्य अधूरा है । अनुदान की राशि का उपयोग हो चुका है किन्तु अनुदान देने वाले लोगों ने नियमानुसार उनके जिम्मे का जन सहयोग नहीं दिया । इसलिए प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये हैं ।

कन्जर खेडली लोधा के क्वाटर बनाने हेतु जिनको रकम दी गई उनको सूची

क्र० सं०	रकम जो स्वीकृत कर जिसको दी गई उसका नाम व पता		स्वीकृत रकम जो दी गई	दिनांक	विशेष विवरण
1	2		3	4	5
1.	श्री भूरजी कन्जर	खेड़ली लोधा	750-00	28-8-65	750-00 रु० का कार्य कन्जरों द्वारा करवाया जा चुका है। किन्तु क्वाटरों का कार्य अपूर्ण है क्योंकि नियमानुसार उसके द्वारा अपना सहयोग का हिस्सा नहीं लगाया गया है। इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है।
2.	,, सुगनी देवी	,,	750-00	28-8-65	
3.	,, अमरसिंह	,,	750-00	28-8-65	
4.	,, रमली	,,	750-00	28-8-65	
5.	,, सरदारा	,,	750-00	28-8-65	
6.	,, गुलाब	,,	750-00	28-8-65	,,
7.	,, प्यारेलाल	,,	750-00	28-8-65	,,
8.	,, अतरसिंह	,,	750-00	28-8-65	,,
9.	,, अगनी	,,	750-00	28-8-65	,,
10.	,, नथसिंह	,,	750-00	28-8-65	,,
11.	,, भगवाना	,,	750-00	28-8-65	,,
12.	,, जग्गु	,,	750-00	28-8-65	,,
13.	,, नथ्था	,,	750-00	28-8-65	,,
14.	,, रतना	,,	750-00	28-8-65	,,
15.	,, भगवंत्या	,,	750-00	28-8-65	,,

1	2		3	4	5
16.	श्री दुर्गा	खेडली लोधा	750-00	28-8-65	750.00 रु. का कार्य कंजरों द्वारा करवाया जा चुका है। किन्तु क्वाटरों का कार्य अपूर्ण है क्योंकि नियमानुसार उसके द्वारा अपना सहयोग का हिस्सा नहीं लगाया गया है। इसलिये उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है।
17.	,, सुआ	,,	750-00	28-8-65	
18.	,, रामु	,,	750-00	28-8-65	
19.	,, घन्ना	,,	750-00	28-8-65	

असनावर के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने की मांग

27. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 68 में राजस्थान में किन किन मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों में परिवर्तित किया गया है ? इनमें छात्रों की संख्या कितनी कितनी है ? और भवनों की व्यवस्था कैसी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही हैं कि असनावर जिला झालावाड़ के मिडिल स्कूल को हाई-स्कूल बनाने का प्रस्ताव पंचायत समिति एवं जिला परिषद्, झालावाड़ द्वारा पास किया जाकर सिफारिश की गई थी फिर भी इस पुराने स्कूल को उच्च श्रेणी नहीं दी गई जब कि भवन निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) असनावर झालरापाटन पंचायत समिति में है जहां कि स्वयं झालरापाटन में एक हाई स्कूल हैं। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु झालरापाटन की कन्या साला को इस वर्ष हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नत किया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय मे रखी गई है)

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 2 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Finance Department (Rules)

ORDER

No. F 9 (45) F. D. (E-R)/68 Dated Jaipur, the 8-5-69

Subject:—Rajasthan Civil Services (New pay Scales) Rules, 1969-Waiving of recovery of amount overpaid from 1-9-1968 to 31-1-1969 on account of retrospective abolition of special pay with New Pay Scales.

In continuation of Finance Department Circular No.F.9 (45) FD (E-R)/68, dated 31-1-1969 the Governor has been pleased to order that on account of retrospective abolition of special pay under Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Rules, 1969, the resultant recoveries of amount overpaid from 1-9-1968 to 31-1-1969 on account of special pay and following allowances be waived—

(a) House Rent Allowance.
(b) City Compensatory Allowance.
(c) Dearness Allowance.
(d) Travelling Allowance.
(e) Project Allowance.
(f) Deputation Allowance.

It is further ordered that the amount of special pay drawn from 1-9-1968 to 31-1-1969 shall not be treated as emoluments within the meaning of Rules 250 and 251 of Rajasthan Service Rules.

By Order of the Governor,
M. MUKERJI,
Financial Commissioner &
Secretary to Government.

MNR. Nair/3—5

Copy forwarded to:—

1. All Secretaries to Goverment.
2. All Private Secretaries to Ministers/Dy. Ministers.
3. All Sections of the Secretariat.
4. All Heads of Departments.
5. All Treasury Officers including Secretariat Treasury.
6. Codification Section (O&M) with 7 copies.
7. Accountant General, Rajasthan, Jaipur (150 copies).

Copy also to the:—

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
2. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
3. Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur.

K.D. Bhargava.
Deputy Secretary to Government
and Pension Officer.

परिशिष्ट 6

(अ० प्र० सं० 14 की सूची)

सूची 'अ'

नाम योजना	खर्च 3-69 तक	आय 3-69 तक
बहुउद्देशीय, वृहद् सिंचाई योजनाएं	4260-50	356-52
मध्यम, लघु एवं सन् 51 से पूर्व की सिंचाई योजनाएं	2871-00	523-72
योग ...	7131-50	880-24

उपरोक्त आंकड़ों में राजस्थान नहर व राणा प्रताप सागर के आंकड़े व भाखरा के पावर सैक्टर के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

सूची 'ब'

Statement showing expenditure on irrigation projects up to 3/69 and estimated and actual irrigation.

S. No.	Name of works	Exp. up to 3/69 (Rs. in lacs)	Estimated irrigation (000 acres)	Actual irrigation 1967-68	Actual irrigation 1968-69
1	2	3	4	5	6
	A-Multipurpose & Major Schemes.				
1.	Bhakra	2192.99	570.0	645.0	584.0
2.	Chambal Stage-I	1780.76	550.0	270.0	369.0
3.	Gurgaon Canal	139.25	62.0	...	In progress.
4.	Mahi	147.47	76.0	...	-do-
		4269.47	1258.00	915.0	...
	Medium Projects.				
1.	Works completed in 1st Plan	104.60	18.0	18.0	10.0
2.	Girinanda	8.88	1.0	0.3	N.A.
3.	Bhula	3.60	1.0	0.8	N.A.
4.	Bankli	9.65	8.2	8.2	....
5.	Raising of Naharsagar	2.54	1.2	1.2	1.2
6.	Raising of Hemawas	4.59	1.8	1.8	1.8

1	2	3	4	5	6
7.	Raising of Ummedsagar	1.67	1.7	1.7	1.7
8.	Nindar	4.65	1.1	0.9	1.1
9.	Jawai	248.46	19.0	32.4	28.4
10.	Kalisil	28.39	6.0	7.6	8.5
11.	Juggar	14.92	6.3	6.5	8.3
12.	Surwal	11.41	3.6	4.6	4.7
13.	Morel	50.02	16.2	18.7	26.6
14.	Kantri	1.36	0.4	0.4	....
15.	Bagolia	13.14	2.5	0.2	....
16.	Atwara	5.02	0.8	0.8	0.4
17.	Kalabhata	2.41	0.3	0.3	0.2
18.	Ora	16.65	5.6	6.7	1.2
19.	Lodisar-ka-Naka	18.84	2.8	2.4	2.7
20.	Gadola	8.30	2.3	1.0	1.3
21.	Surwania	20.00	3.0	1.1	1.7
22.	Sareri	40.76	13.0	3.9	13.5
23.	Namano	57.25	11.0	11.0	4.9
24.	Mashi	39.00	9.0	3.6	6.5
25.	Bundi-ka-Gothra	20.49	6.0	4.6	6.8
26.	Deoria	4.43	0.4	1.0	....

27. Alnia	40.31	9.0	8.7	8.7
28. Bharatpur feeder	17.00	12.0	14.0	12.3
29. Jakham (Part)	25.00	4.0	0.4	N.A.
30. Bhimsagar	13.88	12.5	...	Kept in abeyance
31. Gudha	71.79	20.0	13.8	16.0
32. Meja	92.62	25.0	9.8	21.2
33. Gambhiri	65.87	13.5	8.7	13.8
34. Arwar	45.68	12.0	3.0	7.2
35. Khari	35.34	5.4	9.2	12.5
36. Galwa	39.48	13.5	5.0	11.2
37. Parwan	22.76	10.0	4.3	8.9
38. Paibalapura	9.95	2.5	1.4	2.1
39. West Banas	66.12	10.0	13.0	11.3
40. Narainsagar	50.75	5.4	0.7	4.2
41. Parbati	112.62	30.0	10.6	31.0
42. Kalisindh	49.80	20.0	2.3	5.2
43. Berach at Vallabhnagar	80.20	8.0	1.3	5.7
44. Berach at Badgaon	72.92	6.3	1.1	6.8
45. Orai	48.23	8.2	2.7	5.6
46. Khari feeder	121.75	8.0	..	2.5
47. Jakham (Main)	3.88	28.8	Works recently started.	
48. Jetpura	3.66	5.0	-do-	

Page No 156

1	2	3	4	5	6
49.	Sei Diversion	3.41	...		Works recently started
50.	Meja Feeder	....	...		-do-
	Total Medium Projects.	1833.55	404.8	249.7	
	Survey & Investigation	122.78	...	....	
	Minor Irrigation	914.69	200.0	166.0	Awaited
		2871.02	604.8	429.7	

परिशिष्ट 7

(अ. प्र. सं. 29 की सूची)

राज्य में चल रहे ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र व उनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ग्राम सेवकों की संख्या का विवरण

क्रमांक	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ग्राम सेवकों की संख्या		विशेष विवरण
		दो वर्षीय सत्र	उच्च प्रशिक्षण एक वर्ष	
1	2	3	4	5
1.	सवाई माधोपुर	30	30	यह प्रशिक्षण 15 जुलाई से आरम्भ हुआ है अभी तक भर्ती चालू है।
2.	कोटा	—	20	
3.	मण्डौर	40	—	
4.	गढ़ी	50	—	

परिशिष्ट 8

(अ० प्र० स० 32 की सूची)

क्र० सं०	जिला	पंचायत समिति	पद से हटाये गये पंचों, सरपंचों तथा प्रधानों एवं उप प्रधानों की संख्या					विवरण सम्पत्ति जो जप्त की गई
			पंच	सरपंच	उप-सरपंच	प्रधान	उप-प्रधान	
1.	जैसलमेर	सम	35	5	—	—	—	चल व अचल सम्पत्ति सरकार के कब्जे में ले ली गई।
2.	बाड़मेर	चौहटन	30	4	3	—	—	

परिशिष्ट 9

(अ. प्र. सं. 33 की सूची)

चूरू जिले की न्याय पंचायतों में अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त स्थानों की सूची।

क्रम संख्या	नाम पंचायत समिति	नाम न्याय पंचायत	अध्यक्ष	सदस्य	रिक्त हुए स्थान का दिनांक	कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजगढ़	(1) ददरेवा	1	—	जून, 65 से	निवृत्तिकरण
		(2) सिद्धमुख	—	2	16-2-67	"
2.	रतनगढ़	(1) परसनेऊ	1	—	14-6-65	"
		(2) गोगासर	1	1	10-6-65	"
		(3) रतनमरा	—	2	जुलाई, 67 से	एक मृत्यु एवं एक त्याग-पत्र
		(4) लोहा	—	4	16-8-66	अनुपस्थिति के कारण
3.	सरदारशहर	(1) शिमला	1	1	14-6-65 एवं 16-4-66	अध्यक्ष मृत्यु के कारण सदस्य निवृत्तिकरण
		(2) बन्धनाऊ	—	1	31-2-66	निवृतिकरण
4.	डूंगरगढ़	(1) गिग्गा	1	2	16-4-65 व 17-1-67	"
5.	रतनगगर	(1) दूधवाखारा	1	—	19-6-65	"
		(2) बचंबू	1	—	21-6-65	"
6.	सुजानगढ़	(1) साण्डवा	—	1	28-8-68	अनुपस्थिति के कारण

Page No 160

1	2	3	4	5	6	7
7.	तारानगर	(1) साहवा	—	1	16-5-66	द्वितीय निवृत्तिकरण
		(2) बूचावास	--	1	17-1-67	निवृत्तिकरण
		(3) बांय	1	—	14-6-65	"
		कुल योग:	8	16		

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त, 1969)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
1	अन्तिम से 7	का	की
11	,, 13	रही	रहे
12	2	1656	1956
12	17	दिये जायेंगे	दी जावेंगी
33	14	राज थान	राजस्थान
46	अन्तिम से 9	(काटा)	(कोटा)
52 व 53	,, 9 व 8	सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र	—
67	,, 2	तयार	तैयार
71	1	साह	साही
71	7	पाडर	फीडर
71	8	क ने	करने
85	अन्तिम से 13	f पोर्ट	रिपोर्ट
95	शीर्षक	अगस्त, 1966	अगस्त 1969
95	10	सदन पर रखे जाने वाले पत्र	सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र
99	अन्तिम से 4	आदी	आदि
101	,,	ाईम	टाइम
101	शीर्षक	सदन की मेज पर रखे जाने वाले—12 अगस्त, 1969—पत्र प्रतिवे. का उपस्थापन	सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र–12 अगस्त, 1969–प्रतिवेदनों का उपस्थापन
102	8	(चेयरमन)	चेयरमैन
103	4	प्र तुत	प्रस्तुत
105	शीर्ष	(श्री भैगेंसिह)	(श्री भैरोंसिंह)
118	अन्तिम से 5 व 3	बहिगमन	बहिर्गमन
128	,, 6	पो ट	पोस्ट
131	शीर्षक	यानआकर्षण	ध्यानाकर्षण
135	अन्तिम	तरका	करता
136	4	हं	हूं
138	9	का न	कानून

1	2	3	4
188	4	से	को
188	अन्तिम से 12	नैनामल शाह	नैनमल शाह
191	8 व 9	का न	कानून
192	5	84	784
195	5	ल ने	लाने
195	17	ाक	कि
196	9	मुख्य मंत्री	श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री
201	अन्तिम से 6	राज	रोज
203	7	श्री प्रम सिंह सिंघवी	श्री प्रेमसिंह सिंघवी
203	15	असे बली	असेम्बली
204	अन्तिम से 12	पाना	पानी
205	17	दृष्य	दृश्य
210	10	ह्विकल्स	व्हिकल्स
210	19	व र्ट	वर्स्ट
213	8	कम्पेन्पसन	कम्पेन्सेशन
215	10	समानेजी	सभानेत्री
218	2	श्री देवीदत्त आड़िया	श्री देवीदत्त गाड़िया
222	15	मांगा	मांगूंगा
224	अन्तिम से 2	अपने	आपने
225	5	स्रीमतीं समानेत्री	श्रीमती सभानेत्री
238	2	श्री यसवन्तसिंह नाहर	श्री यशवन्तसिंह नाहर
239	15	उसफे	उसके
240	अन्तिम से 5	व्ययष्टि	व्यष्टि
270	,, 14	धन	धान
270	,, 11	गया गया	गया
275	9	का	की
276	अन्तिम से 2	रक	कर